ISSN-0974-0118

# मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-14, अंक-01 आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेषांक जनवरी-जून-2022

विद्यया विन्दते ऽखिलम्

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म.प्र.)

# कुलगीत

तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम।।

यहाँ नर्मदा की लहरों में संस्कृति का अनुप्रास।
यह भारत की अमर संपदा का पूरा इतिहास।।
यह स्कंदपुराण निरूपित अद्भुत रेवाखण्ड।
युग युग से महिमामंडित यह वंदित और अखंड।।
जनजातीय समाज यहाँ पर कर्मशील निष्काम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

यहाँ नर्मदा, सोन, जोहिला और अरण्डि प्रवाहित।
विद्या की देवी की पावन वीणा यहाँ स्वरासित।।
आदि शंकराचार्य, कपिल ने यहीं किया था ध्यान।
साधक, संत, कबीर पा रहे प्रज्ञा का वरदान।।
यहीं विश्व की मानवता को मिल पाता विश्राम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

यहाँ सुलभ है जनजीवन की परिपाटी का ज्ञान।
भारत की भाषा परिभाषा का अद्भुत अनुमान।।
यहाँ सूक्ष्म स्थूल दीखता, कण-कण ऊर्जावान।
मेघदूत सर्वदा निहारे साल, चीड़, वट, आम।।
सदा अमरकण्टक में गुंजित दिव्य सदाशिव नाम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

इस अंचल से जुड़ी हुई हैं जन-जीवन की आशा।
पूर्ण करेगा विद्यासागर जन-जन की अभिलाषा।।
वन औषधि की प्रचुर संपदा का यह सुंदर कोष।
संस्कृति और जीवन मूल्यों का यह करता उदघोष।।
यहाँ सिद्धि की सतत् चेतना बहती है अविराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

यह धर्म भूमि, यह कर्म भूमि, जीवन दर्शन की मर्म भूमि।
यह ज्ञान भूमि, यह ध्यान भूमि, यह सतत् लक्ष्य संधान भूमि।।
यह बोध भूमि, यह शोध भूमि, यह ''चरैवेति'' अनुरोध भूमि।
यह तत्व भूमि, यह सत्व भूमि, यह मेधा की अमरत्व भूमि।।
गुप्त नर्मदा से अभिसिंचित विश्व विदित गुरुधाम.....

तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

**प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी**
कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म.प्र.)

वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा)

ISSN-0974-0118

# मेकल मीमांसा

**अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका**
वर्ष-14, अंक-01 आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेषांक जनवरी-जून-2022

**संरक्षक**
**प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी**
कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

**प्रधान सम्पादक**
**डॉ. राघवेन्द्र मिश्रा,** प्रोफ़ेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

**कार्यकारी सम्पादक**
**डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार राउत,** प्रोफ़ेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग
**डॉ. टी. श्रीनिवासन,** प्रोफ़ेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग

**सम्पादक मण्डल**
**डॉ. गौरी शंकर महापात्र,** सह-प्राध्यापक, जनजातीय अध्ययन विभाग
**डॉ. ललित कुमार मिश्र,** सह-प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग
**डॉ. नीरज कुमार राठौर,** सह-प्राध्यापक, संगणक विज्ञान विभाग
**डॉ. एन सुरजीत कुमार,** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान और मानवाधिकार विभाग
**डॉ. राहिल यूसुफ ज़ई,** सहायक प्राध्यापक, व्यवसाय प्रबंध विभाग
**डॉ. बिमलेश सिंह,** सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
**डॉ. हरजीत सिंह,** सहायक प्राध्यापक, भाषाविज्ञान विभाग
**डॉ. ऋषि पालीवाल,** सहायक प्राध्यापक, भैषजिक विज्ञान विभाग
**डॉ. पूनम पांडेय,** सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
**डॉ. आशुतोष कुमार,** सहायक प्राध्यापक, भूविज्ञान विभाग

**इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय**
**अमरकंटक, मध्य प्रदेश**

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश- 484887

**सहयोग राशि:** 300.00

**प्रकाशक :**
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, मध्य प्रदेश- 484887
http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

**मुद्रक:**

**डिज़ाईन:**
न्यू विजन एंटरप्राइजेज

---

**ध्यानार्थ:**

मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तापरक एवं मौलिक शोधपत्रों के प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान के प्रदीपन और विस्तार हेतु संकल्पित है। मेकल मीमांसा डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति का अनुसरण करती है। पत्रिका लेखकीय गरिमा का सम्मान करती है। पत्रिका में प्रकाशित विचार और विश्लेषण लेखकों द्वारा प्रस्तुत हैं जो विषयवस्तु की मौलिकता एवं प्रमाणिकता हेतु उत्तरदायी हैं।

# कुलपति जी का सन्देश

समूचा राष्ट्र 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के संकल्प और भाव से अनुप्राणित है तथा इससे जुड़कर गर्व का अनुभव कर रहा है। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' एक राष्ट्र के रूप में हमारी 75 वर्षों की यात्रा की पूर्णता का अवसर तो है ही, साथ ही साथ वसुधैव कुटुम्बकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से अनुप्राणित हमारी हजारों वर्षों से स्पंदित संस्कृति, हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारी संघर्ष की गाथाओं, हमारी उपलब्धियों को गरिमामय तरीके से याद करने, नई पीढ़ी को परिचित कराने एवं अपनी परम्पराओं और समयसिद्ध शाश्वत मूल्यों से उन्हें जोड़ने हेतु संकल्पित, समर्पित एवं सुनियोजित आयोजन है।

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' एक राष्ट्र के रूप में हमारी विकास यात्रा को देखने, उससे सीखने तथा आने वाले समय में सफलता के सर्वोच्च शिखरों की ओर प्रयाण करने हेतु प्रतिबद्ध होने, प्रयत्न करने, प्रस्थान करने का भी अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के पश्चात तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी प्रगति संतोषजनक रही है। विगत कुछ वर्षों में सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' जैसे संकल्प के साथ एक भारत-श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को स्वतंत्रता आन्दोलन से उपजे तथा हमारी सनातन संस्कृति में समाहित एकता तथा सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों के साथ साकार करने की दिशा में स्वावलंबन, उद्यमशीलता, समावेशी विकास, सशक्तीकरण एवं निर्बलतम के उत्थान जैसे उद्देश्यों से पूर्ण नवोन्मेषी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से साकार करने का कार्य किया है। सरकार का यह प्रयास धरातल पर भी परिलक्षित हो रहा है एवं इससे विकास की असमानता को दूर करने में भी सहायता मिल रही है।

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' सरकार के साथ-साथ समाज के सभी पक्षों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए अपना सकारात्मक एवं रचनात्मक योगदान देने का अवसर भी प्रदान करता है। यह व्यक्ति को समष्टि बनाने और व्यक्तिगत संकल्प को राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने का भी अवसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' की भावना को अंगीकृत किया है तथा इस निमित्त विमर्श, संकल्प एवं क्रियान्वयन की त्रयी के साथ राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय विकास हेतु अपना अंशदान दिया है। हमारा यह संकल्प एवं प्रयास और भी घनीभूत होकर जारी है। मेकल मीमांसा विश्वविद्यालय की राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित होने वाली अर्धवार्षिक शोध पत्रिका है जिसका उद्देश्य आदिवासी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विमर्श को वैविध्य के साथ विस्तार देना है। पत्रिका द्वारा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है जो निश्चय ही प्रशंसनीय है। विशेषांक में स्वाधीनता आन्दोलन से लेकर आधुनिक भारत की विकास यात्रा, उपलब्धियों, योजनाओं, नीतियों आदि

पर आधारित विविध शोधपत्र प्रकाशित हो रहे हैं। देश की विकास यात्रा को सुगम बनाने एवं समय तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं चुनौतियों के निर्मूलन में सक्षम नई शिक्षा नीति 2020 पर प्रस्तुत विमर्श पत्रिका के विशेषांक को अमूल्य बना देता है। मैं मेकल मीमांसा शोध पत्रिका के संपादक मंडल को इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि यह विशेषांक पठनीय, संग्रहणीय एवं विमर्श को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा।

**प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी**
कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक, मध्य प्रदेश

# सम्पादकीय

मेकल मीमांसा का 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' विशेषांक लोकार्पित करते हुए संपादक मंडल को संतोष और संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। यह अंक अतिरिक्तांक के रूप में जनवरी-जून 2022 अंक के समानांतर सूचीबद्ध किया गया है। विशेषांक में नई शिक्षा नीति पर आधारित विमर्श को विशेष स्थान दिया गया है। यह विमर्श माननीय कुलपति जी के विश्लेष्णात्मक एवं विचारोत्तेजक लेख से समृद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त विख्यात समाज विज्ञानी प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय का नई शिक्षा नीति पर केन्द्रित आलेख विमर्श को दिशा देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त युवा एवं चिंतनशील शिक्षा शास्त्रियों के लेख भी विषय को नया आयाम देते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र, समर्थ एवं निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े विविध पक्षों, स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रगति के साक्षी विविध विमर्शों, इक्कीसवीं सदी के भारत की प्रगति को परिलक्षित करते विविध विषयों पर आलेख का समावेश भी इस अंक को समृद्ध बनाने का काम करते हैं।

मेकल मीमांसा का प्रकाशन समयबद्ध, सुचारू, सम्यक रूप से चलता रहे इसके लिए माननीय कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी जी के प्रोत्साहन एवं समर्थन हेतु मेकल मीमांसा परिवार कृतज्ञ है। साथ ही हम उन लेखकों और शोधकर्ताओं के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने मौलिक चिंतन और शोधपरक दृष्टिकोण को अपने लेखों के माध्यम से सामने रखा है और इस तरह पत्रिका की समृद्धि में अपना अवदान दिया है। शोधार्थियों और चिंतकों का सहयोग और समर्थन ही किसी शोध पत्रिका का संबल होता है। पत्रिका का संपादन सामूहिक रूप से प्रतिबद्धता के साथ किया जाता है एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केयर सूची के मानकों के अनुरूप पीडीऍफ़ फाइल को केयर हेतु प्रस्तुत करके हमारे वेबपेज पर अपलोड भी किया जाता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके साथ ही हम उन शोधकर्ताओं के प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हैं जिनके शोधपत्रों को इस अंक में स्थान नहीं दिया जा सका है। हम प्रकाशन हेतु बहुत सारे शोधपत्र प्राप्त करते हैं। अनेक बार संख्या, विषयगत लेखों की प्रचुरता एवं स्थान की कमी हमारी सीमितता बनते हैं जिससे अनेक स्तरीय शोधपत्र भी प्रकाशन हेतु चयनित नहीं हो पाते। आशा है कि विद्वत समाज, शोधार्थियों एवं मनीषियों का निरंतर सहयोग एवं समर्थन मेकल मीमांसा को इसी प्रकार मिलता रहेगा।

**प्रो. राघवेन्द्र मिश्रा**
मुख्य संपादक - मेकल मीमांसा
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक, मध्य प्रदेश

**मेकल मीमांसा**

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

वर्ष-14, अंक-01 आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेषांक जनवरी-जून-2022

# इस अंक में


| क्रम संख्या | लेख का शीर्षक | योगदानकर्ता | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: न भूतो न भविष्यति | प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी | 1-10 |
| 2. | आजादी के अमृत महोत्सव में सांस्कृतिक विरासत का सम्बोध, संरक्षण और शिक्षण (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष सन्दर्भ में) | प्रो. आलोक श्रोत्रिय | 11-18 |
| 3. | राष्ट्र निर्माण हेतु आत्म निर्माण की सर्वांगीण साधना का तत्व दर्शन एवं स्वरूप | डॉ. गोविन्द प्रसाद मिश्र | 19-27 |
| 4. | दक्षिण अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा: भारत के लिए निहितार्थ | डॉ. एन. सुरजीतकुमार | 28-36 |
| 5. | नई शिक्षा नीति 2020: ड्रॉपआउट दर एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच | डॉ. शिखा बनर्जी, डॉ. देवी प्रसाद सिंह एवं डॉ. मारिया जोसफिन ए.एम.एस. | 37-46 |
| 6. | महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर स्वयं सहायता समूह के प्रभाव का अध्ययन | आनंद सुगंधे, सिम्पल मिश्रा, विनोद सेन | 47-56 |
| 7. | देशभक्ति की पहाड़ी धुन : आजादी के संघर्ष में पहाड़ी गांधी की भूमिका | डॉ. पवन कौंडल | 57-65 |
| 8. | भारतीयता की पुनर्स्थापना हेतु संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्यों की उपयोगिता | डॉ. सलोनी | 66-72 |
| 9. | भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों का चिंतन और संपादन | श्यानी बुंदेला | 73-82 |
| 10. | आत्मनिर्भर भारत एवं कोविड-19: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन | डॉ. अमित कुमार उपाध्याय | 83-87 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | आदिवासी आन्दोलन में राष्ट्रवाद : बिरसा आन्दोलन के संदर्भ में | अरुण कुमार वर्मा | 88-92 |
| 12. | कोविड-19 काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि में सहायक वनस्पतियाँ: नैना देवी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में | डॉ. रोमिता देवी | 93-103 |
| 13. | नई शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय विकास | डॉ. मीतू सिंह | 104-110 |
| 14. | स्वाधीनता आंदोलन तथा लोक माध्यम (रामलीला तथा अन्य लोकनाट्य के विशेष संदर्भ में) | आकाश द्विवेदी, डॉ. अवध बिहारी सिंह | 111-117 |
| 15. | समावेशी विकास एवं पंचायती राज: बाधाएं और निराकरण | स्निग्धा त्रिपाठी | 118-124 |
| 16. | भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रायपुर नगर का योगदान | डॉ. रामभूषण तिवारी, स्नेह गुप्ता एवं डॉ. सुनीता दुबे | 125-136 |

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: न भूतो न भविष्यति

**प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी***

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा और बोध परंपरा की त्रिवेणी का समावेश है। इसमें भविष्य को संवारने का मानचित्र एवं क्रियान्वित करने का रोड मैप है। सुविचारित, सुव्यवस्थित, समेकित, सर्वसमावेशी शिक्षा नीति संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली है तथा जग को जड़ एवं मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने वाली, सनातनता को आधुनिकता से जोड़ने वाली भारतीय परंपरा और चिंतन धारा को वेगवान बनाने वाली नीति है। इसके अंतर्गत मानविकी, कला, विज्ञान और खेलकूद के क्षेत्र में आदिवासी और अन्य ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की व्यवस्था है, वंचित क्षेत्र एवं समूह के लिए विशेष शैक्षणिक क्षेत्र एवं निधि की स्थापना की जानी है। भारतीय अस्मिता के पर्याय इस नीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर ज्ञान लोक की महाशक्ति बनाने का लक्ष्य है। वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना, भारत में रहते हुए भारत में ही अध्ययन के माध्यम से मानव मस्तिष्क रूपी संपदा का सदुपयोग करने वाली यह नीति कौशल, उद्यमिता और पुनः कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की रचना का मार्ग प्रशस्त करती है। स्थानीय उत्पादकता को वैश्विक धरातल पर प्रसारित करने का विधान करने वाली यह सर्वसमावेशी नीति है।

शिक्षा समाज के सर्वांगीण विकास का एकमात्र माध्यम है। सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा का सर्वाधिक योगदान होता है। आधुनिक भारत में शिक्षा की भूमिका का यह तात्पर्य है कि राष्ट्र में सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। शिक्षा के प्रति गाँधी जी की यह प्रबल धारणा थी - शिक्षा द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति शोषितों और वंचितों को उच्चतर शिक्षा तथा समस्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चय ही एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि सर्वजन को शिक्षित होने का अवसर मिले। सर्वजन के लिए शिक्षा हितकारी हो, इस बात का ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक स्तर पर रखा गया है। गाँधी जी का शिक्षा संबंधी यह मूल मंत्र था कि भारत में बच्चों को शिक्षा उस पद्धति से दी जाए जिसमें मस्तिष्क, हाथ और हृदय (Head, Hand and Heart) का सहयोजित समन्वय हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रकार का समन्वय सर्वोत्तम रूप में निहित है।

निश्चित ही गाँधी जी के इस मंत्र का मूल मंतव्य यही था कि यह त्रिगुणी-शिक्षा शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बनाए और देश को सशक्त और समर्थ बनाने में अपना योगदान दे सके। यह दोनों लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुचिंतित ढंग से समाहित किए गए हैं जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 'परिचय' भाग में ही सूत्रवत यह उल्लेख कर दिया गया है कि- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा में बालक के मानवीय गुणों का विकास करने की शक्ति हो, ऐसी शिक्षा जिसमें बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्य हो, जो नवयुवकों को बेरोज़गारी से मुक्त कर सके तथा जो बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का विकास कर सके।

*कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

उपरोक्त उद्देश्यों की सार्थक पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय विकास और युवा पीढ़ी के समग्र विकास निर्माण को महत्व देती है। इस दृष्टि से यह दो प्रमुख लक्ष्यों पर अपनी दृष्टि केंद्रित किए हुए है ताकि विद्यार्थी की द्विविध प्रतिभा का विकास संभव हो सके - आंतरिक स्तर पर आध्यात्मिक विकास और बाह्य स्तर पर बौद्धिक/वैज्ञानिक दृष्टि का विकास। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति से भी आबद्ध है तथा आधुनिक भारत की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से भी।

इस शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण पहल यह भी है कि यह शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर व्यावहारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त करती चलती है जिसकी अधिगम की दृष्टि से मूल प्रतिज्ञा है - सीखना और अनुभव करना तथा अनुभव करना और सीखना। इस प्रकार इस शिक्षा नीति में विषय-वस्तु अथवा ज्ञान के आत्मसातीकरण को महत्वपूर्ण माना गया है और रटने से बंधी शिक्षा-प्रक्रिया को अनुचित घोषित किया गया है। इस प्रकार की समवाय शिक्षा पद्धति का पहली बार नियोजन हुआ है। संभवत: इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा-प्रणाली को विषय बंधन से मुक्त करने वाली बनाई गई है जो विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करती है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयोजनवादी, उत्कृष्ट एवं सुविचारित है जिसका बल इस बात पर है कि शिक्षार्थी का विकास उसकी प्रकृति के अनुसार हो। भारत की शिक्षा नीति में यह पहली बार हुआ है कि शिक्षार्थी की रुचि और प्रकृति तथा शिक्षा की प्रयोजनीयता पर इतनी गंभीरता के साथ विचार किया गया हो। इसी प्रयोजनवादी दृष्टि के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्यमिता, कौशल, शिल्प दक्षता आदि को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का विधान है तथा मानवीय गुणों से संपन्न पीढ़ी निर्माण का संकल्प अतीव नव्यता से परिपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ 'सर्वजन हिताय' का भाव सर्वत्र समाविष्ट है। यही भाव भारतीय आत्मा में रची-बसी उस भारतीय शिक्षा परंपरा का जिक्र बार-बार करता है जिसमें भारतीय सभ्यता का इतिहास भी सदैव सम्मिलित रहा है। तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, नालंदा और बौद्धकालीन शिक्षा भी सूत्र और लोक के समन्वय को लेकर चलनेवाली तथा अपने आप को भौतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता से संबद्ध किए रही। यह सर्वविदित है कि प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था उन्नत, उत्कृष्ट और विश्व में समादृत थी। भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था-अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति तथा उसका लक्ष्य था - मुक्तिसा विद्या या विमुक्तये। तब विद्या आनंद का पर्याय थी। भारतीय चिंतन में यह बार-बार कहा गया है कि अविद्या से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी सभी दुखों का कारण अविद्या को ही बताया है। वर्तमान सरकार द्वारा 'सब पढ़ें, सब बढ़ें' या 'बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ,' का संदर्भ, इस दृष्टि से देखें तो वह मात्र नारे नहीं रह जाते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबको शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है तथा आनंद के साथ स्वयं को हर प्रकार की वर्जनाओं से मुक्त करने वाली तथा सब तक पहुँचने वाली शिक्षा के लिए इस नीति में उत्तम प्रावधान हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहु-विषयक शिक्षा द्वारा बालक के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में उत्तर वैदिक काल में रचे गए उपनिषद् साहित्य में अनेक भौतिक-आधिभौतिक विषयों की सूची मिलती है (छन्दोग्य उपनिषद्: 7.1)। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है, यह स्वाभिमान और आत्मनिर्भर युवा निर्माण की विधा है। 34 वर्षों बाद निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय शिक्षा परंपरा को आत्मसात करके सामयिक भारत के निर्माण की नीति है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रथम अनुच्छेद में ही यह अंकित है कि 'शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को सार्वभौमिक

पहुँच प्रदान करने, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से भारत को सतत् प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक परिप्रेक्ष्य है।' इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा ही वह सर्वोत्तम माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का विकास व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में

**सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।**
**सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभाग्भवेत्।।**

**तथा**

**अयं निज: परोवेति गणना लघु चेतसाम्।**
**उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।**

का भाव निरंतर प्रवाहित है। सतत् सीखते रहने की कला और कौशल को इस शिक्षा नीति में सर्वाधिक महत्व दिया गया है - तार्किक एवं रचनात्मक ढंग से सीखना। यह शिक्षा नीति विविध विषयों के बीच अंत: संबंधों को भी महत्व देती है ताकि विद्यार्थी को प्रांरभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक नया सीखने का अवसर मिलता रहे। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लचीली शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करती है। यह सब पहली बार हुआ है । इसी तरह शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण तथा शिक्षार्थी में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करने की चाह भी भारतीय शिक्षा पद्धति में सदियों के बाद दृष्टिगोचर हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। वह परंपरा जो ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को शिक्षा का परम लक्ष्य मानती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में यह उल्लेख भी किया गया है शिक्षा के बाद जीवन की तैयारी के क्या उपादान होने चाहिए। इस उपादान में यह प्रारूप ज्ञानार्जन को ही नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान को बालक में विकसित करने का प्रयास करने वाला है। भारतीय परंपरा की शिक्षा व्यवस्था में श्रेष्ठ कोटि के आचार्य थे- चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, तिरुवल्लुवर आदि, जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जैसे गणित, खगोल, धातुविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, भवन निर्माण, योग, व्याकरण, ललित कला आदि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर बल है कि इन सब पर गंभीर शोध होना चाहिए ताकि भारतीय ज्ञान अपनी पूरी गरिमा के साथ विश्व के समक्ष आ सके।

इस प्रकार यह शिक्षा नीति अनेक दृष्टियों से अतुलनीय बन जाती है। भारतीय जड़ों और गौरव का आत्मसातीकरण करने के लिए जिन विधियों का इस नीति में समावेश किया गया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से अनुप्राणित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका को संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण भाव से जोड़कर देखती है। देश के साथ जुड़ाव और छात्रों में भारतीय होने का गर्व-भाव प्रस्फुटित करना भी इस शिक्षा नीति का परम लक्ष्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारभूत विशेषताओं और नव्यताओं पर दृष्टिपात करना भी यहाँ आवश्यक है। स्कूली शिक्षा के ढाँचे को यहाँ उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णत: परिवर्तित कर दिया गया है। इस परिवर्तन में 5+3+3+4 पद्धति को अपनाया गया है जिसमें 4 का तात्पर्य है 9वीं से 12वीं कक्षा तक अर्थात 14 से 18 वर्ष की आयु तक। 3 का तात्पर्य है 6ठवीं से 8वीं कक्षा तक अर्थात 11 से 14 वर्ष की आयु तक। पुन: 3 का तात्पर्य है 3सरी से 5वीं कक्षा तक अर्थात 8 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक। 5

के दो भाग हैं - पहला कक्षा 1 और 2 अर्थात 6 से 8 वर्ष की आयु तक तथा दूसरी 3 वर्ष का आंगनबाड़ी, प्री-स्कूल और बाल वाटिका की व्यवस्था। यह उल्लेखनीय है कि अभी तक 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे 10+2 वाले ढाँचे में शामिल नहीं थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उद्भूत प्रणाली में अब 3 वर्ष के बच्चे भी इसमें शामिल हो गए हैं। 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश देने वाली व्यवस्था की जगह 3 वर्ष का बुनियादी कार्यक्रम लाया गया है ताकि बच्चों का बेहतर विकास हो सके। इस व्यवस्था को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बालक शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, विभिन्न आयु वर्गों में अधिगम की क्षमता तथा बालक के मस्तिष्क विकास के परिणामों के आधार पर निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा में इस प्रकार की सुचिंतित प्रणाली को अभी तक नहीं अपनाया गया था जिससे बालकों की अधिगम प्रक्रिया और दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ता चला आ रहा था। स्कूली शिक्षा अत्यंत लचीली रखी गई है जिसमें खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है अर्थात अब मात्र पाठ्यपुस्तकों के आधार पर नीरस बाल शिक्षा की प्रवृत्ति को परिवर्तित करते हुए अक्षर, भाषा, अंक, संख्या, गिनती, रंग-आकार आदि की औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ चित्रकला, दृश्यकला, शिल्प-नाटक, कठपुतली और संगीत को भी समाहित कर लिया गया है। इन सबके अतिरिक्त बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार और स्वच्छता आदि को सम्मिलित करके स्कूली शिक्षा को एक रोचक, ग्रहणीय तथा सीखने के साथ अनुभव करने की प्रवृत्ति से जोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देती है। इस शिक्षा नीति की दूरदर्शिता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि स्कूली शिक्षा में 5 वर्ष की आयु से पहले के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गंभीरता के साथ यह देखा गया है कि प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका (जो कक्षा 1 से पहले है) की व्यवस्था पहले नहीं थी। वर्तमान समय में ईसीसीई की पहुँच सभी तक नहीं है। परिणामत: बच्चों का एक बड़ा समूह पहली कक्षा में प्रवेश के बाद कुछ ही हफ्तों में अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसके लिए 3 महीने का अल्पकालीन प्ले आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' बनाने का विचार है जिसमें गतिविधियों और वर्कबुक के माध्यम से समुचित तैयारी कराई जाएगी। इस प्रकार यह शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा प्रविधि को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ देखते हुए निर्मित की गई है जिसमें छोटी से छोटी चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का प्रारूप तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूरदृष्टि इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि इसमें विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने का कार्यक्रम भी सम्मिलित है-सभी स्थानीय और भारतीय भाषाओं में रोचक और उपयोगी बाल साहित्य प्रकाशित करने, पुस्तकालय स्थापित करने, डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने तथा बुक क्लब बनाने की योजना सराहनीय है। स्वाध्याय को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली स्तर पर राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति का नियोजन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में इस प्रकार स्वाध्याय को सुचारू रूप से नियोजित करने का यह प्रथम प्रयास है।

स्कूली शिक्षा के संदर्भ में कई ऐसी बाते हैं जो नीति निर्माताओं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा तत्कालीन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉ. निशंक के अथक परिश्रम का परिणाम है। इस नीति में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचे के सर्वतोमुखी पुनर्गठन को आकार दिया गया है। विषय-वस्तु को कम करके इसमें उन बुनियादी चीजों पर ध्यान दिया गया है जिससे विद्यार्थी के लिए आलोचनात्मक चिंतन, समग्र दृष्टिकोण तथा चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम का मार्ग खुल सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय बहुभाषिकता को भी पहली बार भाषावैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया है। इस दृष्टि के परिणामस्वरूप ही प्रारूप में यह उल्लेख है कि 'जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 8 और उसके आगे तक भी शिक्षा की माध्यम भाषा घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा हो। सार्वजनिक और निजी स्कूल इसका अनुपालन करेंगे।' अधिगम को सहज बनाने में मातृभाषा सहायक होती है और वह पठनपाठन में विद्यार्थी की रुचि को भी जगाती है। भारतीय भाषाओं को माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त करने के लिए यह नीति इस ओर भी कटिबद्ध दिखती है कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी -'केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, और विशेष रूप से आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा तथा भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का वृहद उपयोग किया जाएगा।' भारतीय बहुभाषिकता को शिक्षा पद्धति में मान देने का यह कदम सराहनीय है जिसका अभाव भारतीय भाषा समुदायों को निरंतर महसूस होता रहा है।

एक लंबे समय से त्रिभाषा सूत्र की अवहेलना होती रही है। इसे सकारात्मक रूप में ढालने का यत्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। यथास्थितिवाद को सुचिंतित ढंग से गतिशील करने के लिए यह नीति त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का संकल्प लेती है लेकिन इस कथन के साथ कि 'इसमें लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।' इस घोषणा में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पहली बार भाषा चयन की स्वतंत्रता दी गई है - 'बच्चों द्वारा सीखी जानेवाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम 2 भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों।' आगे इस प्रारूप में पहली बार भारतीय भाषाओं की शक्ति और सामर्थ्य पर खुली चर्चा की गई है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समस्त भारतीय भाषाएँ, विशेषकर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएँ समृद्ध, वैज्ञानिक और अभिव्यंजक हैं। इसके साथ ही इन भाषाओं में साहित्य, फिल्म और चिंतन से संबंधित बड़ी धरोहर है। इस चर्चा में भाषाई आदान-प्रदान, आदिवासी भाषाओं तथा भाषा के भारत भूगोल पर भी शिक्षा में भाषा की दृष्टि से विचार किया गया है जो अत्यंत सराहनीय है।

भाषाई दृष्टि से यह नीति अद्भुत व्यवस्था लेकर चली है। एक ओर इसमें संस्कृत भाषा और उसकी ज्ञान प्रणाली को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर लाने की बात है तो दूसरी ओर संस्कृत के साथ ही भारत की शास्त्रीय भाषाएँ (पाली, प्राकृत आदि) सीखने का 2 साल का विकल्प भी दिया गया है कि ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इसे सीख पाएंगे। तीसरी बात यह कि विश्व संस्कृतियों को जानने के लिए विदेशी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी जिन्हें अधुनातन भाषा शिक्षण पद्धति से सिखाया जाएगा।

स्कूली स्तर पर व्यक्तिगत पाठ्यक्रम चुनने के लिए एक विस्तृत सूची भी इस प्रारूप में दी गई है जिसमें विकल्प चयन की व्यवस्था लचीली रखी गई है। इनमें ऐसे उपयोगी विषयों का विकल्प दिया गया है जो कभी भी स्कूली शिक्षा का हिस्सा नहीं बनाए गए थे जैसे - भारत का ज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण, डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण, स्वच्छता आदि। इसके साथ ही सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा 6 से 8 के दौरान शिल्प, बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी का बर्तन निर्माण आदि कौशल सिखाने का प्रावधान है। इस नवाचार को शिक्षा नीति में बस्ता रहित कार्यक्रम कहा गया है जो 10 दिन की अवधि का होगा। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को भारत के पर्यटन स्थलों और स्मारकों के दौरे तथा स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार भारत का ज्ञान और

आदिवासी ज्ञान कौशल को भी पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस प्रकार यह नवाचारी पद्धति विद्यार्थी के व्यावसायिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को संभव बनाने का एक गंभीर प्रयास बनकर हमारे सामने आई है जिसकी नव्यता नीति निर्माताओं की व्यापक दृष्टि का परिचायक है।

स्कूली शिक्षा में शिक्षण के स्तर पर जो उपरलिखित समावेशी प्रयास किए गए हैं उनके अतिरिक्त परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की दिशा भी निर्धारित की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की अनिवार्यता को भी इस नीति में व्यापकता के साथ समझा गया है और शिक्षक प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों को रेखांकित किया गया है।

इस पूरी स्कूली शिक्षा का स्वरूप समतामूलक और समावेशी होगा जिसमें आदिवासियों के लिए शिक्षा के कार्यक्रम अलग होंगे तथा लड़कियों, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को शिक्षा प्रदान करने पर भी यह नीति विशेष व्यवस्था का प्रावधान करती है। स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग आदि की निगरानी और उनकी जवाबदेही का प्रारूप भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसके अभाव में स्कूली शिक्षा को आदर्श स्वरूप प्रदान करना संभव नहीं होगा।

स्कूली शिक्षा की भांति ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा को भी लक्ष्यबाधित और नवाचारी बनाया गया है। यह शिक्षा संविधान की प्रतिज्ञा के अनुरूप न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होगी। उच्च शिक्षा, भारत ज्ञान को लेकर चलने वाली तथा भारत की अर्थव्यवस्था और युवा पीढ़ी के निर्माण की ओर अग्रसर है। उच्चतर शिक्षा नीति में 21वीं सदी की चुनौतियों को सामने रखा गया है जिसकी पहली शर्त है व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ रचनात्मकता, सहभागिता और राष्ट्रीय सशक्तीकरण की प्राप्ति। शिक्षा नीति के प्रारूप में यह विचार इन शब्दों में व्यक्त है - 'अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करनेवाली उच्च शिक्षा (9.1.3)।'

इस प्रकार की सर्वसमावेशी और उच्चतर लक्ष्यों को साथ लेकर चलनेवाली शिक्षा को आकार देने के लिए नीति-प्रारूप में वर्तमान सीमाओं की नीर-क्षीर विवेकी पहचान की गई है। बिना सीमाओं को समझे न तो कोई सुधार किया जा सकता है और न ही किसी नई व्यवस्था का सूत्रपात हो सकता है। उच्चतर शिक्षा में भी विद्यार्थी के संज्ञानात्मक कौशल और विकास पर अधिक बल दिया गया है, सीखने के परिणामों पर कम। इस स्तर पर भी विषयों का कठोर विभाजन किया गया है और यह देखा गया है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्थानीय भाषाओं की अवहेलना होती रही है। सीमित शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता के अभाव के कारण शिक्षा के उच्च मानक विकसित नहीं हो पाए। प्रतिस्पर्धी शोध पर बल न होने से उपादेय शोध की प्रवृत्ति विकसित नहीं की जा सकी। इन सब सीमाओं को दूर करने का संकल्प विस्तार से इस प्रारूप में छन कर आया है जिसका सूत्रवाक्य यह है कि - 'नई शिक्षा नीति, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने का संकल्प लेकर निर्मित की गई है - नए जोश के साथ चुनौतियों का शमन करके (9.3)।'

यह परिवर्तन इस पूरे प्रारूप में स्फटिक की भांति पारदर्शी बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है जिसकी पहली प्रतिज्ञा यह है कि -'देश में बहु-विषयक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हों। ऐसे एचईआई (हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स) हों जो पूरे भारत में स्थानीय/भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम प्रदान करते हों। बहु-विषयक स्नातक शिक्षा की ओर गंभीरता से विचार हो।' यहाँ भी भारतीय भाषाओं को सर्वोचित महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि में सर्वथा परिवर्तन करने का साहसिक कदम भी इस नीति में समाहित है।

अनुसंधान या शोध को इस नीति में सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व के साथ संबद्ध किया गया है। अभी तक शोध का ऐसा स्वरूप किसी की कल्पना में भी नहीं था जिसके माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय विकास को संभव किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीति में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का संकल्प लिया गया है। यह एक सराहनीय कदम है जो पूरे देश में हो रहे शोधकार्यों के लिए नियंत्रक और मार्गदर्शक दोनों की भूमिका निभाएगा। इस नीति में अंतरअनुशासनिक (इंटरडिसिप्लिनरी) अनुसंधान पर पर्याप्त बल दिया गया है। इस दृष्टि से इस नीति का यह सर्वथा नवीन दृष्टिकोण है कि 'प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की बहु-विषयक व्यवस्था को वापस लाना अनिवार्य है ताकि बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।' इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विश्वविद्यालय की परिभाषा भी प्रस्तुत की है कि 'अब विश्वविद्यालय का अर्थ होगा: उच्चतर शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पी. एचडी. कार्यक्रम चलाता है (10.14)।' इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रारूप में बाणभट्ट रचित 'कादंबरी' की शिक्षा का सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कादंबरी 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में ख्यात है। इन कलाओं में गायन, चित्रकला, साहित्य ही नहीं, रसायन शास्त्र, गणित ही नहीं, बढ़ई का काम, कपड़े सिलने का काम तथा प्रभावशाली संप्रेषण और संवाद करने का कौशल भी शामिल है। इस आधार पर यह शिक्षा नीति दृढ़ शब्दों में व्यक्त करती है कि 'इस पद्धति को भारतीय शिक्षा में पुन: शामिल करना ही होगा क्योंकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी (11.1)।' इस पद्धति को खोलते हुए प्रारूप में यह कहा गया है कि 'आईआईटी के छात्र कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे। और यह सभी व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को प्राप्त करेंगे (11.4)।'

एक अत्यंत परिवर्तनकामी दृष्टि इस प्रारूप की यह भी है कि इसमें डिग्री कार्यक्रम की अवधि और संरचना में पूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है। यह संरचना प्रतिवर्ष की शिक्षा को महत्व देती है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष पूरा होने पर सर्टिफिकेट और 2 वर्ष पूरे करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा जबकि अभी तक 1 या 2 वर्ष के बाद स्नातक कार्यक्रम छोड़ देने पर विद्यार्थी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री प्राप्त होगी और 4 वर्ष की डिग्री में चौथे वर्ष बहु-विषयक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार स्नातक पाठ्यक्रम को वर्ष के अनुसार अभिक्रमित करके उपाधि की दृष्टि से इसके प्रत्येक वर्ष को उपादेय बना दिया गया है।

इस प्रारूप में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो विद्यार्थी 3 वर्ष का डिग्री क्रार्यक्रम पूरा करेंगे उन्हें 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें द्वितीय वर्ष पूर्णत: शोध पर केंद्रित होगा। जो विद्यार्थी 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम पूरा कर लेंगे उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पी. एचडी. में प्रवेश के लिए या तो शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री या 4 वर्षों के क्रार्यक्रम में शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। इस प्रकार पी. एचडी. में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर ही शोध की अनिवार्यता को यह नीति महत्व देती है और यह घोषित करती है कि 'एम.फिल. कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा (11.10,11,11)।'

यह स्पष्ट है कि स्नातक स्तर पर ही इस शिक्षा नीति में शोध परियोजना पर तथा प्रतिवर्ष की शिक्षा को महत्व देने वाली व्यवस्था पर बल है। इस दिशा में नीति-निर्धारकों की गंभीरता का ही यह प्रमाण है कि उन्होंने बहु-विषयक शिक्षा और शोध की समुचित व्यवस्था के लिए बहु-विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की है।

उच्चतर शिक्षा और शोध में नवाचार के लिए संकायों, संस्थानों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर सूक्ष्मता के साथ इसमें विचार किया गया है तथा पिछड़े छात्रों के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रति भी अत्यंत सजग है। शैक्षिक और शोध-संबंधी आदान-प्रदान (एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम), विदेशी छात्रों के लिए भारत विद्या के कार्यक्रम, जिसका एक स्तर होगा विदेशियों के लिए एंडोलॉजी, भारतीय भाषाएँ, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग-कला-संगीत, संस्कृति आदि को शिक्षा के अनिवार्य घटक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरा स्तर अन्य देशों में भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने तथा 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्वविद्यालयों के इस सहयोगी स्वरूप में भी सहभागी शोध योजनाओं को प्रमुखता दी गई है।

उच्च शिक्षा का आधार स्तंभ शिक्षक होते हैं अत: इस नीति में संकाय सदस्यों के हित की अनेक बातें रखी गई हैं जैसे उन्हें अकादमिक स्वतंत्रता देना, उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी सराहना करना तथा शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पुरस्कार या पदोन्नति देना। उत्कृष्टता और नवाचार शिक्षकों की दक्षता को जाँचने का मापदंड होंगे और विपरीत आचरण करनेवाले शिक्षकों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

समता और समावेश को भी विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा के बीच अंत: संबंध बनाते हुए निर्धारित किया गया है जिसे निरंतर सुधार द्वारा और भी संपुष्ट किया जाएगा। उदाहरण के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, प्रौद्योगिकी का विकास आदि (14.4.1)। इस प्रारूप के बिंदु 4.4.2 में वंचित छात्रों को सुविधा देने, उनके पाठ्यक्रमों को रोजगारपरक बनाने तथा वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आनेवाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है। यह नीति अध्यापक शिक्षा को भी अत्यंत गंभीरता से लेती है। प्रारूप के बिंदु 15.5 में इसका विस्तृत विवेचन है कि वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम लागू किया जाएगा जिसका एक मानक निर्धारित होगा। इसमें पी. एचडी. को तो अनिवार्य नहीं किया गया है लेकिन यह कहा गया है कि शिक्षण, फील्ड वर्क, और शोध के अनुभवों को महत्व दिया जाएगा। पी. एचडी. छात्रों के लिए भी शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे तय होंगे अर्थात जिस शिक्षण कार्य को वह करने जा रहे हैं उसमें दक्षता अनिवार्य मानी गई है। मात्र पी.एचडी. की उपाधि यहाँ उपादेय न होगी। बी.एड. कार्यक्रमों को व्यावसायिक गतिविधियों से संबद्ध करने के लिए नेशनल कमिटी फॉर दि इंटिग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के गठन की सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे देश की सामाजिक समस्याओं के हल के लिए उपयोगी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से कृषि शिक्षा, विधिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर नए सिरे से विचार करते हुए इनके लिए कार्य योजना बनाई गई है (20.2 से 20.6 तक)। प्रौढ़ शिक्षा के प्रति भी यह प्रारूप नवाचारों से संपन्न है जिसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पर्याप्त बल दिया गया है। अंक और अक्षर ज्ञान (जोकि अब तक साक्षरता कार्यक्रमों की सीमा थी) के साथ ही जागरुकता निर्मित करना, आवेदन करना, फॉर्म भरना, दवाइयों और सड़क पर दिए निर्देशों को समझना तथा नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझना आदि का समावेश प्रौढ़ शिक्षा को व्यावहारिकता में ढालनेवाला है (21.2) अर्थात बुनियादी साक्षरता के साथ जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल को विकसित और स्थापित करना अब प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य होगा अर्थात प्रौढ़ शिक्षा

अब सतत् शिक्षा का स्वरूप ग्रहण करेगी (21.6)। इस कार्यक्रम को अनेक साधनों से संपन्न किया जाएगा जैसे पुस्तकालय, प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषाओं में रोचक पठन सामग्री, बाल पुस्तकालय और चल पुस्तकालय आदि।

लुप्तप्राय भाषाओं पर भी सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपनी दृष्टि डाली है (22.5) और कहा है कि पिछले 50 वर्ष में 220 भाषाएँ विलुप्त हो गई हैं और यूनेस्को ने भी 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। हम जानते हैं कि भाषा के लुप्त होने का तात्पर्य एक पूरी संस्कृति का लोप हो जाना है। इस नीति में यह यथार्थ भी नि:संकोच भाव से सामने आया है कि संविधान स्वीकृत 22 भारतीय भाषाएँ भी अनेक समस्याओं का समाना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के क्षरण के प्रति इस प्रकार की वैचारिकता पिछली शिक्षा नीतियों में नदारद मिलती हैं । इस प्रारूप में यह कहा गया है कि शब्दकोश, अनुवाद, व्याकरण निर्माण तथा शिक्षण-अधिगम विधियों का विस्तार करके शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षित भारतीय भाषाओं को उनका उचित दाय दिया जाएगा (22.6, 22.7)। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में जनजातीय एवं भारतीय भाषाओं को महत्व देते हुए यह संकल्प भी लिया गया है कि 'आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित किया जाएगा तथा 22 भारतीय भाषाओं की अकादमी स्थापित की जाएगी। इन सभी भाषाओं से संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा ।' यह एक ऐसी प्राक्कल्पना है जिसके दूरगामी परिणाम केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। अंग्रेजी वर्चस्व के कारण उपेक्षित भारतीय भाषाओं के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह दृष्टिकोण संजीवनी का कार्य करेगा और राष्ट्रीय चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करेगा।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक उत्साहवर्धक कदम इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटेशन की स्थापना घोषणा करके उठाया है (22.14)। निश्चित ही यह संस्थान लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं के संरक्षण में अति सहायक सिद्ध होगा । शिक्षण पद्धति में भी स्थानीय अथवा आदिवासी भाषाओं के समावेश को इन भाषाओं के अनूदित पाठ अधिक समर्थ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।

संस्कृत भाषा के प्रति इस शिक्षा नीति की दृष्टि अतुलनीय है। इसमें यह घोषित किया गया है कि 'संस्कृत को मुख्य धारा में लाया जाएगा (22.15)।' यह भी उल्लेख है कि स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प के रूप में और उच्चतर शिक्षा में भी संस्कृत की भूमिका होगी । इससे भी बढ़कर आनंद देनेवाली बात यह है कि इस प्रारूप में यह भी व्यवस्था है कि कहीं-कहीं संस्कृत को पृथक रूप से न पढ़ाकर विभिन्न विषयों के शिक्षण में संस्कृत की ज्ञान राशि को जोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी चरणों के क्रियान्वयन के लिए परिषदों, संस्थानों, बोर्डों और आयोगों के पुनर्गठन और उनकी भूमिका और दायित्व का निर्धारण भी किया गया है (27.1 से 27.3 तक)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अत्यंत विस्तीर्ण और सूक्ष्म पद्धति से विवेचित है । यह पूर्णतः भारतीय परिवेश और भारतीय जन को दृष्टि में रखकर निर्मित की गई है। सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए भारत की छवि को निर्मित करने तथा विश्व गुरू के रूप में भारत की प्राचीन भूमिका को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेकर यह शिक्षा नीति हमारे सामने है। परंपरा और आधुनिकता के मेल का यह विलक्षण प्रारूप है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को भारत की शिक्षा

व्यवस्था के माध्यम से साकार कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ग और समाज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि में है। शिक्षा को चरणबद्ध करके उसे प्रारंभिक कक्षा से लेकर शोध के स्तर तक एकीकृत और क्रमबद्ध करने वाला यह सर्वोत्तम प्रारूप है। भारतीय शिक्षा यहाँ भारतीय अस्मिता का पर्याय बन गई है। एक भारतीय के रूप में भारत की युवा पीढ़ी स्वयं को पहचाने, भारतीय होने का गौरव महसूस करे और ज्ञान की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो सके। यह इस शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। वास्तव में यह शिक्षा नीति संस्कृतिकरण, व्यावसायीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण की त्रिवेणी है जिसका लक्ष्यबेधी उद्देश्य है दृ स्वच्छ, समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण। यह शिक्षा नीति अपने प्रारूप में ही नहीं, अपनी दृष्टि में भी संकल्प से सिद्धि की ओर गतिमान भारत के आधुनिक स्वरूप का दिग्दर्शन कराने वाली है। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक क्षेत्र में उन्नयन हेतु न भूतो न भविष्यति का आदर्श उदाहरण है। इसके क्रियान्वयन से ज्ञान की दुनिया में भारत का महाशक्ति बनना सुनिश्चित है।

# आजादी के अमृत महोत्सव में सांस्कृतिक विरासत का सम्बोध, संरक्षण और शिक्षण (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष सन्दर्भ में)

**प्रो. आलोक श्रोत्रिय***

**सारांश**

भारत की स्वतंत्रता की गौरवशाली 75 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर देश की सांस्कृतिक विरासत एक भारत-श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य की संसिद्धि का प्रबल साधन है। भारत की अस्मिता, अप्रतिम वैचारिकी और समृद्ध परम्परा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला, साहित्य, धरोहर, प्राकृतिक स्थलों और भाषाई अभिव्यक्तियों के माध्यम से अतुल्य भारत के निर्माण में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रसार को उच्चतम प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के अभीष्ट के साथ समतामूलक, लचीली और अंतरानुशासनात्मक शिक्षा का प्रतिमान प्रस्तुत करती है। इस नीति में विविधता का सम्मान है और यह समावेशन को अंतर्भूत करती है। एक व्यक्ति को एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात बनाना और नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का अवबोध, बौद्धिक जिज्ञासा की अभिवृद्धि, वैज्ञानिक सोच का उन्मेष, रचनात्मकता का अभिनिवेश करते हुए सेवा की भावना विकसित करना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ व्यक्ति को समाजोपयोगी योगदान में भी सक्षम बनाए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के साम्मिलन से 21 वीं शती की आवश्यकताओं को अपने बल पर पूर्ण करते हुए आत्म-निर्भर भारत बनाने की सामर्थ्य इस शिक्षा नीति के माध्यम से सम्प्राप्त हो सकती है।

लोक कलाओं, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ-साथ परिसर के परिवेश में इन उपादानों का संयोजन करके विशिष्ट वातावरण का निर्माण करना जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत, भारतीयता और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को विद्यार्थियों के अंतर्मन में घनीभूत करे इस शिक्षा नीति का अभीष्ट है। प्रस्तुत आलेख में सांस्कृतिक विरासत के महत्त्व की व्याख्या और इसके संरक्षण की आवश्यकता का प्रतिपादन आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रसंग में तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में किया गया है।

**बीज शब्द :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांस्कृतिक विरासत, संबोध, संरक्षण, शिक्षण

## प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता की गौरवशाली 75 वीं वर्षगाँठ देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार -"आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आजादी की ऊर्जा का अमृत है। यानी स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत। आजादी का

*प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)

अमृत महोत्सव मतलब नए विचारों का अमृत। नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत है" (मोदी, 2022)। इस सन्दर्भ में भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत का सम्यक सम्बोध, संरक्षण और शिक्षण देश की गरिमा, पहचान और आत्म गौरव के अभिज्ञान की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण है ही, साथ ही नई पीढी में देश भक्ति जागृत करके स्वतंत्रता के मूल्यों से सम्प्रक्त नए भारत के निर्माण के लिए भी अत्यंत समीचीन है। भारत की अस्मिता, अप्रतिम वैचारिकी और समृद्ध परम्परा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला, साहित्य, धरोहर, प्राकृतिक स्थलों और भाषाई अभिव्यक्तियों के माध्यम से अतुल्य भारत के निर्माण में सास्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रसार को उच्चतम प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)।

## संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत

संस्कृति एक बहुआयामी और व्यापक शब्द है जो 'कृ' धातु में 'सम्' उपसर्ग और 'क्तिन्' प्रत्यय लगाने से बनता है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ 'अच्छी स्थिति' या 'सुधरी हुई स्थिति' का बोध कराता है जिसमें शिष्ट व्यवहार, भौतिक जगत की परिमार्जित कृतियाँ, परम्परागत प्रथाएँ, अमूर्त भाव और उच्च प्रतिमान सन्निहित होते हैं इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गयी हैं, उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है (सिंह, 1990 )। वस्तुतः यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है (सिंह, 1990)। नृतत्त्वशास्त्री टॉयलर (2010) ने संस्कृति को वह संकुल समग्रता माना है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथा तथा अन्य आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में उपार्जित करता है। पुरातत्त्वविद संस्कृति को विशेष उद्योगों के समूह के रूप में देखते हैं जबकि मानव विज्ञानी इसे 'समस्त सामाजिक विरासत' और 'सामाजिक परम्परा' के अर्थ में गृहीत करते हैं। इस प्रकार नृतत्त्वशास्त्रियों की परिभाषा पुरातत्त्ववेत्ताओं से अधिक व्यापक है (गुप्त, 2013)। मैलिनोव्स्की (1960) ने माना है कि " संस्कृति सामाजिक विरासत है जिसमें परम्परा से पाया हुआ कला-कौशल, वास्तु सामग्री, यांत्रिक क्रियाएं, विचार, आदतें और मूल्य समावेशित हैं। 'प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि और आलोचक टी. एस. इलियट (1949) के अनुसार संस्कृति के अंतर्गत शिष्ट व्यवहार, ज्ञानार्जन, कलाओं के आस्वादन आदि के अतिरिक्त किसी जाति और राष्ट्र की वे समस्त क्रियाएँ व कार्य, जो उसे विशिष्ट बनाते हैं, सम्मिलित होते हैं।

संस्कृति को समाज परम्परा से मिली भौतिक और अभौतिक विरासत के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसमें विचार और परम्परा के वे नियम और मूल्य निहित होते हैं जिन्हें कोई समाज अपनी विकास यात्रा के दौरान प्राप्त करता है (सिन्हा एवं पंजाबी, 1996)। यूनेस्को की अनुशंसा के अनुसार विभिन्न परम्पराओं के उत्पाद एवं साक्षी तथा अतीत की आध्यात्मिक उपलब्धियों का लेखा जोखा विरासत है (यूनेस्को, 1968)। वस्तुत: विरासत वह है जिसकी अतीत से वर्तमान तक मूल्यवत्ता स्वीकार की जाती है। सांस्कृतिक विरासत में परंपराओं, स्मारकों, कलावशेषों और समस्त सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ उनसे निःसृत प्रेरणाएँ, निहितार्थ और व्यवहार भी परिगणित होते हैं।

विरासत की प्रासंगिकता समकालीन विश्व के लिए तो है ही और इसके संरक्षण और संचार का प्रभाव भी दूरगामी होता है। नगर योजना, सौन्दर्यात्मक प्रतीक संयोजन और उदात्त विचारों की संवृद्धि के परिवेश के निर्माण में विरासत से प्राप्त उपादान और विचार गंभीर और उपयोगी दिशा-निर्देश देते हैं। इनमें राजनीतिक शुचिता, उत्तरदायित्व, कर्मण्यता और नैतिक आचरण के मूल्य समाहित होते हैं। धरोहर को

क्षेत्रीय विविधता या विभक्त गौरव के रूप में न देखकर देश की साझी विरासत के रूप में गृहीत करने से ही राष्ट्रीय एकीकरण संभव हो सकता है और एक भारत-श्रेष्ठ भारत यथार्थ बन सकता है।

भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्त्व जिन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता अनुभूत की जाती है, सांस्कृतिक विरासत में शामिल होते हैं। हमारी धरोहर, विरासत अथवा थाती में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों धरोहरें आती हैं। प्राकृतिक विरासत में जहां पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे जल, जंगल, जमीन, नदी, पर्वत, झील, झरने, पशु- पक्षी, खनिज, सागर-संपदा आदि आते हैं जो मानव के अस्तित्व से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक विरासत का संरक्षण जहां मानवता के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है वहीं मानवता द्वारा अर्जित शिष्ट व्यवहार, ज्ञान, कला, यांत्रिक क्रियाएं, विचार, आदतें तथा मूल्य को संरक्षित रखना भी विशिष्ट सांस्कृतिक शैली को बनाए रखने हेतु अत्यावश्यक है।

सांस्कृतिक विरासत लोगों को कुछ सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, धर्मों और रीति-रिवाजों से जोड़ती है। यह उन्हें समान पृष्ठभूमि वाले अन्य लोगों के साथ पारस्परिक संपर्क का माध्यम भी प्रदान करती है। सांस्कृतिक विरासत लोगों को एक समूह के भीतर एकता और अपनेपन की भावना देती है और उन्हें पिछली पीढ़ियों और अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझने की सामर्थ्य देती है जिसे यह अपने मूल को जानने का अभिधान बनती है। वैश्वीकरण के युग में सांस्कृतिक विरासत हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता को स्मरण में रखते हुए विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी सम्मान और उनके मध्य संवाद विकसित करने में सहायता करती है।

सांस्कृतिक विरासत मूर्त और अमूर्त दो स्वरूपों में उपलब्ध होती है। मूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक भौतिक उपस्थिति होती है जिसमें स्मारक, भवन, ऐतिहासिक स्थल और कलाकृतियां सम्मिलित होती हैं जिन्हें भविष्य के लिए संरक्षण योग्य माना जाता है। इनमें पुरातत्व, वास्तुकला, विज्ञान या किसी विशिष्ट संस्कृति की तकनीक के अभिज्ञान में सहायक महत्वपूर्ण वस्तुएँ परिगणित होती हैं। मानव अतीत के अध्ययन के लिए ये वस्तुएँ महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे एक ठोस आधार प्रदान करती हैं। एक मूर्त विरासत में चल और अचल विरासत शामिल होती हैं। एक चल विरासत जैसे सिक्के, मूर्तियाँ, बाँट, ईंटें, मुहरें, साँचें आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है जबकि एक अचल विरासत, जैसे कि स्मारक, भवन, आवासीय स्थल में अंतर्भुक्त संरचनाएँ आदि को मूल स्थान से स्थानान्तरित करना सुगम नहीं होता है।

एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को आमतौर पर भौतिक उपस्थिति नहीं होने के रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परम्पराएँ या जीवित अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं जो हमारे वंशजों को कालक्रम से प्रदान की जाती हैं। मौखिक परम्पराएँ, प्रदर्शनकारी कलाएँ, सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान, उत्सव, मेले, प्रकृति से संबंधित परम्परागत ज्ञान, धार्मिक समारोह, पारंपरिक शिल्प, संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच, भाषाएँ और भोजन पद्धति जैसी अभौतिक और अनुभवजन्य अभिव्यक्तियों का सम्मिलन अमूर्त विरासतों में होता है। एक अमूर्त विरासत की रक्षा करना विशेष रूप से कठिन है क्योंकि इसे केवल अनुभव किया जाता है और इसे संरक्षित करने के लिए किसी भौतिक आश्रय स्थान में नहीं रखा जा सकता है। इसे बचाने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन से अधिक पूरे समुदाय के प्रयासों की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अमूर्त विरासत हमारी अस्मिता से जुडी होती है और हमारे समुदाय को एक विशिष्ट पहचान देती है। हम अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए विभिन्न तरीकों और विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी भाषा

बोलने से हमें अपनी जातीय-भाषाई पहचान को बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारी भाषा का प्रयोग न करने से निश्चित रूप से यह नष्ट हो सकती है। हमारे उत्सव, मेले और त्यौहार आनन्द और आमोद-प्रमोद से आप्लावित होते हैं । यही कारण है कि एक निश्चित अंतराल पर इन उत्सवों, मेलों और पर्वों का परम्परानुसार उत्साहपूर्वक आयोजन इस अमूर्त विरासत को सहेज कर रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिकता और भौतिकता के प्रभाव से यदि इन पर्वों, उत्सवों या मेलों को समय-समय पर न मनाया जाए तो बहुत सी अमूर्त धरोहरों को खो देने का संकट मंडराने लगता है। अस्मिता और गौरव से सम्बद्ध होने के कारण सांस्कृतिक विरासत किसी भी राष्ट्र या समाज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही हमें हमारे धर्म, परंपराओं और मान्यताओं से जोड़े रखती है। देश में विद्यमान विभिन्न भाषाओं, धार्मिक विश्वासों, रहन-सहन के तौर-तरीकों और सामजिक वर्गों को आपस में गूंथने वाला एक तत्त्व है जिसने इस देश की संस्कृति को विशिष्ट पहचान दी है - वह है आध्यात्मिकता के प्रति आग्रह (राधाकुष्णन, 1937)। सांस्कृतिक विरासत में किसी भी देश के सृजन, तकनीकी प्रगति और बौद्धिक विकास की झांकी दिखाई देती है। भारत के योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, नृत्य, संगीत, कला, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक विचार, सामाजिक आयोजन, परम्परागत चिकित्सा पद्धति और पर्यावरण संरक्षण की लोक मानस में पैठ सम्पूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं इसलिए आधुनिक विश्व में इस भारतीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एक महती आवश्यकता और प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

## सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा

शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए संस्कृति एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करती है, जैसे शिक्षण में स्थानीय सामग्री को शामिल करना और विद्याथी को उसकी अपनी भाषा में सिखाना। संस्कृति और शिक्षा शिक्षार्थियों को उनके समुदायों, विरासत और पर्यावरण से जोड़ती है तथा सांस्कृतिक पहचान और अपनेपन की भावना को सुदृढ़ करती है। बचपन की शिक्षा से लेकर आजीवन सीखने तक की प्रक्रिया का यह संयोजन सांस्कृतिक विविधता, रचनात्मक अभिव्यक्ति, विरासत और पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा देता है । यही कारण है कि दुनिया भर के देश औपचारिक से अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से इस तक पहुंचते हैं।

विश्व के अन्य देशों में भी सांस्कृतिक विरासत को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने पर बल दिया जा रहा है क्योंकि नई पीढ़ी को देश के इतिहास और संस्कृति से परिचित कराना तथा उनमें राष्ट्र प्रेम जागृत करना सर्वथा आवश्यक समझा जा रहा है (विशिष्ट यूरोपीय बैरोमिटर सवैक्षण, 2017)। शिक्षा में सांस्कृतिक विरासत का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव या विश्लेषण करके शिक्षार्थी ज्ञान, बौद्धिक कौशल और सांस्कृतिक विरासत के रख-रखाव, जन-जागरूकता उत्पन्न करने या सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर व्यापक क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। कला और सांस्कृतिक शिक्षा सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और समावेशी समाजों के निर्माण के लिए भी आवश्यक हैं। सांस्कृतिक मूल्यों से अभिप्रेरित शिक्षा व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक असमानताओं को दूर करने और रूढ़ियों, उग्रवाद और भेदभाव के खिलाफ लड़ने का एक सशक्त साधन हो सकता है।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सांस्कृतिक विरासत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के अभीष्ट के साथ समतामूलक, लचीली और अंतरानुशासनात्मक शिक्षा का प्रतिमान प्रस्तुत करती है । इस नीति में विविधता का सम्मान है और यह समावेशन को अंतर्भूत करती है। एक व्यक्ति को एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात बनाना और नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का अवबोध, बौद्धिक जिज्ञासा की अभिवृद्धि, वैज्ञानिक सोच का उन्मेष, रचनात्मकता का अभिनिवेश करते हुए सेवा की भावना विकसित करना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। यह ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आग्रह करती है जो व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ व्यक्ति को समाजोपयोगी योगदान में भी सक्षम बनाए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के साम्मिलन से 21 वीं शती की आवश्यकताओं को अपने बल पर पूर्ण करते हुए आत्म-निर्भर भारत बनाने का सामर्थ्य इस शिक्षा नीति के माध्यम से सम्प्राप्त हो सकता है।

लोक कलाओं, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और सांस्कृतिक विरासत को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ-साथ परिसर के परिवेश में इन उपादानों का संयोजन करके विशिष्ट वातावरण का निर्माण करना जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत, भारतीयता और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को विद्यार्थियों के अंतर्मन में घनीभूत करे, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। चरित्र निर्माण और कौशल विकास की भावना से संवलित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भी विरासत की सैद्धान्तिक जानकारी के साथ-साथ विरासत का प्रायोगिक अनुभव प्रदान करने से संसिद्ध होता है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)। इसी कारण क्रॉस-करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कला और संस्कृति के शिक्षण का समावेश करना इस शिक्षा नीति का अभिप्रेत है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)।

इस नीति में निर्दिष्ट स्थानीय कलाकारों से विद्यार्थियों का संवाद और एक कला को शिक्षण काल में सीखना विद्यार्थियों के मन में अपनी धरोहर और उसके संरक्षकों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने के साथ ही उन्हें नवाचार और सृजन के लिए भी प्रेरित करेगा। बढ़ई, माली, कुम्हार और कलाकार के साथ विद्यार्थी का संपर्क तथा नृत्य, संगीत अथवा अभिनय जैसी विधाओं को सीखना उपयोगितावादी कलाओं और ललित कलाओं में निहित भारतीय विरासत परम्परा और उसके सातत्य का प्रत्यक्ष अनुभव विद्यार्थी को प्रदान करेगा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)। यह प्रयोग निश्चय ही विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाकर उनकी व्यक्तिगत प्रसन्नता में भी अभिवृद्धि करने वाला होगा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)।

विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटकीय महत्त्व के स्थलों का भ्रमण कराने का प्रावधान भी अपनी थाती से नई पीढ़ी को परिचित कराने का प्रायोगिक और सामयिक प्रस्ताव है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इसी प्रस्ताव को लागू करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देश के 100 चिह्नित पर्यटन स्थलों पर विद्यार्थियों को भ्रमण कराने के निर्देश दिए है ताकि देश के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करके वे देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता से परिचित हो सकें (यू.जी.सी., 2021)।

रोज़गार सृजन और देश के आर्थिक विकास में भी इन सांस्कृतिक विरासतों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित और समर्थित अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्त्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफिक डिज़ाइन एवं वेब डिज़ाइन जैसे पाठ्यक्रम कला संस्कृति के संवर्द्धन के साथ साथ पर्यटन के विस्तार, रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में भी

सहायक सिद्ध होंगे। देश भर में विद्यमान धरोहर स्थलों, अकादमियों, संग्रहालयों, कला वीथिकाओं और पर्यटन स्थलों पर कुशल, योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता बनी हुई है। नवीन पाठ्यचर्या में किए गए बहु-अनुशासनिक विषय, अंतरानुशासनिक विषय, वोकेशनल सहायक विषय, कौशल विकास पाठ्यक्रम, अनिवार्य निवासी प्रशिक्षण (इंटर्नशिप ) और शोध के संयोजन से निश्चित ही कुशल अधिकारी एवं कर्मचारी ऊपर उल्लिखित सेवाओं के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। मानविकी-समाज विज्ञान के अतिरिक्त संचार, पत्रकारिता, विज्ञान और प्रबंधन के विद्यार्थियों को भी विरासत प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रमों की ओर यह व्यवस्था आकृष्ट करेगी। एकाधिक प्रवेश और निकास के साथ ही अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट की व्यवस्था होने से प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) और पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्राप्त करके सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले और सेवा उपरांत पुनः शिक्षण से जुड़ने वाले कुशल व्यक्तियों का नैरन्तर्य सेवा के विभिन्न सोपानों पर योग्यतानुसार जारी रहेगा जो अर्थव्यवस्था को गति देने और प्रशिक्षित युवा शक्ति की सतत उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्द्धन पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा नीति में विवृत है कि भारतीय संस्कृति यहाँ की साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों में परिलक्षित होती है। भारत का प्राकृतिक सौन्दर्य, आतिथ्य सत्कार की परम्परा, सुन्दर हस्त-शिल्प, प्राचीन साहित्य में विद्यमान रस, योग-ध्यान-अध्यात्म की व्यापकता, दार्शनिक उत्कंठा, उल्लास से परिपूर्ण तीज-त्यौहार, कला, संगीत और फ़िल्में दुनिया भर के लोगों को आकृष्ट करती हैं और यही सांस्कृतिक विशेषताएँ इसे अतुल्य भारत बनाती हैं। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रसार को देश की उच्चतर प्राथमिकता पर रखने पर बल दिया है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)। चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 41 वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया था कि कैसे यह भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला सकती है। माननीय राष्ट्रपति श्री कोविन्द (2021) ने अपने व्याख्यान में व्यक्त किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सही दिशा के साथ भारत के युवा क्रांतिकारी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। इस सन्दर्भ में उनका यह कथन उल्लेखनीय है कि, "शिक्षा परिवर्तन की उत्प्रेरक है और युवा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारक है। शिक्षित युवाओं को सही दिशा दी जाए, तो वे इतिहास देश में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है। " माननीय राष्ट्रपति श्री कोविंद ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाएगी बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करेगी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020)। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई नीति वर्तमान की उभरती जरूरतों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान, कौशल और कौशल के आधार पर एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहती है जिसमें भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी शामिल होगी।"

विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के तत्त्वों और प्रतीकों का ध्वंस करके भारतीय अस्मिता और परम्परा को नष्ट करने का प्रयास किया। कालान्तर में साम्राज्यवादी विचारधारा के पोषक इतिहासकारों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने और उसे कमतर ठहराकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय जन-मानस के मानस पटल से आत्म-गौरव को विस्मृत कराने के सोचे-समझे षड्यंत्र किए इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से भारत की संस्कृति, विरासत और अतीत के गौरव का परिचय देकर नई पीढी में देश-प्रेम की भावना उद्दीप्त करना समय की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष

प्रत्येक मनुष्य का अपने अतीत, पुरखों तथा धरोहरों से सहज लगाव होता है। जिसके कारण व्यक्ति पुरातात्विक अवशेषों, ऐतिहासिक धरोहरों तथा सांस्कृतिक सम्पदाओं के प्रति आकर्षित होता है। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थल पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए विरासत प्रबंधन तथा पर्यटन विकास में विरासत शिक्षा एवं जन-जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने आस-पास बिखरी प्राकृतिक और सांस्कृतिक सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा तथा देख-रेख जन-जागरूकता से ही संभव है। जनसामान्य में सांस्कृतिक धरोहरों के महत्त्व का बोध होने पर वे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सामग्रियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं जिससे ऐतिहासिक धरोहर का समुचित संरक्षण और पर्यटन विकास संभव हो सकता है। पुरातात्त्विक स्थल, स्मारक तथा धरोहर सदैव से ही बच्चों को आकर्षित करती है। इनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विरासत की शिक्षा का समावेश पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गतिविधियों में किया जाना आवश्यक है। भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा समाज के अध्ययन में सांस्कृतिक विरासतों का योगदान अत्यधिक है। इस कारण राष्ट्रीय तथा बौद्धिक स्तर पर इनकी महत्ता समझी जा रही है। देश की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक समस्याओं के निदान के लिए भी अतीत की थाती को समझने की आवश्यकता अनुभूत की जाने लगी है। जातिगत विभाजन तथा वर्ग संघर्ष से उत्पन्न समस्याओं को समझना तभी संभव हो पाता है जबकि अतीत का तथ्यात्मक ज्ञान हो। अतीत के गौरव की जानकारी तथा राष्ट्र सम्मान की वृद्धि हेतु भी ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक विरासत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतीत में साहित्य, धर्म, अध्यात्म, मूर्तिकला, वास्तुकला, धातुकला, संगठन कौशल, उपयोगितावादी कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्र में हुए विकास पर कोई भी राष्ट्र गौरव का अनुभव कर सकता है। इस गौरव के अभिज्ञान के लिए भी सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा विद्यार्थियों तथा जनसाधारण को दिया जाना राष्ट्रहित में उपादेय है। अब इस बात की महती आवश्यकता है कि सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा मात्र उच्च शिक्षा तथा शोध तक सीमित न रखी जाए अपितु इसकी शिक्षा आरंभिक कक्षाओं से ही छात्रों को प्रदान की जाए।

भारत विविधता में एकता का देश कहा जाता है। बहुत सी भाषाएँ, सम्प्रदाय, जातियाँ, प्रजातियाँ तथा समूह यहाँ साथ-साथ रहते हैं। वर्तमान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थितियों की जड़ें अतीत में विद्यमान हैं इसलिए इतिहास, पुरातत्त्व और सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा प्रदान करना भारत में अत्यावश्यक है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर स्तर की शिक्षा में इन विषयों का समावेश होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपने अतीत की परम्पराओं तथा जीवन-पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान अतीत की जानकारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने तथा उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा तय करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

## सन्दर्भ सूची

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर' विषय पर ब्रह्मकुमारी संस्था के द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य वक्तव्य. (पुनर्प्राप्त दिनाँक 20.01.2022). https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. (पृ. 86, कण्डिका 22.1). नई दिल्ली : भारत सरकार.

दिनकर, आर. एस. (1990). *संस्कृति के चार अध्याय (प्रस्तावना पृ. xvii)*. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन

टॉयलर, ए. बी. (2010). *प्रिमिटिव कल्चर, खंड -1 (पृ. 1)*. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

गुप्त, एस. (सं.), (2013). *भारतीय संस्कृति के मूलाधार (पृ. 3)*. जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.

मैलिनोव्स्की. (1960). *अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ़ कल्चर एंड अदर एसेज (पृ.36)*. न्यूयॉर्क : ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

इलियट, टी. एस. (1949). *नोट्स टुवर्ड्स थे डेफिनिशन ऑफ़ कल्चर (पृ. 19)*. न्यूयॉर्क : हरकोर्ट ब्रेस एंड कंपनी.

सिन्हा,बी. के. और पंजाबी, बी. (1996). *भारतीय संस्कृति*. उमराव सिंह चौधरी द्वारा संपादित भारत की सांस्कृतिक विरासत से (पृ. 1-2). भोपाल : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.

सार्वजनिक या निजी कार्यों से खतरे में पड़ी सांस्कृतिक परिसंपत्ति के संरक्षण के सम्बंध में यूनेस्को की अनुशंसा. (19 नवंबर 1968). (पुनर्प्राप्त दिनाँक 03.02.2022). http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

राधाकृष्णन, एस. (1937). *कल्चरल हेरिटेज ऑफ़ इंडिया, खण्ड -I. (पृ. xxiii, प्रथम संस्करण का परिचय)*. कोलकाता : द रामकृष्ण मिशन, इंस्टिट्यूट ऑफ़ कल्चर.

विशिष्ट यूरोपीय बैरोमीटर सर्वेक्षण 466 (2017), *कल्चरल हेरिटेज*. (पुनर्प्राप्त दिनाँक 03.02.2022). http://data.europa.eu/88u/dataset/S2150_88_1_466_eng? locate=en

यू.जी.सी. डी.ओ. क्र. 2-1/2021 (CPP-II) दिनाँक 22 सितम्बर 2021 (पुनर्प्राप्त दिनाँक 03.02.2022) https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5685284_EBSB_23-09-2021.pdf

माननीय राष्ट्रपति श्रीयुत रामनाथ कोविंद का उद्बोधन (2021)(पुनर्प्राप्त दिनाँक 20.01.2022). https://www.republicworld.com/india-news/general-news/nep-for-revolutionary-change-will-protect-cultural-heritage-president-at-anna-university.html

# राष्ट्र निर्माण हेतु आत्म निर्माण की सर्वांगीण साधना का तत्व दर्शन एवं स्वरूप

**डॉ. गोविन्द प्रसाद मिश्र***

**सारांश**

15 अगस्त 2022 को स्वदेश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जो 75 वीं वर्षगांठ से 1 वर्ष पहले से लेकर 1 वर्ष बाद तक यानी 15 अगस्त 2023 तक चलता रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव की ज्योति आजादी की 75 वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व यानी 12 मार्च 2020 को महात्मा गांधी जी की नमक सत्याग्रह सम्बन्धी दांडी यात्रा (12 मार्च, 1930) के 91 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से प्रज्ज्वलित हो चुकी है जिसके प्रकाश में भारतीय संस्कृति एवं समाज के उत्कर्ष संबंधी होने वाले विविध कार्यक्रमों में 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 साल पर क्रियान्वयन एवं 75 साल पर संकल्प आदि मुख्य विषय हैं जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा, प्रोत्साहन व संबल देंगे।

**बीज शब्द :** राष्ट्र निर्माण, अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत, सर्वांगीण साधना

**प्रस्तावना**

साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शंखनाद करते हुए प्रधान मंत्री के उद्गार थे कि- नमक भारत की आत्म निर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ- साथ इस आत्म निर्भरता पर भी चोट की। महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमन सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा, इसलिए वह आन्दोलन जन-जन का आन्दोलन बन गया इसीलिए आज ही के दिन इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुभारम्भ की जा रही है जिससे कि आत्म निर्भर भारत का सपना पूरा हो सके और भारत के विकास से दुनिया के विकास को प्रोत्साहन मिले। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि-यह हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने, इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है .....एक तरह से यह प्रयास है कि कैसे आजादी के 75 साल का यह प्रयोजन, आजादी का यह अमृत महोत्सव हर भारतीय का, भारत के जन-जन का, भारत के हर मन का पर्व बने (अमर उजाला, 2020)।

स्पष्ट है कि आजादी का अमृत महोत्सव जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर एक संपूर्ण भारत का महोत्सव है। यह एक राष्ट्रीय महोत्सव है जो आत्मनिर्भर भारत से राष्ट्र निर्माण का स्वप्न और संकल्प संजोए है। आजादी का यह अमृत महोत्सव उन लोगों को झकझोर कर जगाने, उठाने और आगे बढ़ने के लिए एक आह्वान है जो आलस्य, प्रमाद, तंद्रा में पड़े रहकर अकर्मण्य, हताश निराश पड़े हैं या फिर बिना कुछ किये, पुरुषार्थहीन बने हुए शेख चिल्ली के ख़्वाबों में खोये हुए सफलता की ऊंचाइयों के सपने

*सह-प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

देखते हैं... ऐसे जन अपनी दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने, एक नए जीवन की शुरुआत करने का संकल्प नहीं संजो पाते। यह महोत्सव निठल्ले भाग्यवादियों के लिए भी एक संदेश है कि भगवान भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे भाव-विचार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। हमारे आप्त पुरुषों ने भी कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यह अमृत महोत्सव उन लोगों के लिए भी अपने चिंतन और चरित्र में परिवर्तन हेतु आह्वान है जो अनैतिक एवं स्वार्थपूर्ण जीवन जीने में लिप्त हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ ही है कि राष्ट्र के जन-जन का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में जन-जन की भागीदारी।

आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अनेकों बाधाएं हैं, समस्याएं हैं जिनका निराकरण सरकार अपने स्तर से करने की कोशिश करती आ रही है फिर भी यदि समस्याओं का अंत नहीं हो पाया तो उसका मूल कारण, मूल समस्या की जड़ तक न पहुंच पाना रहा है। पेड़ की पत्तियों पर दवा छिड़कने से ज्यादा कारगर उसके जड़ की चिकित्सा होती है। किसी भी समाज व राष्ट्र की प्रथम इकाई मनुष्य होता है। जैसा मनुष्य होता है, वैसा ही समाज होता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण-समाज निर्माण के लिए शुरुआत व्यक्ति निर्माण से करनी होगी क्योंकि व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज बनता है। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण और फिर परिवार निर्माण से समाज निर्माण का तथ्य एवं सत्य सर्वविदित है। महापुरुषों के उपदेश, संतों की वाणी, सभी श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ एवं आध्यात्मिक ग्रंथ सबसे पहले मानव में मानवीय मूल्यों की स्थापना, सद्गुणों का बीजारोपण के द्वारा मानव निर्माण-व्यक्तित्व निर्माण, उसके चिंतन-शोधन, परिष्कार व विकास के द्वारा समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण तथा मानव उत्कर्ष के द्वारा राष्ट्र उत्कर्ष की बात करते हैं। विशेषकर भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक ग्रंथों में तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही विभिन्न प्रकार के कर्मकाण्ड, उपासना-साधना पद्धतियाँ एवं योग मार्ग प्रचलित हैं।

आज सम्पूर्ण विश्व योग शब्द से परिचित है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी के प्रियस से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दर्शन एवं उसकी साधना पद्धतियों का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों से मुक्त होकर अपने अंदर प्रसुप्त पड़ी दिव्य क्षमताओं को विकसित करें, मानव से महामानव और फिर देव मानव की ओर उत्कर्ष को प्राप्त हों। इसके लिए व्यक्ति की मनःस्थिति, रुचि एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न उपनिषदों व योग ग्रन्थों में ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, हठयोग, राजयोग, अष्टांगयोग, क्रियायोग, ध्यानयोग, मंत्रयोग, तंत्रयोग, लययोग, कुंडलिनीयोग इत्यादि अनेक योग मार्ग बताए गए हैं। उपनिषदों का सार श्रीमद्भगवद्गीता (जो महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 तक के 18 अध्यायों, 700 श्लोकों का संकलन है और जिसके सभी अध्याय किसी न किसी योग नाम से संयुक्त हैं) में तो सभी योग मार्गों का सार तत्व-ज्ञान, भक्ति एवं कर्मयोग मार्गों का संश्लेषण, समन्वित स्वरूप बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है इसीलिए भारतीय विद्वानों के साथ-साथ अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी श्रीमद्भगवद्गीता को मानव उत्कर्ष का ग्रंथ कहा है।

**मानव जीवन की गरिमा**

मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति है। जो विशेषताएं मनुष्य को मिली हुई हैं वे मानवीय विशेषताएं अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं हैं यद्यपि शारीरिक दृष्टि से वह अन्य कई प्राणियों से बेहतर नहीं हैं। उड़ने, तैरने, उछलने, कूदने, दौड़ने आदि की दृष्टि से अन्य कई जीवधारियों से पिछड़ा हुआ है। पूर्वाभास, दूरदृष्टि, गंधशक्ति, श्रवणशक्ति आदि इंद्रीय क्षमताओं में भी बहुत सारे जीव मनुष्य से आगे हैं फिर भी मनुष्य यदि

अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो अपनी बौद्धिक क्षमता, दृढ़ इच्छाशक्ति और स्वयं को परिमार्जित एवं विकसित कर पाने की विशिष्ट आतंरिक शक्ति के कारण।

प्रायः पशु केवल प्रत्यक्ष इंद्रीय विषयों को देखने, उन्हें भोगने और उन्हीं के इर्दगिर्द अपने क्रियाकलापों तक सीमित रहता है इसीलिए उसे पशु कहते हैं- पश्यति इति पशुः, जबकि मानव की गरिमा केवल इंद्रीय विषयों तक सीमित रहने में नहीं है। उसके अन्दर मनन शक्ति है इसीलिये उसे मनुष्य कहा गया है- मननात् मनुष्यः। अपनी मनन शक्ति के आधार पर ही वह जिज्ञासापूर्वक सतत कुछ नया करने का पुरुषार्थ करता हुआ अपने कमियों, अयोग्यताओं, दोषों का परिमार्जन और आवश्यक योग्यताओं, सद्गुणों को अर्जित करते हुए भौतिक प्रगति एवं आत्मिक उन्नति, उत्कर्ष की उपलब्धि कर पाने में सक्षम हो पाता है। यदि मनुष्य अपनी जन्मजात पशु प्रवृत्तियों का शोधन और मानवीय गुणों को धारण न कर सके तो उसे नर रूप में पशु ही कहा गया है -

**येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।**
**ते मर्त्य लोके भुविभारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ।। (भर्तृहरि, 2017)**

यहां धर्म से तात्पर्य किसी पंथ या संप्रदाय के कर्मकांडों से नहीं अपितु श्रेष्ठ मानवीय गुणों, सद्गुणों से है जिसके पालन से हमें अभ्युदय (भौतिक प्रगति) और निःश्रेयस (आध्यात्मिक उन्नति) दोनों की प्राप्ति होती है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में धर्म को परिभाषित करते हुए यही कहा है-

**यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। (झा, 1964)**

जीवन की सार्थकता प्रेय (भौतिक) और श्रेय (आध्यात्मिक) दोनों मार्गों में उन्नति से है इसीलिये तो भारतीय दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - ये चार पुरुषार्थ बताये गये हैं। धर्म का लक्षण बताते हुए मनु स्मृति में कहा गया है - धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचं इन्द्रिय निग्रहः।

**धीर्विद्या, सत्यम् ,अक्रोधो दशकं धर्मलक्षणं ।। (मनु स्मृति, 2002)**

स्पष्ट है कि उपर्युक्त धर्म के दस गुण सार्वभौमिक मानवीय गुण हैं जिसके अभाव में किसी भी प्रकार की स्थाई सुख शांति युक्त उन्नति संभव नहीं है जबकि उन्नति ही मानव जीवन का आदर्श है। अथर्ववेद का कथन है कि- **"उद्यानं ते पुरुष नावयानं"** अर्थात हे मनुष्य तेरा उत्थान हो, उन्नति हो। तेरा अधः पतन न हो (अथर्ववेद, 2005)।

**उन्नति का आधार**

उन्नति करना, आगे बढ़ना, सुखी-समुन्नत होना, हर मनुष्य की अभिलाषा होती है किंतु कुछ लोग केवल इसके बारे में सोचते रह जाते हैं। कुछ सोचते और प्रयास भी करते हैं। कुछ प्रबल पुरुषार्थ के साथ सफल भी होते हैं। उन्नति में साधक (सहयोगी) और बाधक तत्व क्या हैं? साधक तत्वों का संवर्धन और बाधक का निराकरण कैसे हो? इसके लिए भारतीय दर्शन एवं योग में कौन से उपाय बताये गए हैं? इसे जानने से पूर्व मानव व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की समझ होना आवश्यक है।

कठोपनिषद में मानव व्यक्तित्व को रथ और रथी की उपमा के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है-

**आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिमविद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।।**
**इन्द्रियाणि ह्यानाहु विशयांस्तेषु गोचरान। आत्मेंद्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ।।**
**विज्ञानसारथिःयस्तु मनः प्रग्रहावान्नरः। सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम् ।।**
**(कठोपनिषद, 2005)**

जिस प्रकार से एक रथ होता है जिसमे घोड़े ,सारथी और रथी होते हैं। सारथी का कार्य रथ का कुशल संचालन करते हुए रथ में बैठे हुए रथ के स्वामी (रथी) को उसके यात्रा को सकुशल पूर्ण कराते हुए गंतव्य तक पहुंचाना होता है। रथ को आगे बढ़ाने के लिए उसमें घोड़े जुते रहते हैं। घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए लगाम होती है जिसका नियंत्रण सारथी के हाथ में होता है। सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों पर नियंत्रण पूर्वक रथ को आगे बढ़ाता है और रथी को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। रथ घोड़ों के नियंत्रण में होता है (जहां घोड़े जाते हैं वहीं रथ पहुँच जाता है), घोड़े लगाम के नियंत्रण में होते हैं, लगाम सारथी के नियंत्रण में होती है और सारथी रथी के नियंत्रण में उसके लिए कार्य करता है। यही स्थिति मानव व्यक्तित्व की भी है।

परमात्मा ने जीवन यात्रा के लिए शरीर रूपी रथ दिया है जिसमें पांच इंद्री रूपी घोड़े जुते हुए हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला मन लगाम है और लगाम का नियंत्रक शरीर रूपी रथ का संचालक बुद्धि सारथी के रूप में है। शरीर का स्वामी आत्मा ही रथी है। रथ (शरीर), घोड़े (इन्द्रियाँ), लगाम (मन), सारथी (बुद्धि) ये सभी रथी (आत्मा) के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। अब यदि रथी (आत्मा) अपने स्वरूप को भूल जाय, वह मालिक न रहकर घोड़ों-सारथी आदि (शरीर, इंद्री, मन और बुद्धि) का गुलाम हो जाय तो परिणाम क्या होगा? सारथी (बुद्धि) को पता ही न हो कि सही रास्ता क्या है? जाना कहां है? उसके यात्रा (जीवन यात्रा) का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? रास्ते में आने वाली चुनौतियों को - अंधे मोड़ों को पार कैसे करना है? या फिर सारथी (बुद्धि) के नियंत्रण में लगाम (मन) ही न हो, लगाम हाथ से छूट जाय-घोड़े (इंद्रियां) अनियंत्रित हो जाएं तो फिर क्या होगा? ऐसे में लगाम सहित अनियंत्रित घोड़े (इन्द्रियाँ और मन) सही रास्ते को छोड़कर या तो हरियाली घास (विषयों) की तरफ भागेंगे या फिर आलस्य, प्रमाद में आ जायेंगे.....यानी मालिक के उद्देश्य में सहयोगी न होकर बाधक बनेंगे। उसके दुर्गति का, पतन का कारण बनेंगे इसीलिए जीवन यात्रा की सफलता के लिए बुद्धि रूपी सारथी (विवेक) की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।

कठोपनिषद की उपर्युक्त उपमा से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि मानव जीवन की समुन्नत यात्रा में रथ समुच्चय और रथी की भांति शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि समुच्चय और आत्मा सभी का अपना महत्त्व है। इनमें से किसी की भी उपेक्षा नही की जा सकती। इसीलिये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में स्वास्थ्य को केवल शरीर या मन तक सीमित नही माना गया है। वहां समग्र स्वास्थ्य की बात की गयी है, जिसका विस्तार तन और मन के साथ-साथ इन्द्रियों एवं आत्मा तक है -

**समदोषः समाग्निः च सम धातुः मल क्रिया। प्रसन्न-आत्म-इन्द्रिय-मनः स्वस्थः इति - अभिधियते ।। (सुश्रुत संहिता ,2021)**

भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को प्रारम्भ करते समय स्वस्ति वाचन के रूप में ऋग्वेद के जिस मन्त्र का पाठ किया जाता है उसमें भी शरीर, इन्द्रिय, मन, भावना, बुद्धि और आत्मा सभी की स्वस्थता-शुभता-पवित्रता और क्रियाशीलता के साथ सौ वर्ष या उससे भी अधिक वर्षों तक जीवित रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करते रहने की सभी के लिए प्रार्थना है-

**भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा.....देव हितं यत-आयुः ।।(ऋग्वेद , 2005 )**

राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्तित्व का निर्माण- आत्म निर्माण ,यानी व्यक्ति की मति का सही दिशा में गति नितांत आवश्यक है। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों तरह की प्रवृतियां होती हैं। मानव की मति यानी बुद्धि जब आसुरी प्रवृत्तियों को ग्रहण करती है तो वह स्वयं उस व्यक्ति के लिए और समाज के लिए विनाश का कारण बनती है जिसकी परिणति घोर स्वार्थपरता, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और

आतंकवाद जैसी बुराइयों के रूप में होता है। किंतु यही बुद्धि जब दैवी प्रवृत्ति को ग्रहण करती है तो व्यक्ति, नैतिक, कर्तव्यनिष्ठ, सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त होकर मानव से महामानव और देव मानव की ओर अग्रसर होता है जो जीवन की सार्थकता है। इसीलिए विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में नर तन धारी मनुष्य को सच्चे अर्थों में सद्गुणों को अर्जित करके अपने दुर्गुणों को दूर कर वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनने का निर्देश दिया गया है । ऋग्वेद का कथन है - मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो । (ऋग्वेद, 2005) कहा भी गया है कि मनुष्य शरीर मिलना सरल है किंतु मनुष्य बनना कठिन है। मनुष्यता अर्जित करनी पड़ती है। इसीलिए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा है कि अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इस काम में सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। एक श्रेष्ठ इंसान ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। अतः आजादी के इस अमृत महोत्सव में राष्ट्र निर्माण हेतु हमें अपने स्वयं के अंदर से आलस्य-प्रमाद, अकर्मण्यता, अनैतिकता आदि बुरी आदतों, दोष, दुर्गुणों के निष्कासन तथा परिश्रम, पुरुषार्थ, देशप्रेम, नैतिकता आदि सद्गुणों के स्थापन का, आत्म निर्माण व आत्मविकास का संकल्प और प्रयत्न करना होगा। स्वं के श्रेष्ठ निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में यह सबसे विशिष्ट आहुति होगी।

**आत्म निर्माण की साधना**

अब प्रश्न यह है कि आत्म निर्माण हो कैसे? जन्म-जन्मांतर के कुसंस्कार, चेतन-अचेतन मन की गहराइयों में जड़ जमाए बैठी बुरी आदतों से छुटकारा मिले कैसे? अच्छाइयां, अभ्यास और व्यवहार में आयें कैसे? हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कैसे हों? जीवन सफल और सार्थक बने कैसे? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जिसका उत्तर उत्कर्ष प्राप्त श्रेष्ठजन, संतजन, और सद्ग्रंथ हमेशा से देते आये हैं, यद्यपि व्यक्ति की मनःस्थिति और देशकाल परिस्थिति के अनुसार उनके शब्द और भाषा अलग-अलग होते रहे हैं। परंतु उद्देश्य सभी के एक समान हैं। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के रास्ते अलग-अलग होते हैं किंतु गंतव्य स्थल एक ही है, उसी तरह सच्चे उत्कृष्ट संत-महात्माओं, सिद्धपुरुषों, ऋषियों का भी उद्देश्य है मनुष्य का उत्कर्ष, मनुष्य के जीवन का निर्माण, उसके व्यक्तित्व का निर्माण।

योग के ग्रंथों में आत्म निर्माण की वैज्ञानिक विधि को ही योग साधना कहा गया है। वैसे तो योग साधना के अनेकों मार्ग हैं किंतु भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग इनमें विशेष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अन्य सभी मार्ग इन्ही में समाहित हो जाते हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने इन तीनों को उपासना-साधना-आराधना के रूप में एक साथ समन्वित रूप में अपनाने की विधि और बात बताई है। आचार्य श्री के अनुसार जिस प्रकार शरीर पोषण के लिए आहार, जल और वायु तीनों साधनों की अनिवार्य आवश्यकता होती है उसी प्रकार आत्मिक प्रगति की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी तीन माध्यम अपनाने पड़ते हैं और वह हैं-उपासना, साधना और आराधना (शर्मा,2007)। उपासना भक्ति योग है, साधना ज्ञान योग है, और आराधना कर्म योग। जीवन के तीन आयाम हैं-भावना, ज्ञान और क्रिया । उपासना से भावना का, जीवन साधना से व्यक्तित्व का और आराधना से क्रियाशीलता का परिष्कार और विकास होता है।

**उपासना**

उपासना ईश्वर की भक्ति है। उपासना का अर्थ है - उप+आसन अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। जल, अग्नि और वायु की समीपता से जिस तरह मनुष्य तुरंत उसके गुणों का प्रभाव अनुभव करने लगता है ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होते ही जीवन का आपा विस्तृत होने लगता है। उसकी शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। उस प्रकाश में मनुष्य न केवल अपना मार्गदर्शन करता है अपितु औरों को भी सन्मार्ग की प्रेरणा देता है (शर्मा,2001)।

ईश्वर की उपासना जीवन की एक ऐसी अनिवार्य आवश्यकता है जिसके अभाव में आत्मसत्ता पर कषाय कल्मषों का आवरण चढ़ता चला जाता है। इसीलिए उपासना नित्य की जानी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे- अपने लोटे को रोज माजो अर्थात अपनी आत्मा की सफाई नित्य नियमित रूप से करते रहें। उसमें कभी आलस्य- प्रमाद न बरतें।

उपासना का प्रधान आधार श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा एक जीवंत शक्ति है जिसका आरोपण जहां भी किया जाए वहीं अभिनव चेतना उभर पड़ती है। आचार्य श्रीराम शर्मा के शब्दों में झाड़ी में स्थित भूत का कोई अस्तित्व नहीं होता किंतु उसकी मान्यता और विश्वास के आधार पर अंधकार में साकार भूत का रूप आ धमकता है और उस व्यक्ति को कितना भयभीत कर देता है, यह हर कोई जानता है। कल्पना का यह भूत यदि किसी को विक्षिप्त, पागल और मार सकता है तो दिव्य गुणों से, दिव्य क्षमताओं से ओतप्रोत आराध्य हमारे जीवन को दिव्य न बनाएं - ऐसा कैसे हो सकता है? (शर्मा, 2001), इसलिए उपासना के लिए श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है।

उपासना के दो चरण हैं- जप और ध्यान। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने उपासना हेतु गायत्री मंत्र को विशेष महत्व दिया है। उनके ही शब्दों में वैसे तो उपासना के लिए किसी भी पद्धति को अपनाया जा सकता है। श्रद्धा और भावना के अनुरूप सभी उपासना सामान्य रूप से फलदाई सिद्ध होती हैं। पर अपनी दृष्टि में अनुभव के आधार पर वेदमाता-देवमाता-विश्वमाता गायत्री का आंचल पकड़ना हर दृष्टि से लाभप्रद है (शर्मा, 1998)।

**उपासना में बाधक तत्व**

परमात्मा सारी श्रेष्ठताओं एवं उत्कृष्टताओं का समुच्चय है। वह समस्त सत्प्रवृत्तियों एवं अनंत शक्तियों का केंद्र है। इसलिए यह गुण उपासक में आने और बसने लगते हैं। आग के संपर्क से लोहा गरम होने लगता है किन्तु यदि आग और लोहे के बीच ब्यवधान हो तो ऐसा नहीं होगा इसलिए जिन उपासकों में परमात्मा के गुण संकलित होते दिखाई न दें, वहां समझ लेना चाहिए कि उसकी उपासना और परमात्मा के बीच भी कामनाओं, वांछनाओं तथा वासनाओं का व्यवधान पड़ा हुआ है और जबतक यह व्यवधान हटाया नहीं जाएगा तबतक उपासना का वास्तविक फल प्राप्त होना संभव नहीं है (शर्मा, 2001)। श्री रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में जब तक पशुभाव न मिटे ,विषय वासनायें न मिटें , तब तक ईश्वर के आनंद का आस्वादन नहीं हो सकता। (गुप्त, 1999)।

इसीलिये हमारे अन्दर से पशु भाव मिटे , आत्मा, परमात्मा के बीच का व्यवधान हटे, आलस्य -प्रमाद, लोभ-मोह, अहंकार-अशक्ति, अभाव-अज्ञान आदि जितने भी दुःख व दुःख के कारण रूपी दोष-दुर्गुण हमारे अन्दर हों - वह सभी हमसे दूर हों तथा जो श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी (भद्र ) हो वह मेरे अन्दर आए- इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर से की जानी चाहिए -

**ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद् भद्रं तन्न आ सुव ।। (ऋग्वेद,2005 )**

हम सदैव अच्छा ही सोचें, हमारा मन सर्व कल्याणमय शुभ विचारों से युक्त हो-

**तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु । ( यजुर्वेद,2005 )**

**साधना**

उपासना की सफलता के लिए जप, ध्यान और प्रार्थना आदि के साथ-साथ साधना भी आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। साधना का अर्थ है साथ लेना यानी ठीक कर लेना। उपासना बीजारोपण है तो साधना खाद पानी से लेकर के निराई-गुड़ाई तक की प्रक्रिया। उपासना भगवान की की जाती है और साधना अपनी। साधना का अर्थ है- जीवन साधना। आत्म निर्माण-चरित्र निर्माण का प्रयत्न पुरुषार्थ, जिसके बिना उपासना फलवती नहीं हो पाती। शास्त्र भी कहते हैं कि आचरणहीन व्यक्ति की उपासना निष्फल होती है, ऐसे व्यक्ति को को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते -

**आचारहीनं न पुनन्ति वेदा .....। (वशिष्ठ स्मृति,2010)**

अतः अपनी आत्मसमीक्षा करते हुए अपनी कमियों, दोष-दुर्गुणों के निष्कासन और अच्छाइयों, सद्गुणों को अपनाने का सतत अभ्यास, प्रयत्न पुरुषार्थ करते रहना ही जीवन साधना है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि देवताओं को भी वह लोग ही प्रिय होते हैं जो स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का श्रम करते हैं -

**न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ( ऋग्वेद,2016 )**

जीवन साधना कैसे हो, जन्म-जमान्तरों से संस्कार रूप में समाहित दुष्प्रवृत्तियों, कुसंस्कारों, गहरे मन तक जड़ जमाये बैठी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे मिले? जीवन साधना का व्यावहारिक स्वरूप क्या हो? इसके लिए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने हर दिन एक नया जन्म और हर रात एक नई मौत का तत्व चिंतन के साथ चार मंत्र, चार सूत्र, चार सद्गुण और चार संयम रुपी जीवन साधना के व्यावहारिक प्रयोग बताए हैं -

चार मंत्र है- आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मसुधार और आत्म परिष्कार।

चार सूत्र हैं- व्यस्त रहो- मस्त रहो, सुख बांटो-दुख बंटाओ, मिल बांट कर खाओ, सलाह लो, सम्मान दो।

चार सद्गुण हैं- समझदारी ,ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। चार संयम हैं - इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम और अर्थ संयम। (शर्मा, 2007)।

आत्मोत्कर्ष के लिए श्रद्धा, विश्वास, संकल्प और संयम- ये चार प्रमुख शक्ति साधन हैं। संयम से शरीर, संकल्प से मन, विश्वास से चित्त और श्रद्धा से आत्मा की शक्ति जागृत होती है। इस आलेख की सीमा को ध्यान में रखते हुए जीवन साधना के तत्वों की विस्तृत व्याख्या विवेचना नही की जा सकती। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त व्यावहारिक साधना के प्रयोग सुनने में सरल, अपनाने में प्रबल पुरुषार्थ साध्य और परिणाम में आश्चर्यजनक उपलब्धि देने वाले हैं। निस्संदेह इन्हीं गुणों से संपन्न आत्म निर्माण ही राष्ट्र निर्माण के स्तम्भ होते हैं।

**आराधना**

उपासना- साधना से प्राप्त शक्तियों, सद्गुणों का राष्ट्र निर्माण में, समाज के उत्कर्ष में सदुपयोग ही आराधना है। यही गीता का लोक संग्रह है। लोक कल्याण हेतु निष्काम कर्म है। उपासना भगवान की, साधना अपने जीवन की और आराधना समाज, संस्कृति, राष्ट्र और मानवता की, की जाती है। "शिव

भावे-जीव सेवा" ही आराधना है। आराधना परोपकार है। परहित सेवा है। यह सभी प्रकार के ऋणों से उऋण होने एवं मानवता की सेवा है। आचार्य श्रीराम शर्मा के अनुसार आराधना रूपी समाज की यह सेवा तीन तरह से होती है- 1. सुविधा संवर्धन 2. पीड़ा निवारण और 3. पतन निवारण। (शर्मा,2007)।

व्यक्ति या समाज के उत्कर्ष हेतु आवश्यक भौतिक संसाधनों-सुविधाओं की व्यवस्था कर देना पहले प्रकार की सेवा कही जायेगी। किसी दुखी प्राणी के तात्कालिक कष्ट को दूर कर देना द्वितीय प्रकार की सेवा है और किसी भटके व्यक्ति के जीवन को सन्मार्ग पर ला देना सेवा का तीसरा प्रकार है। यही उत्कृष्ट सेवा है। नाली में गिरे हुए शराबी को नाली से निकाल देना निवारण सेवा हुई किंतु उसको शराब पीने की बुरी आदत से छुटकारा दिला देना पतन निवारण कहलायेगी। यह उसके लिए सर्वोच्च सेवा होगी। इसीलिये ज्ञानदान सबसे बड़ा दान कहलाता है किन्तु ज्ञान वह जो उपदेशक के आचरण में हो। शास्त्र भी अपने चरित्र से ही शिक्षा देने की बात करते हैं-

**स्व-स्व चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। (मनु स्मृति, 2002 )।**

**निष्कर्ष**

कथनी-करनी में भिन्नता पाखण्ड कहलाता है, और पाखण्ड से किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इस उत्स में भारत माँ अपनी संतानों से भारत में होने, आत्म निर्माण से राष्ट्र निर्माण में रत होने की अपेक्षा और आदेश संजोये बैठी हैं। अतः आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए, भारत माँ और विश्व वसुधा के स्वप्नों को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण व सर्वसुखी समुन्नत विश्व निर्माण हेतु आत्म निर्माण को उद्यत जीवन साधकों की आवश्यकता ही समय की मांग है जिसकी पूर्ति में योग सहायक है।

## संदर्भ सूची

अमर उजाला (2020, 12 मार्च). दिल्ली संस्करण।
भर्तृहरि (2017). नीति शतक, श्लोक 13, दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
झा, हरिमोहन (1964). वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र 1 /2 ,पृष्ठ 18, दिल्ली: पुस्तक भण्डार।
मनु स्मृति (2002). 6 /92 , वाराणसी: रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन।
अथर्ववेद (2005). 8 /1 /6, मथुरा : युग निर्माण योजना।
कठोपनिषद (2005). 1 /3 /3 -5, गोरखपुर: गीताप्रेस।
सुश्रुत संहिता (2021). 15 /40, वाराणसी : चौखम्भा प्रकाशन।
ऋग्वेद (2005). मण्डल 1/सूक्त 89/मन्त्र 8, मथुरा : युग निर्माण योजना।
ऋग्वेद (2005).10.53.06 ,मथुरा: युग निर्माण योजना।
आचार्य, शर्मा, श्रीराम (2007). जीवन देवता की साधना -आराधना ,पृष्ठ 9 , मथुरा: युग निर्माण योजना।
आचार्य, शर्मा, श्रीराम (2001). उपासना का तत्व दर्शन और स्वरुप,पृष्ठ 48, मथुरा: युग निर्माण योजना।
आचार्य, शर्मा, श्रीराम (2001). उपासना का तत्व दर्शन और स्वरुप,पृष्ठ 11 , मथुरा: युग निर्माण योजना।
आचार्य, शर्मा, श्रीराम (1998). गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ठ अनुष्ठान परक साधनाएं ,पृष्ठ 3.58, मथुरा: युग निर्माण योजना।

आचार्य, शर्मा, श्रीराम (2001). उपासना का तत्व दर्शन और स्वरुप,पृष्ठ 49, मथुरा: युग निर्माण योजना।
गुप्त, महेंद्र नाथ (1999). श्री राम कृष्ण वचनामृत सार, पृष्ठ 9, नागपुर: श्री राम कृष्ण मठ।
ऋग्वेद (2005). 5 /82 /05, नई दिल्ली: संस्कृत साहित्य प्रकाशन।
यजुर्वेद (2005). 34 / 3, मथुरा: युग निर्माण योजना।
वशिष्ठ स्मृति (2010). 6 /3 , वाराणसी: चौखम्भा प्रकाशन।
ऋग्वेद (2016). 4 /33 /11, नई दिल्ली: संस्कृत साहित्य प्रकाशन।
आचार्य, शर्मा, श्रीराम (2007). जीवन देवता की साधना-आराधना, पृष्ठ 30 -36, मथुरा: युग निर्माण योजना।
मनु स्मृति (2002). 2 /20, वाराणसी: रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन।

# दक्षिण अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा: भारत के लिए निहितार्थ

**डॉ. एन. सुरजीतकुमार***

**सारांश**

डायस्पोरा विस्तार को इंगित करता है। यह शब्द उन सभी को जोड़ने का भी काम करता है जो किसी ना किसी कारण से प्रवासित हुये, देश से बाहर बस गए। प्रवासन कोई नई प्रक्रिया नहीं है बल्कि सदियों से होता रहा है। यह प्रवासी नए देश में धीरे-धीरे अपने श्रम, अपनी मेधा से एक शक्ति बन जाते हैं और अनेक बार दो देशों के बीच सम्बंध का आधार और कसौटी भी बन जाते हैं। भारत से बहुत सारे देशों को प्रवासन हुआ है और दक्षिण अफ्रीका भी इनमें से एक है। दक्षिण अफ्रीका से ही महात्मा गांधी का एक राजनेता के रूप में पदार्पण होता है और उनके क्रांतिकारी विचार, अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़े उनके प्रयोग पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने के अनूठे हथियार के रूप में सामने आते हैं। भारतीय समुदाय की दक्षिण अफ्रीका में मौजूदगी दोनों देशों के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के साथ-साथ राजनैतिक विमर्श को भी प्रभावित करती है । प्रस्तुत आलेख दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति, उनके महत्त्व, दक्षिण अफ्रीकी विदेश नीति और भारत से उसके सम्बंध पर पड़ने वाले प्रभाव का ऐतिहासिक सन्दर्भों सहित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

**बीज शब्द:** डायस्पोरा, प्रवासन, विदेश नीति, प्रवासी भारतीय, प्रवास

**प्रस्तावना**

'डायस्पोरा' शब्द ग्रीक शब्द डिया (थ्रू या ओवर) और स्पेरियो (फैलाव या बोना) से लिया गया है। डायस्पोरा का शाब्दिक अर्थ है 'बिखरना' या 'फैलाव'। भारतीय डायस्पोरा के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि वह सभी लोग जिनकी मातृभूमि भारत है और किसी न किसी कारण से, स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले गए; वह सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकार के प्रवास के कारण प्रवासी शब्द का हमारे दस्तावेजों में समावेश हुआ (दुबे, 2004)। 'डायस्पोरा' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर फिलिस्तीन के बाहर रहने वाले यहूदी लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। प्रवासी जो सम्बंध बनाए रखते हैं वे प्रतीकात्मक हैं। विद्वानों के लिए, 'डायस्पोरा' शब्द विभिन्न श्रेणियों जैसे कि अप्रवासी, अतिथि कार्यकर्ता, जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यक, शरणार्थी, प्रवासी और यात्रियों को जोड़ने वाला शब्द है। स्वैच्छिक या जबरन प्रवास, सामूहिक निर्वासन और आर्थिक रूप से विकल्प तलाश रहे समूहों के अन्य देशों में प्रवास के परिणामस्वरूप एक देश विशेष के प्रवासी एक समुदाय के रूप में सामने आते हैं।

विश्व राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में हाल के परिवर्तनों ने लगभग हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जनआंदोलन का कारण बना है। प्रवासी समुदाय और मातृभूमि के बीच संबंधों को देखते हुए, उनके गोद लेने वाले देश से उनके लौटने की संभावना बनी रहती है। प्रवासी की उत्पत्ति प्रवासन से हुई है। यह भी

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय परिसर, मणिपुर

बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रवासी जातीय अल्पसंख्यक समूह हैं जो मेजबान देशों में रहते हैं लेकिन अपने मूल देशों के साथ मजबूत भावनात्मक और भौतिक सम्बंध बनाए रखते हैं। इस अवधारणा को अब किसी भी आबादी को संदर्भित करने के लिए सामान्यीकृत किया गया है जो अपने मूल देश से स्थानांतरित हो गई है और एक विदेशी भूमि में बस गई है। वे अपनी उत्पत्ति की जड़ों और अपने अतीत की भावना के साथ चुनिंदा रूप से खुद को शामिल और संश्लेषित करते हैं (दुबे, 2010)।

**दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय**

भारतीय डायस्पोरा एक सामान्य शब्द है जो उन लोगों को संदर्भित करता है जो भारत गणराज्य की सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से चले गए हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीयों का प्रवास कोई नई घटना नहीं है। भारतीय प्रवासन पांच हजार साल से अधिक पहले से होता रहा है। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारियों ने व्यापार के लिए दुनिया भर की यात्रा की। गन्ने के खेतों और चाय बागानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, त्रिनिदाद और गुयाना जैसे देशों में चले गए अथवा भेज दिए गए। भारतीय डायस्पोरा वर्तमान में एनआरआई (अनिवासी भारतीय) और पीआईओ (भारतीय मूल के लोग) से बना लगभग 20 मिलियन की संख्या का समुदाय है (अल्वेस, 2007)।

अफ्रीकी देशों और भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक सम्बंध भारत के स्वयं के अफ्रीकी-एशियाई एकजुटता, गुटनिरपेक्षता, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और नस्लीय भेदभाव के मुद्दों से विकसित हुए। अफ्रीका में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों को भारतीय नीतियों में प्राथमिकता मिली। भारत के लिए अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा का मुद्दा काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की खोज और नेहरू के हस्तक्षेप ना करने के दृढ़ विश्वास से निर्देशित था कि अफ्रीका और तीसरी दुनिया के देशों में नवजात राज्यों के लिए एक सक्रिय प्रवासी नीति को बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाएगा और अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रतिकूल होगा (गुप्ता, 2013)।

भारतीय डायस्पोरा की प्रकृति तुलनात्मक रूप से बदलते अंतरराष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक परिवेश में उभर कर सामने आ रही है जिसमें आज़ादी से पूर्व के तत्वों के साथ-साथ स्वतंत्र भारत के बाद के नीतिगत तत्व शामिल हैं। आम तौर पर भारतीय डायस्पोरा और विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका की बदलती प्रकृति का तीन मोर्चों पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है जैसे: सामाजिक-आर्थिक आयाम जो भारतीय समुदाय की पहचान की ओर ले जाता है, राजनीतिक जागृति और इसकी पहचान और परंपरा का संघर्ष के विमर्श से उभरी भारतीय संस्कृति (लाल, 2007)।

**दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय: पृष्ठभूमि**

ऐतिहासिक रूप से भारत के लोग अन्य देशों की यात्रा करने से बहुत पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे ज्यादातर 1860 या इससे पहले खदानों और खेतों में काम करने गए थे। कुछ लोग व्यापार के लिए भी गए थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर मजदूर के रूप में गए और इन 100 वर्षों में वह स्थानीय समाज का हिस्सा बने। साथ ही उन्होंने भारत के साथ बहुत समृद्ध सांस्कृतिक जुड़ाव बनाए रखा है (विदेश मंत्रालय, 2017)। भारतीय मूल के लोग जो अब दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं, वह दक्षिण अफ्रीकी पहचान पर गौरवान्वित हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। भारतीय मूल के कई प्रख्यात राजनेता भी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय हैं।

प्रारंभिक प्रवासियों में से अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गए थे। 1880 के बाद भारतीयों की दूसरी खेप यहाँ आई। यह "यात्री भारतीय" थे- क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए जाने वाले जहाज पर यात्रियों के रूप में अपने किराए का भुगतान किया। यह मुख्यतः गुजरात के व्यापारियों का समुदाय था। दक्षिण अफ्रीकी भारतीय मूल के समुदाय की संख्या वर्तमान में लगभग 1.15 मिलियन है और दक्षिण अफ्रीका की 45.45 मिलियन की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5 प्रतिशत है। लगभग 80 प्रतिशत भारतीय समुदाय क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में रहता है, लगभग 15 प्रतिशत गौतेंग (पहले ट्रांसवाल) क्षेत्र में और शेष 5 प्रतिशत केप टाउन क्षेत्र में रहता है। क्वाज़ुलु-नताल में, भारतीय आबादी का प्रमुख केंद्र डरबन में है। डरबन तटीय क्षेत्र में चैट्सवर्थ, फीनिक्स, टोंगाट और स्टेंजर में भारतीय बस्तियों की सबसे बड़ी सांद्रता है जो भारतीय मूल के लगभग 500,000 समुदाय को समाहित करती है। पीटरमैरिट्सबर्ग, महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों के लिए विख्यात बासव की भारतीय समुदाय संख्या लगभग 200,000 है (मैथ्यूज, 2001)।

**रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका और पीआईओ**

1990 के दशक में रंगभेद की समाप्ति के बाद से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय में विशेष रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रंगभेद के बाद के युग में भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीकी समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ने की जबरदस्त गुंजाइश बनी है। रंगभेद के बाद की अवधि में दक्षिण अफ्रीका में चिंता इस बात पर है कि दक्षिण अफ्रीकी समाज में विभिन्न नस्लीय समूहों को पूरी सामाजिक व्यवस्था में कैसे शामिल किया जाना चाहिए। एक नए दक्षिण अफ्रीका के पुनर्निर्माण और मेल-मिलाप के लिए संघ आवश्यक है जहां अश्वेत, गोरे और एशियाई समुदाय के लोग समाहित हो सकें। रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में पीआईओ की स्थिति को समझने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्बंध में दक्षिण अफ्रीका में पीआईओ की राजनीतिक गतिशीलता को समझना होगा (पदयाची, 1999)।

सांस्कृतिक शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार करना, कलाकारों का आदान-प्रदान और प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान आदि दोनों देशों के बीच अक्सर होता रहता है। 4 दिसंबर 1996 को भारतीय और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (आईसीसीआर) ने दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से जुलाई 1995 में डरबन और जोहान्सबर्ग में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (आईसीसी) की स्थापना की (इंडिया टुडे, 2016)। इस प्रकार सांस्कृतिक संदर्भों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले भारतीय न केवल द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को मजबूत करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

**दक्षिण अफ्रीकी विदेश नीति में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका और महत्त्व**

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का एक अभिन्न अंग थे और लोगों को रंगभेद से मुक्त कराने में उनका योगदान था। एक पत्र में मंडेला ने लिखा, "... दक्षिण अफ्रीका में उनके 21 वर्षों के प्रवास में उन विचारों और संघर्ष के तरीकों का जन्म हुआ,

जिन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के इतिहास पर एक अतुलनीय प्रभाव डाला है (कमर, 2017)।" गांधी की तरह भारतीय मूल के अन्य लोगों ने भी प्रयास किए और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद पूर्वाग्रही शासन के खिलाफ लड़ने के कई तरीके खोजे। पिछले कुछ वर्षों में कई स्थानीय दलों के सामने आने के साथ दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। एक भारतीय राजनीतिक दल भी नियत प्रक्रिया में स्थापित किया गया था, जिसकी बाद में केवल भारतीय मुद्दों के बारे में बात करने के लिए आलोचना की गई थी। विशेष रूप से डरबन में और गुप्तों जैसे शीर्ष व्यापारिक लोगों के बारे में जिन्होंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जैकब जुमा को प्रभावित किया है। इससे आम भारतीय जनता को निशाना बनाया गया है। रंगभेद के बाद भारतीय प्रवासी देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में भारतीय आबादी का तीन प्रतिशत बहुत अच्छी तरह से स्थापित व्यवसायी वर्ग है। साथ ही एएनसी के तहत मौजूद मंत्रियों की संख्या वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है।

दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के मजबूत सम्बंध हैं जो पुराने समय से देखे जा सकते हैं जब कई भारतीयों जैसे डॉ यूसुफ मोहम्मद दादू, आयशा दाऊद, अमीना देसाई, अहमद कथराडा और फातिमा मीर आदि ने रंगभेद के खिलाफ अफ्रीकियों का समर्थन किया। भारतीय अप्रवासी गिरमिटिया मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन की शुरुआत में बहुत कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें सभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा तक पहुंच के लिए कई प्रतिबंध थे और वह सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी प्रतिबंधित थे जो गोरों के लिए आरक्षित थे जैसे समुद्र तट, रेस्तरां और रेलवे में विशेष श्रेणियां। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ कई अन्य कानूनी प्रतिबंध भी थे (रेड्डी, 2016)।

भारतीय प्रवासियों ने भेदभावपूर्ण प्रावधानों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में अश्वेत लोगों के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष किया। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का एक लंबा रिश्ता था, जो दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है। चीन और भारत अफ्रीकी महाद्वीप के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में अधिक संलग्न हैं। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय समझौते हुए। जुलाई 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका का दौरा किया है (सिन्हा, 2009)।

दक्षिण अफ्रीका के व्यापार और उद्योग विभाग के अनुसार भारतीय कंपनियों ने 2014 तक दक्षिण अफ्रीकी बाजार में 6 अरब डॉलर तक का निवेश किया है और आने वाले वर्षों में यह बढ़कर 7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका भारतीय बाजार में तीसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी निवेशक देश है जिसके पास 2014 के आंकड़ों के अनुसार 112 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्टॉक है। वर्तमान में भारत दुनिया में ऊर्जा की खपत के लिए पांचवें स्थान पर है और 2022 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय बड़े व्यापार स्तर पर अनुबंध के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि यह मौजूदा कनेक्शन अक्सर व्यापार के उद्देश्य और अवसर प्रदान करते हैं (indiainsouthafrica, n.d.)।

**भारत में प्रवासी भारतीयों का महत्व**

अब डायस्पोरा को ब्रेन ड्रेन संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाता है और भारतीय प्रवासी आज

दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत में शामिल हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय, उद्योग, उद्यम और शिक्षा में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही उनकी आर्थिक उपलब्धियों को व्यापक रूप से सराहा और पहचाना जाता है। यह लोग हमारे देश के विकास और 11 विभिन्न क्षेत्रों के विकास में अत्याधिक योगदान करते हैं (पाठक, 2003)।

प्रवासी भारती दिवस (पीबीडी) अफ्रीका कार्यक्रम 1-2 अक्टूबर 2010 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। विषय था 'भारत-अफ्रीका: पुलों का निर्माण' में डायस्पोरा की भूमिका। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रवीण जमनादास गोरधन ने व्यापार के अपार अवसरों के लिए उभरती विश्व व्यवस्था में अफ्रीका और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से भारत और अफ्रीका के बीच छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सहयोग के क्षेत्रों की चर्चा की। जब प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका गए, उन्होंने जोहान्सबर्ग में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया और भारत की सफलता की कहानी के बारे में बात की-"आज भारत की सफलता की कहानी को केवल चार अक्षरों "HOPE" से परिभाषित किया जा सकता है जहां 'H' का अर्थ 'सद्भाव' है, 'O ' का अर्थ 'आशावाद' है, 'P' का अर्थ है 'क्षमता' और 'E' का अर्थ 'ऊर्जा' है।" इन पहलों के माध्यम से भारत सरकार खुद को प्रवासी समुदाय के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और यह पेशकश कर रही है कि भारत में अब आर्थिक लाभ की अपार संभावनाएं हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की राह पर है और भारत को एक महाशक्ति बनने के लिए इसके निवेश और विशेषज्ञता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि "भारत ने इस वर्ष (2016) में 7.4% की स्वस्थ विकास दर दर्ज की, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक गतिमान स्थान पर हैं। यह एक परिवर्तन है जिसका लक्ष्य भारत के 1.25 अरब लोगों, इसके 500 शहरों और इसके 5.94 लाख गांवों का उत्थान करना है।" दक्षिण अफ्रीका एक पवित्र मातृभूमि है। यह मंडेला की भूमि और महात्मा गांधी की "कर्मभूमि" है। (इंडिया टुडे, 2016)।

**भारतीय प्रवासी और भारत के साथ इनके सम्बंध**

अन्य बड़े लंबे समय से स्थापित प्रवासी भारतीय समुदायों की तरह दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों का अपनी मातृ संस्कृति के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। रंगभेदी राज्य के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अपनी मातृभूमि के साथ सम्बंध विच्छेद के दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का शिकार होने के कारण उन्होंने राजनयिक, खेल, सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों की पुनर्स्थापना का गर्मजोशी से स्वागत किया है। कई सामुदायिक संगठन घनिष्ठ धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सम्बंध चाहते हैं। वह अपनी जड़ों को फिर से खोजने और पर्यटन और व्यापार के लिए भारत आने में रुचि रखते हैं। वह अन्य प्रवासी भारतीय समुदायों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए भी उत्सुक हैं, जिनके साथ रंगभेदी शासन के परिणामस्वरूप उनके सम्बंध भी प्रभावित हुए।

भारतीय समुदाय प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, डरबन और केप टाउन में भारतीय मिशनों द्वारा राष्ट्रीय दिवस के उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेता है। दिवाली डरबन के साथ-साथ लेनासिया, लॉडियम और अन्य क्षेत्रों में जहां भारतीय समुदाय रहते हैं, एक बड़े सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता है। बड़ी संख्या में सामुदायिक संगठन हैं जो अपनी सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं के प्रचार-प्रसार के लिए काम कर रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल का समुदाय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने में समुदायों में से एक है और अपने मूल देश के साथ मजबूत भावनात्मक और सांस्कृतिक बंधन के साथ मुक्ति संघर्ष में एक सम्मानजनक और स्वीकृत भूमिका का निर्वहन किया है। हालाँकि उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता हो सकती है लेकिन सभी अल्पसंख्यकों की तरह उन्हें दक्षिण अफ्रीकी होने पर गर्व है।

**दक्षिण अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा की पहचान: मुद्दे और चुनौतियां**

**मुद्दे -** पहचान निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। पहले से ही स्थापित तथ्य के रूप में पहचान के बारे में सोचने के बजाय हमें बदलाव के साथ एक स्थाई लेकिन गतिशील अस्तित्व के रूप में पहचान के बारे में सोचना चाहिए जो कभी भी स्थिर नहीं होता है। पहचान निर्माण की प्रक्रिया लंबी खींची जाती है और डायस्पोरा के मामले में यह मेजबान देश के समाज के भीतर प्रवासी भारतीयों को स्वीकृति प्राप्त करने में मदद करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पहचान निर्माण के तीन प्रमुख पहलू हैं: -

सांस्कृतिक पहचान निर्माण: सांस्कृतिक पहचान, पहचान निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ज्यादातर मामलों में प्रवासी अपने सांस्कृतिक विश्वासों और प्रथाओं को नए समाज में लाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह प्रवासी और मेजबान देश के नागरिकों के बीच टकराव के बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भिन्नताओं के मामले में डायस्पोरा को एक नई सेटिंग में समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जबरन डायस्पोरा के मामले में विखंडन और अलगाव प्रवासी भारतीयों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं जो अपनी मर्जी से चलते हैं। प्रवासी भारतीयों के उचित स्वीकार्यता में पहचान की हानि एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है (सिन्हा, 2009)।

सामाजिक पहचान निर्माण: सामाजिक परिप्रेक्ष्य से प्रवासी पहचान निर्माण का विचार महत्व प्राप्त करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने सामाजिक लक्षणों के सम्बंध में कितने सरेखित या विपरीत हो सकते हैं, उन्हें मेजबान देशों के सामाजिक रीति-रिवाजों को समायोजित करने और सम्मान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए विकसित देशों में रिश्तों और रिश्तेदारी के विचार को शिथिल रूप से परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि एक विकासशील राष्ट्र से आने वाला व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से अत्यधिक जुड़ा हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में यह अप्रवासी के लिए एक कठोर आघात के रूप में आ सकता है इसलिए उसे अपने समाज और मेजबान देश के बीच मौजूद मतभेदों की तीक्ष्णता कम करने की कोशिश करनी होगी।

आर्थिक पहचान निर्माण: आर्थिक पहचान, पहचान निर्माण के सबसे दृश्यमान पहलुओं में से एक है। एक विशेष प्रवासी ऐतिहासिक कारकों और मजबूर फैलाव के कारण एक विशेष व्यापार से संबंधित है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के वर्तमान समय में प्रवासी मेजबान देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ अपनी मातृभूमि की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। वह दिन गए जब कुछ जातियों को केवल शारीरिक श्रम के स्रोत के रूप में देखा जाता था। आजकल कोई भी सक्षम व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से की यात्रा कर सकता है और व्यवसाय स्थापित कर सकता है या रुचि के पेशे को अपना सकता है।

**चुनौतियां**

पहचान निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी घटना से जहां डायस्पोरा की सांस्कृतिक विचारधारा एक नागरिक की भावनाओं को आहत कर सकती है। कुछ राज्य डायस्पोरा के एक विशेष वर्ग की धार्मिक प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं तो पहचान निर्माण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सही तरीका यह होगा कि इन चुनौतियों की समग्र रूप से जांच की जाए न कि टुकड़ों में। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये कठिनाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और इनके व्यापक निवारण की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने में विफलता प्रवासी भारतीयों की अपनी पहचान बनाने और मेजबान देश के समाज में एकीकरण और एकीकरण के अवसरों की तलाश करने के लिए हानिकारक होगी।

ए) प्रारंभिक चुनौतियां- जिस समय से प्रवासी नए देश को वास्तविक आगमन के लिए अपना घर बनाने का फैसला करते हैं तो पहचान निर्माण की अवधारणा प्रवासी लोगों के दिमाग में होती है। वह मेजबान देश में लोगों के रवैये को आंकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मेजबान देश के मूल नागरिकों के दृष्टिकोण से अप्रवासियों की कथित पहचान को अक्सर साहित्य और अप्रवासियों के समाज के साथ उनके पिछले अनुभवों के माध्यम से आकार दिया जाता है। डायस्पोरा के स्वागत की प्रकृति डायस्पोरा के पहचान लक्षणों की सकारात्मक/नकारात्मक समझ पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए रोमानिया के लोगों का अधिकांश यूरोपीय समाजों में स्वागत नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें दु:ख, गरीबी के साथ समरूपता दी जाती है और उन्हें केवल छोटे कामों के लिए उपयुक्त माना जाता है।

बी) सरकार का रवैया- सरकार का रवैया और नीतियां भी प्रवासी भारतीयों की पहचान बनाने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करती हैं। यदि सरकार अप्रवासियों की उद्यमशीलता की भावना पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाती है और अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरह से तैयार करती है जो प्रवासी के आर्थिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को विफल करती है तो अंतिम परिणाम मोहभंग होगा। साथ ही यह प्रवासी भारतीयों की एक प्रतिकूल पहचान को भी जन्म देगा। पहचान निर्माण की प्रक्रिया में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है कि क्या डायस्पोरा को 'अन्य' के रूप में माना जाता है या खुले हाथों से स्वागत किया जाता है? (कमर, 2017)।

**भारत के लिए निहितार्थ**

भविष्य की नीति को आकार देने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अनिवार्य हो सकती है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के विभिन्न तरीके हैं: - भारतीय मिशनों को न केवल अफ्रीका में व्यापार करने वाले लोगों के साथ बल्कि देशव्यापी संघों के साथ भी नियमित बैठकें करनी चाहिए। भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस, नमस्कार अफ्रीका भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अच्छे मंच हैं (गुप्ता, 2013)। भारतीय प्रवासी युवाओं के साथ अधिक संवाद और बैठकें होनी चाहिए। युवा पीढ़ी को अधिक अवसर देने होंगे। वह भविष्य के नेता हैं और यह नई परियोजनाओं के लिए नए विचार देगा। भारत को युवा पीढ़ी पर ध्यान देना चाहिए और छात्रवृत्तियां बढ़ानी चाहिए। जब युवा भारत में रहते हैं और विभिन्न व्यवसायों के लिए अध्ययन करते हैं तो वह स्वतः ही भारत के साथ भावनात्मक

जुड़ाव विकसित कर लेते हैं। इससे उन्हें 'भारतीय' महसूस करने और भारत के साथ अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद मिलती है।

अफ्रीका में भारतीय मिशनों में उन सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए जो दोनों समुदायों, एनआरआई और पीआईओ दोनों के प्रति खुले विचारों वाले हों ताकि दोनों भारतीय समुदायों के बीच एक सेतु का काम कर सकें। भारत सरकार से परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता अपेक्षित है। खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देकर और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग को तेज करके), और सुरक्षा सहयोग (जैसे भारत हिंद महासागर के पानी को अफ्रीका के साथ साझा करता है) जैसे प्रवासी सहयोग के नए रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें। आतंकवाद, समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने आदि से संबंधित मुद्दे बहुत चिंता का विषय हैं। भारत सरकार द्वारा पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं - अफ्रीका में 30 देशों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, और 2022 तक अफ्रीका में 18 नए मिशनों का वादा किया गया है। यह सभी उपाय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे।

**निष्कर्ष**

भारत सरकार ने बेहतर सुविधाओं और प्रवासी भारतीयों को लाभान्वित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई), एनआरआई के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, भारत की प्रवासी नागरिकता योजना, भारत को जानें कार्यक्रम, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम और भारत समुदाय कल्याण कोष। इसके अलावा भारत सरकार ने पीआईओ (भारतीय मूल के लोग) कार्ड धारकों को इसे ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है और भारत के बाहर रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं के लिए कौशल विकास 'प्रवासी कौशल विकास योजना' शुरू करने की घोषणा की है। कार्ड पीआईओ (भारतीय मूल के लोग) 2002 में उन विदेशी राष्ट्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया जो भारतीय मूल के साथ कम से कम तीसरी पीढ़ी के सम्बंध स्थापित कर सकते थे। यह 15 साल की अवधि के लिए भारत में यात्रा, काम और रहने के लिए सहायक था। 2005 में OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड लागू किया गया। यह पीआईओ कार्ड धारकों की तुलना में अधिक लचीला विकल्प प्रदान करता है और धारक के जीवन काल तक वैध रहता है।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उपकरण के रूप में उभरे हैं। डायस्पोरा न केवल एक राष्ट्र का विकास करता है बल्कि अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि भारत सरकार अब पीआईओ की सफलता और गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं है क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अपने भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को बनाए रखा है। सरकार ने समुदाय की सफलता की कहानियों को भी मान्यता दी है। साथ ही भारतीय देश के विकास के लिए जो सहायता प्रदान करते हैं उसकी अत्यधिक सराहना की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका और योगदान महत्वपूर्ण है।

## संदर्भ सूची

दुबे, अजय (2004). "इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा इन फ्रैंकोफोन अफ्रीका: ए विंडो फॉर इंडो-फ्रेंच कोऑपरेशन", सेमिनार पेपर, नई दिल्ली, आईसीडब्ल्यूए, 20 नवंबर।

दुबे, अजय (2010). 'अफ्रीका में भारतीय प्रवासी: विविधता और चुनौतियां' दुबे, अजय (सं.). अफ्रीका में भारतीय प्रवासी: एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली: एमडी प्रकाशन।

अल्वेस, फिलिप (2007). "इंडिया एंड साउथ अफ्रीका: शिफ्टिंग प्रायोरिटी", साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, वॉल्यूम 14: 2.

गुप्ता, आर.के. (2013). 'इंडियन डायस्पोरा एज़ नॉन-स्टेट एक्टर इन प्रमोशन ऑफ इंडिया-अफ्रीका पार्टनरशिप' जर्नल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्टडीज, वॉल्यूम चतुर्थ (1), जून।

लाल, ब्रिज, वी. (2007). भारतीय डायस्पोरा का विश्वकोश, सिंगापुर: संस्करण डिडिएर मिलेट्स।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "डायस्पोरा एंगेजमेंट", www.gov.in/diaspora_engagement.htm पर उपलब्ध (31/08/2017 को एक्सेस किया गया)

मैथ्यूज, के. (2001). "इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका", वर्ल्ड फोकस, 22(3)।

पदयाची, वी (1999). "संघर्ष, सहयोग और लोकतंत्र, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय 1860-1999", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, फरवरी 13।

इंडिया टुडे (2016, 8 जुलाई). जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी: भारत की सफलता को 4 अक्षरों में परिभाषित किया जा सकता है, HOPE", द इंडिया टुडे । http://indiatoday.intoday.in/story/pm-narendramodi-addresses-indian- पर उपलब्ध है । डायस्पोरा-इन-जोहान्सबर्ग/1/710848.html (31/08/2017 को एक्सेस किया गया)

कमर, मुदब्बीर (2017). रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद साउथ अफ्रीका इन इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, खंड 7, अंक II, नवंबर।

रेड्डी, ई.एस. (2016). अफ्रीकियों पर गांधी के कुछ प्रारंभिक विचार नस्लवादी थे। लेकिन वह महात्मा बनने से पहले की बात है, द वायर।

सिन्हा, नेहा (2009). अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा का एक अवलोकन: भारत के लिए निहितार्थ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल का समुदाय, यहां उपलब्ध है: www.indiainsouthafrica.coml

पाठक, विधान (2003). "दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासी", अफ्रीका त्रैमासिक, वॉल्यूम 43(1), नई दिल्ली, आईसीसीआर।

# नई शिक्षा नीति 2020: ड्रॉपआउट दर एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच

**डॉ. शिखा बनर्जी***
**डॉ. देवी प्रसाद सिंह****
**डॉ. मारिया जोसफिन ए.एम.एस.*****

**सारांश**

सरकार द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित की गई नई शिक्षा नीति-2020 भारत में शिक्षा के विकास में निश्चय ही मील का पत्थर साबित होगी। यह नीति व्यापक, समग्र एवं दूरदर्शी है और राष्ट्र के भविष्य के विकास में निश्चित रूप से एक महान भूमिका निभाएगी। यह नीति एक समग्र शिक्षार्थी केन्द्रित, लचीली व्यवस्था प्रणाली पर जोर देती है जो भारत को एक जीवंत ज्ञान वाले समाज में बदलने का प्रयास करती है। यह नीति विश्व मे शिक्षण–अधिगम की दुनिया में सबसे अच्छे विचारों और परम्पराओं को स्वीकार करने के साथ-साथ भारत की जड़ों से जुडी हुई एवं उसके गौरव को भी पल्लवित करती है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य दो करोड़ बच्चों (आउट–ऑफ़–स्कूल ) को स्कूल प्रणाली में लाना और विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना है। ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। पाठ्यक्रम के बोझ में कमी, व्यावसायिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित जैसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो नई शिक्षा नीति में शामिल किये गए हैं। इसके साथ ही छात्र बहुत अधिक सशक्त होंगे और उनके पास उन विषयों को चुनने का अवसर होगा जो वह सीखना चाहते हैं। वास्तव में हर शिक्षा नीति अपने आप में विशिष्ट है, परन्तु क्रियान्वयन के स्तर तक आते-आते उसकी मूल भावना लगभग समाप्त हो जाती है और सिर्फ एक खानापूर्ति रह जाती है। इस शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि विद्यालयों में ड्रॉपआउट तथा आउट-ऑफ़–स्कूल बच्चों की वर्तमान स्थिति क्या है? कैसे यह नीति लागू हो पायेगी? किस स्तर तक इसमें सफलता मिल सकेगी? तथा क्या शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच हो पायेगी?

**बीज शब्द :** नई शिक्षा नीति 2020, सार्वभौमिक पहुँच, ड्रॉपआउट, आउट ऑफ़ स्कूल ,व्यावसायिक शिक्षा।

## प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति- 2020, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रसिद्ध कथन–'वेदों की और लौटो' को चरितार्थ करती हुई प्रतीत होती है (आज तक, फरवरी 2020)। भारत अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, भाषा एवं परम्परा को जीवित करके पुन: विश्व प्रतिष्ठा को वापस पाने का प्रयास नई शिक्षा नीति के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है। यह नीति व्यक्ति की पूर्ण क्षमता का विकास करके एक जीवंत ज्ञान वाले

* सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
** सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
*** सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

समाज में परिणित करने का स्वप्न देखती है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। यह शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ओतप्रोत है जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चरित्र निर्माण, मूल्यों का विकास तथा मानव की नैसर्गिक क्षमताओं का विकास आदि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसके साथ ही युवाओं को जागरूक, सक्षम एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर एक सशक्त समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है (विकिपीडिया, नवम्बर 2021)।

शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्धि, प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोतम विकास और संवर्धन किया जा सकता है। मानव की पूर्ण क्षमता का विकास करने के लिए मूलभूत आवश्यकता शिक्षा है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। भारत में शिक्षा को एक बड़े बदलाव की जरूरत है (मेनन, 2020)। नई शिक्षा नीति-2020 उन सभी साधनों के बारे में बताती है जिससे अध्ययन के लिए सही विषय संयोजन का चयन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रारंभिक अवस्था में परिचय, परीक्षा में परिवर्तन/मार्किंग पैटर्न, टैलेंट के हिसाब से बहुत अधिक सीखने पर फोकस आदि। इस प्रयास से लोगों को सही स्थान प्राप्त हो सकेगा (कल्याणी पी, 2020)। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। उच्च शिक्षा में देश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के लिए जी0ई0आर0 में सुधार करना सरकार के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है (बी.वेंकटेश्वरलु, 2021)। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के स्कूलों में सर्वाधिक ड्राप आउट दर असम में दर्ज की गयी है (द इंडियन एक्सप्रेस, फरवरी 2020)। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था कि सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें तथा वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाये रखना। सर्व शिक्षा अभियान (2000), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2010) ने बच्चों को स्कूल मे वापस लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके बावजूद शत-प्रतिशत नामांकन एवं जीरो ड्राप आउट दर को प्राप्त नहीं किया जा सका है। कुछ राज्यों में कक्षा 9 और 10 में ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है (राधिका, 2020)।

**नई शिक्षा नीति-2020 :** ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना (विशेष बिंदु)-

- इस नीति के प्राथमिक लक्ष्यों में यह सुनिश्चित करना कि बच्चों का स्कूल में नामांकन शत-प्रतिशत हो तथा वह नियमित रूप से विद्यालय जाये।
- प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् विशेष रूप से कक्षा 8 वीं के बाद छात्रों के स्कूल में बने रहने एवं ठहराव को सुनिश्चित करना। 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करना। इन बच्चों को पुन: शिक्षा प्रणाली में वापस लाना।
- यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों की विद्यालय में वापसी हो सके एवं आगे की पढ़ाई हेतु या आगे के बच्चों को ड्रॉपआउट से रोका जा सके।
- बच्चों को प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 वीं तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूल शिक्षा प्राप्त हो सके।

- प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा यह सुनिश्चित किया जाये की स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो।
- मौजूदा विद्यालयों का उन्नयन और विस्तार करके तथा जहाँ विद्यालय नहीं हैं, वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता वाले स्कूल निर्मित होंगे ताकि सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता पुन: स्थापित की जा सके।
- छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों की व्यवस्था की जाएगी जिससे बालिकाओं को सुरक्षित एवं व्यावहारिक पहुँच प्रदान की जा सके।
- प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिये समाज के नागरिक के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
- स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके, उनके सीखने के स्तर पर नजर रखी जाएगी। जो बच्चे पिछड़ गए हैंउन्हें पुन: मुख्य धारा में वापस लाने के लिए सभी पर्याप्त सुविधाए दी जायेंगी।
- प्रशिक्षित शिक्षकों एवं कार्मिकों की भर्ती विद्यालयों में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावकों के साथ कार्य कर सकें एवं नियमित उपस्थिति एवं सिखाने की गति को सुनिश्चित कर सकें।
- दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य और जिला स्तर पर जुड़े विभिन्न संगठन/कार्यकर्ता /अधिकारी विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से पूरा करेंगे।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर देते हुए उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए (NIOS) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग तथा राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग (ODL) कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों, साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत वैज्ञानिकों, सरकारी एवं अर्धसरकारी कर्मचारियों, शिक्षाविदों का एक डाटाबेस तैयार कर सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
- अधिगम की गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूलों में एक-एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ साक्षरता आदि को शामिल किया गया है (नंदिनी, जुलाई 2020)।

**स्कूल शिक्षा संरचना**

नई शिक्षा नीति 2020 में पाठयक्रम एवं शिक्षण शास्त्रीय ढाचें में परिवर्तन किया गया है। यह ढांचा 10+2 की जगह पर 5+3 +3 +4 को रखा गया है। इस ढाँचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल करके प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा (ई सी सी ई ) को शामिल किया गया है एवं ई सी सी ई को मजबूती प्रदान करने की बात कही गयी है। 3 से 8 वर्ष तक की फाउन्डेशनल स्टेज जिसमें आंगनबाड़ी/प्री स्कूल के 3 साल + प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल , प्रिपेरटरी स्टेज कक्षा 3 से 5 तक होगी जिसमे 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे, मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के 11 से 14 वर्ष के बच्चे तथा सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के 14 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे (नई शिक्षा नीति-2020)।

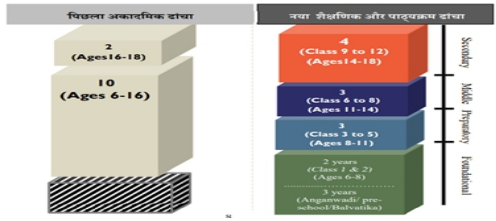


चित्र 1 : एन ई पी 2020 के अनुसार विद्यालयीन ढांचा

**शोध प्रश्न**

1. क्या नई शिक्षा नीति-2020 कक्षा 8वीं के बाद विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को पुन: मुख्य धारा में वापस ला पायेगी?
2. क्या नई शिक्षा नीति-2020 अगले 10 वर्षों मे प्रत्येक स्तर (ग्रामीण / शहरी ) पर अधोसंरचना स्थापित कर पाएगी?
3. क्या नई शिक्षा नीति-2020 द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों एवं कार्मिकों की भर्ती हो पायेगी?
4. क्या नई शिक्षा नीति-2020 छात्रों की मुलभूत शिक्षा संबंधी सुविधाओ को पूरा कर पाएगी?
5. क्या नई शिक्षा नीति-2020 छात्रों को व्यावसायिक स्तर पर सक्षम बना पायेगी?

**शोध विधि**

प्रस्तुत अध्ययन हेतु गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित अध्ययन किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण हेतु द्वितीयक स्रोत का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोत पर आधारित आंकड़ो द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्लेषण करके शोध प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न किया गया है ।

**विश्लेषण**

उपरोक्त शोध प्रश्नों का विश्लेषण भारत सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जारी किये गए आंकड़ों की सहायता से किया गया है। वैसे तो भारत ने हाल के वर्षो में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। परन्तु जैसे-जैसे उच्च कक्षाओं में जाते हैं नामांकन की दर घटती जाती है।

**तालिका 1: सकल नामांकन दर (जीईआर)-2015-16**

| स्तर | बालक | बालिका | कुल |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक (I-V) | 97.9 | 100.7 | 99.2 |
| उच्च प्राथमिक (VI-VIII) | 88.7 | 97.6 | 92.8 |
| बेसिक ( I-VIII) | 94.5 | 99.6 | 96.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सेकेंडरी (IX-X) | 79.2 | 81.0 | 80.0 |
| सीनियर सेकेंडरी (XI-XII) | 56.0 | 56.4 | 56.2 |
| उच्च शिक्षा | 25.4 | 23.4 | 24.5 |

स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली और उच्च शिक्षा विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका-1 के अनुसार 2015-16 में प्राथमिक स्तर पर नामांकन बालक 97.9% एवं 100.7% बालिका तथा कुल 99.2% रहा। उच्च प्राथमिक में नामांकन बालक 88.7% बालिका 97.6% तथा कुल 92.8% रहा। बेसिक एलीमेंट्री स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक नामांकन दर बालक 94.5% एवं बालिका 99.6% तथा कुल 96.9% रहा। सेकेंडरी स्तर पर नामांकन दर बालक 79.2% बालिका 81.0% तथा कुल 80% रहा। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन दर बालक 56% बालिका 56.4% तथा 56.2% रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर कक्षाओं में नामांकन दर प्राथमिक में जो 99.2% तथा सेकेंडरी स्तर पर 80% तथा सीनियर सेकेंडरी स्तर तक आते-आते 56.2% हो गया है। अतः स्पष्ट है कि आगे की कक्षाओं में आते-आते नामांकन क्रमशः कम होता गया है। इसी गैप को कम करने या भरने के लिए NEP-2020 मे कई प्रावधान किये गए हैं।

नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर को स्कूल शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। ई सी सी ई को मजबूती प्रदान की जाएगी। माध्यमिक स्तर की शिक्षा को रूचि पूर्ण बनाने के लिए, छात्रों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे साइंस सर्किल, मैथ सर्किल, म्यूजिक परफॉरमेंस सर्किल, चेस सर्किल, पोएट्री सर्किल, लैंग्वेज सर्किल, ड्रामा सर्किल, स्पोर्ट्स सर्किल, ईको क्लब, योग क्लब आदि विकसित किये जायेंगे। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक विषयों को चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा एवं इंटर्नशिप दी जाएगी। पाठयक्रम को लचीला बनाया जायेगा। छोटे -छोटे कोर्स एवं ब्रिज कोर्स रखे जायेंगे। छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान एवं विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक कला, व्यावसायिक शिल्प ,कृषि ,उद्यमिता आदि को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय विशेषज्ञ को प्रशिक्षक के रूप में रखा जायेगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा-व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस प्रयास किया जायेगा। नई शिक्षा नीति में 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त कर सकेगी।

**तालिका 2: औसत वार्षिक गिरावट दर -2014-15**

| स्तर | बालक | बालिका | कुल | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक (I-V) | 4.36 | 3.88 | 4.13 | 6.3 |
| उच्च प्राथमिक (VI-VIII) | 3.49 | 4.60 | 4.03 | 5.6 |
| सेकेंडरी (IX-X) | 17.21 | 16.88 | 17.06 | ---- |
| सीनियर सेकेंडरी (XI-XIII) | 0.25 | ----- | ----- | ----- |

**स्रोत:** राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली और उच्च शिक्षा विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार.यू- डीआईएसई

तालिका-2 के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 के दौरान प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर 4.13% तथा उच्च प्राथमिक स्तर में 4.03% रहा जो कि सेकेंडरी स्तर पर बढ़कर 17.06 % हो गया तथा 2016-17 में प्राथमिक स्तर पर 6.3% उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.6% है। 2016-17 के अनुसार प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर मे जाने की दर (ट्रांजीशन रेट ) 88.5 % है तथा एलीमेंट्री स्तर से सेकेंडरी स्तर पर जाने की दर 90.3% है। अत: विद्यार्थी कक्षा में नामांकन तो दर्ज कराते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। प्राथमिक स्तर पर रिटेंशन रेट 84.1% एवं एलीमेंट्री स्तर पर यह 70.6% रह जाती है। सेकेंडरी स्तर पर रिटेंशन दर 55.5% है जो लगातार घटती जा रही है, यह चिंताजनक है।

ड्राप आउट को रोकने के लिए नई शिक्षा नीति में अनेक प्रावधान किये गए हैं। फाउन्डेशनल स्तर की 5 वर्ष की शिक्षा को खेल-खेल, कहानी, रोचक एक्टिविटी के माध्यम से रुचिपूर्ण एवं लचीला बनाया जायेगा। भाषाई अवरोध को दूर करने के लिए स्थानीय एवं मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा को घर तक पहुंचाने के लिए दूरवर्ती माध्यमों का उपयोग किया जायेगा। रोचक पाठयक्रम, गेम एवं पहेलियों को शामिल किया जायेगा। छुट्टियों के दौरान बच्चों को व्यावसायिक विषयों को समझने के अवसर उपलब्ध कराए जायेंगे। विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए सामान्यतया पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित एवं गणितीय चिंतन पर विशेष जोर दिया जायेगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को लकड़ी का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी का काम आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। बच्चों में कुपोषण एवं अस्वस्थता को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति में विशेष व्यवस्था की गयी है। सुबह एवं दोपहर के भोजन के पौष्टिक नाश्ता, भोजन, फल, गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना आदि उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही हेल्थ कार्ड एवं टीकाकरण की पूर्ण व्ययस्था की जाएगी।

**तालिका 3 : विद्यालयों की आधारभूत संरचना और सुविधाएं**

| क्रं. | अधोसंरचना एवं सुविधाएं | एलीमेंट्री स्तर % | सेकेंडरी स्तर % |
|---|---|---|---|
| 1. | विद्यालय जहाँ केवल एक कक्षा है। | 4.3 | NA |
| 2. | विद्यालय जहाँ हर शिक्षक के लिए एक कक्षा है। | 65.8 | NA |
| 3. | पीने के पानी की सुविधा है(नल चालू हालत मे ) | 89.9 | 92.3 |
| 4. | लडकों के लिए अलग शौचालय | 92.5 | 95.5 |
| 5. | लडकियों के लिए अलग शौचालय | 94.4 | 96.7 |
| 6. | साफ-सफाई की सुविधाएं (हाथ धोने की,पीने के पानी एवं शौचालय की व्यवस्था) | 53.8 | 67 |
| 7. | विद्यालय जहाँ ICT की सुविधा है | NA | 32.5 |
| 8. | चालू हालत में कंप्यूटर | NA | 36.8 |
| 9. | एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला | NA | 46.5 |

स्रोत: यू-डीआईएसई, एनआईईपीए (2016-17)

तालिका-3 से स्पष्ट है कि अभी भी एलिमेंटरी स्तर मे 4.3% विद्यालय एक ही कक्षा में चल रहे हैं तथा 65.8% ऐसे विद्यालय हैं जिसमें हर शिक्षक के लिए एक कक्षा है। विद्यालयों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। विद्यालयों में शौचालय तो बने हैं पर उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ-साथ साफ-सफाई की सुविधाएं जैसे हाथ धोने की, शौचालय की साफ़-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 32.5% सेकेंडरी स्तर के विद्यालयों में ही ICT लैब की सुविधा है तथा 36.8% विद्यालयों के कंप्यूटर चालू हालत में है तथा 46.5% विद्यालयों में ही सिर्फ एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालयों में अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं की कमी है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों की आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। यह नीति केंद्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षा निवेश बढ़ाने के लिए पर्याप्त बढ़ावा देने के लिए जोर देती है। जहाँ विद्यालयों की कमी है वहां गुणवत्तापूर्ण विद्यालय स्थापित किये जायेंगे। बालिका छात्रावासों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। ICT की सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। विज्ञान प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाया जायेगा। स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराए जायेंगे। सभी घरों एवं विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा जिससे सभी विद्यार्थी स्मार्ट फ़ोन, टेबलेट के माध्यम से जुड सकें। स्कूल चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास विकसित करेंगे ताकि डिजिटल रूप से शिक्षण कार्य का उपयोग हो सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल परिसर में ही दिए जा सकेंगे। ब्रिज कोर्स एवं अल्प अवधि के कोर्स शुरू किये जायेंगे जिससे पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले विद्यार्थी पुन: स्कूल शिक्षा में वापस आ सकेंगे।

**तालिका 4 : महिला शिक्षकों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता**

| सं. | शिक्षकों की उपलब्धता | एलीमेन्ट्री स्तर % | सेकेंडरी स्तर % |
|---|---|---|---|
| 1. | विद्यालयों मे उपलब्ध महिला शिक्षक | 48.2 | 42.3 |
| 2. | विद्यालय जहाँ महिला शिक्षक नहीं हैं | 28.8 | 9.9 |
| 3. | छात्र-शिक्षक अनुपात | 24.1 | 27.1 |
| 4. | विद्यालय जहाँ प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं | 18.5 | 13.2 |

स्रोत: यू-डीआईएसई, एनआईईपीए (2016-17)

तालिका-4 से स्पष्ट है कि महिला शिक्षकों की कमी 28.8% एलिमेंटरी स्तर पर एवं 9.9% सेकेंडरी स्तर पर है। इसके साथ ही एलिमेंटरी स्तर पर 18.5% विद्यालयों मे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी तथा सेकेंडरी स्तर पर 13.2 % प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। आंकड़ों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वृहद स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों कि कमी को पूरा किया जाना है। भारत सरकार यदि प्रतिबद्ध है तो निश्चित ही इस कमी को पूरा किया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 रखा गया है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र-शिक्षक का अनुपात 25:1 से कम रखा जायेगा जिससे प्रत्येक छात्र की गुणवत्ता जांची जा सके। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों (बुनियादी, प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक और माध्यमिक) के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक होगी एवं यह निजी विद्यालयों में भी लागू किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त शिक्षकों के पदों को अनिवार्य रूप से भरा जायेगा तथा नयी नियुक्तियां भी की जाएँगी।

**तालिका 5 : उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों में नामांकन का प्रतिशत: 2015-16**

| सं. | स्नातक स्तर पर विषय | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान | 40.08 |
| 2. | इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी | 15.57 |
| 3. | विज्ञान | 16.04 |
| 4. | वाणिज्य | 14.14 |
| 5. | शिक्षा | 2.61 |
| 6. | चिकित्सा विज्ञान | 3.30 |
| 7. | आईटी और कंप्यूटर | 2.50 |
| 8. | प्रबंधन | 1.9 |
| 9. | कानून | 1.20 |
| 10. | कृषि | 0.67 |
| 11. | ओरिएंटल लर्निंग | 0.37 |
| 12. | अन्य | 1.62 |
| | कुल | 100.0 |

स्रोत: उच्च शिक्षा विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका-5 से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों द्वारा कुछ विषय ही चुने जाते हैं। जिन विषयों को विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है वह कौशल आधारित नहीं होते हैं तथा विद्यार्थियों द्वारा कुछ ही विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। जिन विषयों को प्राथमिकता दी जाती है उन विषयों में ही व्यवसाय एवं नौकरी की ज्यादा संभावनाएं दिखाई देती है परन्तु सभी विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन का अवसर नहीं मिल पा रहा है।

नई शिक्षा नीति में इन्हीं बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से 8 तक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार बढ़ई का काम, बागवानी, कुम्हार का काम, मिट्टी के सामान बनाना, बिजली का काम, व्यावसायिक शिल्प, धातु का काम आदि सीख पायेगा तथा कार्य में निपुणता के साथ कौशल भी प्राप्त करेगा जिससे भविष्य में कौशल आधारित शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन कर सकेगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम एनसीएफएसई 2020-21 के माध्यम से एनसीईआरटी द्वारा डिज़ाइन किया जायेगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक दस दिन के बस्ता-रहित पीरियड में भाग लेंगे जहाँ वह स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

**निष्कर्ष**

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करती है तथा जनसंख्या का अधिकतम भाग कृषि, मजदूरी और छोटे-मोटे व्यवसाय पर निर्भर है। कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के परिवारों में परिवार का हर सदस्य कृषि कार्य मे सहयोग करता है। परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने मे सहयोग देता है। ऐसी स्थिति में ड्राप आउट बच्चों को वापस लाना एक कठिन कार्य है। अगर यह सोचा जाये कि उन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से जोड़कर उस कमी को पूरा किया जायेगा तो उसमे भी संसाधनों की अनुपलब्धता जैसे ख़राब इन्टरनेट, स्मार्ट फ़ोन, लैपटॉप एवं कंप्यूटर का न होना एक बड़ी समस्या है। विद्यालयों की आधारभूत संरचना को दुरुस्त करना प्रशिक्षित शिक्षकों, संसाधनों, अधोसंरचना की कमी को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। नई शिक्षा नीति-2020 द्वारा इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। 2030 तक ईसीसीई से सेकेंडरी शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं 100 % जीईआर किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 2 करोड़ बच्चों को स्कूल शिक्षा में वापस लाने के लिए प्रत्येक घर एवं स्कूलों को इन्टरनेट से जोड़ा जायेगा। प्री-प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है। विद्यार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को लिया जायेगा। स्थानीय भाषा एवं स्थानीय कलाकारों एवं कर्मियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। रूचि पूर्ण कौशल आधारित शिक्षा से विद्यार्थी अवश्य लाभान्वित होंगे। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से सभी को जीविकोपार्जन में सहायता मिलेगी जिससे आर्थिक संबल प्राप्त हो सकेगा।

## सन्दर्भ सूची


जन्मदिन विशेष महर्षि दयानंद सरस्वती: वेदो की ओर लौटो, (2015). आज तक से उद्धृत।
https://www.aajtak.in/education/story/10-facts-about-dayananda-saraswati-on-his-birth-anniversary--289051-2015-02-

स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और दर्शन। (2021, 28 नवंबर). से उद्धृत।
https://en.wikipedia.org/wiki/Teachings_and_philosophy_of_Swami_Vivekanad

मेनन, शरया (2020). भारत में शिक्षा को एक बड़े बदलाव की जरूरत है.आई.डी.आर. से उद्धृत।
https://www.indiastat.com/education-data/6370/student-flow-rates/1261352/drop-out-rate/366820/stats.aspx.

कल्याणी, पी. (2020). भारतीय शिक्षा प्रणाली के भविष्य और हितधारकों पर इसके प्रभावों के विशेष संदर्भ के साथ एनईपी 2020 [राष्ट्रीय शिक्षा नीति] पर एक अनुभवजन्य अध्ययन. जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेएमईआईटी), वॉल्यूम 7, अंक 5, अक्टूबर 2020.

बी, वेंकटेश्वरलू. ( 2021). एनईपी 2020 एक महत्वपूर्ण अध्ययन: मुद्दे, दृष्टिकोण, चुनौतियां, अवसर और आलोचना.इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 10, अंक 2 (5).

द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज सर्विस (2020, 06 फरवरी). नंबर बता रहे हैं: प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में, असम में सबसे ज्यादा ड्रॉपआउट दर, , नई दिल्ली, से उद्धृत।

https://indianexpress.com/article/explained/telling-numbers-in-primary-and-secondary-schools-dropout-rates-highest-in-assam-6253181/

आर.,राधिका (2020, 5 फरवरी). कुछ राज्यों में कक्षा 9 और 10 में ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है. एमएचआरडी, करियर 360. से उद्धृत।

https://news.careers360.com/dropout-rates-increasing-in-classes-9-and-10-in-some-states-mhrd.

नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020). नई शिक्षा नीति 2020 हाइलाइट्स: बड़े बदलाव देखने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा.हिंदुस्तान टाइम्स. से उद्धृत।

New Education Policy 2020 Highlights: School and higher education to see major changes - Hindustan Times

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति. (2021,18 नवंबर). से उद्धृत।

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Policy_on_Education

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020. , मानव संशाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली. से उद्धृत।

NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in)

राधाकृष्णन, वी. (2019, 4 जनवरी).भारत में स्कूली बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर क्या है, द हिंदू. से उद्धृत https://www.thehindu.com/education/percentage-of-school-dropouts/article25909306.ece.

ई.एस.ए.जी., (2018). से उद्धृत।

ESAG-2018.pdf (education.gov.in)

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली. से उद्धृत।

www.niepa.ac.in National Institute of Educational Planning and Administration - Home (niepa.ac.in).

यू-डीआईएसई (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली), स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संशाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से उद्धृत

UDISE+ (udiseplus.gov.in).

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार, भारत सरकार के स्कूल में कार्यान्वयन से उद्धृत । https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Annexure%20IV.pdf

# महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर स्वयं सहायता समूह के प्रभाव का अध्ययन

**आनंद सुगंधे***
**सिम्पल मिश्रा****
**विनोद सेन*****

**सारांश**

पुरुष प्रधान भारतीय समाज में ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने में स्वयं सहायता समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है, मुख्यतः ग्रामीण इलाके में जहां नौकरी पाने के बहुत ही कम अवसर उपलब्ध हैं, निम्न साक्षरता दर हो एवं सरकारी नीतियों के बारे में जानकारियों का अभाव हो, ऐसे में स्वयं सहायता समूह एक आशा की किरण की भांति है जो ग्रामीण महिलाओं की जिन्दगी को सुधारने एवं उसे एक सुव्यवस्थित एवं खुशहाल स्थिति प्रदान करने में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह शोधपत्र मुख्यत: प्राथमिक समंक एवं कुछ द्वितीयक समंकों पर आधारित है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी निर्णय शक्ति को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका महती रही है। यह शोधपत्र ग्रामीण महिलाओं के ऋण की समस्या, निर्णय लेने की भूमिका और उनकी आर्थिक स्थिति पर स्वयं सहायता समूह के योगदान को रेखांकित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन बड़ा ही संघर्षमय होता है और यह स्वयं सहायता समूह उनके संघर्ष के साथी होते हैं।

**मुख्य शब्द :** स्वयं सहायता समूह, आदिवासी महिलाएं, ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक

**प्रस्तावना**

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या (139 करोड़) वाला देश है। महिलाएं भारत की लगभग आधी (48.4 %) जनसंख्या में अपनी सहभागिता रखती हैं (worldometers.info 2021)। महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा हैं। परन्तु महिलाओं की इतनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होते हुए भी उनके साथ भेद-भाव का व्यवहार किया जाता है। कई जगहों पर विशेषतः ग्रामीण इलाकों में जहां भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को अनुकूल एवं मजबूत बनाता है क्योंकि स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के विकास हेतु अनुकूल एवं सुव्यवस्थित वातावरण एवं अनुकूल मंच प्रदान करता है। उनके विचारों एवं विनिर्माणीय विचारों को नया आकाश प्रदान करता है ताकि ग्रामीण महिलाएं भी अधिक से अधिक अपने विचारों को समाज के सामने रख सकें एवं समाज को एक नई दिशा दे सकें। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं ने भी भारत के विकास में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। अभी ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से उन्हें नये पंख मिले हैं जोकि भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए अति आवश्यक है क्योंकि पुरूषों के विकास के साथ-साथ महिलाओं का सम्पूर्ण

*सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)
**पूर्व छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)
***सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)

विकास ही भारत को पूर्ण विकसित देश की श्रेणी में ला सकता है। महिलाओं के विकास के बिना कोई भी देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है।

**स्वयं सहायता समूह की अवधारणा**

सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) के कारण स्वयं सहायता समूह बहुत लोकप्रिय हुआ है दो प्रकार के होता है- शासकीय एवं गैर शासकीय स्वयं सहायता समूह। 10-20 व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने समूह के सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को हल करता हो, मुख्यतः स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य अपने जरूरतमंद सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान करना, कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, सशक्तीकरण, स्वरोजगार एवं वित्तीय समावेशन प्रदान करना है। सरकार ने स्वयं सहायता समूह को नया रूप देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। महिलाएं हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। देश के श्रम बल का एक तिहाई से ज्यादा एवं परिवार की जीविका में महत्वपूर्ण भूमिका केवल नारी की ही है। महिलाओं को समाज में स्वतंत्र स्थिति प्रदान करने के लिए एवं समाज के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के पारस्परिक लाभ को समझने के लिए महिलाएं अपना एक समूह संगठन प्रारंभ करती हैं। इस समूह को मूल रूप से स्वयं सहायता समूह कहा जाता है जो समाज के गरीब परिवार और हाशिए की महिलाओं को छोटे-छोटे वित्तीय और नैतिक समर्थन प्रदान करता है। सभी महिलाएं एकत्र होकर अपनी समस्याओं का समाधान करती हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करती हैं। स्वयं सहायता समूह एक समूह हो सकता है अथवा एक संगठन भी। स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य अपने सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और अपने समूह के सदस्यों को आत्म निर्भर बनाना है जो परोक्ष रूप से देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़ा है।

**साहित्य समीक्षा**

भारत मे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से संबंधित बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। दक्षिण के राज्यों में स्वयं सहायता समूह से संबंधित साहित्य बहुतायत में मिलते हैं, उनमें से कुछ की समीक्षा इस अनुसंधान में की गयी है-

भदौरिया एवं अन्य ने स्वयं सहायता समूह का सरल याद्राक्षिक नमूने के साथ सामाजिक विकास में स्वयं सहायता समूह के प्रभाव को निर्धारित किया है (भदौरिया एवं अन्य, 2015)। कृषि के विविधिकरण के सम्बंध में आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से उन्होंनें पाया कि किसानों की खरीद क्षमता बढ़ी है। स्वयं सहायता समूह ऋण मिलने के कारण इन्होंनें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के समूह में जुड़ने से पहले एवं बाद के आर्थिक स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। भट मु. एवं अन्य ने महिला सशक्तीकरण पर माइक्रो फाइनेन्स के प्रभाव के बारे में बताया है (भट मु. एवं अन्य, 2014)। एम सरावनन (2016) का अध्ययन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के बारे में है। नंदिनी और सुधा (2016) का अध्ययन रामनगर जिला कर्नाटक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सशक्तीकरण में प्रभाव के विश्लेषण पर आधारित है। सभी आवश्यक आंकड़े द्वितीयक स्रोत के माध्यम से एकत्र किए गए हैं। इन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

सम्बंधित साहित्य की समीक्षा से ज्ञात होता है कि शहडोल जिले में स्वयं सहायता समूह पर बहुत ही कम अध्ययन हुआ है अत: इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का मूल्यांकन करना है।

**शोध प्रविधि**

यह शोध चंदौरा ग्राम के 20 स्वयं सहायता समूहों पर आधारित है और सभी समूहों में 10 सदस्य हैं। केवल एक विकास समूह में 6 सदस्य हैं। इस अध्ययन हेतु नमूना आकार 50 उत्तरदाताओं का है । 50 उत्तरदाताओं में से 40 उत्तरदाता याद्राक्षिक संभावना नमूना करण से लिए गए हैं एवं शेष 10 उत्तरदाता वह हैं जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं हैं और जिन्हे संदर्भ समूह के रूप में लिया गया है, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होने एवं न होने के स्थिति की तुलना के लिए है।

उत्तरदाताओं का चयन चंदौरा गाँव, तहसील जैसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश से किया गया है। मुख्यतः चंदौरा जैसे अविकसित गाँव में जहां की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी है, जहां कृषि ही आमदनी का एकमात्र स्रोत हो ऐसे गाँव में स्वयं सहायता समूह वहां के लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**आंकड़ा विश्लेषण**

सशक्तीकरण महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है जो समाज में उर्ध्वगामी और गतिशीलता प्राप्त कर सकता है और शक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है । सशक्तीकरण सामाजिक स्तर पर भी उनके व्यक्तिगत जीवन में समानता अर्जन का एक स्रोत है। सशक्तीकरण महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यदि एक महिला आत्म निर्भर है तो वह अपने परिवार और अपने स्वयं के लिए बेहतर प्रबंधन कर सकती है। कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षा ले रहा है तो वह केवल शिक्षित है, लेकिन कोई महिला शिक्षा लेती है तो उसका परिवार शिक्षित होगा।

वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 37 लाख 70 हजार बीपीएल परिवार 3.30 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। इनमें 2.92 लाख स्व-सहायता समूहों कों बैंको द्वारा ऋण मुहाया कराया जाता है। जिसके चलते ये स्वयं सहायता समूह सदस्य विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं- जैसे व्यापार के लिए फल-सब्जी उत्पादन, दूध उत्पादन और अन्य गैर कृषि कार्य जैसे कि हैण्डलूम, सिलाई कार्य इत्यादि (रीसाडाइरी, 2021)। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसे आय में बढ़ोत्तरी के साथ परिवार के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णयों में सहभागिता इत्यादि (मेहरा एवं अन्य, 2010)।

चंदौरा में 20 स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक तुलना करने के लिए 40 स्वयं सहायता समूह के सदस्य और 10 गैर स्वयं सहायता समूह के सदस्य लिए गए, जिनके सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया गया। यहां अध्ययन के लिए कुछ बिन्दुओं पर स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद परिवर्तन का अध्ययन करेंगे।

**शैक्षणिक स्थिति**

शिक्षा न केवल ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि एक व्यक्ति को उसकी समस्याओं के हल के लिए तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मदद करती है। शिक्षा का मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखती है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है। शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता है। शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सब संशयों का उन्मूलन और उनकी सब बाधाओं का निवारण करता है (कुमार तथा अन्य, 2021)। यहां हम शिक्षा का प्रभाव निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे-

**तालिका 1: शैक्षणिक स्थिति**

| **स्वयं सहायता समूह के सदस्य** | **संदर्भ समूह** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| शिक्षा स्तर | सदस्य संख्या | प्रतिशत | शिक्षा स्तर | सदस्य संख्या | प्रतिशत |
| अनपढ़ | 12 | 30 | अनपढ़ | 1 | 10 |
| प्राथमिक | 9 | 22.5 | प्राथमिक | 3 | 30 |
| 10 वीं से नीचे | 11 | 27.5 | 10 वीं से नीचे | 3 | 30 |
| 12 वीं से नीचे | 4 | 10 | 12 वीं से नीचे | 2 | 20 |
| 12 वीं से ऊपर | 4 | 10 | 12 वीं से ऊपर | 1 | 10 |
| कुल | 40 | 100 | कुल | 10 | 100 |

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

उपरोक्त तालिका में 40 स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, एवं 10 संदर्भ समूह के सदस्य हैं जिसमें स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह के 30 प्रतिशत सदस्य अनपढ हैं एवं संदर्भ समूह के 10 प्रतिशत सदस्य अनपढ़ हैं। स्वयं सहायता समूह के 22.5 प्रतिशत प्राथमिक, 27.5 प्रतिशत 10 वीं से नीचे, 10 प्रतिशत 12 से नीचे एवं 10 प्रतिशत सदस्य 12 वीं से ऊपर के हैं। संदर्भ समूह में 30 प्रतिशत प्राथमिक, 30 प्रतिशत 10 वीं से नीचे, 20 प्रतिशत 12 वीं से नीचे एवं 10 प्रतिशत सदस्य 12 वीं से ऊपर के हैं। इससे यह पता चलता है कि स्वयं सहायता समूह निरक्षर में भी बचत करने की आदत को विकसित करता है।

**प्रमुख आर्थिक गतिविधियां**

**तालिका 2: स्वयं सहायता समूह की प्रमुख गतिविधियां**

| **स्वयं सहायता समूह के सदस्य** | **संदर्भ समूह** |
|---|---|

| प्रमुख गतिविधियां | सदस्य संख्या | प्रतिशत | प्रमुख गतिविधियां | सदस्य संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| दुकान | 6 | 15 | दुकान | 1 | 10 |
| स्वरोजगार | 7 | 17.5 | स्वरोजगार | 0 | 0 |
| पेशेवर | 2 | 5 | पेशेवर | 0 | 0 |
| कार्यकर्ता | 13 | 32.5 | कार्यकर्ता | 3 | 20 |
| कृषि | 8 | 20 | कृषि | 5 | 50 |
| शिक्षा | 4 | 10 | शिक्षा | 1 | 10 |
| कुल योग | 40 | 100 | कुल योग | 10 | 100 |

स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

तालिका 2 के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की प्रमुख गतिविधियों को दिखाया गया है। यहां दोनों आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कुछ संदर्भ भी लिया गया है। अधिकांश स्वयं सहायता समूह के सदस्य ग्रमीण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जो हमारे कार्यबल का बड़ा हिस्सा है। इससे हम देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य किसी न किसी कार्य में संलग्न हैं जबकि संदर्भ समूह के कुछ सदस्य ही कार्य में संलग्न हैं।

**तालिका 3: उत्तरदाताओं की मासिक आय**

| **स्वयं सहायता समूह के सदस्य** | **संदर्भ समूह** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| आय | लोगों की संख्या | प्रतिशत | आय | लोगों की संख्या | प्रतिशत |
| 500 तक | 5 | 12.5 | 500 तक | 2 | 20 |
| 1000 तक | 10 | 25 | 1000 तक | 0 | 0 |
| 2500 तक | 11 | 27.5 | 2500 तक | 6 | 60 |
| 3000 तक | 12 | 30 | 3000 तक | 2 | 20 |
| 3000 से ऊपर | 2 | 5 | 3000 से ऊपर | 0 | 0 |
| कुल | 40 | 100 | कुल | 10 | 100 |

स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

तालिका 3 के आंकड़ों में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और संदर्भ समूह दोनों की मासिक आय को दर्शाया गया है। स्वयं सहायता समूह के 12.5 प्रतिशत सदस्य एवं संदर्भ समूह के 20 प्रतिशत सदस्य की मासिक आय रू. 500 है, 25 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्य एवं संदर्भ समूह के 0 प्रतिशत सदस्य की मासिक आय रू.1000 है, 27.5 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्य एवं 60 प्रतिशत संदर्भ समूह के सदस्य की आय रू. 2500 तक है, स्वयं सहायता समूह के 30 प्रतिशत सदस्यों एवं 20 प्रतिशत संदर्भ सदस्यों की आय रू. 3000 है, एवं 5 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आय

रू. 3000 के ऊपर है, जबकि संदर्भ समूह के किसी सदस्य की आय रू. 3000 से ऊपर नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्थिति बेहतर नहीं है। न्यूनतम आय रू. 9000 है परन्तु स्वयं सहायता समूह के किसी भी सदस्य की आय न्यूनतम आय के बराबर नहीं है।

तालिका 4 के आंकड़ों से पता चलता है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परिवार का प्रति व्यक्ति खर्च 32.5 प्रतिशत सदस्यों के रू. 500 तक है, जो कि संदर्भ समूह के 20 प्रतिशत सदस्यों का है, 15 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का प्रतिव्यक्ति व्यय रू. 1000 तक है, जो कि संदर्भ समूह के 40 प्रतिशत सदस्यों का प्रतिव्यक्ति व्यय है, 47.5 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का प्रतिव्यक्ति व्यय रू. 3000 है, जो कि संदर्भ समूह का 40 प्रतिशत है, 5 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का प्रतिव्यक्ति व्यय रू. 3000 है, जो कि संदर्भ समूह में 0 प्रतिशत है।

**तालिका 4: मासिक व्यय**

| **स्वयं सहायता समूह के सदस्य** | **संदर्भ समूह** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| आय | लोगों की संख्या | प्रतिशत | आय | लोगों की संख्या | प्रतिशत |
| 500 तक | 13 | 32.5 | 500 तक | 2 | 20 |
| 1000 तक | 6 | 15 | 1000 तक | 4 | 40 |
| 3000 तक | 19 | 47.5 | 3000 तक | 4 | 40 |
| 3000 से ऊपर | 2 | 5 | 3000 से ऊपर | 0 | 0 |

स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्थिति-अभी तक इससे पहले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं संदर्भ समूह के सदस्यों के बीच तुलना कर रहे थे। शोध पत्र के अगले भाग में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्थिति देखेंगे।

**तालिका 5: आयु वर्ग**

| **आयु वर्ग** | **उत्तरदाताओं की संख्या** | **प्रतिशत** |
|---|---|---|
| 18-40 | 28 | 70 |
| 41-50 | 6 | 15 |
| 51-60 | 3 | 7.5 |
| 60 से ऊपर | 3 | 7.5 |

स्रोत- प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

दी गई तालिका 5 से हम देख सकते हैं कि अधिकांश उत्तरदाता 18-40 आयु वर्ग के 70 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं सहायता समूह से संबंधित हैं जो कि हमारे कामकाजी आयु समूह से संबंधित हैं, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। 15 प्रतिशत उत्तरदाता 41-50 आयुवर्ग से संबंधित हैं। 7.5 प्रतिशत उत्तरदाता 51 से 60 आयु वर्ग से संबंधित हैं, एवं 7.5 प्रतिशत उत्तरदाता 60 से ऊपर के आयु वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए इस आंकड़े से हम यह मान सकते हैं कि युवा महिलाएं स्वयं सहायता समूह में अधिक शामिल हैं। सभी उत्तरदाता हिन्दू धर्म से संबंधित हैं।

**तालिका 6: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण**

| जति | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अनुसूचित जनजाति | 15 | 37.5 |
| अनुसूचित जाति | 10 | 25 |
| पिछड़ा वर्ग | 7 | 17.5 |
| सामान्य | 8 | 20 |

स्रोत--प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

उपरोक्त तालिका में वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं को दर्शाया गया है जिसमें कि 37.5 उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति से, 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति से, 17.5 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ा वर्ग से एवं 20 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्ग से संबंधित हैं।

**तालिका 7: उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति**

| वैवाहिक स्थिति | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| विवाहित | 32 | 80 |
| अविवाहित | 5 | 12.5 |
| विधवा | 3 | 7.5 |

स्रोत--प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

अधिकांश उत्तरदाता विवाहित वर्ग से हैं जो कुल उत्तरदाताओं का 80 प्रतिशत है, उत्तरदाताओं का 12.5 प्रतिशत अविवाहित और 7.5 प्रतिशत महिलाएं विधवा हैं। 77.5 उत्तरदाताओं का घर कच्चा, 22.5 उत्तरदाताओं का घर अर्धपक्का एवं किसी भी उत्तरदाता के पास पक्का मकान नहीं है; परन्तु सभी उत्तरदाताओं के पास अपनी भूमि है, जिसका प्रतिशत 100 प्रतिशत है।

**तालिका 08: स्वयं सहायता समूह में शामिल होने का कारण**

| स्वयं सहायता समूह में जुड़े | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| सामाजिक सुरक्षा | 10 | 25 |
| वित्तीय सहायता | 29 | 72.5 |
| व्यक्तिगत मदद | 1 | 2.5 |

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण 2020

तालिका 08 के आंकड़ों के साथ हम देख सकते हैं कि 72.5 प्रतिशत उत्तरदाता वित्तीय मदद के लिए स्वयं सहायता समूह में शामिल हुये हैं, 25 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक सुरक्षा के लिए एवं 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता व्यक्तिगत मदद के लिए स्वयं सहायता समूह में शामिल हुये हैं । 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया है । केवल 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सूक्ष्म वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है । स्वयं सहायता समूहों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वह अपनी गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से चला सकें और लघु ऋण व्यवस्था सही मायने में महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठाने में सहायक बन सके (कुमार, सिंह, 2018)।

**तालिका 09: ऋण राशि का उपयोग**

| ऋण राशि का उपयोग | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| स्वरोजगार | 29 | 72.5 |
| शिक्षा | 4 | 10 |
| चिकित्सा | 4 | 10 |
| शादी | 3 | 7.5 |
| कुल योग | 40 | 100 |

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण 2020

आंकड़ों के माध्यम से कहा जा सकता है कि 72.5 प्रतिशत उत्तरदाता अपने ऋण का उपयोग स्वरोजगार के लिए, 10 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा में उपयोग करते हैं, 10 प्रतिशत उत्तरदाता चिकित्सा और 7.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शादी के लिए ऋण राशि का उपयोग किया।

**तालिका 10: निर्णय लेने में भूमिका**

| निर्णय लेने में भूमिका | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| बहुत ज्यादा | 16 | 40 |
| कुछ हद तक | 23 | 57.5 |
| ज्यादा नहीं | 1 | 2.5 |
| कुल योग | 40 | 100 |

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण 2020

उपरोक्त तालिका 10 से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत परिवारों की निर्णय लेने की क्षमता में स्वयं सहायता समूह से बढ़ोत्तरी हुई है जो समाज के लिए अच्छा है। 57.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि निर्णय लेने की क्षमता में कुछ विस्तार है। 2.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि निर्णय लेने की क्षमता में बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता में केवल स्वयं सहायता समूह की वजह से बढ़ोत्तरी हुई है।

**तालिका 11: स्वयं सहायता समूह के कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी**

| स्थिति में परिवर्तन | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| बढ़ोत्तरी हुई | 40 | 100 |
| कुल योग | 40 | 100 |

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण 202

तालिका 11 के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि सुधार है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य होने के बाद 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जो कि स्वयं सहायता समूह के लिए अच्छा संकेत है और उसकी सार्थकता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वयं सहायता समूह समस्या को हल करने में

पूरी मदद करता है। इससे यह भी पता चलता है कि समूह के सदस्य एक दूसरे की मदद समय पड़ने पर करते हैं जो स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत अच्छा संकेत है।

**निष्कर्ष**

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, जैसे आर्थिक मदद, निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोत्तरी, जो कि उनके परिवार की स्थिति सुधारने में मददगार है। स्वयं सहायता समूह अपने सभी सदस्यों को उनके विशेष गुणों को उभारने में मदद करता है। यह उनके गुणों को मंच प्रदान करता है एवं उसमें सुधार के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों की बचत करने की आदत को बढ़ाता है जो उनके परिवार के लिए अति आवश्यक है।

इस महामारी के दौर में स्वयं सहायता समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है जैसे कि मास्क बनाकर गरीब परिवारों को भोजन एवं प्रवासी परिवारों को उनके खुद के व्यापार को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके। स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को सिलाई, कढ़ाई, एवं पापड़ बनाने जैसे लघु कार्य भी आयोजित करता है जिससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने में अपनी भूमिका निभाता है।

## संदर्भ सूची

India Population (2021) Live https://www.worldometers.info/world-population/india-population/ accessed on 08 December 2021.

भदौरिया, ए. के., जे. एस. रघुवंशी, राहुल कुमार (2019). A Study on Impact of Self-Help Group on Economic Status of Farmers in Gwalior (M.P), India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, Special Issue (8), 30-37.

भट, एम. ए., आई. ए. वानी, ए. आहरार एवं एम. अहमद (2014). Empowerment of Women through Self Help Group in Madhya Pradesh: A Sociological Study. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19 (1), 80-94.

सरवानन, एम. (2016). The Impact of Self-Help Groups on the Economic Development of Rural Household Women in Tamil Nadu. International Journal of Research Granthaalayah, 4 (7), 22-31.

नंदिनी आर, एवं सुधा एन (2016). A Study on Women Empowerment through Self-Help Groups: With Special Reference to Ramanagar District, Karnataka. BIMS International Journal of Social Sciences Research , 1 (1).

रीसाडाइरी (2021). Madhya Pradesh implements effective initiative of self-help groups. Available at https://orissadiary.com/madhya-pradesh-implements-effective-initiative-of-self-help-groups/, accessed on 11/11/2021.

मेहरा, जे, एस. चौधरी, एन. के. पंजाबी और के. एल. डांगी (2010). Role of Self Help Groups (SHGs) in Empowerment of Rural Women in Indore Block of Madhya Pradesh. Available at http://www.rseeudaipur.org/wp-content/uploads/2013/02/27.pdf accessed on 11/11/2021.

कुमार देवेन्द्र, अब्दुल सत्तार, गैद दास मानिकपुरी (2021). ग्रामीण महिला स्वसहायता समूह में कार्यरत् निरक्षर एवं साक्षर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं नेतृत्व करने की क्षमता के विकास में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन (रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में). International Journal of Advances in Social Sciences, vol. 9, No. 01, pp. 59-66.

कुमती सुनील कुमार, भारती सिंह (2018). छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूह- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त की प्रवृत्ति एवं ग्रामीण विकास. International Journal of Advances in Social Sciences, vol. 6, No. 01, pp. 01-08.

# देशभक्ति की पहाड़ी धुन: आजादी के संघर्ष में पहाड़ी गांधी की भूमिका

**डॉ. पवन कौंडल***

**सारांश**

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब देशभर में आजादी के लिए नारे लग रहे थे, अखबार निकल रहे थे, रेडियो माध्यम सक्रिय थे तो उसी समय देश के दूर-दराज क्षेत्रों में लोक कलाएं और देशभक्ति की धुनें भी अपनी पूरी भूमिका रही थीं। शहरों में संदेशों के संप्रेषण के कई माध्यम थे परंतु दूर-दराज और खासतौर पर देश के पहाड़ी इलाकों में रह रहे देशवासियों को संदेश पहुंचाना एक दूभर काम था। लोक माध्यमों, कविताओं और संगीत के जरिए अनपढ़ से अनपढ़ इंसान तक पहुंचा जा सकता है, यह स्वतंत्रता सेनानियों को पता था। इसलिए स्थानीय भाषा में कविताओं और संगीत के माध्यम से लोगों में जागृति के प्रयास किये जा रहे थे। यह प्रयास बहुत ही सफल थे क्योंकि स्थानीय बोली में मिलने वाले संदेश लोगों में तेजी से संप्रेषित होते थे। प्रस्तुत शोधपत्र में स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी बोली और पहाड़ी लहजे में देशभक्ति की धुन जमाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कांशी राम के योगदान को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। कांशी राम की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने पहली बार पहाड़ी बोली को लिखा और गा-गाकर लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वह बहुत पहले यह बात भांप गए थे कि संगीत सबको बांधता है। उन्होंने लाहौर की धोबी घाट मंडी में रहते हुए गाना सीखा और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गाना शुरू किया। दूर पहाड़ों में गांव-गांव घूमकर अपने लिखे लोकगीतों, कविताओं और कहानियों से आजादी की अलख जगाने वाले कांशी राम ने एक उपन्यास, 508 कविताएं और 8 कहानियां लिखीं। अपनी इस शैली की वजह से वह कई बार जेल भी गए। उन्हें पहाड़ी गांधी, 'बाबा कांशी राम' और 'स्याह जरनैलपोश' के नाम से भी जाना जाता है।

**बीज शब्द :** पहाड़ी गांधी, बाबा कांशी राम, स्याहपोश जरनैल, हिमाचल प्रदेश, लोक माध्यम, पहाड़ी

**प्रस्तावना**

'हिम' और 'आंचल' को जोड़कर हिमाचल नाम को गढ़ने वाले आचार्य दिवाकर शर्मा हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी भाषा के विद्वान थे। सन् 1948 में शंभू दत्त शास्त्री के साथ मिलकर उन्होंने साप्ताहिक 'विश्वशांति' का प्रकाशन शुरू किया जिसमें मुख्यत: शिमला और उसके आसपास की खबरें प्रकाशित होती थीं। उन्होंने 1956 में संस्कृत मासिक 'दिव्य ज्योति' की भी शुरूआत की जिसके संपादक केशव शर्मा थे (राणा, 2018)। उस समय हिमाचल से जो भी पत्र प्रकाशित होते थे उनकी पहुंच बहुत ही सीमित थी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में नहीं पहुंच पाते थे। हिमाचल का भौगौलिक स्वरूप जनजातीय तथा समतलीय रहा है। उस समय शरद ऋतु में कई क्षेत्र महीनों तक हिमपात से दबे रहते। तब वहां न सड़क थी, न नदी पर पुल, न मोटर वाहन। अतः नदियों और पहाड़ के आर-पार के गांव, कस्बे, नगर, जनपद, रियासतें सभी परस्पर कटे रहते थे, एकदम अलग-थलग। परिणामतः अलग भाषा, अलग वेषभूषा, खानपान व सांस्कृतिक भाषा-द्वीप उभरते विकसित होते रहे (शर्मा, 2013)। वर्तमान में जब मीडिया की

*सह-प्राध्यापक, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

पहुंच लगभग हर जगह है, आज भी हिमाचल के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग एक दिन पुराना अखबार पढ़ते हैं। हालांकि वहां रेडियो और कुछ जगह मोबाइल की पहुंच तो है पर दुर्गम रास्तों से अखबार अभी भी एक दिन बाद ही पहुंच पाता है।

हिमाचल की आधिकरिक भाषा हिंदी है लेकिन आपसी बोलचाल में पहाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। हिमाचल में अनेक बोलियां या 'उपभाषाएं' भी हैं। अपने भाषाई सर्वेक्षण में ग्रियर्सन ने इसे 'पश्चिमी' पहाड़ी कहते हुए इसे एक स्वतंत्र समुदाय माना है। पहाड़ी भाषाओं के शब्दसमूह, ध्वनिसमूह, व्याकरण आदि पर अनेक जातीय स्तरों की छाप पड़ी है। ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा विदित होता है कि प्राचीन काल में इनका कुछ पृथक् स्वरूप अधिकांश मौखिक था।

आजादी से पूर्व राज्यों के पुनर्गठन तक हिमाचल में छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतें थीं। हर रियासत की अपनी बोली, वेषभूषा, लोकाचार, लोक सांस्कृतिक धारा और लोक-धर्मी देवी-देवता थे। हर रियासत की अस्तित्व बोध की चेतना उन्हें सामरिक अभियानों से संघर्ष करने, भिड़ने या फिर संधि करने को विवश करती रही (शर्मा, 2013)। पश्चिमी हिमालय का हिस्सा 15 अप्रैल 1948 को भारतीय गणराज्य के एक नए सदस्य के रूप में हिमाचल प्रदेश हो गया था। इसका गठन 26 पहाड़ी रियासतों, पंजाब की 4 रियासतों समेत कुल 30 रियासतों के विलय के बाद किया गया था। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आज हिमाचल अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है (गुप्ता, 2021)।

हिमाचल प्रदेश की संस्कृति हिमाचलियों के भौतिक दृष्टिकोणों के साथ-साथ उनके उत्सव, संगीत, धुन, नृत्य और सरल जीवन शैली में भी प्रतिबिंबित होती है। हिमाचल में नृत्य और संगीत की कई शैलियां हैं। प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ नाटी, खराईत, उज्गाजमा और चड्ढेब्रीकर (कुल्लू), शुंतो (लाहौल और स्पीति) और डांगी (चंबा) हैं। सिरमौर और महुसा क्षेत्रों में एक महिला उच्च आत्माओं में नृत्य करती है और दर्शकों के पूरे समूह को उसके शानदार प्रदर्शन से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया जाता है। यह प्रदेश की संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं। गाने और प्रदर्शन करने वाले नृत्य प्रकृति में आध्यात्मिक हैं और मुख्य रूप से उत्सव के मौसमों के दौरान देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोक संगीत अपना महत्व रखता है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति लोगों की सादगी और पारंपरिक रीति-रिवाजों और उनके जीवन जीने के तरीके से जुड़ी प्रतीत होती है।

**स्वतंत्रता संग्राम और हिमाचल प्रदेश**

महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के बाद पहाड़ी में ब्रिटिश क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए। चंबा, मंडी और बिलासपुर राज्यों ने ब्रिटिश शासन के दौरान कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहाड़ी राज्यों के लगभग सभी शासक वफादार रहे और उन्होंने पुरुषों और सामग्रियों दोनों के रूप में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में योगदान दिया। इनमें कांगड़ा, सीबा, नूरपुर, चंबा, सुकेत, मंडी और बिलासपुर राज्य थे। अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैन्य शिकायतों के कारण विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध हुआ। पहाड़ी लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हालांकि पहाड़ी राज्यों के लोग राजनीतिक रूप से देश के अन्य हिस्सों के लोगों की तरह सम्मिलित नहीं थे।

प्रजा मंडल ने सीधे ब्रिटिश शासन के तहत क्षेत्रों में ब्रिटिश जुए के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अन्य रियासतों में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए गए। हालाँकि ये

अंग्रेजों के खिलाफ की तुलना में राजकुमारों के खिलाफ अधिक निर्देशित थे और इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के केवल विस्तार थे। 1914-15 में गदर पार्टी के प्रभाव में मंडी साजिश को अंजाम दिया गया था। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुईं और मंडी और सुकेत के अधीक्षक और वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने, ब्यास नदी पर पुल को उड़ाने का फैसला किया गया। हालांकि साजिशकर्ताओं को पकड़ा गया और उन्हें लंबी अवधि की जेल की सजा सुनाई गई। पझोटा आंदोलन जिसमें सिरमौर राज्य के एक हिस्से के लोगों ने विद्रोह किया था, को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार माना जाता है। इस अवधि के दौरान इस राज्य के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में डॉ. वाई.एस. परमार, पदम देव, शिवानंद रामौल, पूर्णानंद, सत्य देव, सदा राम चंदेल, दौलत राम, ठाकुर हजारा सिंह और पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम थे।

**देशभक्ति की पहाड़ी धुन रमाने वाले बाबा कांशी राम**

स्वतंत्रता संग्राम में लोक माध्यमों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरदराज के क्षेत्रों में जहां मीडिया के सामान्य माध्यम नहीं पहुंच पाते थे वहां लोक माध्यमों ने ही आजादी की अलख जगाने का काम किया और लोगों में जागृति पैदा की। आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने और दूर-दराज, जंगल-पहाड़ों, गाँव-गली तक राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने में लोकमाध्यमों की बड़ी भूमिका रही। लोकमाध्यमों ने अपनी पंक्तियों में, अपनी प्रस्तुतियों में, अपने संगीत में स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य और संदेश को आत्मसात किया और इसे जन-जन तक पहुँचाने का काम किया (मिश्रा, 2021)।

हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो बाबा कांशी राम का नाम अनायास ही जहन में आता है। जब हिंदुस्तान में आजादी के लिए नारे लग रहे थे, मुल्क इंकलाब-जिंदाबाद बोल रहा था, दूर पहाड़ों में एक मामूली सा इंसान अपनी पहाड़ी भाषा और पहाड़ी लहजे में देशभक्ति की धुन जमा रहा था। वह गांव-गांव घूमकर अपने लिखे लोकगीतों, कविताओं और कहानियों से सभी तक पहुंचकर उन्हें आजादी के आंदोलन से जोड़ रहा था। कांगड़ा जिले में देहरा तहसील के डाडासिबा गांव से निकले कांशी राम ने पहली बार पहाड़ी बोली को लिखा और गा-गाकर लोगों को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा (प्रवीण, 2019)। शर्मा (2019) बताते हैं कि कांशी राम बहुत पहले ये बात भांप गए थे कि संगीत सबको बांधता है। संगीत के जरिए अनपढ़ से अनपढ़ इंसान तक पहुंचा जा सकता है। वह पहाड़ी भाषा में लिखते और गाते थे। वह कभी ढोलक तो कभी मंजीरा लेकर गांव-गांव जाते और अपने देशभक्ति के गाने और कविताएं गाते थे।

ग्यारह जुलाई 1882 को लखनू राम और रेवती देवी के घर पैदा हुए कांशी राम के सर से 11 वर्ष की उम्र में ही माता-पिता का साया उठ गया और वह अपने ताया के यहां रहने चले गए। कुछ समय बाद वह काम की तलाश में लाहौर चले गए। उस वक्त आजादी का आंदोलन तेज हो चुका था और कांशी राम के दिल-दिमाग में आजादी के नारे रह-रह कर गूंजने लगे। उन्हें गाने-बजाने का शौक था और इसी कारण वह लाहौर में शहनशाह जी महाराज के संपर्क में आए जिनके धार्मिक ठिकाने पर गाने-बजाने की महफिलें लगा करतीं थीं। उनके संपर्क में आने से उनकी गायन कुशलता बढ़ती गई (शर्मा, 2000)। उनकी आज़ादी की तलब ने उन्हें दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों से मिलवाया जिनमें लाला हरदयाल, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और मौलवी बरक़त अली शामिल थे। संगीत और साहित्य के शौकीन कांशी राम की मुलाकात उस वक्त के मशहूर देश भक्ति गीत 'पगड़ी संभाल जट्टा' लिखने वाले सूफी अंबा प्रसाद और

लाल चंद 'फलक' से भी हुई जिसके बाद कांशीराम का पूरा ध्यान आजादी की लड़ाई में रम गया (प्रवीण, 2019)।

कांशीराम ने ग्रामीण जीवन की विसंगतियों और विद्रूपताओं को निकट से देखा था। यह जानते हुए भी कि अंग्रेजी हुकूमत में आजादी का नाम लेना एक जुर्म है तब भी उन्होंने राष्ट्रीयता का संदेश पहाड़ में घूम-घूम कर और गांव अथवा मैदानी इलाकों में घर-घर जाकर सुनाया। उन्होंने नौजवानों के भीतर अपने गीतों के माध्यम से जागृति पैदा की। अपनी कविताओं के माध्यम से वे कहते,

**"हुण असां गुलाम नी रहणा**
**चाहे लक्ख दुखां जो सहणा**
**न रेही नगदी, नां रेहा गहणा**
**जदों तिक्कर ऐह हकूमत रैहणी**
**तदों ताईं ऐह हालत रैहणी**
**कांशीरा रा मन्नों तुसां कैहणा।।"**

उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे, चाहे इसके लिए लाख दुख क्यों न सहन करना पड़े। जब तक यह हुकूमत रहेगी, तक तक न नकदी रहेगी न आभूषण। तब तक देश की ऐसी ही हालत रहेगी (शर्मा, 2000, पृ. 12)।

कांशी राम पूरे भारत वर्ष को अपना घर समझते थे। उनकी देशभक्ति की भावना पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसी थी। यह भावना इन पंक्तियों में झलकती है-

**"तू मत पूछ मेरिये भैणे**
**मैं कुण, कुण घराना है मेरा ?**
**सारा हिन्दोस्तान है मेरा,**
**भारत मां है मेरी,**
**अंगैं जंजीरा जकड़ी है।"**

वर्णित है कि "मेरी बहन, यह मत पूछो, मैं कौन हूं, मेरी जाति क्या है? मैं कहां का हूं? मेरा तो सारा हिन्दुस्तान अपना है। भारत मां मेरी माता है जिसका अंग-अंग गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है" (शर्मा, 2000, पृ. 12)। वह दासता के जीवन को नरक के समान समझते थे और मानते थे कि भारत माँ की जंजीरों को एकता से ही तोड़ा जा सकता है। तभी देश को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ऐसा विश्वास लेकर वे मुक्त कण्ठ से गाते फिरते-

**"आओ रलिमिली सारे, हिन्द आज़ाद कराईये**
**नरक बणी गिया देस असां द,**
**फिर तौं सुरग बनाईये।**

वह अपने इलाके के लोगों में अलग जगाने के इरादे से उन्हें प्रेरित करते हुए दिखते हैं। कांगड़ा और आस-पास के इलाकों में लोगों को स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाना उनकी इन पंक्तियों में महसूस किया जा सकता है-

**इक बरी जमणा, अम्मा-बाबे दी लाज बचाणी,**
**देस बड़ा है; कॉम बड़ी है**
**कुलजा मत्था टेक्की कने**

**इन्कलाब सदाणा, ओ कांसी; असां जेल जाना।**

वस्तुतः मनुष्य को जन्म एक ही बार लेना है। माता-पिता की लाज बचानी है। देश बड़ा है, जाति बड़ी है। कुलदेवी को मस्तक झुकाकर इंकलाब का नारा लगाकर जेल जाना है (शर्मा, 2000, पृ. 14)।

बाबा कांशी राम ने पहाड़ी भाषा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को बहुत कुशलता से पहुंचाया। जाहिर है कि अंग्रेजों को वह नागवार गुजरे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अपनी जेल यात्राओं के दौरान बाबा कांशी राम को अनेक कष्ट झेलने पड़े थे। जेल की दुरावस्था में अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा था। अटक किले की जेल से लौटकर उन्होंने एक कविता इस यात्रा के संस्मरण के रूप में लिखी। उसमें उन्होंने वहाँ जेल अधिकारी द्वारा पिस्तौल दिखाकर डराने-धमकाने एवं डंडों से प्रताड़ित करने का वर्णन किया है। जेल में होने वाले जुल्मों और वहाँ की कष्टकारक स्थितियों का सामना करते हुए बाबा कांशी राम अपने हृदय में आज़ादी की आशा का दीपक जलाए रखते हैं (शर्मा, 2019)।

**विभिन्न उपनाम : पहाड़ी गांधी, बाबा, स्याहपोश जरनैल**

कांशी राम के साथ 'गाँधी', 'बाबा', 'बुल-बुले पहाड़' तथा 'स्याहपोश जरनैल' शब्दों का जुड़ना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है। इन शब्दों के निजी सन्दर्भ हैं जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हैं। सन् 1937 में जवाहर लाल नेहरू होशियारपुर में गद्दीवाला में एक सभा को संबोधित करने आए थे। यहां मंच से नेहरू ने बाबा कांशी राम को 'पहाड़ी गांधी' कहकर संबोधित किया था। उसके बाद से कांशी राम को पहाड़ी गांधी के नाम से ही जाना गया। जीवन में अनेक मुश्किलों से जूझते हुए बाबा कांशी राम ने देश, धर्म और समाज पर अपनी चुटीली रचनाओं से गहन टिप्पणियां कीं। भारत में 'बापू' शब्द का व्यवहार पिता के अर्थ में होता है। भारतवासियों के हृदय सम्राट महात्मा गाँधी स्वाधीनता के प्रेरणा स्रोत होने के कारण 'बापू' और 'राष्ट्रपिता' बन गए। संभवतया इसी रूढ़ि के रहते पंजाब में लाहौर से लेकर कांगड़ा तक स्वाधीनता आंदोलन में एक नया स्वर देने वाले, सफेद दाढ़ी-मूंछ वाले कांशी राम 'बाबा' कहकर पुकारे जाते थे (शर्मा, 2000; प्रवीण, 2019)।

दौलतपुर में एक जनसभा के दौरान सरोजनी नायडू ने कांशी राम की कविताएं और गीत सुनकर उन्हें 'बुलबुल-ए-पहाड़' कहकर बुलाया था। जेल के दिनों में लिखी हर रचना उस वक्त लोगों में जोश भरने वाली थी। 'समाज नी रोया', 'निक्के निक्के माहणुआं जो दुख बड़ा भारा', 'उजड़ी कांगड़े देश जाना' और 'कांशी रा सनेहा' जैसी कई कविताएं मानवीय संवेदनाओं और संदेशों से भरी थीं। तेईस मार्च 1931 के दिन सरदार भगतसिंह, राजगुरू तथा सुखदेव को लाहौर में फांसी दिए जाने की घटना से वे इतने क्षुब्ध तथा उत्तेजित हुए कि उन्होंने आजीवन काले वस्त्र धारण करने और ब्रिटिश सरकार से जूझने का व्रत लिया और 'स्याहपोश जरनैल' कहलाए। कांशी राम ने अपनी ये कसम मरते दम तक नहीं तोड़ी।

मुसाफिर (शर्मा, 2000 से उद्धृत) अपनी स्मृति के दायरे में बात करते हुए सन् 1940 की एक घटना सुनाते हैं-'तब मेरी आयु 7 वर्ष की थी, ज्वालामुखी में एक बड़ी कान्फ्रेंस हुई। उसमें कार्यकर्ताओं ने खादी वर्दी पहनी थी, बाबा ने काला कुर्ता, काली अचकन, काला पाजामा। काले पहरावे में उनकी सफेद दाढ़ी का प्रभाव मुझे उनकी ओर खींचता रहा। मैंने जिज्ञासावश पूछा- ये काले कपड़े क्यों पहने हैं? तो बोले-"ये काले कपड़े विदेशी हकूमता दा सोग है। जाहलू आज़ाद होना, ताहलू मैं ऐद काले कपड़े नी पाने।" अर्थात ये काले वस्त्र विदेशी हकूमत का शोक मनाने हेतु पहने हैं। जब आजाद हो जाएंगे, तब मैं काले वस्त्र नहीं पहनूंगा" (शर्मा, 2000)।

पहाड़ी गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के चलते 23 अप्रैल 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांगड़ा के ज्वालामुखी में बाबा कांशी राम पर एक डाक टिकट जारी किया था।

**स्वतंत्रता संग्राम में बाबा कांशीराम का संघर्ष और जेल यात्रा**

सन् 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कांशी राम उस वक्त अमृतसर में थे। यहां ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कसम खाने वाले कांशी राम को 5 मई 1920 को लाला लाजपत राय के साथ दो साल के लिए धर्मशाला जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई कविताएं और कहानियां लिखीं। खास बात यह कि उनकी सारी रचनाएं पहाड़ी भाषा में थीं। उस समय कांगड़ा के नौ अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी-कामरेड रामचन्द, ठाकुर पंचमचन्द, प्रीतम सिंह, सर्वमित्र, पंडित मिलखीराम, चेतराम मिहाल तथा लाला बाशी राम भी जेल में बन्दी थे। पाराशर (1985) के अनुसार, "लाला लाजपत राय ने यहां आने पर बाबा कांशी राम की सबसे अधिक सराहना की थी जिन्होंने आज़ादी के लिए सर्वप्रथम गिरफ्तारी दी ओर सबसे पहले बन्दी बने"।

सजा खत्म होते ही कांगड़ा में अपने गांव पहुंचे और यहां से उन्होंने घूम-घूम कर अपनी देशभक्ति की कविताओं से लोगों में जागृति लानी शुरू कर दी। फुल्ल बताते हैं, "पालमपुर में एक जनसभा हुई थी और उस वक्त तक कांशी राम का भाषायी जादू और प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि उन्हें सुनने हजारों लोग इकट्ठा हो गए। ये देख अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अपनी क्रांतिकारी कविताओं के चलते उन्हें 1930 से 1942 के बीच 11 बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान उन्होंने लिखना जारी रखा। धर्मशाला के साथ-साथ वह गुरदासपुर, होशियारपुर, अटक, मुल्तान, लाहौर और फिरोजपुर जेलों में रहे। जेल में उनका सबसे बड़ा एकल सजा काटने का समय 730 दिनों का था (पाराशर, 1985)।

स्वतंत्रता सेनानियों को जिस प्रताड़ना और अत्यधिक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, उसका अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। एक दिन कांशी राम का अंग्रेज जेल सुपरिंटेंडेंट से झगड़ा हो गया। कांशी राम को जेल में बेर के पेड़ से बांधा गया था। उन पर हथकड़ी डाल दी गई और पैरों को जंजीर से बांध दिया गया। कुछ देर बाद एक अन्य कैदी ने देखा कि कांशी राम इस यातना को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी बेड़ियों को खोल दिया। उन्होंने सभी से इस कृत्य को गुप्त रखने का अनुरोध किया। कुछ देर बाद वार्डन ने देखा कि कांशी राम फर्श पर पड़े हैं और पेड़ से बंधे नहीं हैं। उन्होंने डिप्टी जेलर को सूचित किया और परिणामस्वरूप कांशी राम को बेंत से गंभीर यातना दी गई और वह बेहोश हो गये। उन्हें होशियारपुर जिले के एक छोटे से शहर के अस्पताल में ले जाया गया। उसी दौरान उन्होंने एक प्रसिद्ध गीत लिखा-

**कांशी ऐह कैंदा,**
**जे गुरदासपुर जेलां च रेंहदा,**
**कागज कुटाई कन देहरी च बैंदा**
**यदा सुराज मिले, तां ही जाणा।**

अर्थात् कांशी का कहना है कि वह गुरदासपुर जेल में रहता है, वह कागज के लिए लुगदी पीटता है और गलियारे में बैठता है। वह वादा करता है कि स्वराज के आने पर ही वह जेल से बाहर निकलेगा (पाराशर, 1985, पृ. 18)।

इन्हीं दिनों एक दोषी को धर्मशाला जाना था। उस समय लाला लाजपत राय धर्मशाला जेल में थे। कांशी राम ने उन्हें एक पत्र भेजा। जैसे ही उन्हें यह पत्र मिला लाला जी ने कांगड़ा उपायुक्त से उन्हें एक रसोइया उपलब्ध कराने के लिए कहा और चूंकि वह अकेले थे, इसलिए उन्हें कांशी राम जैसे कवि व्यक्तित्व की तलाश थी, जो गुरदासपुर जेल में था। गुरदासपुर जेल से धर्मशाला जेल में स्थानांतरण की व्यवस्था ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई। जैसे ही लाला जी जेल से छूटे, कांशी को फिर से गुरदासपुर स्थानांतरित कर दिया गया। लाला जी के साथ समय व्यतीत कर कांशी राम अब एक प्रशिक्षित राजनीतिक कार्यकर्ता बन चुके थे। उनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैल चुकी थी। जबकि पहले प्रशासन उनकी गतिविधियों पर कम ध्यान देता था, अब उनकी गतिविधियों पर नजर रहा जाने लगा। उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और अटैक जेल में बंद कर दिया गया। अपनी रिहाई पर उन्होंने जनता को गहरी नींद से जगाने के लिए राजनीतिक सम्मेलनों की व्यवस्था करनी शुरू कर दी (पाराशर, 1985, पृ. 18)।

आज़ादी के दीवाने और पहाड़ी भाषा की उन्नति के प्रति अनुराग रखने के कारण कांशी राम अपनी मातृभाषा में लगातार लिखते रहे। सन् 1931 में होशियारपुर के ढोलबह में एक विशाल जनसभा में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें यह वाक्य जोरदार शब्दों में कहा -'हुण अंग्रेजां दा धियाड़ा ढिग्गा पर है' अर्थात् अंग्रेज सरकार का सूर्यास्त होने वाला है। इसी पर उन्हें कैद कर लिया गया और धर्मशाला ले जाकर बन्दी बना दिया। दस महीने तक मुकदमा चला, परन्तु अंग्रेज वकील "ढिग्गा पर धियाड़ा" का सही अनुवाद न कर सके और उन्हें आदर सहित रिहा कर दिया गया (शर्मा, 2000; प्रवीण, 2019)।

सन् 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जब पहली बार शिमला आए तो लाला 'लाजपत राय तथा पंडित मदन मोहन मालवीय भी उनके साथ थे। उनसे पहाड़ी रियासतों के युवक काफी प्रभावित हुए और परिणामस्वरूप समूची पहाड़ी रियासतों में राजनैतिक चेतना जागी थी। महात्मा गाँधी ने जब रौलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आरंभ किया था तो उनके आह्वान पर कांशी राम ने भी इसमें भाग लिया था। उसके बाद गाँव-गाँव घूमना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया था। इसी समय वह तत्कालीन अनुभव को कविता और गीत के माध्यम से व्यक्त करने लगे। स्वतंत्रता आन्दोलन तथा जनजागरण उनकी कविता के विषय बने। स्वराज्य प्राप्ति के लिए आम जनता को जागरूक किया (पाराशर, 1985)।

सन् 1940 में सविनय आज्ञा भंग आंदोलन के दौरान बाबा कांशी राम ने पूरे कांगड़ा में घूम-घूमकर अपनी कविताएं गाते हुए जनजागरण अभियान चलाया। उनका नारा था-

**असां बतने जो आजाद कराणा है,**
**गुलामी दा कफ़न फाड़ी कने।**
**अंग्रेजां जितना अंधेर मचाया,**
**असां उत्तना ही जाल बछाया।**
**फिरंगियां जो भी चाल चल्ली,**
**असां उसने रंग जमाया।**
**रंगे ने तरंगा बनाया**
**असां कदी लहराना है,**
**कांशी, औणा जमाना है**

इसमें उन्होंने कहा हमें गुलामी का कफन फाड़कर अपनी धरती को आज़ाद कराना है। अंग्रेजों ने जितनी सख्ती की, हमने स्वतंत्रता का उतना ही जाल बिछा दिया। फिरंगियों ने जो भी चाल चली, हमने

उसी में अपना रंग दिखाया। उस रंग से तिरंगा बनाया कांशी राम, वह समय ज़रूर आएगा जब हम उसे लहराएंगे (शर्मा, 1999, पृ. 20)।

बाबा कांशी राम ने सन् 1916 से 1943 तक देश सेवा और आजादी की लड़ाई के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया। इस दौरान कई बार सजा भी हुई, जुर्माना भी होता। परिवार की संपत्ति जुर्माना और कुर्कियों आदि में ही समाप्त हो गई। चूंकि अपनी गायन कला और स्थानीय भाषा में संप्रेषण के लिए वे बहुत मशहूर हो चुके थे, ब्रिटिश शासन को वह आंख में किरकिरी की तरह चुभने लगे। सन् 1942 में उन्हें फिर एक बार जेल हुई। इस बार जेल की यात्रा उनके लिए यातना भरी थी। जेल अधिकारी उन्हें आजादी से विमुख करने और अन्य क्रांतिकारियों के रहस्य जानने के लिए बोरियों में बन्द करके पीटते। परन्तु उन्होंने अपने साथियों, अपने राष्ट्र और अपने प्रण से विश्वासघात नहीं किया। जेल की असहनीय यातनाओं के कारण वे अस्वस्थ रहने लगे परन्तु रिहाई नहीं मांगी। अंतत: बीमारी की स्थिति में उन्हें फ़िरोजपुर जेल से रिहा कर दिया गया। घर लौटने पर फिर वही गीत, वही बातें, वही मस्ती रही, परन्तु उपयुक्त उपचार के अभाव में राष्ट्र सपूत कांशी राम 15 अक्टूबर 1943 को अपनी आखिरी सांसें लेते हुए आजादी की सुबह देखने से पहले ही चल बसे (शर्मा, 2000)।

बाबा कांशी राम आजादी की सुबह तो नहीं देख पाए पर पहाड़ी भाषा में जो देशभक्ति की धुन वह अपने जीवनक्रम में निभा गए उसे याद रखा जाएगा। इस बात को बाबा कांशी के कर्म के महत्व को समझाती इन पंक्तियों से समझा जा सकता है-

**ज़िन्दगी मौत इक कहानी है**
**कांशी इक मुठ्ठ राख की निशानी है**
**सब्बी किछ बेसार, बेमतलब, निहरी भाषा,**
**पर जीणे कने मौता रे मंझे-मंझे कम्म तां करणा पौणां।**

वस्तुत: जीवन और मृत्यु एक कहानी मात्र है। एक मुट्ठी भर मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं। यहाँ सब कुछ व्यर्थ है, निस्सार है। केवल कथन की बात है। परन्तु जीवन और मृत्यु के बीच भी जीने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा (शर्मा, 2000, पृ. 11)।

**निष्कर्ष**

भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में लोक माध्यमों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। गरीबी, निरक्षरता, ग्रामीण परिवेश, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लोक माध्यम ही ऐसे प्रभावी कारक हुए हैं जिनके कारण ऐसे क्षेत्रों से भी क्रांतिकारियों और सेनानियों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की लोक कलाओं का अपना विशेष स्थान है। हालांकि प्रदेश के लोकमाध्यमों के बारे में व्यापक शोध की अभी भी कमी है। जहां तक बाबा कांशी राम के योगदान का सवाल है उसके बारे में साठे (1988) बताते हैं कि, "कांशी राम ने और विषयों पर भी बेशक कलम उठाई होगी, परन्तु उस कवि की जो डोगरी साहित्य को अमर देन मिली, वह स्वतंत्रता संग्राम में रची-बसी कविता थी। डोगरी के किसी साहित्यकार और कवि ने उस आजादी की लड़ाई के लिए, लोगों को उसमें सम्मिलित होने के लिए डुग-डुगी नहीं बजाई। उस महान युग के महान कारनामें में जो अकेले सुर कांशी राम ने उठाए, उनके लिए डोगरी साहित्य सदा के लिए अपना सिर स्वाभिमान के साथ ऊँचा रख सकेगा और स्वयं को सम्मानित समझेगा (पृ. 39)"।

## संदर्भ सूची

राणा, वी. एस.(2019). हिमाचल प्रदेश का इतिहास. शिमला: राणा अकादमी।

शर्मा, जी. वी. (2013). हिमाचल के लोकगीत. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।

गुप्ता, आर. (2021). देवधरा : हिमाचल प्रदेश. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।

मिश्रा, आर. (2021). भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और लोक माध्यम. संचार माध्यम, खंड 33(2), पृ. 4-8।

प्रवीण (2019, जुलाई 11). आज़ादी की लड़ाई लड़ा वो पहाड़ी गांधी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. लल्लनटॉप.कॉम. https://www.thelallantop.com/tehkhana/pahadi-gandhi-freedom-fighter-from-himachal-who-ignited-fire-in-masses-with-his-poems-and-songs/ से पुन : प्राप्त।

शर्मा, जी. वी. (2000). भारतीय साहित्य के निर्माता : बाबा कांशीराम. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी।

पाराशर, एन. सी. (1985). बाबा कांशी राम. नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

शर्मा, जी. एस. (1999). बाबा कांशीराम. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी।

साठे, जे.सी. (1988). शीराज़ा. पृ. 39।

आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेषांक
ISSN-0974-0118

# भारतीयता की पुनर्स्थापना हेतु संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्यों की उपयोगिता

**डॉ. सलोनी***

**सारांश**

अहिंसा, पारिवारिक संगठन, भ्रातृभाव, अतिथि सत्कार, स्त्री सम्मान, परोपकार, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, धर्म प्रधान संस्कृति, दान आदि विशेषताओं के कारण भारतवर्ष सम्पूर्ण विश्व में विश्व-गुरु की उपाधि से विभूषित रहा है। आज के भौतिक परिवेश में भारतवर्ष पर्यावरण प्रदूषण, हिंसा, बलात्कार आदि घटनाओं के कारण अपनी मर्यादाओं से गिरता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है । आज आवश्यकता है उन समस्त भारतीय मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करने की जो भारतवर्ष को पुनः विश्व-गुरु के पद पर स्थापित कर देंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीयता की पुनर्स्थापना के लिये संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना अत्यधिक लाभदायक है।

**बीज शब्द :** भारतवर्ष, भारतीयता, संस्कृत, पुनर्स्थापना, परिप्रेक्ष्य

**प्रस्तावना**

'ब्रह्मावर्त','आर्यावर्त' आदि नामों से विख्यात इस भारत भूमि का अत्यधिक महत्त्व है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और विन्ध्याचल तथा हिमाचल पर्वतों के बीच के देश को 'आर्यावर्त' की संज्ञा दी जाती है -

**आ समुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्।**
**तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः।।(मनुस्मृति, 2.22)**

यह देश ब्रह्माण्ड से लेकर पृथ्वी तक सभी मनुष्यों के लिये आचरण शिक्षण का स्रोत रहा है क्योंकि इस देश में रहने वाले लोगों का जो आचार परम्परा से चला आ रहा है उसे 'सदाचार' कहा जाता है-

**तस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः।**
**वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते।।**
**एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।**
**स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः।। (मनुस्मृति, 2. 18, 20)**

आज समग्र विश्व हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा के कारण सीमा पर प्रतिदिन का तनाव, अनेक जवानों का शहीद होना, अनेक हिंसक घटनाओं में निरपराध जनता का प्राण गंवाना आदि घटनाओं ने विश्व को झिंझोर कर रख दिया है। भारतवर्ष तथा इसमें रचित संस्कृत साहित्य अहिंसा का पक्षधर है। कुमारसम्भवम् महाकाव्य के एक प्रसंग में इन्द्र द्वारा भगवान् शिव की समाधि खोलने के लिये कामदेव को बुलाया जाता है। इन्द्र कामदेव को प्रोत्साहित करते हुये कहते हैं कि भगवान् शिव की समाधि को तोड़ने में तुम्हारा धनुष काम तो करेगा, इससे किसी की हिंसा नहीं हो पायेगी -

*सह-प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

**...चापेन ते कर्म न चातिहिंस्रमहो! बतासि स्पृहणीयवीर्यः।। (कुमारसम्भवम् , 3.20)**

कतिपय दिवस पूर्व भारत के केरल राज्य में एक गर्भिणी हथिनी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसने समस्त मानव जाति के मस्तक को झुका दिया है। महाकाव्य रघुवंश में राजा रघु के पुत्र अज क्रथकैशिक (विदर्भदेश) के राजा भोज की बहन इन्दुमती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिये जा रहे थे। मार्ग में एक जंगली हाथी ने उनकी सेना में भगदड़ मचा दी। जब वह जंगली हाथी उनकी ओर बढ़ने लगा तो राजकुमार अज ने सोचा कि यह जंगली हाथी है, इसको मारना उचित नहीं है। अतः उन्होंने अपने धनुष को तनिक सा खींचकर एक बाण उसके मस्तक पर इस प्रकार से मारा जिससे वह लौट जाये, मरे नहीं -

स च्छिन्नबन्धद्रुतयुग्यशून्यं भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन।
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार।।
तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करीति श्रुतवान्कुमारः।
निवर्तयिष्यान्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतकृष्टशार्ङ्गः।। (रघुवंश, 5.49-50)

महाकवि कालिदास ने तो यहां तक कह दिया है कि हाथी को मारना शास्त्रविरुद्ध है। राजा दशरथ शिकार खेलते हुये तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं। उस समय वहां कोई जल में घड़ा भर रहा था। अतःध्वनि को सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि यह हाथी है। बस उन्होंने बाण निकाला तथा शब्द पर लक्ष्य करके शब्दभेधी बाण चला दिया जिसके परिणामस्वरूप मातृ-पितृ भक्त श्रवण कुमार की मृत्यु हो गयी। अतःमहाकवि कालिदास ने राजा दशरथ की आलोचना करते हुये कहा कि हाथी को मारना शास्त्रविरुद्ध है तथा राजा दशरथ ने जो किया वह उनके लिये अनुचित था क्योंकि कभी-कभी विद्वान् लोग भी आवेश में आकर अन्धे हो जाते हैं तथा विपरीत कार्य कर बैठते हैं -

**कुम्भपूरणभवः पटुरुच्चैरुच्चचार निनदोऽम्भसि तस्याः।**
**तत्र स द्विरदबृंहितशंकी शब्दपातिनमिषुं विससर्ज।।**
**नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्पंक्तिरथो विलंघ्य यत्।**
**अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः।। (रघुवंश, 9.73-74)**

जब भारतवर्ष का आधार स्तम्भ संस्कृत साहित्य पशु हिंसा को सहन नहीं करता तो मानवीय हिंसा की बात ही क्या? वेद भारतीय चिन्तन को प्रकट करते हुये कहता है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता -

**यत्रा नरः समयन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति किं च न प्रियम्।। (ऋग्वेद, 7/83/2)**

अतः वेद वैज्ञानिक चिन्तन को प्रस्तुत करते हुये लोक जीवन में शान्ति-व्यवस्था के लिये गुरुजनों, बालकों, तरुण पुरुषों, गर्भस्थ शिशुओं, माता-पिता, पुत्र-पौत्रादिकों,पशुओं, शूरवीरों आदि की हिंसा-निषेध की बात करते हैं-

**मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्।**
**मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः।।**
**मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।**
**मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित् त्वा हवामहे ।। (यजुर्वेद, 16/15-16)**

आज समाज में स्त्री सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ है। प्रतिदिन दहेज के लिये स्त्री-उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाओं ने मानव-जाति का सिर झुका दिया है। भारतीय चिन्तन की बात करें तो महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के शासन काल में स्त्री सुरक्षा का जो उल्लेख किया है वह

अत्यन्त प्रशंसनीय है। महाकवि कालिदास का कथन है कि राजा दिलीप ऐसे अच्छे ढंग से अपना राजकार्य चलाते थे तथा उनका ऐसा प्रभाव था कि मद पीकर उपवन में सोई हुयी स्त्रियों के वस्त्रों को वायु भी नहीं छू सकता था, फिर उन्हें हटाने का साहस भला कौन करता -

**यस्मिन्महीं शासति वाणिनीनां निद्रां विहारार्धपथे गतानाम्।**
**वातोऽपि नास्रंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्।। (रघुवंश, 6.75)**

राक्षसी होते हुये भी ताड़का को मारते समय राम के माध्यम से कालिदास द्वारा ताड़का के लिये ''...वनितावधे घृणां...'' (रघुवंश, 11.17) अर्थात् 'स्त्री को मारते हुये घृणा' वाक्य का प्रयोग करना नारी सम्मान को ही प्रदर्शित करता है।

पृथकतावाद के विपरीत मानवीय एकता की ओर भी संस्कृत साहित्य ने निर्देश किया है। वेद का कथन है कि वर्षा होने पर मेंढकों में से कोई गाय जैसी बोली बोलता है, तो कोई बकरे जैसी आवाज़ निकालता है ब कोई चितकबरा है तो कोई हरा। परन्तु विभिन्न रूपों वाले होते हुए भी वे सभी एक ही 'मण्डूक' नाम को धारण कर टरटराते हुए प्रादुर्भूत हो जाते हैं -

**गोमायुरेको अजमायुरेकः पृश्निरेको हरित एक एषाम्।**
**समानं नाम बिभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्वदन्तः।। (ऋग्वेद, 7.103.6)**

इस उपर्युक्त कथन के माध्यम से वेद स्पष्ट कहना चाहता है कि मनुष्य भी विभिन्न भाषाओं को बोलता हुआ, विभिन्न रूप एवं आकृतियों को धारण करता हुआ 'एक मानव' कहलाकर समाज में क्यों नहीं प्रवृत्त हो सकता - यही है भारतीय आचार-पद्धति।

कल्याणकारी राज्य द्वारा कर की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे लोगों की भलाई के लिए कोष निर्मित किया जा सके तथा उनपर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़े। इक्ष्वाकुवंशीय भारतीय राजाओं के लिये तो प्रसिद्ध है कि वह त्याग करने के लिये प्रजा से धन एकत्रित करते थे -

**त्यागाय सम्भृतार्थानां.....।। (रघुवंश, 1.7)**

प्रजा से कर लेने के सम्बन्ध में रघुकुल की मान्यता यह है कि जिस प्रकार बादल समुद्र से जल लेकर फिर पृथ्वी पर बरसा देते हैं वैसे ही महात्मा लोग धन को दान करने के लिये ही जुटाते हैं -

**...आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव।। (रघुवंश, 4.86)**

राजा दिलीप के बारे में भी प्रसिद्ध है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती का जितना जल सोखता है उसका हजार गुणा बरसा देता है वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से जितना कर लेते थे वह सब प्रजा की भलाई में ही व्यय कर दिया करते थे-

**प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।**
**सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः।। (रघुवंश, 1.18)**

पारिवारिक रिश्तों में शिथिलता आधुनिक समाज की प्रमुख समस्या है। आज जहाँ सम्पत्ति के लिए भाई भाई को मारने के लिये तत्पर है, वहां भारतीय आचार-पद्धति इन्द्र एवं मरूत के माध्यम से भ्रातृवत् उत्तम व्यवहार करने का नैतिक सन्देश प्रदान करती है -

**किं न इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरूतस्तव।**
**तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः।। (ऋग्वेद, 1.170.2)**

ऋग्वेद में अग्नि की तुलना भाई से करते हुये कहा गया है कि अग्नि उसी प्रकार सबका पोषक एवं हितकारी है, जिस प्रकार भाई बहन का हितकारी होता है-

**जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वस्रा**
**मिभ्यान्न राजा, वनान्यत्ति।। (ऋग्वेद, 1.65.7)**

'परिवार में पुत्र माता-पिता के आज्ञाकारी हों, भाई-भाई से तथा बहन - बहन से द्वेष न करे, वधू का श्वसुरगृह में महारानी के समान आदर एवं सम्मान हो' - वैदिक संस्कृत भाषा में वर्णित यह आचार-पद्धति पारिवारिक संगठन के लिये अत्यन्त लाभकारी है-

**अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः।**
**मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। (अथर्ववेद, 3.30.2-3)**
**सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्वां भव,**
**ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी भव अधि देवृषु।। (ऋग्वेद, 10.85.46)**

उपनिषद् ग्रन्थ मनुष्य को अपने माता, पिता, गुरु तथा अतिथि के प्रति सेवा-भाव रखने का निर्देश देते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। उपनिषद् द्वारा माता, पिता, गुरु तथा अतिथि को देवता की संज्ञा प्रदान करना ही इन चारों के महत्त्व का सूचक है-

**मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव।। (तैत्तिरीयोपनिषद् , 1.11)**

मनुष्य की असीमित इच्छाओं ने उसको तनावग्रस्त स्थिति में डाल दिया है इसलिए यह बात बिल्कुल सार्थक है कि सन्तोष के अभाव में मानसिक तनाव से निवृत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानसिक शान्ति हेतु भारतीय चिन्तन सम्पत्ति के लिये अन्धी दौड़ से रोकते हुए कहता है कि मनुष्य को धन से कदापि तृप्त नहीं किया जा सकता-

**न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मः चेत्त्वा।**
**जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वे वरस्तु मे विचारणीयः स एव।। (कठोपनिषद् , 1.1.27)**

भारतीय संस्कृति वैदिक आचार-पद्धति का निर्देश देती हुयी कहती है कि इस दृश्यमान् संसार में जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर-स्वरूप ही है इसलिए लोभ का परित्याग करते हुये जगत् में विद्यमान समस्त भोग्य पदार्थों का त्यागभाव से ही प्रयोग किया जाना चाहिये-

**ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिंत् जगत्यां जगत्।**
**तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।। (यजुर्वेद, 40.1)**

मनुष्य में त्यागशीलता की भावना को स्थापित करना भारतीयता की एक प्रमुख विशेषता है। ऋग्वेद में योग्य धन की प्राप्ति होने पर अभिमान न करने व भूखों को अन्न एवं पानी देने का नैतिक निर्देश दिया गया है-

**सुयमात् रायः मा अव स्थाम्। (ऋग्वेद, 2.28.11)**
**क्षुध्यद्भ्यो वय आसुतिं दाः। (ऋग्वेद, 1.104.7)**

तैत्तिरीयोपनिषद् के एक प्रसंग में गुरु अपने शिष्य को वेद पढ़ा कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय उपदेश देता है कि वह गृहस्थाश्रम की दैनिक जिन्दगी में किस तरह का व्यवहार करे ताकि उसका गृहस्थ तथा सामाजिक जीवन उत्तम ढ़ंग से व्यतीत हो-

**सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमादः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य**
**प्रजावन्तु मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्।**
**कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न**
**प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्।। (तैत्तिरीयोपनिषद् , 1.11)**

अर्थात् मनुष्य को सत्य, धर्म, विद्या-अध्ययन, श्रेष्ठ कर्मों, उन्नति के साधनों, देवताओं तथा पितरों की आराधना आदि कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिये।

भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियों को वश में करना, ज्ञान, विद्या, सत्य एवं क्रोधपरित्याग रूपी दस कर्मों को धर्म का लक्षण स्वीकार किया गया है-

**धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।।**
**धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।। (मनुस्मृति, 6/92)**

यदि मनुष्य अपने जीवन में उपर्युक्त भारतीय संस्कृति में वर्णित धर्म के दस लक्षणों को धारण कर ले तो एक आदर्श समाज का अस्तित्व में आना स्वाभाविक है। पंचतन्त्रकार ने तो यहां तक कह दिया है कि प्राण त्याग करने की स्थिति आ जाने पर भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिये और उचित कार्य को छोड़ना नहीं चाहिये, यही सनातन धर्म है-

**अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते।**
**न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः।। (पंचतन्त्र, 4.41)**

मानवीय मूल्य जो कि जन-कल्याण हेतु आवश्यक है उनका उल्लेख भारतीय संस्कृति में इस प्रकार किया गया है -जीवहिंसा से निवृत्ति, परधन हरण के प्रति संयम, सत्य, दान, परस्त्री की कथा के प्रति मौन, तृष्णा-दमन, विद्वानों के प्रति नम्रता का आचरण, जीवमात्र पर दया, शास्त्रों में प्रवृत्ति तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मों का परित्याग न करना -

**प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं,**
**काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्।**
**तृष्णास्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा,**
**सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्थाः।। (नीतिशतक, श्लोक-26)**

कलियुग में दान का बहुत महत्त्व है। ऐसा माना जाता है कि सत्ययुग में तपस्या, त्रेतायुग में ज्ञान, द्वापरयुग में यज्ञ तथा कलियुग में दान ही धर्म है-

**तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते।**
**द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे।। (मनुस्मृति, 1.86)**

उपनिषद् का भारतीय संस्कृति के सन्दर्भ में मानना है कि दान उस वस्तु का किया जाता है, जो आपको सुख देती हो, प्यारी तथा आपके लिये उपयोगी हो। दूसरों को दान देने के पश्चात् वह दूसरों को भी सुख प्रदान करे तथा उसके लिये कल्याणकारी हो। कठोपनिषद् में नचिकेता के पिता ऐसी गायों का दान देते हैं जो न तो दूध देने में तथा न ही प्रजनन करने में समर्थ हैं। यह देखकर नचिकेता अपने पिता को ऐसा दान न करने का संकेत करता है -

**पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः।**
**अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्।। (कठोपनिषद् , 1.1.3)**

आज भारतवर्ष पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। फैक्टरियों का धुआं, गंगा जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वृक्षों की लगातार कटाई, पहाड़ों को काटना आदि घटनाक्रम तथा प्राकृतिक संसाधनों के साथ मनुष्य द्वारा लगातार छेड़-छाड़ ने पर्यावरण को इस तरह से प्रदूषित कर दिया है कि मनुष्य

को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है । वृक्षों की कटाई की बात करें तो कुमारसम्भवम् महाकाव्य के माध्यम से भारतीय चिन्तन की ओर संकेत करते हुये महाकवि कालिदास का कहना है कि नन्दन वन में देवताओं की स्त्रियां यदि अपने कर्णफूल बनाने के लिये वृक्षों के कोमल पत्तों को तोड़ती थीं तो भी उनका यह कार्य अत्यन्त कोमलतापूर्वक होता था। महाकवि कालिदास के मत में वृक्षों को काटना राक्षसी प्रवृत्ति है। ताड़कासुर के बारे में कहा गया है कि नन्दन वन के उन वृक्षों को वह राक्षस बड़ी निर्दयता से काट-काट कर गिरा रहा था -

**तेनामरवधूहस्तैः सदायलूनपल्लवाः।**
**अभिज्ञाश्छेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रुमाः।। (कुमारसम्भवम् , 2.42)**

पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हुये कुमारसम्भवम् में तो यहां तक कहा गया है कि अपने हाथ से लगाये हुये विष वृक्ष को भी काटना अनुचित है -

**...विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्।। (वही, 2.55)**

महाकवि कालिदास ने पेड़-पौधों के प्रति अत्यन्त कोमल दृष्टिकोण को प्रदर्षित किया है। महाकवि कालिदास तो पेड़-पौधों के प्रति वात्सल्य भाव रखने के पक्षधर प्रतीत होते हैं। कुमारसम्भवम् में पार्वती के विषय में कहा गया है कि वह पेड़-पौधों को अपनी सन्तान के तुल्य स्नेह करती थीं। आलस्य का परित्याग करके उन्होंने घड़ों के जल से सींच-सींचकर जिन छोटे-छोटे पौधों को पाला था, उनके प्रति वे इतना स्नेह करती थीं कि बाद में जब कार्तिकेय का जन्म हो गया, तब भी उनका वात्सल्य उन पौधों के प्रति ज्यों का त्यों बना रहा -

**अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षान् घटस्तनप्रस्रवणैर्व्यवर्धयत्।**
**गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति।। (वही, 5.14)**

अतः उपर्युक्त कथनों के माध्यम से महाकवि कालिदास ने वृक्षों के प्रति सन्तान तुल्य स्नेह करने तथा उनको किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने का जो सन्देश कुमारसम्भवम् महाकाव्य के माध्यम से दिया है, वह वर्तमान सन्दर्भ में वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त प्रासंगिक है।

भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल्यों की बात करें और 'परोपकार'की चर्चा न की जाये, यह नहीं हो सकता। देश की स्वतन्त्रता के लिये अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले वीर भगत सिंह, अमृतसर में पिंगलवाड़ा के संस्थापक भगतपूर्ण सिंह, मदर टैरेसा आदि ऐसे अनेक महानुभाव हैं जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन परोपकार के लिये ही समर्पित कर दिया । पंचतन्त्र के कथनानुसार इस संसार में उसी का जीवन सार्थक है जिसके जीवन से अनेक व्यक्तियों का जीवन चले, अन्यथा पक्षी भी चोंच से अपना पेट भर ही लेते हैं। जो व्यक्ति अपने अथवा दूसरों के द्वारा अपने सम्बन्धियों के प्रति, दीनों के प्रति तथा अन्य मनुष्यों के प्रति दयाभाव नहीं दिखाता उसका इस लोक में जीवित रहने का क्या लाभ है, अन्यथा वैसे तो कौआ भी बहुत समय तक जीता है और बलि खाता है -

**यस्मिंजीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु।**
**वयांसि किं न कुर्वन्ति चंच्वा स्वोदरपूरणम्?।। (पंचतन्त्र, 1/23)**
**यो नात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे, दीने दयां कुरुते न च भृत्यवर्गे।**
**किं तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके? काकोऽपि जीवति चिराय बलिंच भुङ्क्ते।। (वही, 1/25)**

**निष्कर्ष**

कहा जा सकता है कि ऋषियों, मुनियों, कवियों द्वारा रचित संस्कृत साहित्य में वर्णित मानवीय मूल्यों यथा - मातृ-पितृ सेवा, अहिंसा निवृत्ति, परोपकारिता, योग्य वस्तुओं का दान, स्त्री सम्मान आदि का यदि हम अपने दैनिक जीवन में अनुकरण करते हैं तो यह भारतवर्ष पुनः उस प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जायेगा, जिसके लिये यह विश्व विख्यात है।

## सन्दर्भ सूची

अथर्ववेद, आचार्य राम शर्मा (सम्पादक) ब्रह्मवर्चस्, शान्ति कुन्ज, हरिद्वार, संवत् 2056.
ऋग्वेद, आचार्य राम शर्मा (सम्पादक) ब्रह्मवर्चस्, शान्ति कुन्ज, हरिद्वार, संवत् 2056.
कठोपनिषद्, हरिकृष्णदास गोपन्दका (व्याख्याकार), गीता प्रैस, गौरखपुर, 1988.
कुमारसम्भवम्, कालिदास, चैखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 1982.
तैत्तिरीयोपनिषद्, हरिकृष्णदास गोपन्दका (व्याख्याकार), गीता प्रैस, गौरखपुर, 1989.
नीतिशतक, भर्तृहरि, जनार्दन शास्त्री पाण्डेय (सम्पादक), मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली, 1974.
पंचतन्त्र, पण्डित विष्णु शर्मा, संजय सचदेवा (सम्पादक), संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली, 2009
मनुस्मृति, महर्षि मनु, पं॰ हरगोविन्दशास्त्री (व्याख्याकार), चैखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, संवत्, 2039.
यजुर्वेद, आचार्य राम शर्मा (सम्पादक) ब्रह्मवर्चस्, शान्ति कुन्ज, हरिद्वार, संवत् 2056.
रघुवंश, कालिदास, चैखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 1984.

# भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों का चिंतन और संपादन

**श्यानी बुंदेला***

**सारांश**

भारतीय स्वाधीनता संग्राम दुनिया के इतिहास में आजादी की सबसे लंबी लड़ी गई लड़ाइयों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की राजनैतिक,भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को बदलने वाला संघर्ष था। एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमेशा से ही 'वसुधैव कुटुम्बकम' के विचार को अपनी संस्कृति और समाज का आधार वाक्य माना, जिसने 'सर्वे भवंतु सुखिनः के विचार को हमेशा अपनी भावनाओं में समाहित किये रखा, उसी भारतवर्ष को सैकड़ों वर्षों तक ब्रतानिया हुकूमत की पराधीनता भोगनी पड़ी। भारत के लोगों द्वारा बहुत कठिन और लंबे अथक संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 को स्वाधीनता हासिल की गई। यह हम सबके लिए शुभ दिन था। भारत की आजादी की लड़ाई में हमारे महान विचारकों, पत्रकारों, साहित्यकारों एवं संपादकों की अविस्मरणीय भूमिका रही है। गांधी जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महामना मदनमोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे आदि महान संपादकों ने भारतीय समाज को स्वाधीनता और उसके केंद्रीय मूल्यों के प्रति जागरूक करने तथा तत्कालीन समय में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आगे लाने का कार्य किया।

देश की स्वाधीनता की लड़ाई में गांधी, तिलक, महामना मालवीय जी तथा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार, उनकी पत्रकारिता तथा संपादन के योगदान पर कोई प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। ये सभी विभूतियां आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में रहीं। यह शोध भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इन्हीं प्रमुख सेनानियों, नायकों और अमर बलिदानी पुरूषों के चिंतन, विचारों और संपादन के प्रभाव को महसूस करने का प्रयत्न है। चूंकि यह ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित शोधपत्र है इसलिए इसमें उपलब्ध साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों का अवलोकन कर विषयवस्तु विश्लेषण शोधप्रविधि का उपयोग किया गया है। यह शोध अध्ययन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तथा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों एवं उनकी पत्रकारिता के अवलोकन एवं अध्ययन पर आधारित है।

**बीज शब्द :** भारतीय स्वाधीनता संघर्ष, स्वराज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सेनानी, संपादन

## प्रस्तावना

भारतवर्ष के अब तक के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन सबसे शुभ दिन है। इस दिन हमारा देश ब्रिटिश पराधीनता की बेड़ियां काटकर स्वतंत्र हुआ था। हमें इस दिन आजादी का अमृत प्राप्त हुआ। इस दिन हमें स्वराज्य मिला। देश के असंख्य बलिदानियों के प्राणों के बदले हमें आजादी का यह अमृत मिला। आजादी मिलने के बाद भारत के लोगों ने खुद इस दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की नींव

*पीएचडी शोधार्थी,पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, बा्रउस वि.वि., महू, इंदौर, मध्यप्रदेश

रखी। यह तय करना असंभव है कि स्वाधीनता आंदोलन में किस सेनानी का योगदान अधिक रहा अथवा कौन इस संघर्ष में आगे रहा। दरअसल प्रत्येक भारतीय जो भी ब्रिटिश भारत में स्वराज के स्वप्न देखता था और यथाशक्ति आजादी के संघर्ष में सहयोग करता था वह हमारा नायक है। यह सर्वविदित है कि पूरे पराधीन भारत की जनता ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और अनीतियों से त्रस्त थी। पूरा भारतीय समाज उस अन्यायी अंग्रेज सरकार से छुटकारा चाहता था। इसीलिए बच्चे, किशोर, नौजवान, बुजुर्ग, स्त्री और पुरूष हर किसी के मन में आजादी का स्वप्न पल रहा था। हर ओर स्वाधीनता की मांग उठ रही थी। इसलिए देश में गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और हर शहर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी ओर से यथासंभव सहयोग किया।

स्वाधीनता का यह संघर्ष बहुत कड़ा और बड़ा था। यह संघर्ष उस हुकूमत के खिलाफ था जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके राज में सूर्य अस्त नहीं होता। ऐसे में हमारे देश के अनेक स्वाधीनता सेनानी नायकों ने अपने विचारों, साहित्यिक रचनाओं, पत्रकारीय कर्म और संपादकीय टिप्पणियों से भारत में स्वराज्य की स्थापना, ब्रिटिश हूकूमत के खिलाफ विद्रोह की भावना तथा राष्ट्रीयता के एक नए चिंतन को स्थापित किया। यह वह साहित्यकार, विचारक और संपादक थे जिन्होंने कालजयी विचारों और लेखनी से देश के भीतर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय में प्रेस और प्रकाशन ही चूंकि जनसंचार के सशक्त उपलब्ध माध्यम थे इसलिए उस दौर के अधिकांश प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों ने लेखन और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशनों के जरिये देश में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। उनके छापेखाने(प्रेस) बंद भी हुए, उन पर भारी जुर्माने भी लगे। अनेक संपादकों को जेल की सजाएं भी हुई लेकिन हमारे स्वराज्य के वह नायक अपने कर्तव्यपथ से डिगे नहीं। हमारे महान पुरखों ने अपनी लेखनी और विचारों से अंग्रेज सरकार से खूब लोहा लिया और इसके लिए भारी कीमत भी चुकाई। इसकी एक बानगी हमें इलाहाबाद से प्रकाशित स्वराज्य नामक समाचार पत्र के संदर्भ से मिलती है। इस पत्र की उम्र महज ढाई साल रही। इसके 75 अंक ही प्रकाशित हुए। इसका प्रकाशन भारतमाता सोसाइटी इलाहाबाद ने किया था। इसके संस्थापक संपादक शांतिनारायण भटनागर थे। इस पत्र के कुल 8 संपादक हुए। इसका ध्येय वाक्य था ''हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है''। इसके सभी संपादकों को हुई सजा और देश निकाला के वर्षों को जोड़ें तो सभी को कुल 125 वर्षों की सजा हुई।

डॉ. अर्जुन तिवारी (1997) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ''देश के सामाजिक और धार्मिक सुधार संबंधी आंदोलनों ने जन-जन में राष्ट्रीय जागरण का संचार किया। उस दौर के पत्र और पत्रकारों ने राष्ट्रीय चेतना को अंकुरित किया''। उस दौर में पत्र-पत्रिकाएं अपने समाचारों, आलेखों और टिप्पणियों से देश में क्रांति का प्रसार कर रहे थे। इस काम में विदेशों में बसे भारतीय भी पीछे नहीं थे। वहां के प्रबुद्ध भारतीयों को देश की स्वाधीनता की हर वक्त चिंता रहती थी और वह अपने स्तर पर इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने अपनी पत्रकारिता और संपादन के जरिये किस तरह स्वाधीनता और स्वराज की इच्छा को भारतीयों के हृदय में बलवती किया इसका सबसे अच्छा उदाहरण 'गदर' समाचार पत्र का है।

'गदर' अखबार की टिप्पणियां और स्वर बताते हैं कि विदेशों में रह रहे भारतीय भी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के जरिये क्रांति की चिंगारी को सतत सुलगाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल इसके संपादक थे। यह अखबार हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगला और

पश्तो, कुल 6 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता था। 'गदर' अखबार अमेरिका से कनाडा होते हुए भारत आता था। रूस के क्रांतिकारी इसकी प्रतियों को चीन और ईरान के रास्ते भारत भिजवाते थे। इस तरह यह समाचार पत्र अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक प्रमुख स्वर बन गया था। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय विचारकों, साहित्यकारों और लेखकों ने अपनी पत्रकारिता और संपादन के जरिये देश में राष्ट्रवाद का एक नया विमर्श खड़ा किया। इतिहास में कालजयी संपादकों और चिंतकों के विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन अमर बलिदानियों ने देश में स्वाधीनता के विचारों की धारा के प्रवाह को तेज कर अंग्रेज हुकूमत की नींव को हिलाने का कार्य किया।

**उपलब्ध साहित्य का अध्ययन**

भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में पूरे देश के अनेक नगरों और कस्बों से प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं उनके संपादकों की वैचारिक टिप्पणियों का कभी ना भूलने वाला महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास के पन्ने पलटने पर इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसका ऐतिहासिक वर्णन बहुत ही विस्तृत हैं किंतु कुछ पत्र-पत्रिकाओं को बतौर संदर्भ अगर हम देखें तो हमे उस दौर के पत्रकारों और संपादकों की राष्ट्रवादी विचाराधारा का अंदाजा लग जाता है। ऐसा ही एक पत्र आगरा से प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था सैनिक। रामशरण पीतलया (2000) ने अपनी पुस्तक 'हिंदी की कीर्तिशेष पत्र-पत्रिकाएं' में लिखा है कि "1 जून 1950 को आगरा से श्री कृष्ण दत्त पालीवाल ने सैनिक नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसके प्रवेशांक पर अपना शुभकामना संदेश भेजते हुए कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था जिस पत्र का संपादन कर रहे हैं वह पूरी कामयाबी और खूबी के साथ देश की सेवा करेगा और हमारी कौम को सैनिक होना सिखाएगा"।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं ने उस दौर की राजनीति को प्रभावित किया वहीं साहित्य और संस्कृति को भी प्रभावित कर देश की महत्वपूर्ण समस्याओं और प्रश्नों के समाधान हेतु नियोजित किया। कर्मवीर, यंग इंडिया, गदर, सैनिक, मतवाला, सुधा, हिंदू ,चांद, माधुरी, कल्याण, विशाल भारत समेत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं ने राष्ट्र धर्म के परिपालन पर बल दिया। इनके संपादकों ने अंग्रेज शासकों के अन्याय और शोषण के विरूद्ध क्रांतिकारी विचारों के नए संस्कार स्थापित किये और पत्रकारिता की गरिमा के शिखर का निर्माण किया।

जे.पी. मिश्र (2019) ने अपनी पुस्तक 'भारत में स्वाधीनता संघर्ष' में लिखा है कि उन्नीसवीं सदी के अंत तक ब्रिटिश साम्राज्य और उनकी सभ्यता के प्रति भारतीय लोगों में जो भाव था वह पूरी तरह से बदल गया। भारतीयों में स्वाभिमान की भावना बढ़ गई और राष्ट्र के प्रति निष्ठा बढ़ गई और उन्होंने अपने गौरवशाली अतीत की ओर देखना आरंभ किया। इस बदलाव से राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई"। इस कार्य में भारतीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं और उनके पत्रकार, संपादकों ने देश की आजादी के आंदोलन में प्रखर भूमिकाओं का निर्वाह किया। सबसे अहम बात यह थी कि इनमें टिप्पणियां और विचार भारतीय भाषाओं में छपते थे। अंग्रेज़ सरकार इससे बहुत ही चिंतित थी। भारत की अनेकों भाषाओं की पत्रकारिता ब्रिटिश सरकार के लिए लगातार चुनौती बन गई थी। उसमें लगातार स्वाधीनता और स्वराज्य के स्वर बुलंद होते जा रहे थे।

अंग्रेज सरकार के शीर्ष अधिकारी चूंकि अंग्रेजी ही समझते थे इस कारण वह भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों को पढ़ या समझ नहीं पाते थे, लेकिन उनमें प्रकाशित टिप्पणियों और विचारों के प्रसार के

फलस्वरूप देशवासियों तथा समाज में उत्पन्न क्रांति की लहर तथा उसके परिणामों को ब्रिटिश अफसर और उनकी हुकूमत भलीभांति भांप लेती थी। यही कारण था कि उस समय की सरकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसा पत्रकारिता का दमनकारी कानून लाई। भारतीय वरिष्ठ पत्रकार और संपादक विजयदत्त श्रीधर ( 2021) ने लिखा है कि "14 मार्च 1878 को वायसराय लार्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के दमन के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया "। इस कानून की आवश्यकता बताते हुए लार्ड लिटन ने कहा था कि ''सबसे अधिक साहसी राजद्रोह उत्तर भारत के भाषाई पत्रों में लिखा जा रहा है"।

वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी पत्र-पत्रिका के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा सकते थे। वह किसी प्रकाशन से जमानत मांग सकते थे और उसे जब्त भी कर सकते थे। फिर भी उस कालखंड के पत्र-पत्रिकाएं क्रांतिकारी विचारों वाले साहित्य को भी अपने प्रकाशन में प्रमुखता देते थे। इसका एक उदाहरण 'गदर' अंक में प्रकाशित हुई क्रांतिकारी करतार सिंह की कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं -

**जो पूछे कि कौन हो तुम,तो कह दो बागी नाम अपना,**
**जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर करना है काम अपना।**
**नमाज संध्या यही हमारी, यही पाठ पूजा भी सब यही है।**
**धर्म करम सब यही है प्यारों, यही खुदा और है राम अपना।।**

भारतीय पत्र-पत्रिकाओं ने देश की जनता को राजनैतिक तौर पर संगठित करने और सशक्त करने का कार्य भी किया। डॉ.वेदप्रताप वैदिक (1997) ने अपनी पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम' में लिखा है कि ''1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के पश्चारत भारतीय पत्रकारिता ने धीरे-धीरे भारतीय जनमानस के पटल पर यह छाप डालनी आरंभ की कि भारतीय स्तर पर कोई राजनैतिक संगठन बनाया जाए "।

## विश्लेषण

### गांधी जी के विचार और चिंतन में राष्ट्रवाद

गांधीजी सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद, देश के हर विचार, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर आवाज से मिलकर बनता था। उन्होंने कहा कि "मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विभिन्न संप्रदायों में पूरा मेल होगा (ढड्ढा,1999)"। भारत के गांव, गांधी जी के स्वराज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था संबंधी विचारों के केंद्र में थे। 'मेरे सपनों का भारत' पुस्तक में स्वराज्य की व्याख्या करते हुए बापू ने लिखा कि "स्वराज्य एक पवित्र शब्द है जिसका अर्थ आत्मशासन और आत्मसंयम है। स्वराज्य से मेरा अभिप्राय लोक-सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन है। उनके विचारों में स्वराज्य अंग्रेज हुकूमत के हाथों से मुक्त भारत ही नहीं था वरन वह भारतीयों द्वारा आत्म संयमित और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली व्यवस्था का निर्माण भी था (ढड्ढा,1999)"। गांधीजी शहरों से गांव के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए सहायता की बात करते हैं। इतिहास में अनेक प्रख्यात शोधार्थियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि अनेकों बार गांधीजी के आह्वान पर शहरों में भारतीयों ने स्वदेशी अपनाया और विदेशी वस्तुओं तथा विचारों का परित्याग किया।

इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी के चिंतन में राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। भारतीय जनसमाज में गांधी जी के राष्ट्वादी विचारों के प्रसार के साथ ही देशभर में जन-जन के बीच आजादी का अमृत पाने की इच्छा और बलवती हुई। गांधी सर्वोदय में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का जरिया है। स्वदेशी पर बल देते हुए उन्होंने राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की जो राह दिखलाई है, वह प्रासंगिक है। गांधी भारत की संस्कृति के संरक्षक भी थे। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के अथक प्रयत्न, स्वदेशी को बढ़ावा देने का विचार, खादी का प्रचार-प्रसार छुआछूत जैसी कुरीति के विरोध में आंदोलन करना आदि गांधी जी के ऐसे प्रमुख कार्य थे जिनसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल प्रणेता थे।

**राष्ट्रपिता की पत्रकारिता एवं संपादन में समाज और देश के लिए संदेश**

गांधी जी भारत के महान संपादकों में से एक हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौर में भारतीय पत्रकारिता, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की ताकत को स्वयं महात्मा गांधी के शब्दों में वर्णित करते हुए अपनी पुस्तक 'इतिहास निर्माता पत्रकार' नामक में डॉ. अर्जुन तिवारी (2000) ने लिखा है कि ''बापू ने कहा था मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो अखबार की सहायता के बिना नहीं चलाई जा सकती। अगर मैंने अखबार निकाल कर दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई भारतीय जमात को उसकी स्थिति ना समझाई होती और सारी दुनिया में फैले हुए भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कुछ हो रहा है इसे 'इंडियन ओपिनियन' के सहारे अवगत ना रखा होता तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता था''। बापू की इस अभिव्यक्ति से पत्रकारिता और प्रेस की शक्ति को लेकर उनके विचारों को समझा जा सकता है। गांधीजी की पत्रकारिता का आरंभ एक संवाददाता के रूप में हुआ था। जब बापू लंदन में थे तब उनका परिचय दादा भाई नौरोजी से हुआ। दादा भाई द्वारा लंदन से 'इंडिया' नामक एक अंग्रेजी पत्र प्रकाशित किया जाता था। नौरोजी ने गांधीजी को डरबन, जोहांसबर्ग और दक्षिण अफ्रीका की रिपोर्ट हेतु इस पत्र का संवाददाता नियुक्त किया। गांधीजी ने इस पत्र के लिए अलग-अलग समय पर कुछ रिपोर्ट भेजी जो की प्रकाशित भी हुई। 1890 में डरबन में 'इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस' खुली और इसके बाद 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र अंग्रेजी, गुजराती, तमिल तथा हिंदी में प्रकाशित होता था। गांधी जी ने इसके बारे में लिखा है कि "इंडियन ओपिनियन निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका में हमारे संघर्ष का अत्यंत उपयोगी, प्रभावशाली अस्त्र था"। बापू ''नवजीवन'' नामक प्रकाशन में जनजागृति, सामाजिक सुधार आदि विषयों के साथ ऐसे विचारों को भी प्रमुखता से प्रकाशित करते थे जिससे स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपनी पत्रकारिता और संपादकीय दायित्वों के जरिये भी आजादी के संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया।

गांधी जी का मानना था कि दमन का मुकाबला कलम ही बेहतर ढंग से कर सकती है। उनकी पत्रकारिता में सत्य की अभिव्यक्ति की प्रधानता होती थी। गांधी जी ने जुल्मी अंग्रेज सरकार के खिलाफ अडिग रहकर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधी जी स्वयं पत्रकार थे और पत्रकारिता को वैचारिक क्रांति का एक सशक्त माध्यम मानते थे (मिश्र, डॉ. कृष्णबिहारी,1985)। 'हरिजन' नामक अपने पत्र में बापू ने ग्रामीण स्वच्छता, खादी, देश के कुटीर उद्योग, ग्रामीण अर्थनीति आदि विषयों पर खूब वैचारिक टिप्पणियां लिखीं। उनके इस प्रकार के लेखन से देश में स्वदेशी के प्रति आम भारतीय का आग्रह और भी बढ़ गया। 'यंग इंडिया' नामक अंग्रेजी पत्र में गांधी जी ने

ब्रिटिश कानूनों की अनीतियों, प्रेस सेंसरशिप, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनेक लेख लिखे। गांधी जी के पत्रों में स्वराज्य, सत्याग्रह आदि विषयों पर प्रमुखता से विचार प्रकाशित किए जाते थे। उनकी पत्रकारिता और संपादकीय नीति का ध्येय भारत के गांव को स्वावलंबी बनाना, देश के समाज के भीतर स्वराज्य की लहर को प्रसारित करना, लोगों को आपसी एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, अंग्रेज सरकार के जुल्मों और अनैतिक कानूनों के विरोध में लोगों को संगठित करना, भारतीय युवाओं में देश प्रेम की भावना को विकसित करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता एवं संपादन में हमें हमारे समाज के बारे में समग्र चिंतन मिलता है। समाज के कठिन प्रश्नों के सरल उत्तर गांधी जी के विचारों में हमें मिलते हैं।

**बाल गंगाधर तिलक के विचार और चिंतन में राष्ट्रवाद**

तिलक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थे। वे आत्मोसर्ग, स्वाभिमान तथा अन्याय के विरोध में विद्रोह की साक्षात मूर्ति थे। वह राष्ट्रवादी आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। तिलक ओजस्वी वक्ता और प्रखर चिंतक थे। गिरिराज शरण अग्रवाल (2011) ने अपनी पुस्तक 'मैं तिलक बोल रहा हूं' में लिखा है कि "यदि तिलक न होते तो भारत अभी पेट के बल सरक रहा होता, सिर धूल से ढका होता और उसके हाथ में सिर्फ दरख्वास्त होती। तिलक ने भारत की पीठ को बलिष्ठ बनाया"। उन्होंने लिखा है कि जिस समय आराम कुर्सी पर बैठकर अंग्रेजों की न्यायप्रियता के पक्ष में भाषण दे रहे थे उस समय स्वराज और स्वाधीनता की मांग करने वाले इस यशस्वी वीर को राज्य से अपराध में दंड भोगना पड़ा। वह भारत में तत्कालीन प्रमुख समस्याओं पर चिंतन करते थे और अपने विश्लेषणों को अपने भाषणों और पत्र-पत्रिकाओं में टिप्पणियों के बतौर जनसमुदाय के समक्ष प्रस्तुत करते थे। उन्हें भारतीय समाज में व्याप्त अशिक्षा की भी बहुत चिंता थी। बाल गंगाधर तिलक भारतीय समाज में फैली अस्पृश्यता के खिलाफ अपने विचार रखते थे (भोला, 2020)।" इस तरह उनके चिंतन का विस्तार बहुत विशाल था। 1916 में थियोसोफिकल सोसाइटी के पंडाल में होमरूल का सम्मेलन आयोजित हुआ। उस सभा में तिलक ने भी भाषण दिया। इस सभा में उन्होंने कहा "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है"। बाद के समय में यही वाक्य एक नारे के रूप में उभरा। तिलक ने यह भी कहा था कि मैं स्वराज्य लेकर रहूंगा। उनके इन विचारों ने सारे भारतीय जनमानस को आंदोलित कर दिया (भोला, 2020)। तिलक के प्रखर राष्ट्रवादी विचार उनके प्रकाशनों में हर जगह दिखाई पड़ते हैं।

**तिलक की पत्रकारिता एवं संपादन में समाज और देश के लिए संदेश**

स्वाधीनता और स्वराज्य के लिए निरंतर क्रांतिकारी विचारों के प्रकाशन और प्रसार के चलते तिलक को अनेकों बार अंग्रेज सरकार के कोप का भाजन बनना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक एक आदर्श विचारक और चिंतक होने के साथ ही दूरदृष्टा पत्रकार और संपादक भी थे। उन्होंने 'मराठा' तथा 'केसरी' जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों के संचालन और संपादन का कार्य किया। 'केसरी' में प्रकाशित 'देश का दुर्भाग्य' शीर्षक लेख के चलते वह गिरफ्तार हुए। एक अन्य लेख 'ये उपाय स्थायी नहीं' के चलते उन पर अभियोग लगाया गया। डॉ. मंगला अनुजा (1996) ने अपनी पुस्तक 'भारतीय पत्रकारिता के नींव के पत्थर', में लिखा है कि ''केसरी पर सरकार की कोप दृष्टि एक स्थायी प्रक्रिया बन गई और उतना ही तीव्र आवेग केसरी की हुंकार में आता गया केसरी अधिक स्पष्टता के साथ अपना ध्येय बताने लगा। उसके क्रांतिकारी

विचारों के प्रभावों की व्यापकता को इस बात से समझा जा सकता है कि 1908 के राजद्रोह के मुकदमे के समय 'केसरी' की प्रसार संख्या 25 हजार हो गई थी। तिलक ने 'केसरी' के सम्पादक के लिए ये पांच गुण आवश्यक माने- 1. देशभक्ति 2. चरित्र 3. विद्वता 4. भाषा पर अधिकार और 5. जनसम्पर्क। इनमें से यदि एक भी गुण कम रहा तो सम्पादक उतना कम सफल रहेगा। स्वयं के लिए फकीरी और जनता के लिए 'सर्वस्व अर्पण', केसरी के सम्पादकों ने स्वयं भी अपनाया। डॉ.अर्जुन तिवारी (2000) ने अपनी पुस्तक 'इतिहास निर्माता पत्रकार' में लिखा है कि "1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के आशातीत सफल नहीं होने से मायूस जनता को तिलक ने आशा का संदेश दिया। उस दौर में जब संचार व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं थी तब उन्होंने परंपरागत त्योहारों और मेलों आदि को पुनः बेहतर ढंग से आरंभ करवाकर राष्ट्रवाद के प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया "। इस तरह तिलक ने सांस्कृतिक और सामाजिक मोर्चों पर अथक प्रयास कर राष्ट्रवादी विचारों को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया। उनकी पत्रकारिता तथा संपादकीय वैचारिकी में हमें सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के विकास और स्वराज्य के लिए उग्र विचारों के संदेश मिलते हैं।

**डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार और चिंतन में राष्ट्रवाद**

डॉ अम्बेडकर आधुनिक युग के महान सामाजिक विचारकों में से एक थे। वह आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया था। वह राजनीति, अर्थव्यवस्था,संविधान, कानून, समाज के आधारभूत ढांचे और धर्म तथा संस्कृति आदि विषयों के उच्च कोटि के अध्येयता थे। वह आधुनिकीकरण और सामाजिक समानता के मूल्यों का सकारात्मक प्रभाव साक्षात देखकर अपने वतन लौटे थे। वह कानूनों की गहन समझ विकसित कर एक कानूनवेत्ता के बतौर वापस आए। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असामनता पर सभी का ध्यानाकर्षण किया। अनेक ग्रंथों में उन्होंने देश और समाज को यह संदेश दिया कि भारतीय लोगों को किस प्रकार के मूल्यों का विकास करना चाहिए और किस तरह हमारा देश आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो सकता है। बाबा साहेब के बारे में यह कहना उचित ही होगा कि वह महामानव थे। उन्होंने समाज के भेदभावों के खिलाफ शिक्षा और संगठन की शक्ति को अति महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ भी अपना स्वर बुलंद किया। इस तरह हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने भारतीय समाज और अंग्रेजी हुकूमत की विसंगतियों की तरफ तत्कालीन समाज का ध्यान आकर्षित कर उन्हें दूर करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की।

**बाबा साहेब की पत्रकारिता एवं संपादन में समाज और देश के लिए संदेश**

डॉ भीमराव अम्बेडकर ने जनजागरण के लिए पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया। वह संचार, संवाद और सूचना की ताकत को भलीभांति जानते थे। बाबा साहेब ने समाचार पत्रों में संपादन, लेखन और सलाहकार के तौर पर काम करने के साथ इन प्रकाशनों का मार्गदर्शन भी किया। प्रोफेसर रतन लाल ने 'द प्रिंट' (एन.डी.) में अपने एक आलेख "डॉ. भीमराव अम्बेडकर को पत्रकार और संपादक क्यों बनना पड़ा" में लिखा है कि "डॉ अम्बेडकर को अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए कई पत्र निकालने पड़े। 'न्यूजलांड्री' में सत्येंद्र सिंह ने अपने आलेख 'अम्बेडकर का संघर्ष और उनकी पत्रकारिता' में लिखा है कि " मूकनायक और 'बहिष्कृत समाज' जैसी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन-संपादन कर एक

दौर में डॉ अम्बेडकर ने पत्रकारिता को अपने लक्ष्य का साधन बनाया"। 'बहिष्कृत भारत' में बाबा साहेब के लिखे गए लेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहास के उस कालखंड में वंचित वर्गों के प्रति होने वाले अमानवीय व्यवहार का उन्होंने कड़ा प्रतिकार किया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जनसाधारण को अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित भी किया। बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय समाज की कुरीतियों पर अपनी पत्रकारिता के जरिये लगातार हमले कर एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे।

**पं. मदनमोहन मालवीय के विचार और चिंतन में राष्ट्रवाद**

महामना मदन मोहन मालवीय भारत में स्वदेशभक्ति और राष्ट्रवादी चेतना के विकास के शिखरपुरूष थे। महामना मालवीयजी देश के एक परम विद्वान, प्रख्यात चिंतक और स्वाधीनता सेनानी थे। वह एक पत्रकार और संपादक होने के साथ ही कानूनों के जानकार वकील तथा समाज सुधारक थे। नवयुवकों के चरित्र-निर्माण के लिए और भारतीय संस्कृति की जीवंतता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह जीवनपर्यंत देश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में जुटे रहे। वह भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के परम समर्थक थे। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष की सब जातियों हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी में सच्ची प्रीति और भाइयों जैसा स्नेह स्थापित करना हम सब का बड़ा कर्तव्य है। इससे देश का बहुत कल्याण होगा।

**महामना की पत्रकारिता एवं संपादन में समाज और देश के लिए संदेश**

डॉ. मंगला अनुजा (1996) ने लिखा है कि पत्रकारिता से महामना का नाता निरंतर बना रहा। वह हिंदोस्थान के संपादक रहे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन में निरंतर लिखा। हिंदुस्तान रिव्यू, इंडियन पीपुल जैसे पत्र-पत्रिकाओं में वह निरंतर वैचारिक टिप्पणियों से भारतीय समाज में जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करते रहे। वह देश के तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक और सामजिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर प्रमुखता से अपने विचार रखते थे। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी विषयों पर मालवीय जी समान योग्यता के साथ लिखते थे। उनके लेखों की बड़ी प्रतीक्षा होती थी (चतुर्वेदी, 1994)। अपनी पुस्तक महामना मालवीय और हिंदी पत्रकारिता" में डॉ. लक्ष्मीशंकर व्यास (1987) ने लिखा है कि "मालवीय जी ने अभ्युदय नामक साप्ताहिक का संपादन और प्रकाशन 1907 में प्रारंभ कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान का नवीन अध्याय आरंभ किया"। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन आरंभ हुआ उसके वैचारिक और सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक प्रतिपादन सन 1887 से 1920 तक महामना मालवीय जी ने हिंदी तथा अंग्रेजी पत्रकारिता के माध्यम से किया। मालवीय जी ने पत्रकारिता का युग परिवर्तन किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर मालवीय जी का समान अधिकार था। द हिंदुस्थान, अभ्युदय और सनातन धर्म में प्रकाशित मालवीय जी के लेख सामयिक हैं। उनके लेख भारतीय संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता प्राप्ति के साधनों को खोजने संबंधी अमूल्य निर्देश हैं जिनका अध्ययन मनन और विवेचन विश्लेषण पत्रकारों की नई पीढ़ी को नई दिशा प्रदान कर सकता है। महामना मालवीय की संपादकीय नीति का एकमात्र उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति था। महामना मालवीय जी की पत्रकारिता और उनके संपादकीय विचारों से हमें सच्ची देशभक्ति और अपने समाज, संस्कृति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखता है (तिवारी 2000)"।

## निष्कर्ष

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रमुख भारतीय चिंतकों और संपादकों के विचारों और उनकी लिखी टिप्पणियों के अवलोकन और अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन सभी महान विभूतियों ने अपनी पत्रकारिता और संपादन को देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम के उद्देश्यों को समर्पित कर दिया था। उनकी लिखी टिप्पणियों में अभिव्यक्त विचारों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वह स्वराज्य की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोच्च ध्येय मानते थे। गांधी जहां अहिंसा, सत्य और प्रेम के साथ पूरे भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में पिरोते हुए अपनी पत्रकारिता, संपादकीय टिप्पणियों में स्वराज्य तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे, वहीं तिलक भी देश के लोगों को स्वराज्य को पाने के लिए हर बलिदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक ही महान ध्येय के लिए दो युगपुरूष अथक प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास के अवलोकन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर, सामाजिक समानता, बंधुत्व तथा सभी के लिए समान अधिकारों की बात को समाज में स्थापित कर रहे थे। बाबा साहेब ने भी भारतीय समाज में आवश्यक इन परिवर्तनों के लिए पत्रकारिता को अपना साधन बनाया। वह एक समानतावादी समाज के निर्माण में लगे थे। भारतीय समाज में सभी लोगों के बीच सौहार्द स्थापित किए बिना आजादी संभव भी नहीं थी। महामना मदनमोहन मालवीय जी ने भी अपनी पत्रकारिता और संपादकीय टिप्पणियों के जरिये देश की स्वाधीनता संबंधी विचारों का निरंतर प्रसार किया। इस तरह निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समर में गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर और महामना मदनमोहन मालवीय जी ने अपने वैचारिक चिंतन, पत्रकारिता तथा संपादन से देश में स्वराज्य प्राप्ति के विचारों का प्रसार किया, जनजागरण की लहरों की सतत शृंखला को अपने विचारों से उद्वेलित करने का कार्य किया और स्वयं भी आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहकर अनेक यातनाएं झेलते हुए देश के लिए स्वराज्य तथा आजादी का अमृत हासिल करने के महान लक्ष्य को प्राप्त किया।

## संदर्भ सूची

तिवारी, अर्जुन (1997). हिंदी पत्रकारिता का बृहद इतिहास. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन. पृ. 133-134-180.

पीतलया, रामशरण (2000). हिंदी की कीर्तिशेष पत्र पत्रिकाएं. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी. पृ. 141.

मिश्र, जे.पी. (2019). भारत में स्वाधीनता संघर्ष. दिल्ली: पियर्सन प्रकाशन. पृ.64.

श्रीधर. विजयदत्त (अगस्त, 2021).आंचलिक पत्रकार. पृ.5, आईएसएसएन 2319-3107.

वैदिक, वेदप्राताप (1997).हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम. नई दिल्ली; हिंदी बुक सेंटर . पृ.95.

ढड्ढा, सिद्धराज (सं).(1999). मेरे सपनों का भारत. वाराणसी: सर्व सेवा संघ प्रकाशन. पृ. 20-22.

ढड्ढा, सिद्धराज (सं).(1999). मेरे सपनों का भारत. वाराणसी: सर्व सेवा संघ प्रकाशन. पृ.23.

तिवारी, अर्जुन (2000). इतिहास निर्माता पत्रकार. वाराणसी: विश्वविद्यलय प्रकाशन. पृ. 48.

मिश्र, कृष्णबिहारी (1985).हिंदी पत्रकारिताःजातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि. नई दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ. पृ.285.

अग्रवाल, गिरिराज शरण (सं.). (2011). मैं तिलक बोल रहा हूं. नई दिल्ली: प्रतिभा प्रतिष्ठान. पृ. 7.

यामिनी, रचना, भोला (2020).लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन. पृ. 94.

अनुजा, मंगला (1996). भारतीय पत्रकारिता के नींव के पत्थर. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी. पृ. 119-173.

तिवारी, अर्जुन (2000) इतिहास निर्माता पत्रकार. वाराणसी: विश्वविद्यलय प्रकाशन. पृ. 67.

लाल, प्रोफेसर रतन (एन.डी.). https://hindi.theprint.in/opinion/why-did-dr-br-ambedkar-to-become-a-journalist-and editor/129596/ से पुर्नप्राप्त।

अनुजा, मंगला (1996). भारतीय पत्रकारिता के नींव के पत्थर. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी. पृ.180.

चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद.(1994). हिंदी पत्रकारिता के कीर्तिमान. इलाहाबाद: साहित्य संगम. पृ. 82-86-88.

व्यास, लक्ष्मीशंकर (1987). महामना मालवीय और हिंदी पत्रकारिता. वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय. पृ.3.

# आत्मनिर्भर भारत एवं कोविड-19: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**डॉ. अमित कुमार उपाध्याय***

**सारांश**

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का स्वप्न था कि भारत स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं एवं देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएं। वर्तमान समय में उनका यह स्वप्न भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु एक दृष्टिकोण है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए 12 मई 2020 को पहली बार इसका सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया गया। आत्मनिर्भरता स्वाभाविक एवं स्वस्थ मानसिकता की प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य आयातों पर किसी भी प्रकार की रोक लगाए बिना स्वदेशी निर्माण क्षमता को विकसित करना है। वर्तमान में हमारी स्वदेशी आपूर्ति व्यवस्था बहुत कुशल नहीं है लेकिन विश्वसनीय जरूर है। इस हेतु विश्वसनीयता एवं कौशल दोनों के बीच सुन्दर समन्वय की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह जरूरी है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए हम आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए हमें अपने पर निर्भरता के साथ कौशल विकास की भी आवश्यकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए दो स्वदेशी टीकों को मंजूरी दी गयी थी, ऐसे में विकासशील राष्ट्रों के लिए भारत आशा की किरण लेकर आया। आत्मनिर्भर भारत के कारण हमने चिकित्सा अनुसंधान में जीत की तरफ एक कदम बढ़ाया।

भारत सरकार ने विगत वर्ष मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाकर कोविड-19 संकट से उबारा जा सके।

**बीज शब्द :** आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19, लोकल फार वोकल, इनोवेशन, प्रौद्योगिकी

## प्रस्तावना

सम्पूर्ण विश्व कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर होकर गाँधी के सपने को तभी साकार कर सकता है जब सभी को रोजगार एवं उन्नति के अवसर प्राप्त हों एवं प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर हो। भारत 135 करोड़ नागरिकों का परिवार है, अगर इस परिवार का हर सदस्य राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे तो हमारा राष्ट्र कौशल विकास के साथ ही पूर्णतया आत्मनिर्भर देश होगा। हम कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे स्थानीय विनिर्माण इकाइयां, शिक्षा, रियल एस्टेट, आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा और अन्य क्षेत्रों में मजबूती ला सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कौशल विकास की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए रोजगार के अवसर को प्रदान करना चाहिए। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिकों एवं सरकार के बीच समन्वय जरूरी है। इसके लिए इस भ्रामक तथ्य को भी नकारना होगा कि सब्सिडी या अनुदान आत्मनिर्भरता का आधार हो सकता है। सब्सिडी या

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र विभाग,दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अनुदान पर खर्च होने वाले पैसे को कौशल विकास में लगाया जा सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा (पाण्डेय, 2021)। प्रारम्भ में प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'वोकल फार लोकल' का विचार बाजारवादी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जायेगा लेकिन अब वह भी इसे स्वीकार करने की मुद्रा में दिख रहे हैं।

कोविड-19 महामारी के समय उपजी चुनौतियों से यह स्पष्ट है कि 'वोकल फार लोकल' मन्त्र ही इसका स्थायी समाधान है। 'राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम' के विचार से स्थानीय उत्पादों और उससे सम्बन्धित भारतीय बाजार को नई उर्जा तथा दिशा मिलेगी। आज लोकल उत्पाद ग्लोबल बन गया है एवं इसी का परिणाम है कि भारत में कुल निर्यात में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुयी है। इसी अभियान का परिणाम है कि स्थानीय उत्पादों के प्रति नागरिकों का आकर्षण एवं इसके खरीद के प्रति उत्साह राष्ट्रीय उत्सव के रूप में परिलक्षित हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में विनिर्माण से कृषि, सेवा से निर्यात तक, रक्षा से स्वास्थ्य सेवा को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है (सिंह, रहीस, 2021)।

अपने विकासक्रम में भारत ने अपनी संस्कृति एवं अध्यात्म की विशाल परम्परा का निर्माण किया और इस क्रम में ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प तथा उद्यम की ऐसी शैलियों को विकसित किया जो न केवल भारत की विशिष्ट पहचान है बल्कि भारत आज समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बन गया है जिसके कारण दुनिया भारत की ओर देखने के लिए विवश हुई है।

आज सबसे उपयुक्त बात यह है कि लोकल अब ग्लोबल की तरफ बढ़ रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खादी के ओहाका ब्राण्ड का है जिसको मैक्सिको के युवा मार्क ब्राउन द्वारा स्थापित किया गया है। उसने खादी के विषय में अध्ययन किया और इसको केवल वस्त्र नहीं वरन् जीवन पद्धति के रूप में समझा है। खादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आत्मनिर्भरता के दर्शन से जुड़ा है।

चंदौली का बुद्ध का महाप्रसाद रहा कालानमक चावल, वाराणसी की रेशम की साड़ियां, लखनऊ की चिकनकारी, गोरखपुर की टेराकोटा मूर्तियां, आजमगढ़ की पकी मिट्टी की पटरी, तमिल के टोडा जनजाति के कलाकारों द्वारा बनाई गयी शॉल, चंदेरी का काटन, मधुबनी की पेंटिंग किए गये परिधान या पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले जूट के उत्पाद, इन समस्त उत्पादों से यह स्वयं सिद्ध है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है (सिंह, रहीस, 2021)। इसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' कार्यक्रम की शुरूआत की है।

यह अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है, इसके अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। एक जिला-एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) भारत के देशज उत्पादों को बढ़ावा देकर देश की संस्कृति का संवर्धन करता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एक लाख करोड़ रूपये की राशि की कृषि अवसंरचना कोष (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) नामक एक नई अखिल भारतीय योजना को मंजूरी दी थी (agriinfra.dac.gov.in)।

आत्मनिर्भर भारत के तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार ने मार्च 2020 से अर्थव्यवस्था के 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रूपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम लागू की है जिसके अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग भी शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत के अभिन्न योजनार्गत भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ उर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू किया है (महापात्रा, एवं

महापात्रा, 2021)। 'आजादी का अमृत महोत्सव' भारत की स्वतन्त्रता के 75 वर्ष के साथ श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत स्पष्ट कर दिया है कि भारत को स्वच्छता एवं हरियाली की दृष्टि से अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा (उर्जा मन्त्रालय की रिपोर्ट, 2021)।

**आत्मनिर्भर भारत की रणनीति**

आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए 4-L पर बल दिया है। 4-L यानी Land, Labour, Liquidity and Law पर फोकस है। जमीन के बिना किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उद्योगों को आसानी से जमीनें उपलब्ध हो सकें।

श्रम के बिना भी उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए श्रम से जुड़े कानूनी पहलुओं की जटिलताओं को समाप्त किया जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए नगदी का होना भी आवश्यक है। अतः नगदी के प्रवाह को बनाये रखने के लिए सरकार तत्पर है। देश में कई ऐसे कानून हैं जिनसे विकास में रूकावटें आती हैं। इसलिए ऐसे कानूनों में बड़े बदलाव लाने की आवश्यकता है (नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21)।

**आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्षित क्षेत्र**

वैसे तो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य समस्त क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, फिर भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, प्रवासी श्रमिकों, नागरिक उड्डयन, रक्षा, ऊर्जा, आवास और सामाजिक क्षेत्रों पर इसका विशेष फोकस रहेगा। SMEs को आर्थिक रूप् से सक्षम बनाने हेतु इसकी परिभाषा में भी संशोधन किया गया है। संकटग्रस्त SMEs के लिए 20 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इनको प्रोत्साहित करने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' का नारा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि SMEs को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। 6 करोड़ से अधिक SMEs हमारे जीडीपी में 29% और निर्यात में लगभग 50% का योगदान करते हैं। इसमें लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है।

**आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में हालिया सफलताएँ**

भारत ने पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, सैनिटाइजर और N-95 मास्क का स्वदेशी निर्माण शुरू कर दिया है। पहले यही चीजें हमें विदेशों से मंगानी पड़ती थी। इन सभी चीजों का भारत में निर्माण होना आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। भारत ने कोरोना वायरस का टीका (कोवैक्सीन) बनाकर विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत के अंदर असीम क्षमताएँ विद्यमान हैं। भारत ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के टीके का निर्यात किया है।

चीन के अनेक मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने मोबाइल उत्पादों का स्वदेशीकरण करने हेत 'इनोवेट फॉर आत्मनिर्भर इण्डिया' जैसी प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया है। 'मित्रों', 'नमस्ते', 'चिंगारी', 'जियो मीट' आदि जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस इसी के परिणाम हैं (एनएसएसओ स्टडी, 2013)।

**आत्मनिर्भर भारत की राह में चुनौतियाँ**

1. लागत और गुणवत्ता : भारत में उत्पादित सामानों की एक बड़ी समस्या यह है कि इनकी लागत अधिक होती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी हो और लागत कम हो। ऐसा होने पर ही हमारे उत्पाद घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, अन्यथा नहीं।
2. आर्थिक समस्या: भारत में बढ़ती जनसंख्या एवं गरीबी, दोनों मुँह बाये खड़ी हैं। किसी भी नये उत्पाद के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है-पूँजी। हालाँकि सरकार कई ऐसी योजनाएँ चला रही है जो किसी भी नये व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं तथा कुछ अन्य सुविधाएँ भी मुहैया कराती हैं; जैसे-मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैण्ड-अप इण्डिया आदि।
3. आधारभूत ढ़ाँचा: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में विश्व स्तरीय आधारभूत ढ़ाँचे का अभाव है। चीन से निकल रही अधिकांश कम्पनियों के भारत में न आने का सबसे बड़ा कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में एक मजबूत आधारभूत ढ़ाँचे के अभाव को माना जा रहा है।
4. अन्य समस्याएँ: भारत में नये उत्पाद बनाने वालों को व्यक्तिगत स्तर पर कटु अनुभवों का सामना करना पड़ता है। नवाचारों को सुरक्षित रखने और बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत लाने में अनेक बाधाएँ आती हैं। भारत में पेटेंट की प्रक्रिया भी अत्यन्त जटिल है।

**निष्कर्ष**

कोविड-19 संकट से उत्पन्न मौजूदा संकट दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर चुका है। इससे केवल विकासशील राष्ट्र ही नहीं वरन् पश्चिमी विकसित राष्ट्र भी प्रभावित हो चुके हैं। भारत जैसे राष्ट्र जिनके पास मौजूदा आर्थिक संसाधनों को लेकर चुनौती है, इसके विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता देना इसके लिए अत्यंत आवश्यक था। आत्मनिर्भर भारत योजना सरकार की ऐसी ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य भारत एवं उसके जागरूक नागरिकों को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों होने के बाद भी भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन सभी उद्यम क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हेतु उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करे। भारत को इच्छाशक्ति (Intent), समावेशन (Inclusion), निवेश (Investment), बुनियादी ढ़ाँचा (Infrastructure) और नवाचार (Innovation) पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जो आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण आधार है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कोविड सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत जैवप्रौद्योगिकी विभाग को शोध एवं विकास हेतु 900 करोड़ रूपये की भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अन्तर्गत 6,000 करोड़ की सहायता, कृषि सहायता हेतु 65,000 करोड़, औद्योगिक ढ़ाँचे, औद्योगिक एवं घरेलू रक्षा उपकरण के विकास हेतु 10,200 करोड़ की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार या संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा वरन् इससे दुनिया के सकारात्मक एवं सतत विकास में मदद मिलेगी। भारत वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता

(Self-Reliance), आत्म-केन्द्रितता की शर्त पर नहीं चाहता अपितु वह दुनिया की प्रगति एवं विकास में योगदान करना चाहता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने एवं भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी राष्ट्र के नागरिक आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी एवं मांग को मजबूत करें एवं COVID-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बाद देश के नागरिकों का सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है जिससे कि वह देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें तथा 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें।

## संदर्भ सूची

पाण्डेय, विजय कुमार, (2021). कौशल विकास से होगा भारत आत्मनिर्भर, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर अंक।

सिंह, डॉ. रहीस (2021) वोकल फॉर लोकल तथा लोकल से ग्लोबल, योजना, दिसम्बर अंक।

https://agriinfra.dac.gov.in.

महापात्रा, डॉ. अमिय कुमार, महापात्रा, तमन्ना (2021) उर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, योजना, दिसम्बर।

नवीन और नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय की रिपोर्ट (2021)।

नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट (2020-21)।

एनएसएसओ स्टडी (2013). Situational Assessment Survey of Agricultural Households.

# आदिवासी आन्दोलन में राष्ट्रवाद : बिरसा आन्दोलन के संदर्भ में

**अरुण कुमार वर्मा***

**सारांश**

बिरसा मुण्डा आंदोलन आदिवासी आन्दोलनों के इतिहास में 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह के बाद का दूसरा महत्वपूर्ण आन्दोलन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद तथा स्वदेशी आन्दोलन के पूर्व होने वाले आंदोलनों में यह आन्दोलन सबसे सशक्त आन्दोलन माना गया है जो विस्तृत आदिवासी क्षेत्र में फैला हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में मुंडा समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। यह आन्दोलन मूल रूप से ब्रिटिश राज और उसके समर्थक जमींदारों, सूदखोरों, महाजनों के शोषण के खिलाफ था। अंग्रेजी राज ने अपने भू-प्रबंधन (जो इग्लैंण्ड में जमींदारी प्रथा के रुप में प्रचलित थी) में थोड़ा-बहुत बदलाव करके भारत मे लागू कर दिया था जो यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। इस नये भू-राजस्व की नीति ने आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त ही नही किया बल्कि एक नए वर्ग को जन्म दिया जो जमींदार के रुप में जाने गए। ये प्रायः गैर-आदिवासी समुदाय के होते थे। यह वर्ग, समय पर भू- राजस्व की अदायगी न किये जाने के नाम पर उनकी भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किये, जो ब्रिटिश राज के लिए आधार स्तंभ बने हुए थे, जिसके चलते इस वर्ग को ब्रिटिश राज द्वारा संरक्षण दिया जाता था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात कम्पनी शासन की सत्ता 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला आया। जिसने शोषण के उन्नत तरीकों को अपनाकर आदिवासी जीवन को और दुरूह तथा कठोर कर दिया। शोषण के खिलाफ इन समुदायों द्वारा निरंतर संघर्ष किया जाता रहा था तो वहीं बढ़ते असंतोष के दौर में ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ.ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना (1885) की। कांग्रेस की स्थापना के प्रारम्भिक दौर में कांग्रेस में मध्यम-वर्गीय बैद्धिक लोंगो का वर्चस्व रहा, जो उदारवादी प्रवृत्ति के थे और उनका मानना था कि भारत की दुर्दशा का जिम्मेदार गरीबी, अशिक्षा तथा पिछड़ापन हैं। इन समस्याओं का समाधान अंग्रेजी राज की सहायता से किया जा सकता है। पर आदिवासी जगत इससे भिन्न, अंग्रेजी राज को ही भारत की बर्बादी का कारण मानता था और उससे मुक्ति के लिए संघर्ष को आवश्यक मनता था। इसी बदलाव के परिपेक्ष्य में यह शोध आलेख प्रस्तुत किया गया है।

**बीज शब्द :** आदिवासी आन्दोलन, बिरसा मुण्डा आंदोलन, जमींदारी प्रथा, ब्रिटिश शोषण, भू-राजस्व नीति, मुक्ति संघर्ष

**प्रस्तावना**

प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व हुए आदिवासी विद्रोहों में कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह आदि को ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक बलो के माध्यम से दबा दिया। पर 1857 के संग्राम के परिणाम स्वरुप कम्पनी शासन समाप्त होकर 1858 में ब्रिटिश संसद के हाथों में चला आया। जो अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के वाणिज्य पूँजी का शासन था, वह अब बदलकर ब्रिटिशऔद्योगिक पूँजी का शासन हो गया। इस बदलाव के बाद जो नए आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव आये उसने आदिवासी आन्दोलन

*शोध छात्र, इतिहास विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

को पुनः जागृत कर दिया। शासन/प्रशासन के इस बदलाव के कारण भारत में शोषण के स्वरूप में बदलाव आया जो पीछे के शोषण के स्वरूप से ज्यादा घातक और कठोर थे। इसका प्रभाव आदिवासी समुदाय पर भी पड़ा। बढ़ती हुई भू-राजस्व की दर आदिवासी समाज को गरीबी व भुखमरी में जीने को विवश कर रहा था।

यद्यपि ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद से भारतीय स्थिति में बदलाव शुरु हो चूका था। इस बदलाव के परिणामस्वरूप 1885 में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन के रुप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इस संगठन के प्रारम्भिक समयों (1885-1905) में उद्देश्य स्पष्ट न होने तथा उदारवादियों के प्रभाव के कारण कोई विशेष सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक आंदोलन नहीं किये गए । इन उदारवादियों का मानना था कि संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश संसद द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसी विश्वास के साथ उदारवादियों द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश संसद को भारतीय समस्याओं से अवगत कराया जाता था । लेकिन ब्रिटिश संसद द्वारा कोई विशेष सकारात्मक रुख अख्तियार नही किया जाता था। इस राष्ट्रीय संगठन की स्थापना से पूर्व 1881 से आदिवासी समुदाय में विरोध की ज्वाला भड़कना प्रारम्भ हो गयी जिसने 1895 तक कई छोटे-बड़े विद्रोहों को जन्म दिया पर ब्रिटिश सरकार द्वारा इन विद्रोहों को दबा दिया गया। इन विद्रोहों को दबाने की प्रक्रिया 1858 के पूर्व की तुलना में ज्यादा व्यापक तथा कठोर रही। चूँकि इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आदिवासियों की मांगों को अपने एजेन्डा में शामिल नहीं किया गया तथा न ही उसे नेतृत्व देने का प्रयास किया गया। इस हालात में आदिवासियों को बिरसा मुंडा का नेतृत्व मिला, जिसने एक सशक्त आदिवासी आन्दोलन शुरु किया। उस दौर में उदारवादी कांग्रेसियों तथा आदिवासियों की सोच में बुनियादी अंतर यह था कि जहाँ उदारवादी कांग्रेसी भारत की बदहाली, गरीबी, भुखमरी तथा पिछड़ेपन का कारण ब्रिटिश राज को न मानकर भारत की अशिक्षा को मानते थे तथा इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अंग्रेजों की मदद आवश्यक मानते थे तो वहीं आदिवासी समुदाय की समझ उदारवादी कांग्रेसियों से अलग थी। आदिवासी समुदाय भारत की बदहाली का कारण ब्रिटिश राज की नीतियों तथा उनके समर्थित जमींदारों, साहूकारों आदि को मानते थे। इन वर्गों से मुक्त होने की भावना आदिवासियों में बलवती होती जा रही थी। इस तरह से आदिवासी आन्दोलन तिलक के उग्रपंथी विचारधारा की तरह धार्मिकता से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है और उसमे अंग्रेजी राज तथा इसके समर्थक जमींदारों, साहूकारों, महाजनों आदि से मुक्ति पाने का भाव सन्निहित था।

19 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब मुंडा व उराँव सरदार तमाम कोशिशों और नीतियों से अपनी भूमि बचाने में असफल साबित हो रहे थे तब उसी समय (1895) बिरसा मुंडा का उदय एक क्रांतिकारी आदिवासी के रूप में हुआ। जिस समय बिरसा मुंडा का उदय हुआ उस समय मुंडा समुदाय के लोग हताशा के चरमोत्कर्ष से गुजर रहे थे और अपनी सामाजिक-धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे थे। साथ ही उनको भूमि से बेदखल कर उनसे बेगार कराया जाता था और ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस कार्य के लिए उन्हें ना ही कोई विशेष सहायता दी जा रही थी बल्कि राजस्व वसूली के नाम पर उनका सब कुछ जब्त किया जा रहा था। इस हालात में थोड़ा बहुत शिक्षित 19 वर्षीय बिरसा जिसने ईसाई मिशनरी से कुछ धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण कर रखी थी, चाईबासा के मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते समय पहली बार ईसाई पादरी से आदिवासियों की आलोचना करते सुना। इसी से बिरसा का ईसाई धर्म से मोह भंग हो गया और वह ईसाईयों की खुल कर आलोचना करने लगा

तथा मिशनरी सरदारों को धोखेबाज कहने लगा और ईसाई पादरी नोट्रेट से बहस कर लिया, जिसके कारण उन्हें वह स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। इतिहासकार कुमार सुरेश सिंह के अनुसार तब बिरसा ने कहा था 'साहब-साहब एक टोपी है' (सिंह, 2003)।

स्कूल से निकाले जाने के बाद बिरसा ने देखा कि मुंडा समुदाय की स्थिति ठीक नहीं है तथा वह गरीबी व भुखमरी के कारण मर रहे हैं। एस.सी. राय के अनुसार 'उन्ही दिनों बिरसा पर बिजली गिरी और उसे ईश्वर का संदेश प्राप्त हुआ'(राय, 2017)। उन्होंने अपने अनुनायियों को कई देवी-देवताओं की पूजा न करने तथा एक ही सींगबोंग की अराधना करने, सादा जीवन बिताने, पशु बलि, मादक पदार्थों के सेवन, मांसाहार न करने तथा अपने समर्थकों को यज्ञोपवित धारण करने का उपदेश दिया। बहुत ही कम दिनों में उसके समर्थकों की संख्या काफी बढ़ गई तथा कुछ ईसाई धर्म वाले भी उनके समर्थन में आ गए (राय, 2017)। बिरसा के समर्थक बिरसा को भगवान, पैगम्बर, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार मानते थे तथा समझते थे कि बिरसा को कुछ नैसर्गिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

**बिरसा मुंडा आन्दोलन का प्रारम्भिक चरण-**

ब्रिटिश प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बिरसा की लोकप्रियता के कारण उनके अनुयायियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार को बिरसा के बढ़ते प्रभाव में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आन्दोलन की पृष्ठभूमि तथा मुण्डा राज्य के स्थापना की आशंका प्रतीत हो रही थी। बिरसा ने अपने समर्थकों के बीच यह प्रचारित करना प्रारम्भ कर दिया था कि जब तक ब्रिटिश शासन तथा उसके समर्थक जमीदारों, साहूकारों से आदिवासी अपने को मुक्त नहीं करा लेते तब तक आदिवासियों का कल्याण संभव नहीं है। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों के खिलाफ संगठित आन्दोलन चलाने को प्रेरित किया। इस कारण सरकार ने बिरसा आन्दोलन को शुरू में ही दबा देने का प्रयास किया। इसी प्रयास में राँची जिले का आरक्षी अधीक्षक स्वयं गया। उसके अनुयायियों को कानों-कान खबर हुए बिना ही बिरसा को सोये हुए जगह से उसके मूँह में कपड़ा ठूँस कर हाथी पर बैठा कर राँची ले जाया गया। जब बिरसा को जेल के अन्दर लाया जा रहा था उसी दौरान जेल की एक दीवार गिर गयी। राँची के पुलिस उपायुक्त के अनुसार लोगों की जानकारी में भारी खून-खराबा होने का खतरा था, इसलिए गिरफ्तारी रात में चुपचाप की गई।

24 अक्टूबर1895 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान बिरसा समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया पर बाद में छोड़ दिया गया। इस प्रदर्शन के बाद बिरसा को पुनः राँची ले जाया गया जहाँ उसके 15 सहयोगियों के साथ राँची के उपायुक्त की अदालत में नवम्बर, 1895 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई (दत्त,2014) जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 505 और कुछ अन्य धाराओं के तहत चलाया जा रहा था। इस मुकदमे के तहत 50 रुपये का जुर्माना बिरसा पर लगाया गया तथा न देने की स्थिति में छ: माह कैद की सजा सुनाई गयी।

**राजनीतिक उद्देश्य**

अब बिरसा आन्दोलन धीरे-धीरे राजनीतिक रुप लेने लगा था। इसने ब्रिटिश राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर सरकार को चुनौती देने के लिए लोगों को प्रेरित किया तथा लोगों को बताया कि महारानी का राज समाप्त हो गया है और अब मुंडा राज का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही बिरसा ने एक निषेधाज्ञा जारी कर लोगों से आग्रह किया कि रैयत भविष्य में मालगुजारी नही देंगे (निसरता, 2014)।

महारानी विक्टोरिया हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवम्बर 1897 को बिरसा तथा उसके 15

सहयोगियों को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। अंग्रेजो का मानना था कि जेल में रहने के बाद बिरसा का प्रभाव तथा विद्रोह की गति मंद पड़ जाएगी पर बिरसा अब और अधिक कट्टर तथा साम्राज्यवाद विरोधी के रुप में निखरा। अब बिरसा ने आदिवासी शोषणकर्ताओं के विरुद्ध जन-जागरण अर्थात जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया (निसरता, 2014)। इससे लोगों में बिरसा की प्रतिष्ठा बढ़ती गयी और लोग उन्हें अपना हितैषी मानने लगे। बिरसा ने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए एक सेना गठित करने की जरूरत को महसूस किया जो जनसंघर्षो के लिए आवश्यक था। बिरसा ने गाँव-गाँव घूमकर आदिवासी युवाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरु किया तथा अपने नजदीकी सहयोगी 'गया मुण्डा' को सेना में भर्ती हुए नवयुवकों को प्रशिक्षित करने का कार्यभार सौप दिया। इन नवयुवकों को परम्परागत हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था जिसमें तीर-धनुष, तलवार, भाला आदि था। बिरसा दल का सेनापति तथा मंत्री गया मुंडा था। बिरसा ने अपने दल का मुख्यालय खूँटी को बनाया था।

इस आन्दोलन का स्वरूप और अधिक क्रांतिकारी होने के साथ ही राजनीतिक भी होता जा रहा था। पर बिरसा आन्दोलन के राजनीतिक स्वरुप को अचानक सामने नहीं लाना चाहता था। इसी राजनीतिक क्रांति में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण भाव छिपा हुआ था (मीणा, 2015)। फरवरी 1898 में डोंबारी में जगारी मुंडा के घर बिरसा ने एक सभा कर वहां की डोंबारी पहाड़ी पर सफ़ेद व लाल झंडे फहराए। सफ़ेद झंडा मुंडाओं का तथा लाल झंडा शोषकों का प्रतीक था। इसमें कई मुंडा सरदारों द्वारा प्रतिभाग किया गया। यह सभा पूरी तरह से राजनीतिक सभा थी। बिरसावादियों ने 1899 के अन्त तक अनवरत योजनाबद्ध तरीके से कार्य किये तथा अनेकों सभाएँ कीं। बिरसा ने डोंबारी पहाड़ी की सभा में लोगों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया तथा उससे निकलने के लिए संघर्ष करने को कहा। उसका मुख्य लक्ष्य था अपनी सरकार की स्थापना करना। इस तरह से बिरसा आन्दोलन राजसत्ता की प्राप्ति के लिए राजनीतिक आन्दोलन का रूप ले लिया जिसका लक्ष्य था सशस्त्र आन्दोलन के साथ सत्ता पर कब्जा करना।

1899 के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कार्रवाइयाँ आरम्भ करने की योजना बनायी गयी। यह आन्दोलन शोषित आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता तथा उसके समर्थक भू-स्वामियों, महाजनों तथा अन्य शोषक वर्गों के खिलाफ एक हथियारबंद वर्ग संघर्ष था जो हिंसक आन्दोलन के रूप में सामने आया। कहीं शोषकों के घरों को जलाया गया तो कहीं महाजनों तथा जमींदारों के घरों को लूटा गया। मुंडा के आदेश पर तमाड़, खूंटी, रांची, उलीहात आदि क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। जिससे अंग्रेजी शासन काफी डर गया। रांची के तात्कालिक उपायुक्त स्ट्रेटफिल्ड ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया। अंग्रेजी सेना तथा विद्रोहियों के मध्य सैल रकाब की पहाड़ी पर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंग्रेजी सेना ने निर्दयतापूर्वक आदिवासी विद्रोहियों का नरसंहार किया। इस क्रूरतम नरसंहार के कारण मुंडा विद्रोहियों ने घुटने टेक दिए। प्रशासन का दमन इतना कठोर था कि महिलाओं और बच्चों तक की हत्याएँ की गईं, लाशों को पहाड़ी दर्रों में उसी तरह फेंक दिया गया और कुछ मृतकों को गुडहाट मे खाई खोद कर गाड़ दिया गया। नृशंसता का आलम यह था कि कई घायलों को जिन्दा ही खाई में गाड़ दिया गया। गुडहाट के निवासी श्रीराम मुण्डा के अनुसार उनके ग्राम वासियों में जो शहीद हुए थे उनमें- सगराई मुंडा, लखन मुण्डा, हरि मुण्डा, नीबाई मुण्डा, हाथीराम मुण्डा, सनुक मुण्डा, भक्ता मुण्डा, नरसिट मुण्डा, डोका मुण्डा, समराई मुण्डा, हुगरा मुण्डा, रेपो मुण्डा, रूस मुण्डा, बुगराई मुण्डा और सनिक मुण्डा थे। जिसमे जिन्दा ही दफ़न कर दिए जाने वालो में हाथी राम मुण्डा और सगराई मुण्डा थे ( टोड्रू)।

9 जनवरी 1900 के गोली काण्ड के बाद समस्त प्रशासन इस आन्दोलन को दबाने में लग गया। जगह-जगह पुलिस और कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारियों की तैनाती की गई। इस गोली कांड के समय बिरसा और गया मुण्डा उपस्थित नहीं थे। वे अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए गांवों में भ्रमण कर रहें थे। जब एटके गाँव में गया मुण्डा गया तब उसे पुलिस दल द्वारा घेर लिया गया तथा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बिरसा सिंहभूम जिला के जमक्रोपाई (चक्रधरपुर) के जंगलों में छिपे रहते थे और रात में समीपवर्ती गांवों में जाकर अपने अनुयायियों को संगठित करते रहे। 3 फरवरी 1900 को सिंहभूम के सेंतरा के पश्चिमी जंगल के अन्दर बिरसा मुंडा को बंदी बनाकर पुलिस के संरक्षण में रांची जेल भेज दिया गया। बिरसा पर, सरकार ने बगावत करने तथा हिंसा व आतंक फ़ैलाने का आरोप लगाया। अंतत: जेल में बिरसा ने 3 जून 1900 ई. को हैजे के कारण दम तोड़ दिया। बिरसा की मृत्यु ने अत्याचार तथा शोषण के विरोध में चल रहे आदिवासी आन्दोलनों पर अंकुश लगा दिया (निसरता,2014)।

**निष्कर्ष**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) से असहयोग आन्दोलन (1921) तक के संपूर्ण काल में जो भी आदिवासी आन्दोलन हुए उनके प्रति कांग्रेस का किसी तरह की प्रतिक्रिया का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है । जिस समय राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गाँधी के हांथो में आया तथा असहयोग आन्दोलन शुरू होने के काल में आदिवासी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सका । इस तरह से आदिवासी आन्दोलन विशुद्ध रूप से आदिवासी नेताओं तथा आदिवासी जनता द्वारा ब्रिटिश राज व उसके समर्थक जमींदारों और महाजनों के खिलाफ शोषित आदिवासियों का एक संघ स्थापित हुआ जो औपनिवेशिक शासकों तथा उसे मदद करनेवाले वर्गों के खिलाफ लड़ता था। आदिवासी आन्दोलनों की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि यह एक सशस्त्र आन्दोलन थे और परम्परागत हथियारों पर निर्भर थे। वहीं ब्रिटिश सेना आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से परिपूर्ण थी। जहाँ आदिवासी अपनी आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने हेतु संघर्ष कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी राज्य ने भारत में विकसित आर्थिक प्रबंधन को कायम कर रखा था । उस काल की जरुरत के मुताबिक आदिवासी उत्पादन प्रणाली को विकसित करने की सामर्थ्य आदिवासियों में नहीं थी। आदिवासी अपनी परंपरागत व्यवस्था में किसी प्रकार के बाह्य बदलाव की हिमायत नहीं करते थे। जब राष्ट्रीय आन्दोलन से आदिवासियों ने अपने को जोड़ा तब उस काल में विभिन्न वर्गीय प्रश्न आदिवासियों तथा कांग्रेस के बीच उठ रहे थे। बाद के वर्षों में आदिवासी आंदोलनों में यह अंतर और भी स्पष्टया दृष्टिगोचर होता है।

## संदर्भ सूची

कुमार, सुरेश सिंह (2003). बिरसा मुंडा और उनका आन्दोलन. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन।
राय, एस. सी. (2017). द मुंडाज एंड देयर कंट्री. नई दिल्ली : ज्ञान बुक्स।
दत्त, के. के. (2014). बिहार में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास. पटना : बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी।
निसरता, डी. वी. (2014). आदिवासी दमन शोषण और यथार्थ. नई दिल्ली : रावत प्रकाशन।
मीणा, केदार प्रसाद (2015). आदिवासी विद्रोह. नई दिल्ली : अनुज्ञा बुक्स।
टोद्रू, मोचाराऊ. श्री बिरसा भगवान, रांची।

# कोविड-19 काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि में सहायक वनस्पतियाँ: नैना देवी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में

**डॉ. रोमिता देवी***

**सारांश**

हिमाचल प्रदेश गांव में बसने वाला प्रदेश है जहां जड़ी-बूटियों का अथाह खजाना है। नैना देवी बिलासपुर जिला, हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है जो नैना देवी मंदिर के लिए सुप्रसिद्ध है। यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों में बसा हुआ है। इस क्षेत्र के लोग इन औषधियों का उपयोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस शोध पत्र में स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पेड़-पौधों और उनके भागों के उपयोगों को वर्णित किया गया है । स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। इन औषधियों का अंग्रेजी दवाइयों की तरह शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए लोग इन औषधियों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। इन औषधियों को लिखकर संजोना समय की मांग है ताकि यह औषधियां सदियों तक जिंदा रह सकें। इस शोध पत्र में पेड़-पौधों और उनके भागों के उपयोगों को लिखकर संजोने का प्रयास किया गया है ताकि यह औषधियां सदियों तक हमारे समाज में रह सकें और इनका उपयोग आने वाली पीढ़ियां कर सकें।

**बीज शब्द :** स्थानीय, वनस्पति, औषधियां, प्रतिरोधक, शिवालिक

**प्रस्तावना**

भारत एक प्राचीन देश है। यहां के ऋषि-मुनियों ने जंगलों में तपस्या करके ज्ञान की खोज की तथा मानव जाति के कल्याण के लिए बहुमूल्य ग्रंथों की रचना कर ज्ञान को संचित किया। ऋषि-मुनि प्रकृति की गोद में रहते थे तथा अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते थे। ऋषि-मुनियों ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा तथा पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान को संचित किया। धनवंतरी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी और देवताओं के वैद्य थे। पेड़-पौधों के बारे में जो ज्ञान आदि काल से चला आ रहा है वह ज्ञान आज के समय में भी उतना ही लाभदायक है जितना पुराने समय में हुआ करता था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है और इस विकास की अंधी दौड़ में हम अपने पूर्वजों के पुरातन ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। आज विश्वभर के चिकित्सक बड़ी-बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। इसके बावजूद अमेरिका जैसा विकसित देश कोरोना महामारी के आगे टिक नहीं पाया। कोविड-19 महामारी के संकट काल में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बताए गए आयुर्वेद के उपाय कारगर साबित हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर मन की बात कार्यक्रम द्वारा देशवासियों को संबोधित करते हुए कोविड-19 से बचाव के उपाय सुझाए। उन्होंने आयुर्वेद में वर्णित उपायों पर बल दिया तथा देसी जड़ी-बूटियां जो हमारे आस पड़ोस में पाई जाती हैं उन्हें प्रयोग करने की सलाह दी। कोविड-19 के संकट काल में जो व्यक्ति प्रकृति

*सहायक प्राध्यापक, जैव-विज्ञान विभाग, एमएलएसएम कॉलेज, सुंदरनगर, जिला मंडी, एच.पी.

के नजदीक रहे कोविड-19 महामारी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जड़ी-बूटियों के बारे में हमारा ज्ञान बहुत अमूल्य है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमें इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा है उसको हम भी आगे बढ़ाएं।

हिमाचल प्रदेश औषधीय पेड़-पौधों का खजाना है। प्रदेश के लोग शहरों से दूर गांव में रहते हैं। यहां पर अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए स्थानीय निवासी जो पेड़-पौधे उनके आसपास उगते हैं, उनके उपयोग को भलीभांति समझते हैं। इन पेड़-पौधों और उनके भागों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बीमारियों को दूर भगाने के लिए करते हैं। इससे पहले समयानुसार और लोगों ने भी पेड़-पौधों के उपयोगों के बारे में वर्णन किया है (धीमान, 1976; दत्ता, 1985; खरे,. 2004; कीर्तिकर और बासु, 1984)। लेकिन आज तक इस क्षेत्र के पेड़-पौधों और उनके उपयोगों के बारे में किसी ने लिखित वर्णन नहीं किया है, इसलिए इस शोध पत्र के माध्यम से इन औषधियों के उपयोगों के बारे में विस्तृत वर्णन करने का प्रयास किया गया है ताकि आने वाले समय में लोगों के काम आ सके।

**अध्ययन क्षेत्र**

हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ-साथ हिम-आंचल भी कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में यहां की चोटियां बर्फ का आवरण ओढ़ लेती हैं। यह प्रदेश भारत में अक्षांशों की दृष्टि से 30 डिग्री 22 मिनट 14 सेकेंड उत्तर में, 33 डिग्री 12 मिनट 20 सेकेंड उत्तर और देशांतर 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड पूर्व से पश्चिम, 79 डिग्री 44 मिनट 22 सेकेंड पूर्व में स्थित है (मैमगेन, एम. डी. 1975)। प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या स्थाई रूप से गांव में रहती है। नैना देवी का यह क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां पर सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी भी स्थित हैं। यहां के लोग भोले-भाले और सीधे-साधे हैं और शहर से दूर, दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। लोग स्थानीय पेड़-पौधों का उपयोग रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने और बीमारियों को दूर भगाने के लिए करते हैं और बीमार होने पर इनका उपयोग इलाज में किया जाता है। बीमारी के समय में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अस्पताल तक पहुंचना कठिन होता है इसीलिए यह पेड़-पौधे इनके बहुत काम आते हैं। इस शोध पत्र में इन पेड़-पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग वर्णित किया गया है।

**सामग्री और तरीके**

नृवंशविज्ञान संबंधित उपयोग होने वाले पौधों की जानकारी गांव के लोगों से इकट्ठी की गई है। यह लोग नैना देवी मंदिर के आसपास के गांव में रहते हैं। पेड़-पौधों के बारे में सारी जानकारी और उनकी पहचान वहां के स्थानीय जानकार लोगों से इकट्ठी की गई है जो इन पौधों का उपयोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। तथ्य संकलन हेतु अनुभवी लोगों को चिन्हित करने के लिए गाँव के लोगों (तहसील नैना देवी) से बातचीत कर प्रत्येक गाँव से लोगों को चिन्हित किया गया और उनसे साक्षात्कार विधि द्वारा असंरचित प्रश्न सूची की सहायता से जानकारी एकत्रित की गई। सर्वेक्षण और तथ्य संकलन हेतु सुविधा प्रतिचयन विधि एवं अवलोकन विधि का उपयोग किया गया है।

यह लोग इन औषधियों से काढ़ा (Decoction) बनाते हैं। यह काढ़ा उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है। इस काढ़े का उपयोग इन लोगों ने कोविड-19 के समय में बहुतायत में किया और अपने आप को बीमारियों से बचा कर रखा और इस तरह से देश के लिए अपना

योगदान दिया। पौधों के बारे में निर्दिष्ट जानकारी जैन और गोयल (2005) निर्देशन पत्र के अनुसार की गई है और जैन और राव (1977) के अभ्यास के अनुसार की गई है। पौधों की पहचान क्षेत्रीय वनस्पति विज्ञान की किताबों (चौहान, 1999; चौधरी और बाधवा, 1984; कॉलेट, 1902; धीमान, 1976, पोलूनीन और स्टेनटन, 1984; स्टेनटन, 1988) से की गई है। इनकी सत्यता की जांच भारत का वनस्पति सर्वेक्षण, बीएसआई उत्तरी क्षेत्र देहरादून से की गई है। पौधों के नामों की पहचान के लिए बेनेट (1986) और विगरसकाया (1995) प्रयोग किए गए। क्षेत्रीय पौधों की पहचान अलग-अलग स्रोतों से की गई है।

## चर्चा

वर्तमान अध्ययन में 14 पेड़-पौधों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। नीचे दिए गए टेबल में इन पेड़-पौधों के वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम, स्थानीय नाम, उपयोग किए गए भाग, पेड़-पौधों के वास स्थान से संबंधित उल्लेख किया गया है। स्थानीय लोग इन पेड़ पौधों के बीज, छाल, सूखी पत्तियां, फूल, फूल की कलियां, जड़ें, पौधे के ऊपरी भाग का उपयोग करते हैं। वैसे तो इन पेड़-पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है परंतु कोविड-19 काल में इनका उपयोग स्थानीय निवासी विशेष प्रकार का काढ़ा बनाकर करते थे। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई और कोविड-19 समय में लोग कम बीमार हुए और अन्य बीमारियों से भी दूर रहे। इन 14 पेड़ पौधों में 2 (Zingiberaceae), 2, (Lauraceae), 2 (Apiaceae), 2 (Piperaceae), 1,1 (Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Violaceae, Solanaceae, Myrtaceae) कुल (Families) से हैं।

कोविड-19 (कोरोना) से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। आयुष मंत्रालय के विशेषज्ञों ने कोरोना से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवस्था और इसके अलावा संक्रमण से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अश्वगंधा, अदरक, तुलसी और काली मिर्च को मिलाकर बनने वाली चाय (हर्बल टी) या काढ़ा पीने की सलाह दी। आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा कि सादेपानी में अजवाइन या कपूर डालकर उसका भाप भी ले सकते हैं। लौंग या मुलेठी को शहद के साथ दिन में दो से तीन बार लेने की सलाह दी। आयुष मंत्रालय ने बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए "बाल रक्षा किट" बनाई है। मंत्रालय ने कहा की "बाल रक्षा किट" बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है और बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने में सहायक सिद्ध होगी और उनको स्वस्थ रखेगी (www.ayush.gov.in)। यह किट एक तरह का सिरप है जिसमें तुलसी, गिलोय, दालचीनी आदि पौधों के भाग हैं जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी और उनको स्वस्थ रखेगी। कोविड-19 ने प्राचीन काल से रोगों को दूर भगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पेड़-पौधों की उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है तथा हमें याद दिलाया है कि प्राचीन काल से रोगों को दूर भगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पेड़-पौधों के ज्ञान को संचित रखना कितना आवश्यक है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने भी पेड़-पौधों और उनके भागों के उपयोग पर बल दिया। कोविड-19 ने हमें याद दिलाया कि हमें अंग्रेजी दवाइयों के महत्व के साथ-साथ अपने पेड़-पौधों और उनके उपयोगों के बारे में नहीं भूलना चाहिए।

**तालिका- 1**

वर्तमान कार्य में पेड़-पौधों के वैज्ञानिक नामों, कुल (Families) स्थानीय नामों, अंग्रेजी नामों, इस्तेमाल किए गए भागों, पेड़-पौधों के वास (Habitat) और पेड़-पौधों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

| स्थानीय नाम/ वैज्ञानिक नाम/ कुल | अंग्रेजी नाम | भाग | पेड़-पौधों के वास | पेड़-पौधों का संक्षिप्त विवरण | संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernacular name/ Botanical name/ Family | Eng. Name | Parts used | Habitat | Brief Description of plant | References |
| बड़ी इलायची (Badi illachi) Amomum subulatum Roxb. Zingiberaceae | Greater/Nepal Cardamomum | बीज | यह पौधे पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में मिलते हैं। नेपाल, उत्तर-पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, भूटान और असम के जंगलों में पाए जाते हैं। | सदा हरे रहने वाले चिरस्थाई पौधे होते हैं। इनके पत्ते लंबाकार और भालाकार होते हैं। पके हुए फल लाल और भूरे रंग के होते हैं। फल के खोल गहरे लाल रंग के होते हैं। प्रकंद (rhizome) में बहुत सी शाखाएं होती हैं। | एनोनिमस, 1987 |
| दाल चीनी (Daalchini) Cinnamomum verum Persl. Lauraceae | Cinnamon, Ceylon cinnamom | छाल | पश्चिमी घाट और केरल में मिलते हैं। | सदा हरे रहने वाले चिरस्थाई पेड़ होते हैं। इन के पत्ते हरे रंग के अंडाकार होते हैं और फूल गुच्छों (inflorescesnce) में होते हैं। फल झरवरी (berry) की तरह होते हैं। | खरे, 2007; पार्थसारथी, 2008; रवींद्रन, et. al., 2004 |
| तेज पत्र (Tej patra) Cinnamomum tamala Nees & Eberm. Lauraceae | Indian bay leaf | सूखी पत्तियां | भारत में सब जगह पाए जाते हैं। | यह एक चीरहरित पेड़ होता है जिसकी लंबाई 10 से 20 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पेड़ की छाल व पत्तियों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। | एमवस्टा, 1986; कीर्तिकर और बासु, 1984. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| छोटी इलायची (Choti illachi) Elettaria cordamomum Maton Zingiberaceae | Lesser cardamom | बीज | इन पौधों की खेती ऊंचाई वाले जंगली क्षेत्रों, पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, मदुरई और तमिलनाडु में की जाती है। | यह लंबे घासदार चिरस्थाई पौधे होते हैं। यह पौधे ज्यादातर छाया में उगते हैं। | डूर, 1994, गोविल, 1998; खरे, 2007. |
| मीठी सौंफ (Meethi saunf) Foeniculum vulagare Mill. Apiaceae | Fennel | बीज | इन पौधों की खेती असम, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में की जाती है। | यह पौधे चिरस्थाई होते हैं। इनकी शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं। पर्ण समूह लगभग 2 मीटर लंबाई तक बढ़ जाते हैं। फूलों का रंग सोने के रंग की तरह होता है। फल हरे रंग के पसलियों के आकार के लंबा कार होते हैं। | खरे, 2007; मननमानी, et. al.; 2011, हिल, 1756. |
| मुलेठी (Mullathi) Glycyrrhiza glabera Linn. Fabaceae | Licorice, Liquorice | छाल | इनकी खेती जम्मू और कश्मीर, पंजाब और दक्षिण भारत में की जाती है। | चिरस्थाई लवण मृदु दूधविद 1 से 1.5 मीटर लंबे झाड़ीदार पेड़ होते हैं। पत्ते एकांतर और सूफने से होते हैं। फूल सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। फल और फलियां लगी होती हैं। बीज गुर्दाकार होते हैं। | लक्ष्मी et. al., 2012; लॉफटइन, 1993; खरे, 2007; कोडो, 2007, गलाईसाईराई जा, 2005 |
| मगे (Magen) Piper longum Linn. Piperaceae | Indian Long pepper | बीज | भारत में गर्म भागों में होता है। प्रायः इसको बोया जाता है या खेती की जाती है। | यह एक खुशबूदार सुगठित बेल होती है। इसकी जड़ें लकड़ी की तरह होती हैं। पत्ते लंबे चौड़े और हृदयाकार होते हैं। फूलों का बढ़ाव दिल के आकार के समान होता है। | खरे, 2007; कीर्तिकर और बासु, 1933, मैत्री, et.al., 2010. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| काली मिर्च (Kali mirch) Piper nigrum Linn. Piperaceae | Black Pepper | बीज | इनकी खेती असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम घाट में की जाती है। | चिरस्थाई लकड़ीदार उष्णकटिबंधीय पेड़ होते हैं। इनकी शाखाएं लंबी होती हैं। दबिरुपी फूलों का बढ़ाव दिल के आकार और बेलनाकार गुच्छों के रूप में होता है। फूल अवृत होते हैं, और साथ में सहपत्री उपस्थित होती है। | रवींद्रन, et. al., 2000; श्रीनिवासन et. al., 2012; खरे, 2007; कृष्णमूर्ति, et, al.; 2016 |
| अकर्करा (Akerkara) Spilanthes paniculata Wall. ex DC. Asteraceae | B razilian cress, Para cress | फूल | भारत में छायादार क्षेत्रों में हर जगह मिलते हैं और बगीचों में इनको लगाया जाता है। | यह शाखाओं वाले अनुगामी वार्षिक पौधे हैं। पत्ते विपक्षी अंडाकार और तीखे होते हैं। फल छोटे होते हैं और पीले रंग के होते हैं। | एमवस्टा, 1986; बोरा, 2000; जैन, 1991; कीर्तिकर और बासु,1984' कुमार, 2002; उपहॉफ, 2001 |
| लौंग (Loung) Syzygium aromaticum (Linn.) Merr. & Perry. Myrtaceae | Clove | फूल की कली | केरल और तमिलनाडु राज्यों में इनकी खेती की जाती है। | चिरहरित पेड़ होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक होती है। पत्ते संवृत्त होते हैं और एक दूसरे के विपक्षी होते हैं। पत्तों का आकार भालाकार होता है और रंग हरा होता है। फूल गोद के रूप में गुच्छों में होते हैं और रंग लाल होता है। फल सख्त होते हैं और लाल रंग के होते हैं। | बीसैट, 1994; खरे, 2007; वैगनर और व्हालट, 1996 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तुलसी (Tulasi) Ocimum sanctum Linn. Lamiaceae | Holy basil | शाखाएं जड़, पत्ते | सारे हिमालय में वितरित होती है। | यह एक सीधा खड़ा रहने वाला पौधा होता है। इस पौधे की बहुत सी शाखाएं होती हैं। इसकी ऊंचाई 20 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। पत्ते अंडाकार होते हैं। पत्तियों का रंग हरा और बैंगनी होता है। पत्ते खुशबूदार होते हैं। | खान और खानूम; सेन और गुप्ता, 1980; सूद, et al., 2009. |
| अजवाइन (Ajwain) Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague. Apiaceae | Ammi, Lovage, Carum | बीज | इन पौधों की खेती मध्य-दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया में की जाती है। भारत में इन पौधों को आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। | यह सीधे खड़े रहने वाले आरोपित बहुत सी शाखाओं वाले वार्षिक पौधे होते हैं। इनके पत्ते सूफने से और सीधी रेखा में होते हैं। फूल शाखाओं के अंतिम छोर पर होते हैं। फूल सफेद रंग के यौगिक गर्भनाल पुष्पक्रम में लगे होते हैं। | अहमद et. al., 2015; खरे, 2007; कृष्णमूर्ति, बी. और मॉडलगिरी, 1999; |
| बनफसा (Banafsa) Viola pilosa Blume. Violaceae | Viola | पौधे का ऊपरी भाग | भारत में सब जगह विशेष रूप से ऊंचाई वाले जिलों में पाए जाते हैं। | यह एक छोटा सा पौधा होता है। इसमें शाखाएं उपस्थित नहीं होती हैं। पत्ते हरे रंग के होते हैं। पत्ते सादे होते हैं और फूलों का रंग सफेद और हल्का बैंगनी होता है। | एमवस्टा, 1986; आसवाल, 1996; चौहान, 1999; सूद और ठाकुर, 2004. |
| अश्वगंधा Withania somnifrera Dunal Solanaceae | Winter cherry | जड़, पत्ते | भारत भर में सूखे में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। | यह एक झाड़ीनुमा पेड़ होता है। यह चिरस्थाई होता है ।इसकी ऊंचाई 35 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। पत्ते हरे रंग के होते हैं। फूल छोटे और हरे रंग के होते हैं। पके हुए फल संतरी रंग के होते हैं। | एमवस्टा, 1986; खान और खानूम, 2005; कीर्तिकर और बासु, 1984. |

**निष्कर्ष**

इस पत्र में जिन 14 पेड़-पौधों का वर्णन किया गया है उनमें से 2 (Zingiberaceae), 2, (Lauraceae), 2 (Apiaceae), 2 (Piperaceae), 1, 1 (Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Violaceae, Solanaceae, Myrtaceae) कुल (Families) से है तथा इन पौधों में 6 के बीज, दो की छाल, दो की सूखी पत्तियां. एक के फूल की कली, एक के फूल, एक की जड़ें और पत्तियां उपयोग की जाती है। इन पौधों के विभिन्न भागों के उपयोग से स्थानीय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जिससे वह बीमारियों से दूर रहते हैं जिसके फलस्वरुप कोविड-19 के दौरान भी स्थानीय लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो सका।

इस प्रकार यह वर्गीकरण एवं अध्ययन सिद्ध करता है कि हमारी प्राचीन देशज इलाज पद्धति जो स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित है वह अभी भी प्रभावी है तथा नए तरह के रोगों और कोविड 19 जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव में भी प्रभावी है। दुर्भाग्यवश समय के साथ जैसे-जैसे एलोपैथिक पद्धतियों का विस्तार हुआ हम अपने पीढ़ियों से संचित ज्ञान की उपेक्षा करने लगे और आने वाली पीढ़ी इस महत्वपूर्ण विरासत से वंचित होने लगी है। हालाँकि कोविड के संक्रमण ने जरूर लोगों का ध्यान फिर से इस पारम्परिक ज्ञान की ओर आकर्षित किया है और उनके फायदों से लोगों का इनमें विश्वास भी बढ़ा है।

## संदर्भ सूची

www.ayush.gov.in

अहमद, एस. जे., खान जेड.एस., ए. खलील, ए., एटी. एंड शाह, एस. एच. 2015; Ethnobotany and research Trends in Trachyspermum ammi L.( Ajowan); A popular Folklore Remedy. A.E. J. Agric and Environ. Sci. 15(1): 65-73.

उपहॉफ, जे. सी. टी एच. 2001; Dictionary of Economic Plants. Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun. (India). & A.R.G. Gartner Verlag Koman, Ruggell.

एनोनिमस, 1987; Standardisation of single drugs of unani medicine. New Delhi.

एमवस्टा एस. पी. 1986; The Useful Plants of India. Publication and Information Directorate, C.S.I.R., New Delhi.

कार्मन, आर. और राजवर, एम. 2005; Astragalus sect. Astragalus (Fabaceae) in Iran. Bot. Journ. Linn. Soc. 147: 363-368.

कीर्तिकर, के. आर. और बासु, बी. डी. 1933; Indian Maedicinal Plants, 2nd edition, Lalit Mohan BAsu publications, Allahabad.

कीर्तिकर, के. आर. और बासु, बी. डी. 1984; Indian Medicinal Plants. Vols. I-IV. Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun (India).

कुमार, एस. जी., 2002; The Medicinal Plants of North-East India. Sci. Publ. Jodhpur (India).

कृष्णमूर्ति, बी. और मॉडलगिरी, एम. बी. 1999; Bishop weed (Trachyspermum ammi): An Essential crop for north Karnataka. J. Med. Aro. Pl American-Eurasian J. Agric.

& Environ. Sci., 15 (1): 68-73, 2015 ISSN 1818-6769 © IDOSI Publications, 2015 DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2015.15.1.12491

कृष्णमूर्ति, बी., Ankegowda, S. J., Umadevi, P., George, J. K., 2016; Black pepper and water stress: abiotic stress physiology of horticultural crops. In: Rao, N., Shivashankara, K., Laxman, R., eds. India: Springer; p. 321–22.

कॉलेट, एच. 1902. Flora Simlensis. Thacker Spink and Co. Calcutta and Shimla, Reprinted 1971. Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun (India).

कोडो, के., शिवा, नाकामुरा, आर., मोरोटो, टी. और शोयामा, वाइ. 2007; Constituent properties of licorices derived from Glycyrrhiza uralensis, G. glabra, or G. inflate identifiedby generic information. Biol Pharma Bull, 30 (7), 1271-1277.

खरे, सी. पी. 2004; Encyclopaedia of Indian Medicinal Plants, Rational Western Therapy, Ayurvedic and other Traditional Usage Botany. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

खरे, सी. पी. 2007; Indian Medicinal Plants. An illustrated Dictionary Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.a.

खान, आई. ए. और खानूम, ए. 2005; Role of biotechnology in medicinal and aromatic plants. Ukaaz Publications, Andhra Pradesh.

गलाईसाईराईजा, जी. 2005; Alternative Medicine Review, 10(3), 230-237.

गोविल, जे. एन. 1998; In: Tropics in Glimpses in Plants research, Medicinal Plant Petrs I, Today and tomorrow's printers, Vol. XII.

चोपड़ा, आर्. एन.; 1956; et al. Glossary of Indian Medicinal Plants. New Delhi: Council of Scientific and Industrial Research.

चौधरी, एच. जे. और वाधवा, बी. एम. 1984.. Flora of Himachal Pradesh, Vol. 1-3. Bot. Surv. India, Calcutta.

चौधरी, एल. बी., आनंद, के. के. और श्रीवास्तव, आर., के., 2007a; taxonomic study of endemic species of Astagalus L. (Fabaceae) of India. Taiwania: 52: 25-48.

चौहान, एन. एस., 1999. Medicinal and Aromatic Plants of Himachal Pradesh. Indus Publ. Co., New Delhi.

जैन, एस. के. 1991; Dictionary of Indian Folk Medicine and Ethnobotany. Deep Publ., New Delhi.

जैन, एस. के. और गोयल, ए. के. 2005. Some Indian plants in Tibetan traditional medicine -1. Ethnobotany 1¬ 7: 127-136.

जैन, एस. के. और राव, आर. आर. (eds.) 1977. A Handbook of Field and Herbarium Methods. Today's and Tomorrow's Printers and Publ., New Delhi.

दत्ता, ए. सी. 1985. Dictionary of Economic and Medicinal Plants.

धीमान, डी. आर. 1976. Himachal Pradesh Ki Vanoshdhiya Sampada. Imperial Printing Press, Dharamsala, H.P.

पार्थसारथी, वी. ए., हॉटजॉन चायरथ, बी. सी. टी. 2008; Chemistry of Spices: CABI.

पोलूनीन, ओ. एंड स्टेनटन, ए. 1984. Flowers of the Himalaya. Oxford Univ. Press, Delhi.

बीसैट, एन., जी., 1994; Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Boca Raton, FL, CRC Press.

बेनेट, एस. एस. आर. 1986. Name changes in Flowering Plants of India and Adjacent regions. Triseas Publishers, Dehradun, India.

बोरा, पी., जे., 2000; A study on ethnomedicinal uses of plants among the Bodo tribe of north east India: 583-589. In Maheshwari, J.K. (eds.): Ethnobotany and Medicinal Plants of Indian Subcontinent. Sci. Publ., Jodhpur (India).

मनमानी, आर. और अब्दुलकादिर, वी. एम. 2011; Antibaterial screening on Foeniculum vulgare Mill, International Joiurnal of Pharma and Bio Science, Vol II, 4: 390-394.

मैत्री, जेड., कालंधर, ए., पटेल, यस. और पटेल, ए. 2010; Chemistry and Pharmacalogy of Piper longum L. International Journal of pharmaceutical Sciences Review and Research Vol. V, 1; 0976-044X.

मैमगेन, एमडी 1975. हिमाचल प्रदेश डिस्टिक गैजेटियर (पब्लिशर)चंडीगढ़ ग्रेटर पंजाब प्रेस

रवींद्रन, पी. एन., बाबू, के. एन., शैलजा, एम. 2004; Cinnamon and Cassia: the genus Cinnamomum: CRS Press.

लक्ष्मी, एल. सिमको, एच. मोंटूनेन, एल., Wei, G., Lindstrom, K. and L. A. Rasanen, 2012; Biogeographiy of symbiobiotic and other endophytic bacteria isolated from medicinal Glycyrrhiza species in China. FEMS Microbiol Ecol, 79(1), 46-68.

लॉफटइन, एच. 1953; King Tuts Black Treasure. The Science News Letter, 64(6), 90-91.

विगरसकाया, टी. 1995. Dictionary of Generic Names of Seed Plants. Bishan Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun (India).

वैगनर, एच. और बाहट, एस., 1996; Plant drug analysis. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

श्रीनिवासन, वी., दिनेश, आर., कृष्णमूर्ति, के. एस. और हमजा, एस. 2012; Nutrition and physiology: piperaceae crops—production and utilization. In: Singh HP, Parthasarathy VA, Srinivasan V, editors. India: Westville Publishing House; p. 101–21.

सूद, एस. के. और ठाकुर, एस., 2004; Ethnobotany of Rewalsar Himalaya. Deep Publications, New Delhi.

सूद, एस. के., रावत, एस. और रावत, डी. 2009; Dye, Masticatory and Fuumitory Resources of India. International Book Distributors, Dehradun, Uttarakhand (India).

सोहेल, अहमद., जादत्ता खान, शिनवारी आमिर, अली ताल्हा खलील और शबीर खान;; Ethnobotany and Research Trends in Trachyspermum ammi L. (Ajowan); A Popular Folklore Remedy, Islamabad, Pakistan.

स्टेनटन, ए. 1988. Flowers of Himalaya, A Supplement. Oxford Univ. Press, Delhi

हिल, जे. 1756; The British Herbal: An History of Plants and trees, Natives of Britain, Cultivated for use, or, Raised Beauty, London U.K.

# नई शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय विकास

**डॉ. मीतू सिंह***

**सारांश**

किसी भी देश की प्रगति के साथ-साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से आज तक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वह स्वतंत्रता के बाद कोठारी आयोग (1964 & 66) की सिफारिशों के आधार पर गठित प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हो या देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार के साथ शिक्षा की पहुँच मजबूत करने और व्याप्त असमानताओं को दूर करने हेतु गठित दूसरी राष्ट्रीय नीति 1986 हो जो बाद में 1992 में संशोधित की गई और जिसके तहत देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ये सभी नीतियाँ देश की प्रगति एवं विकास हेतु लाई गयीं। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER (Gross enrolment ratio) के साथ-साथ पूर्व प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

**बीज शब्द :** नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय विकास, सार्वभौमीकरण, सर्वांगीण विकास, मूल्य

**प्रस्तावना**

भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं में बेशकीमती संपदा है। अमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है। आवश्यकता इस बात की है कि उसका पालन-पोषण गतिशील एवं संवेदनशील हो। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसकी अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताएं होती हैं। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा उत्प्रेरक योगदान दे सके इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनाने तथा उस पर पूरी तरह से अमल करने की आवश्यकता है। ग्रामों में दिन-प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं के अभाव में पढ़े-लिखे युवक ग्राम में रहने के लिए तैयार नहीं। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के अंतर को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध तथा व्यापक साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आने वाले दशकों में जनसंख्या की बढ़ती हुई गति पर काबू करने एवं नवीन तनाव से निपटने के लिए मानव संसाधनों को नवीन ढंग से विकसित करना होगा। इन तमाम चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से चर्चित है।

NEP-2020 को पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और

*सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। इस नीति को सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा प्रारम्भ हो गई है कि क्या यह नीति 'शिक्षा' के क्षेत्र में वांछनीय परिवर्तन लाने में सफल होगी? क्या इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो पायेगा? इत्यादि, परन्तु सत्य यही है कि कोई भी नीति तभी पूर्ण कारगर साबित होगी जब उसके लिए पूर्ण ईमानदारी से प्रयास होगा, उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाएगा। वैसे NEP 2020 की रूपरेखा एवं इसमें किए गए प्रमुख परिवर्तनों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह नई नीति (NEP 2020) देश की वर्तमान दशा के सुधार में उपयोगी साबित होगी। नई शिक्षा नीति देश के शिक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ राष्ट्र के निर्माण विकास और उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी जो किसी भी राष्ट्र के प्रगति की प्रथामिक आवश्यकता भी है।

देश,समाज,राष्ट्र,के निर्माण और विकास का आधार देश की शिक्षा व्यवस्था को माना जाता है। शिक्षा ही वह साधन है जो देश की प्रगति को निर्धारित करती है। शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके माध्यम से मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर उसे एक योग्य नागरिक बनाया जाता है। आज भारत राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिससे परंपरागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया है और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा व्यावसायिक नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में निरंतर बाधाएं आ रही हैं। नई शिक्षा नीति- 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देशयों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER (Gross enrolment ratio) के साथ-साथ पूर्व प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020-21)।

**नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और शैक्षिक प्रारूप**

**(1) स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान**

- नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
- जैसे - पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज- 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1,2 तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज
- तीन वर्ष का मध्य (उच्च प्राथमिक) चरण ग्रेड, 6, 7, 8- 4 वर्ष का उच्च (माध्यमिक) चरण ग्रेड 9,10,11,12

**(2) भाषायी विविधता का संरक्षण**

- NEP 2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

**(3) शारीरिक शिक्षा**

विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी,नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम में भाग ले सकें।

**(4) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन सम्बन्धी सुधार**

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठयक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा।
- कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT ) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा10 और कक्षा12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जायेगा।
- छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए तथा उनको अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

**(5) शिक्षण व्यवस्था से सम्बंधित सुधार**

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

**(6) उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान**

- NEP- 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जायेगा।
- NEP- 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम से मल्टिपल एंट्री एण्ड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और

उन्हें उसी के अनुरूप प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें 1 वर्ष पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पर एडवांस डिप्लोमा तथा तीन वर्ष पर स्नातक एवं 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रुप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एम. फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

**(7) विकलांग / दिव्यांग बच्चों हेतु प्रावधान**

नई शिक्षा नीति में दिव्यांग बच्चों के लिए क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केन्द्र, आवास सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चत करना आदि प्रक्रियाओं से सक्षम बनाया जाएगा।

**(8) डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान**

- एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान- प्रदान किया जा सकेगा।
- डिजिटल शिक्षा संस्थाओं को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी ईकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी।

**विशेष प्रावधान**

- आकांक्षी जिले जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाये जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा।
- देश में क्षमता निर्माण हेतु केन्द्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' की स्थापना करेगा।
- NEP 2020 में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र होंगे।
- HECI (Higher Education Commission of India) के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निकाय की स्थापना की जाएगी।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (NHERC)- यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा।
- सामान्य शिक्षा परिषद (GEC)- यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानकों का निर्धारण करेगा।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC)- यह संस्थानों का मूल्यांकन करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।

- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HGFC)-यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्तपोषण का कार्य करेगा (कुमार, सिंह , 2020 )।

**राष्ट्रीय विकास**

किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है और शिक्षा का राष्ट्रीय विकास उसकी शिक्षा नीति पर। शिक्षा के अभाव में राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है, राष्ट्र के समुचित विकास हेतु नीति आधारित शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

शिक्षा बालक में सामाजिक गुणों, दया, परोपकार नेतृत्व , प्रेम, सहानुभूति, देश प्रेम, अनुशासन आदि का भाव जागृत करती है जो कि किसी भी राष्ट्र के विकास के आवश्यक तत्व हैं। NEP-2020 से अपेक्षित है कि बालकों में उपरोक्त गुणों को भरकर उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।

NEP 2020 द्वारा सुझाये आयाम के कुशल क्रियान्वयन पर राष्ट्र के विकास की आधारशिला निर्भर करती है जो निम्नलिखित है-

**राजनीतिक एकता द्वारा राष्ट्रीय विकास**

जब जनमानस में अच्छी से अच्छी शिक्षा का विकास होगा तो उनके अन्दर से जातीयता, प्रान्तीयता, तथा सामाजिक वर्गभेद आदि देश तथा समाज को तोड़ने वाले दकियानूसी विचार बाहर आयेंगे, समाप्त होंगे जो कि किसी भी राष्ट्र के सर्वोन्मुखी विकास का प्रारम्भिक चरण है। इससे सभी नागरिक अपने सारे भेदभावों को भूलकर एकता के सूत्र में बन्ध जाते है जिससे राष्ट्र दृढ़ एवं सबल बन जाता है।

**सामाजिक उन्नति**

शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियाँ, अन्ध विश्वास, दोष पूर्ण रीति रिवाज (जो राष्ट्र के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं तथा उसे पतन की ओर धकेल देते हैं) सभी दोषों को दूर किया जा सकता है जिससे नागरिकों में समानता का ऐसा स्वस्थ वातावरण तैयार हो सके जो राष्ट्र के विकास में सहायक हो।

**आर्थिक उन्नति**

NEP-2020 में डिजिटल शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे देश में कला, कारीगर तथा उद्योग- धन्धे पनपेंगे जो देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इससे राष्ट्र की निर्धनता दूर होगी तथा धीरे-धीरे राष्ट्र धन-धान्य से पूर्ण होकर समृद्धशाली बन जायेगा।

**संस्कृति का विकास**

NEP- 2020 भाषायी विविधता का संरक्षण एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रावधान से निश्चय ही राष्ट्र के संस्कृति का संरक्षण विकास एवं हस्तान्तरण होगा। किसी भी राष्ट्र का पूरे विश्व में तभी परचम लहरायेगा जव वह सांस्कृतिक रूप से समृद्धशाली होगा।

**राष्ट्रीयता की भावना का विकास**

किसी भी राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास तभी सम्भव है जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना हो और राष्ट्रीय भावना का विकास तभी सम्भव है जब राष्ट्र में समता हो अर्थात सभी के लिए एक समान भाव । NEP- 2020 ने विकलांग बच्चों, स्त्रियों, ट्रांसजेंडर के लिए विशेष प्रावधान कर यह साबित कर दिया है कि राष्ट्र के लिए सब समान हैं। निश्चय ही यह बदलाव राष्ट्रीयता की भावना का विकास करेंगे जो कि राष्ट्र के विकास में सहायक होगा।

**योग्य नागरिकों का निर्माण**

NEP-2020 की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें प्रयास किया गया है कि इसके माध्यम से देश को योग्य नागरिक प्राप्त हों चाहे वह स्कूली शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान हो, भाषायी विविधता पर ध्यान हो, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान हो या शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका सम्मान हो । उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान हो, डिजिटल शिक्षा या विकलांग शिक्षा इन सब में एक बात समान है कि देश को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना जिससे कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या न बढ़े बल्कि वह खुद इस योग्य हो सकें जो दूसरों को रोजगार प्रदान कर सकें। यह निश्चय ही देश को योग्य नागरिक प्रदान करेगी। जब देश में योग्य नागरिक होंगे तभी देश या राष्ट्र का विकास सम्भव है (अरोड़ा एवं शर्मा, 2021)।

**निष्कर्ष**

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है यदि उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आयेगी। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, भाषा की विविधता का संरक्षण आदि छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस शिक्षा नीति में सम्पूर्ण मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का बेहतर प्रयास किया गया है जिससे निश्चय ही शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा । इसके अतिरिक्त इसमें जो उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सुधार है जैसे- नामांकन को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना इत्यादि। निश्चय ही यह निर्णय शिक्षा के विकास में रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। साथ-साथ इस शिक्षा नीति में विकलांगों,दिव्यांग बच्चों,महिलाओं व अन्य निःशक्तों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और उनकी उचित शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है जो कि समता को दर्शाता है। किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए वहाँ की हर एक कड़ी जिम्मेदार होती है। इसलिए शिक्षा का प्रसार हर स्तर तक होना आवश्यक है। यदि शिक्षा पर सबका समान अधिकार होगा तभी समाज एवं राष्ट्र का विकास सम्भव है।

34 वर्षों पश्चात आयी इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य- सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयुसीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में artificial Intelligency, Thried Machine, Data analysis, Bio Technology आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। जिससे देश का प्रत्येक युवा आत्म निर्भर बनेगा तथा देश की प्रगति में सहायक होगा जो कि हमारे देश के नाम को विश्वपटल पर लाने के सपने को साकार करेगा (रेणु व अन्य, 2021)।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा के सभी अंगों एवं क्षेत्रों पर असाधारण विस्तार एक विस्मयकारी घटना है पर साथ ही साथ यह घटना उलझन में डालने वाली और परेशान करने वाली भी है। इस संदर्भ में सैयदेन व गुप्ता ने लिखा है "स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत में शिक्षा का अत्यंत त्वरित गति से विस्तार हुआ है। सामान्य रूप में इस संख्यात्मक वृद्धि की शिक्षण के सब स्तरों पर प्रतिकूल प्रक्रिया हुई है, और इसने अध्यापकों, साज-सज्जा, भवनों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की श्रेष्ठता को निरंतर बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप, शिक्षा के लिए उपलब्ध धनराशि के अधिकांश भाग का प्रयोग शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार के लिए और उसकी तुलना में गुणात्मक उन्नति के उपायों की उपेक्षा करने के लिए किया गया है" (पाठक पीडी, 2015)। आशा की जाती है कि नई शिक्षा नीति हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को दूर करेगी और राष्ट्रीय एवं नागरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

## संदर्भ सूची

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।

कोठारी अतुल, (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (भारतीयता का पुनरुत्थान) प्रभात प्रकाशन।

कुमार रसेन, सिंह राणा, (2020). इंडियाज नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, नेशन प्रेस।

अरोड़ा पंकज एवं शर्मा उषा, (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रचनात्मक सुधारों की ओर ) शिप्रा प्रकाशन।

रेणु राकेश, रानी सीमा एवं चतुर्वेदी अभिषेक, (2021). भारत-2021 महानिदेशक प्रकाश विभावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।

पाठक पीडी, (2015). भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।

# स्वाधीनता आंदोलन तथा लोक माध्यम (रामलीला तथा अन्य लोकनाट्य के विशेष संदर्भ में)

**आकाश द्विवेदी***
**डॉ. अवध बिहारी सिंह****

**सारांश**

अंग्रेजी दासता से मुक्ति का भारतीय संघर्ष लगभग दो सौ वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। संघर्ष की ज्वाला में हजारों-लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी जिसके प्रतिफल के रूप में हम आज एक स्वतंत्र एवं निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर गणतंत्र के रूप में खड़े हैं। इस लम्बे और लगभग दो सदी तक चले संघर्ष को जन-जन तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करने में जलसों, राजनीतिक सभाओं, जनसंपर्क, पत्रकारिता आदि के साथ-साथ परंपरागत जनमाध्यमों का भी बड़ा योगदान रहा है। लोकचेतना में स्वाधीनता की चाह विकसित करने में अनेक लोक माध्यमों अथवा परंपरागत जनमाध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने लोक को, ग्रामीण और आदिवासी समाज को स्वतंत्रता आन्दोलन की धारा से जोड़ने का काम किया। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन जनमाध्यमों के माध्यम से न केवल जुड़ा बल्कि उनका त्याग और बलिदान भी इन्हीं माध्यमों की प्रस्तुतियों में प्रभावी रूप से संजोया गया और जीवित रहा। प्रस्तुत आलेख विविध डेटाबेस तथा शोध निष्कर्षों, संदर्भों आदि के आधार पर लोक माध्यम की स्थापित विधा लोकनाट्य के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन में लोग माध्यमों का योगदान को रेखांकित करने का प्रयास है।

**बीज शब्द :** स्वाधीनता आंदोलन, लोक माध्यम, लोकनाट्य, रामलीला, लोक चेतना

**प्रस्तावना**

भारतीय स्वाधीनता का संघर्ष सैकड़ों समुदायों, आदिवासी और ग्रामीण जनता का संघर्ष भी है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें आंदोलन को मुखरित करने वाली अनेक धाराएं मिलेंगी। यदि हम आरंभिक स्थानीय संघर्षों के पश्चात सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में लेते हैं तो वहां से सन 1947 में आजादी मिलने तक सिपाहियों के बाद मध्यवर्ग, जमींदार, राजे-रजवाड़े, पूंजीपति, शस्त्र का सहारा लेकर युद्ध का शंखनाद करने वाले युवा, मजदूर, किसान, ग्रामीण तथा आदिवासी अंचल के नितांत अशिक्षित और नई दुनिया से कटे हुए लोग आदि सभी ने अपना अवदान दिया।

आरंभ से ही क्रांति की यह अलख जगाने, स्वाधीनता के आह्वान तथा संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में संप्रेषण के साधनों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक माध्यमों ने अपने विविध रूपों जैसे

*शोध छात्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश
**सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

लोकगीत, लोकनाट्य, मेलों-जलसों, त्योहारों तथा अन्य प्रचलित और तरीकों की सहायता से आजादी के संदेश, शहीदों की गाथाएं तथा स्वराज की मांग को अपना विषय बनाकर लोगों को जोड़ने और उत्प्रेरित करने का काम किया।

सन 1857 की क्रांति के समय कमल तथा रोटी को क्रांति का संदेश पहुंचाने के देशज माध्यम के रूप में चुना गया। यह एक प्रभावी और लोगों के दिल तक उतरने वाला प्रतीक था। कमल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है तथा रोटी सामूहिकता का बोध कराती है (Pincince,2013)।

वास्तव में आजादी की पहली लड़ाई के पहले से भी अंग्रेजों के खिलाफ कई बार स्वतंत्रता का विगुल बजाया गया। इन संघर्षों में परंपरागत लोकमाध्यमों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। इस संदर्भ में बंगाल के सन्यासी विद्रोह का उदाहरण दिया का सकता है जहां विद्रोह के ध्वजवाहक फकीरों ने पारंपरिक भजन गायन तथा बाउल गीतों का उपयोग कर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया।

लोक मध्यम आरंभ से ही जनसंघर्षों तथा स्वाधीनता आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहें हैं। जैसे-जैसे स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक होता गया वैसे-वैसे परंपरागत जनमाध्यमों जैसे लोकगीत, लोकनाट्य, लोकसंगीत, लोकआयोजन, मेले, आदि लोक कलाएं इत्यादि में स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के क्रियाकलापों और प्रेरणास्रोतों का समावेश बढ़ा और हमारे पुराने नायकों से लेकर नए संघर्षों तक इनकी विषय वस्तु बने।

बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव तथा शिवाजी जयंती का आयोजन लोगों को एकजुट करने, गौरवबोध को जागृत करने तथा अंततः स्वराज के लिए संघर्ष हेतु किया गया। टॉमस कार्लाइज इसर्सन की तरह तिलक को भी विश्वास था कि विश्व के 'हीरो' इतिहास के प्रणेता होते हैं। इसके लिए उन्होंने 'मराठा' राज्य के संस्थापक शिवाजी का चयन किया। महाराष्ट्रवादी उन्हे आदर्शवादी पुरुष राजा, युद्ध में पराक्रमी और सभा में बुद्धिमान मानते थे। अतः शिवाजी ब्राह्मण वर्ग और अब्राह्मणों को समान रूप से स्वीकार्य होगा। यहीं नहीं स्वराज के लिए संघर्ष जन - साधारण तक जल्दी पहुंच सकेगा (कर्माकर, 1957 पृ.29)।

**लोकनाट्यों की भूमिका**

लोकनाट्य पारम्परिक जनमाध्यमों में से प्रचलित लोकप्रिय स्वरूपों में से एक है। यह सदियों से भारतीय लोक का मनोरंजन करता रहा है और समय के साथ सामने आने वाले प्रसंगों को भी समाहित करने की सामर्थ्य रखता है। 'लोकनाट्य लोकमानस के जीवन में रचा-बसा आडम्बर-विहीन मनोरंजन का स्वस्थ साधन है, जिसमें कृत्रिमता का नितांत अभाव व सीधे जनमानस को उद्वेलित करता हुआ समयानुकूल समाज को कुछ न कुछ शिक्षा देता है' (यदुवंशी, hindivivek.org/एन.डी.)। लोकनाट्य क्षेत्रीय अथवा स्थानीयता का पुट लिए होते हैं और आम जनता से सीधे और तुरंत जुड़ने की इनकी क्षमता इन्हें विशिष्ट बनाती है। भारत में लोकनाट्य की गौरवशाली परम्परा रही है जिनमें से कई अभी भी जीवंत और प्रभावशाली हैं। भांड-पाथर, नौटंकी, स्वांग, रासलीला, भवई, तमाशा, दशावतार, कुटियाट्टम, माच, जात्रा आदि देश के विविध भागों में प्रचलित प्रमुख लोकनाट्य हैं।

आज़ादी के आन्दोलन में लोकनाट्यों ने भी प्रभावी भूमिका निभाई और लोगों को जागरूक बनाने और उन्हें स्वाधीनता आन्दोलन से जोड़ने का काम किया बंग-विभाजन के बाद जब राष्ट्रवाद की

चरम अभिव्यक्ति बंगाल में देखने को मिली तब परंपरागत जनमाध्यम लोक को इस आंदोलन से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बने। उस समय लोकप्रिय परंपरागत माध्यमों जैसे बाउल गीतों तथा जात्रा आदि का इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक रूप से उपयोग किया गया। बंगाल विभाजन के समय में बंगाल के संगीतमय लोकनाट्य जात्रा का उपयोग बंगाल के प्रबुद्जनों और आन्दोलनकारियों द्वारा विभाजन और अंग्रेजी शासन का विरोध करने में सफलतापूर्वक किया गया। गांवों और कस्बों में जात्रा और कथा के पारंपरिक ओपन-एयर प्रदर्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनका पूरी तरह से उपयोग किया गया। बारीसाल में अश्विनी कुमार दत्त ने हेमचंद्र कविरत्न को एक नई तरह की कथाओं की रचना करने के लिए प्रेरित किया जिनमें धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों से ली गई पारम्परिक कथाओं में देशक्ति के विचारों का मिश्रण किया गया। जात्रा में ओगेश्वर जिन्हें मुकुंददास (1878-1934) के नाम से जाना जाता है एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। उनके संयोजन में जात्रा स्वदेशी आंदोलनों की बैठकों का अच्छा विकल्प बन गई जो आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुँच बनाने एवं राजनैतिक जागरूकता का प्रसार करने में पूर्णतया सफल रही। जात्रा एक नैतिक लोकनाट्य के रूप में गोरे लोगों को दुष्टात्मा और श्याम वर्ण को भले चरित्र के रूप में प्रदर्शित करते हुए भारतीय क्रांतिकारियों के नायकत्व को लोगों के मन में बैठाने में भी सफल हुई। साधन संगीत, पालीसेबा, ब्रह्मचारिणी, पथ, साथी, कर्मक्षेत्र, समाज आदि कुछ लोकप्रिय जात्रा नाट्य थे जिन्होंने बंग-भंग के विरुद्ध जनमत को उद्वेलित करने का काम किया (Chatterjee, 1999, P. 45-46)।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बुर्राकथा एक लोकप्रिय संगीतमय कथा प्रस्तुति लोक नाट्य है जिसका उपयोग स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रभावी रूप में हुआ था। इस सन्दर्भ में चिराला-पेराला का संघर्ष (1912-1913) उल्लेखनीय है। इस संघर्ष के अनाम योद्धा बुर्राकथा के कलाकार थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ ग्रामीणों में जनमत निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह लोकमाध्यम और इसकी प्रस्तुतियां इतनी लोकप्रिय हो गईं कि मद्रास प्रेसीडेंसी में ब्रितानी सरकार को इसपर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा और इसका अनुसरण करते हुए हैदराबाद के सातवें निज़ाम ने भी 30 और 40 के दशक में इस लोकप्रिय लोक माध्यम पर प्रतिबन्ध लगाए (बाया, 2013)। इसी तरह देश के विभिन्न हिस्सों में जनमाध्यमों के असंख्य उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य पूर्ति में मदद मिली (मिश्रा, 2021,पृ॰6)।

**रामलीला तथा स्वाधीनता आंदोलन**

रामलीला उत्तर भारत सहित देश के अन्य हिस्सों में भी प्रचलित महत्वपूर्ण लोकनाट्य है। भगवान राम के जीवन का मंचन विविध रूपों में रामलीला के माध्यम से किया जाता है। रामलीला मनोरंजन, शिक्षा और लोक सम्मिलन जैसे उद्देश्यों की पूर्ति का भी माध्यम है। रामलीला लोकनाट्य होने के साथ-साथ अन्य लोकनाट्यों से अनेक मामलों में विशिष्ट है। चूँकि रामलीला भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित है अतः इसकी व्यापक और अंतरक्षेत्रीय स्वीकार्यता भी है। वस्तुतः रामलीला और इससे मिलते-जुलते आयोजन भारत से बाहर भी होते हैं। रामलीला चूँकि गेय पदों और चौपाइयों पर आधारित है अतः यह लोकनाट्य का ही स्वरूप है, साथ ही चूँकि रामलीला का फलक व्यापक होता है अतः इसमें गद्य रूप में संवादों की भी व्यवस्था मिलती है जो इसे पूर्णता प्रदान करती है। मूल रूप से राम चरित्र आधारित होने के चलते इसमें मंच पर सीधे-सीधे कथानक आदि में सामयिक प्रयोग की गुंजाईश

कम होती है लेकिन इसके बाद भी लीला के रूप में जो यात्राएं और लोग इसका हिस्सा बनते हैं अथवा सार्वभौमिक प्रसंगों में, अथवा चरित्र चित्रण में या कभी-कभी सांकेतिक रूप में लीला आयोजक नए संदेशों का भी निरूपण लीला के माध्यम से करते हैं। चूँकि इससे जुड़ा लोक आस्था और गंभीरता के साथ लीला का पान कर रहा होता है तो यह सन्देश बड़े ही प्रभावी तरीके से उनके मन-मष्तिष्क में बैठ जाते हैं।

स्वाधीनता संघर्ष में रामलीला जैसी लोकप्रिय विधा का बहुत ही प्रभावी तरीके से उपयोग हुआ और इसने स्वतंत्रता संघर्ष के विषय में लोगों को जागरूक करने और उत्प्रेरित करने में प्रभावी भूमिका निभाई। 'स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी इस मंच का सदुपयोग किया, बद्रेश्वर (अल्मोड़ा) की रामलीला का तो इस सिलसिले में उदाहरण ही दिया जाता है सीता-हरण वाले दृश्य में कार्यकर्ता साधूवेष धारण कर संघर्ष के लिये चंदा जमा करते थे- ''एक चवन्नी चांदी की, जय बोल महात्मा गॉधी.'' कमण्डलों में मिली भिक्षा (खिरची) को खुले आम मंच पर ही गिना जाता था, सिक्कों की अलग-अलग ढेरी लगाई जाती थी - पाई, पैसा, अधन्नी, इक्कनी, दुअन्नी आदि -आदि। यह प्रक्रिया अपने आप में एक आइटम हुआ करती थी। क्योंकि इसी बीच कोई एक साधू वेषधारी आंदोलनकारी प्रवचनों के बहाने दर्शकों को देश-विदेश के हाल-चाल सुनाते हुए संघर्ष का संदेश में भी दे जाता था' (कफलट्री डॉटकॉम, एन.डी.)।

यह कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। देश के विविध भागों में होने वाली रामलीला का स्वतंत्रता संग्राम से लोगों को जोड़ने के लिए आलंबन लिया गया। अनेक स्वाधीनता सेनानियों और संघर्ष के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा रामलीला कमेटियां बनाईं और स्वाधीनता आन्दोलन के सन्देश को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। वर्तमान छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा में भी ऐसी ही एक रामलीला मण्डली का गठन किया गया। उस क्षेत्र के प्रसिद्ध 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठा. छेदीलाल ने भी आजादी के पहले रामलीला मण्डली गठित की थी और वे लीला के माध्यम से गांव-गांव में स्वराज्य का संदेश देते थे। इनकी मण्डली ने कोटमीसोनार, अकलतरा, कापन, नंदेली सहित अन्य गांवों के कलाकार शामिल थे' (नई दुनिया, 29, सितम्बर, 2017)।

ऐसा ही एक प्रसंग बहराइच से भी आता है जहाँ महात्मा गाँधी के आगमन के बाद स्वाधीनता की अलख जगाने के लिए बाकायदा रामलीला समिति बनाकर रामलीला का मंचन आरंभ किया गया। 'वर्ष 1929 में महात्मा गांधी का बहराइच में आगमन हुआ था। इसके बाद छह मई 1930 को घंटाघर पार्क से देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए विभिन्न जनजागरण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी थी। इसमें रामलीला कमेटी को भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एकता स्थापित करने के लिए जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भगवान राम की कथा और लीला से समाज में चेतना, एकता और परतंत्रता से संघर्ष करने की शक्ति विकसित करना था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं.भगवानदीन वैद्य, बलदेव प्रसाद मिश्र व परागदत्त आदि ने इस संघर्ष की कमान संभाली थी' (द्विवेदी, 2019)।

इसी कड़ी में अनेक छोटी-छोटी, स्थानीय, गाँव-कस्बों में होने वाली रामलीलाओं का उल्लेख अनेक जगह मिलता है। बिजनौर के गाँव मोरना का भी एक ऐसा ही प्रसंग मिलता है जहाँ स्थानीय रामलीला का उपयोग स्वतंत्रता आन्दोलन को बल देने के लिए किया गया। 'उस समय अंग्रेज हर प्रकार से देशवासियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे थे, किसी भी प्रकार की सभा या बैठक पर रोक थी। ऐसे में आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वालों ने गांव में हो रहे रामलीला के मंच को माध्यम बनाया।

उन्होंने रामलीला के साथ-साथ आजादी की लड़ाई का संदेश भी रामलीला देखने आने वालों तक पहुंचाया। इसी का परिणाम रहा की मोरना सहित धामपुर तहसील क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई' (भट्ट, प्रेम, 2020)। बिजनौर के धामपुर में रामलीला मंच से बुलंद हुई थी आजादी के संघर्ष की आवाज।

उत्तर भारत के लोकप्रिय लोकनाट्य रामलीला में स्वाधीनता संघर्ष के कथ्य अनेक रूपों में शामिल हुए। राम लीला में कुछ महत्वपूर्ण लीलाओं जैसे नाक कटैया, भरत मिलाप आदि के अवसर पर जुलूस की परंपरा रही है। सन 1920 और 30 के दशक में अनेक जगहों पर इन जुलूस और झांकियों में भारत माता की छवियाँ प्रदर्शित की जाती थीं। इन झांकियों में जलियाँवाला बाग की घटना, महात्मा गांधी, शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई की छवियों से लेकर सूत काटने के दृश्य आदि शामिल किए जाने लगे। कई मंचनों में तो राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका में सजे पात्रों को खादी के वस्त्र और रावण को विदेशी वस्त्र पहनाए जाते थे (गुप्तू, 2001)। यह सभी उदाहरण इस बात के परिचायक हैं कि रामलीलाओं का उपयोग स्वाधीनता आन्दोलन में संघर्ष के संदेशों और कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ने में हुआ और इसका सुफल भी निकला।

**लोकमाध्यमों की प्रभावशीलता के कारक**

लोकमाध्यम जनता से सीधा संवाद कायम करते हैं। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि लोकमाध्यमों की उपज लोक से ही होती है। यह माध्यम जड़ों से जुड़े होते हैं और इनके विषय, इनका परिवेश, इनके कथानक लोक से निकले हुए होते हैं। ऐसा इसलिए भी संभव होता है क्योंकि इनमें लोक की भाषा, उनके लिए संवाद की जगह और उनकी सहभागिता के अवसर भी मिल जाते हैं। जब लोक रामलीला जैसे लोकनाट्य से जुड़ता है तो यह केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि इसमें श्रद्धा और भक्ति भी जुड़ जाती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ-साथ लोक आराध्य भी हैं। तुलसीदास की अमर रचना रामचरितमानस ने राम के जीवन के प्रसंगों से लोक को संपृक्त करने का अद्भुत काम किया। रामलीला का मंच वृहद और अक्सर खुला होता है। यह वस्तुतः लीलाओं की कड़ी है जिसमें अनेक स्थानों पर आयोजन होते हैं। इनमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और इस तरह लोक से इसका गहरा जुड़ाव होता है। ऐसे में जब रामलीलाओं को माध्यम बनाया गया तो बड़ी आसानी से एक ही जगह ऐसे लोगों की बड़ी संख्या तक संदेशों को रोपित करना आसान हो गया जो भारतीयता और उसके प्रतीकों से जुड़े थे।

लोकमाध्यम क्यों प्रभावशाली होते हैं इसके पीछे कई कारक चिन्हित किए जा सकते हैं। इनकी प्रभावशीलता के पीछे एक बड़ा कारक इनका लोक संवाद में प्रभावी होना है (Mishra & Newme, 2015)। अवधी में रामचरित मानस की उपलब्धता और उस पर आधारित लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुति निःसन्देह रामलीला को एक प्रभावी लोकमध्यम बनाती है। यह एक बड़ा कारक जरूर रहा है जिसके चलते स्वतन्त्रता आंदोलन के नेताओं ने इसका इस्तेमाल लोक से जुड़ने और उसे उत्प्रेरित करने के लिए किया। रामलीला का कथानक, उसके पात्र और राम सहित अन्य चरित्रों पर लोगों की अगाध श्रद्धा इसे लोक संवाद का एक प्रभावी माध्यम बनाती है।

लोकमाध्यमों का सबल पक्ष इसकी विश्वसनीयता भी होती है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होकर लोकमाध्यम लोगों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं और इस तरह लोगों के बीच इनकी स्वीकार्यता एवं

विश्वसनीयता समृद्ध होती जाती है। अनेक अध्ययनों में यह पाया भी गया है कि विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता के बीच सीधा सम्बंध होता है (दिशानायके, 1977)। 'परम्परागत जनमाध्यम लोक से जुड़े होते हैं, वैविध्यपूर्ण होते हैं, इनपर खर्च कम होता है तथा लोगों पर प्रभाव पैदा करने की इनमें व्यापक सम्भावना होती है। सहभागिता किसी भी परम्परागत माध्यम की प्रमुख पहचान होती है। सहभागिता में संप्रेषक और श्रोता के मध्य की विभाजक रेखा अत्यंत क्षीण होती है तथा इस प्रकार समता की स्थिति का सृजन होता है' (मिश्रा, 2019, पृ. 21-22)। यदि रामलीला के सन्दर्भ में देखें तो विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता का उच्च स्तर इसे एक शक्तिशाली लोकनाट्य बनाता है और लोक का इससे जो गहरा जुड़ाव है, इसपर जो भरोसा है इसके चलते परम्परागत समाजों में भी महिला-पुरुष सभी को इसमें भागीदारी का अवसर मिलता है। किसी भी सामाजिक, राजनैतिक सन्देश के विसरण के लिए रामलीला की यह विश्वसनीयता उसे एक जरूरी चयन बनाती है और शायद यही कारण रहा कि स्वाधीनता संघर्ष से लोगों को परिचित कराने और उससे जोड़ने के लिए रामलीला की ओर देखा गया।

यदि हम अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत (संज्ञानात्मक) (1986) का सन्दर्भ लें तो बंडूरा कहता है कि मनुष्य औपचारिक शालाओं के अतिरिक्त अपने आसपास से भी सीखता है। बंडूरा के अनुसार हमको आदर्श प्रतिमानों को सामने रखना होगा तभी व्यक्ति आदर्श व्यवहार सीखेगा। लोकमाध्यम, विशेषकर रामलीला जैसे लोकमाध्यम सामाजिक अधिगम के सुझावों के अनुरूप होते हैं। राम सहित अनेक अन्य पात्रों का चरित्र आदर्श चरित्र का भारतीय मानक प्रस्तुत करता है अतः रामलीला जैसा लोकनाट्य हमेशा प्रभावी होता है। यह प्रभावशीलता ही इसे लोकप्रिय, लोकस्वीकार्य और लोकग्राही बनाती है। यह एक बड़ा कारण है जिसके चलते स्वतंत्रता आन्दोलन के संदेशों को इसका सहारा लेकर प्रभावी बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए रामलीला का उपयोग किया गया।

**निष्कर्ष**

प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक दस्तावेजों, विवरणों, सामयिक प्रकाशन की रिपोर्टों, समाचारों एवं अन्य सामग्री के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि रामलीला का स्वाधीनता आन्दोलन में व्यापक रूप से उपयोग किया गया। चूँकि राम का चरित्र और कथा सदियों से लोकमानस में स्थापित रही है अतः यह हमेशा से एक लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम रहा है। राम की कथाएं, उनकी कथा का मंचन और श्रवण अनेक रूपों में लोकप्रिय रहे हैं। ग्रामीण स्थानीय समुदायों, आदिवासी समाज, नगरीय समाज सभी ने राम और रामलीला को अपने परिवेश के अनुरूप विकसित किया और अनेक लोकप्रिय रामलीलाएं जगह-जगह प्रदर्शित हुईं। राष्ट्रनायक और लोकनायक दोनों रूपों में राम पूजित थे। रामलीलाएं लोगों की अपनी भाषा में, अपनी बोली में होती थीं जिससे लोकभाषा हिंदी और उसकी बोलियाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र की अन्य स्थानीय बोलियाँ, अन्य स्थानीय भाषाएँ सब में रामलीला का मंचन उसे लोक से जोड़ता था और इस तरह आन्दोलन की भाषा, आन्दोलन का परिवेश और रामलीला की भाषा और परिवेश अद्भुत समय रखते थे। रामलीला के इस प्रभाव का लाभ स्वाधीनता आन्दोलन को भी मिला और व्यापक जनसमर्थन जुटाने से लेकर लोगों को आन्दोलन और संघर्ष हेतु प्रेरित करने में रामलीला की शक्ति का बड़ा लाभ मिला। इस प्रकार उक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि रामलीला ने और अन्य जनमाध्यमों ने स्वाधीनता आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और आन्दोलन से लोगों को जोड़कर, इसके क्षेत्र और प्रभाव में व्यापक विस्तार किया।

## संदर्भ सूची

Pincince, J.R.(2013) The VD Sawarkar and Indian war of independence. Mutiny at the Margins: New prospective on the Indian uprising of 1857: Valene VI: perception Narration and Reinvention: the pedagogy and historiography of the Indian Uprising(2013)।

कर्माकर डी॰ पी॰(1957) बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम एंड ऐस।

Chatterjee, M. (1999). The swadeshi movement and Bengali theatre. Google Scholar

बाया, वी. (2013) । बुराषकथा लोसेस शीन सैंस पैरोनेज यदुवंशी, खेमचंद (एन.डी.). https://hindivivek.org/998 से उद्धृत।

मिश्रा, राघवेंद्र(2021) 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और लोक माध्यम', संचार माध्यम,खंड -33,अंक-2, जुलाई – दिसम्बर 2021,ISSN 2321- 2608

https://www.kafaltree.com/ramleela-in-kumaun/ से उद्धृत, एन.डी.

नई दुनिया, 29, 09,2017, पहचान खो रही रामलीला मंडलियाँ. https://www.naidunia.com/chhattisgarh/janjgir-champa-ramleela-mandliyan-1332677 से उद्धृत

द्विवेदी, विजय (29 सितम्बर, 2019). रामलीला ने जगाई थी स्वतंत्रता संग्राम की अलख. https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bahraich-ramleela-19619739.html से उद्धृत

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-voice-of-freedom-struggle-was-raised-from-ramlila-stage-in-dhampur-bijnore-20944030.html से उद्धृत

गूप्तु, एन. (2001)। द पोलिटिक्स ऑफ़ द अर्बन पुअर इन अर्ली ट्वेंटीथ-सेंचुरी इंडिया (खंड 8)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

Mishra, R. & Newme, K. (2015). "Social Communication and Traditional Folk Media of the Zeme Naga Society." Global Media Journal-Indian Edition, Sponsored by the University of Calcutta/www.caluniv.ac.in ISSN, pp.2249-5835.

Dissanayake, W. (1977). New wine in old bottles: Can folk media convey modern messages?. Journal of Communication, 27(2), 122-124.

मिश्रा, राघवेन्द्र (1999). जनमाध्यम के रूप में मेलों की प्रासंगिकता: एक विश्लेषण. संचार माध्यम. खंड-31, अंक2 http://imc.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/2021/Sanchar%20Madhyam/Sanchar%20Madhyam_%20July-Dec%202019.pdf n.d. से उद्धृत।

Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1986.

# समावेशी विकास एवं पंचायती राज: बाधाएं और निराकरण

**स्निग्धा त्रिपाठी***

**सारांश**

आधुनिक भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का उद्भव स्वतंत्रता के तत्काल बाद हो गया। विभिन्न समितियों के माध्यम से इसे 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मान्यता मिली। पुनः पेशा के जरिये इसे और मजबूती मिली। 21वीं शताब्दी के आगमन के साथ ही पंचायतीराज व्यवस्था केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन् आर्थिक एवं तकनीकी दक्षता को ग्रामीणों के अन्दर विकसित करने में भी सफल हुई। यद्यपि अपनी गौरवशाली परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए पंचायतीराज व्यवस्था ने कई मील के पत्थर हासिल किये हैं, तथापि अभी भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो पंचायतीराज को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन क्षेत्रों पर कार्य किया जाना बाकी है।

आज ग्रामीण उन्नयन की दृष्टि से पंचायतें अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से अन्त्योदय की अवधारणा को साकार करते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा बैंक योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना जैसी ग्राम केन्द्रित विकास योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास के प्रति संकल्पबद्धता दिखलाई है इसमें पंचायतों की भूमिका और भी निर्णायक हो गई है। भारत का आधा श्रमबल गांवों में स्थित है अतः समावेशी विकास के लक्ष्यों को तीव्रता से प्राप्त करने के लिए पंचायती राज एक महत्वपूर्ण सोपान है। मोदी सरकार का विजन दस्तावेज 2019-2024 ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक-आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत के जीवन में स्थाई और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करता है। सुदृढ़, सशक्त एवं सबल पंचायतें ग्रामीण विकास के इस स्वप्न को साकार कर सकती हैं। लेकिन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु उन समस्याओं की पहचान एवं निराकरण आवश्यक है जो इस समावेशी विकास के रास्ते की बड़ी बाधा बन सकती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र पंचायतीराज के विकास और उसके सफल संचालन में आने वाली बाधाओं पर केन्द्रित है। इसमें इन बाधाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

**बीज शब्द :** पंचायतीराज, पेशा, बाधाएं, पंचायत, स्वशासन

## प्रस्तावना

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित किसी भी विषय के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को सौंपा गया। चूंकि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं हैं, परिणामस्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिए एक सार्वभौमिक संरचना का अभाव रहा (बसु, 2001)। 1952 में विकास के पहल के रूप में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया। वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार

* शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सेवा (National Extension Service) की शुरूआत की गयी। किन्तु यह कार्यक्रम असफल रहा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने नौकरशाही, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी, राजनीतिक एवं लोगों की भागीदारी के अभाव में दम तोड़ दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने में ग्राम पंचायतों साहित स्थानीय निकायों की रूचि का अभाव असफलता का सबसे बड़ा कारण रहा (राष्ट्रीय विस्तार सेवा,भारत सरकार)। केन्द्रीय प्रयासों के अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी अनेक प्रयास हुए। 'उत्तर प्रदेश में एक नए ढंग का पंचायत राज अधिनियम सन 1947 में पास हुआ। यह सन 1950, 1952, और 1954 में संशोधित हुआ। असम का प्रथम ग्राम-पंचायत अधिनियम सन 1948 में बना, जो 1952 में संशोधित हुआ। उड़ीसा ग्राम-पंचायत अधिनियम सन 1948 में पास हुआ, जो प्रथम बिहार-उड़ीसा स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1858 पर आधारित था' (अग्रवाल, 2020)।

वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने यह पाया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। समिति ने सुझाव के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्था - ग्रामस्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की संस्तुति प्रदान की। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू की गई। तत्पश्चात् यह योजना 1 नवम्बर 1959 को आंध्रप्रदेश में लागू होने के पश्चात असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भी लागू की गई (महेश्वरी, 1974)।

पंचायती राज संस्थाओं को और भी प्रभावी बनाने के लिए तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया। समिति ने पंचायती राज की अवधारणाओं और रीतियों में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की जिसमें जिला परिषद और मण्डल पंचायत शामिल थे। अशोक मेहता समिति ने योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की सुनिश्चितता के लिए राज्य स्तर से नीचे जिले को विकेन्द्रीकरण के प्रथम बिन्दु के रूप में रखने की अनुशंसा की (प्रतिवेदन, 1978)।

कालान्तर में पंचायतों के पुनरूद्धार और इन्हें नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए समय-समय पर भारत सरकार ने विभिन्न समितियों की नियुक्ति की, जिनमें से प्रमुख समितियाँ निम्नांकित है (शर्मा, & सिंह, 2001) -

1. सी.एच. हनुमंथराव समिति, 1982
2. जी.वी.के. राव समिति, 1985
3. एल.एम. सिंघवी समिति 1986
4. पी.के. थुंगन समिति 1988
5. हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990

पंचायती राज में सुधार हेतु राव समिति (1985) ने जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की जबकि एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश की। समितियों के सुझाव पर तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में 64वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। किन्तु राज्य सभा में पारित न होने के कारण यह विधेयक असफल सिद्ध हुआ।

इसके पश्चात प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992 में 73वाँ संवैधनिक संशोधन संसद ने पारित कर दिया। इस संशोधन के पश्चात 24 अप्रैल 1993 के संवैधानिक दर्जा के रूप में स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायतीराज ने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया (शर्मा, 2005)।

73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यह संस्थाएँ लोकतंत्र की भावना पैदा करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। पंचातयी राज व्यवस्था ने नौकरशाही और लोगों के बीच की दूरी कम करने में पुल का काम किया है तथा उत्साही एवं आधुनिकतावादी लोगों में विकास की भावना भी उत्पन्न किया गया है। पंचायतीराज व्यवस्था ने गांव की साफ-सफाई, स्वच्छता, बिजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृक्षारोपण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, कृषि मत्स्य, पशुपालन, ग्रामीण आवास, रोजगार आदि जैसे प्रमुख दायित्वों का निर्वहन बड़े मनोयोग से किया है। महिला सशक्तीकरण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के, जो अब तक समाज में उपेक्षित रहे, आरक्षण व्यवस्था से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। परिणामस्वरूप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में यह सकारात्मक परिवर्तन धीरे-धीरे परिलक्षित होने लगा है (कटारिया, 2007)।

पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का साकार रूप है । इस प्रक्रिया से सामाजीकरण की प्रक्रिया को मजबूती मिली है तथा ग्रामीणों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के साथ-साथ अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है। मताधिकार चेतना इसी सामान्य चेतना स्तर का विशिष्ट रूप है । पंचायतों ने न केवल ग्रामीणों के मानसिक विकास में योगदान दिया है बल्कि गांवों के भौतिक स्वरूप को भी बदलने में कारगर भूमिका निभायी है। शिक्षण संस्थाओं ने गांवों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाते हुए ग्रामीणों के व्यक्तित्व, विचारों व मूल्यों में परिवर्तन के लिए भी कार्य किया है। पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के पश्चात गांवों में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए भी एक वातावरण तैयार हुआ है जिसके अन्तर्गत छूआछूत, बाल-विवाह तथा महिला अत्याचार जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल किया है (महिपाल, 2002)। इस प्रकार पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सबके विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे उपयोगी व्यवस्था हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के संकल्प और योजनाओं को देखें तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि समावेशी विकास वर्तमान मोदी सरकार की ग्रामीण विकास की नीतियों के मूल में है। "सबका साथ सबका विकास अभियान' में समावेशी विकास, समृद्धि और सभी के लिए एक समान अवसर जैसे लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक शामिल किया गया है। यह भारत सरकार की नीतियों का प्रमुख आधार है' (अग्रवाल, 2021)। दुर्भाग्यवश ग्रामीण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण यह तीसरी सरकार अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रही है। यह समस्याएं पंचायतों के सशक्तिकरण और प्रभावी होने की रह में बड़ी बाधा के रूप में हैं।

**सत्ता के विकेन्द्रीकरण की समस्या**

पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के ध्येय को पूरा करने के लिए की गई थी । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता की पहली शर्त सत्ता का स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित करना है। यह तभी सम्भव है जब प्रेरणा नीचे के स्तर से शुरू हो और उच्च स्तर (शासन) केवल मार्गदर्शन करे। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अपने आदेशों का पालन करने वाला एजेण्ट मात्र न सकझे। इसके लिए नौकरशाही की मनोवृत्ति में बदलाव करना आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं के

मार्ग की बाधा वह है कि सैद्धान्तिक रूप से सत्ता पंचायतों को प्रदान कर दी गई है किन्तु व्यावहारिक रूप से ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधि नौकरशाही के नियन्त्रण एवं प्रभाव में रहते हैं। नियमों एवं विधियों की जानकारी न होना एवं जटिल सरकारी प्रक्रिया के कारण अधिकांशतः योजनाएँ मन्द गति से संचालित हो रही हैं। जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। योजनाओं का संचालन कैसे हो यह नौकरशाही ही तय करती है। अतः इस कारण अधिकांश समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी रह रही हैं (महिपाल, 2008)।

**अशिक्षा**

अशिक्षा भी इसमें एक बड़ी बाधा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.4 प्रतिशत थी। लेकिन यह शिक्षा की दर नहीं है। यह वह दर है जिसमें लोग बमुश्किल अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं। अपने फैसले लेने में वह असहज होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी भागीदारी शत-प्रतिशत नहीं हो पाती है। अशिक्षा समावेशी विकास और सशक्त पंचायतों की राह में बड़ी बाधा है। यह लोगों में उदासीनता का भाव भरती है और उन्हें सक्रिय भागीदारी से रोकती है।

**भ्रष्टाचार की समस्या**

भारत की प्रशासनिक संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या बन गई है। पंचायती राज संस्थाएँ भी इससे अछूती नहीं हैं। पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ कर ऐसा सामन्जस्य बना लिया है कि बिना रिश्वत के किसी योजना का लाभ सुलभतापूर्वक किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। शौचालय हो या आवास, अथवा कोई भी सहायता एक तयशुदा रकम के दिए बिना ग्रामीणों को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। विधवा, वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशनों के लिए भी निसहाय लोगों को सौ से लेकर पाँच सौ रूपये तक रिश्वत देनी पड़ रही है। मनरेगा जॉबकार्ड धारियों को दी जाने वाली मजदूरी में से भी जनप्रतिनिधियों एवं छोटे स्तर के सरकारी कर्मचारियों को धन देना पड़ रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान इनमें लगने वाली निर्माण सामग्री घटिया किस्म की इस्तेमाल हो रही हैं। योजनाओं में थोड़ा धन खर्च कर जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों द्वारा आपस में बन्दर-बांट कर लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा घपला मनरेगा के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में हो रहा है। कार्य के नाम पर खानापूर्ति कर धन ग्राम प्रधानों द्वारा निकाल लिया जाता है और इसका गबन कर लिया जाता है।

क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर पर जनता द्वारा चुने हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) तथा जिला पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मोटी रकम लेकर कर रहे हैं। ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद धन बनाने की मशीन बन जा रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि पंचायती राज को सफल बनाना है तो इस समस्या का निवारण किए बिना यह संभव नहीं है।

**पंचायतों की सरकार पर वित्तीय निर्भरता**

पंचायतीराज व्यवस्था का सर्वोच्च उद्देश्य गांवों का विकास कर ग्रामीणों के जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, शौचालय, जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना नितान्त आवश्यक है। बुनियादी आवश्यकताओं को

त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संविधान द्वारा अधिकार एवं स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। किन्तु व्यवहार में ग्रामीण विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा पंचायतों की वित्तीय स्थिति है। यद्यपि पंचायतों को वित्त प्रबन्धन के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया है किन्तु इस दिशा में पंचायतों की उपलब्धि नाममात्र की ही है। पंचायतों की केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुदान पर ही सबसे अधिक निर्भरता है। समय से धन न मिलने के कारण विकास कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार भी पंचायतों के कोष में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है।

**जनता की उदासीनता**

ग्रामस्वराज की स्थापना को मूर्तरूप देने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हो चुकी है | ग्रामपंचायत कार्यकारी संस्था है जिसे गांव के विकास सम्बन्धी नीतियों को कार्यरूप में परिणित करना है। ग्रामसभा पूरे गांव के नागरिकों की संस्था है जिसमें विकास की विविध योजनाओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। गांव के किसी भी विषय को विशेषकर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयों पर ग्राम-सभा की आम सहमति आवश्यक है। किन्तु सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि स्थानीय निवासी ग्राम सभा की बैठकों में उतनी रूचि नहीं लेते हैं। उदासीनता के कारण ग्राम-सभा में बहुत ही कम लोग प्रतिभाग करते हैं। अतः जनता की उदासीनता एवं जनसहभागिता के कारण पंचायती राज अपने लक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तथा ग्रामप्रधान एवं प्रतिनिधियों के ऊपर जन नियन्त्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। वस्तुतः यह स्थिति लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए घातक है।

**धन-बल एवं राजनीति**

पंचायती राज व्यवस्था के मार्ग की एक सबसे महत्वपूर्ण बाधा पंचायतों के चुनाव में धन-बल एवं राजनीतिक हस्तक्षेप का अत्याधिक प्रयोग है। चुनावों के समय अक्सर यह देखने को मिलता है कि भ्रष्ट एवं आपराधिक किस्म के लोग पंचायत के चुनाव को प्रभावित कर वोटों के खरीद-फरोख्त, शराब, साड़ी, कपड़ों को बांटकर प्रत्याशी जिताने का प्रयास करते हैं और अधिकांशतः इसमें वह सफल भी हो रहें हैं। अब पंचायती चुनाव गांवों में विवाद एंव वैमन्यस्ता का कारण बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंचायतीराज के पवित्र उद्देश्य, जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था तथा जिसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद-40 में प्रावधान किया था, वह धूमिल पड़ता जा रहा है। यह स्थिति निःसंदेह चिन्ता का विषय है।

**महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व का दुरूपयोग**

73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा पंचायतों के लिये होने वाले निर्वाचन पद पर 1/3 महिला प्रतिनिधियों के चुने जाने का प्रावधान किया गया, साथ ही पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भी पंचायतों के पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया। 'भारत की संघीय व्यवस्था में लोकतान्त्रिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के एक सशक्त प्रयास के रूप में संविधान में 73 वां संशोधन किया गया, जिसमें एक वंचित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई' (सिंह, 2016)। वस्तुतः इस प्रावधान के उद्देश्य हाशिए के लोगों को जो समाज में दबे-कुचले हैं उनको नेतृत्व प्रदान कर समाज में समरसतापूर्ण वातावरण तैयार

करना था। ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति चूल्हा-चौका एवं घर सम्भालने तक ही सीमित थी। महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए महिला सशक्तीकरण को मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं को ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया। परन्तु व्यवहार में देखने पर पता चलता है कि ज्यादातर महिला प्रधानों के पति न सिर्फ स्वयं का परिचय प्रधानपति कहकर देते हैं, बल्कि प्रधान के ज्यादातर कार्यों को स्वयं पूरा करते हैं। महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यह अब भी घर-बच्चों तक ही सीमित रह गई हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न होने से पंचायतों में महिलाओं की दशा सन्तोषजनक नहीं है। फलतः महिला साक्षरता, घरेलू हिंसा, अत्याचार में कोई व्यापक सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकार के लिए भी पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है।

**निष्कर्ष**

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्था का जो उद्देश्य था ' समग्र ग्रामीण विकास', वह अब तक पूरा नहीं हो सका है और इसके लिए अशिक्षा, भ्रष्टाचार, वित्तीय निर्भरता, जनता की उदासीनता मूल कारण हैं। यद्यपि हाल के वर्षों में सरकार की तरफ से गाँवों को हाइटेक बनाने का व्यापक प्रयास किया गया है तथापि इन क्षेत्र में और भी अधिक उद्यम करने की आवश्यकता है। इस समस्याओं का निदान और सच्ची प्रतिनिधि पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए जनता और सरकार दोनों के स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। पंचायतें गाँव के विकास का मूल आधार हैं और चूँकि भारत गांवों का देश है अतः सशक्त पंचायत सशक्त भारत का प्रतीक भी है। पंचायतों की समस्याओं का जितनी जल्दी निदान होगा, ग्रामीण विकास की सही तस्वीर उस दिन से ही स्पष्ट होनी आरंभ होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव यह अवसर बन सकता है जब हम महात्मा गांधी के प्रसिद्द कथन- भारत की आत्मा गांवों में बसती है, को आत्मसात करें एवं पंचायती राज की बाधाओं को दूर करके सतत, समग्र, समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस अनूठी, सबल और स्थापित संस्था को माध्यम बनाएं।

## संदर्भ सूची

बासु, दुर्गादास. (2001). भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली: बाधवा एण्ड कम्पनी प्रकाशन. पृ. 120

सामुदायिक विकास एवं नेशनल एक्सटेंशन अध्ययन दल का प्रतिवेदन, भाग-1, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 5-6.

अग्रवाल, प्रमोद के. (2020). भारत में पंचायती राज. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन. पृ. 5.

महेश्वरी, श्रीराम (1974). भारत में स्थानीय शासन. आगरा. पृ. 88.

पंचायतीराज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन (1978). अगस्त. नई दिल्ली. पृ. 4.

शर्मा, श्रीनाथ, & सिंह, मनोज कुमार (2001). पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, बीना: आदित्य पब्लिशर्स. पृ. 107.

शर्मा, अशोक. (2005). भारत में स्थानीय प्रशासन, जयपुर: आर.बी.एस. पब्लिशर्स. पृ. 24.

कटारिया, सुरेन्द्र, (2007). पंचायतीराज संस्थाएं, अतीत वर्तमान और भविष्य. नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस. पृ. 29.

महिपाल (2002). ग्राम पंचायत के कार्य व शक्तियाँ, मैत्रेय पब्लिकेशन. पृ0. 5-14.
अग्रवाल, आरुषि (जून 2021). ग्रामीण भारत में समावेशी विकास. कुरुक्षेत्र, वर्ष 67, अंक-8, पृ.22.
महीपाल (2008). पंचायतीराज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ. दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली. पृ. 73.
सिंह, एच. (2016). पंचायती राज में महिला नेतृत्व: एक अध्ययन अलवर (राजस्थान) जिले के विशेष सन्दर्भ में (अप्रकाशित शोध प्रबंध). पृ. 37.

आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेषांक
ISSN-0974-0118

# भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रायपुर नगर का योगदान

**डॉ. रामभूषण तिवारी***
**स्नेह गुप्ता****
**डॉ. सुनीता दुबे*****

**सारांश**

स्वतंत्रता संग्राम में देश के कोने-कोने से गाँव, कस्बे, नगर, महानगर सभी जगहों से लोगों ने भाग लिया और अपनी आहुति इस पुनीत यज्ञ में अर्पित की। विरोध प्रदर्शन, जुलूस, धरना, प्रभातफेरी से लेकर तीव्र और उग्र आंदोलनों में लोगों ने भागीदारी की और विशाल जनसहभागिता के चलते सफल हो रहे आंदोलनों ने अंततः ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दीं और उन्हें यहाँ से विदा लेना पड़ा। विद्रोह और आन्दोलन की यह ज्वाला छत्तीसगढ़ अंचल में भी तेजी से फैली और रायपुर नगर में भी लोगों ने स्वतंत्रता के इस संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया। रायपुर के चतुर्दिक आदिवासी बसाव है जहाँ ईसाई मिशनरियों ने बहुत पहले से धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया था। स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध के स्वर भी उठे और इस तरह आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के संग्राम से पूर्व से यहाँ संघर्ष शुरू हो चुके थे। प्रस्तुत शोधपत्र एक नगर और उसमें रहने वाले लोगों की राष्ट्रीय चेतना को स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के आलोक में प्रस्तुत करता है।

**बीज शब्द :** स्वतंत्रता संग्राम, रायपुर, ईसाई मिशनरी, छत्तीसगढ़ अंचल, विद्रोह

**प्रस्तावना**

ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के उद्भव से पूर्व भी किसी ना किसी रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष अनवरत जारी था। विद्रोह की इन स्थानीय प्रवृत्तियों का अध्ययन राष्ट्रीय आन्दोलन की समग्र समझ को बढ़ाने हेतु अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ अंचल में ब्रिटिश शासन से विद्रोह कई स्तर पर हर समय जारी रहा और रायपुर नगर अक्सर इन विद्रोहों के इतिहास से जुड़ा रहा। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में इस नगर के ऐतिहासिक योगदान का अध्ययन पूरे आन्दोलन के अध्ययन से अभिन्न रूप से सम्बद्ध है।

19 वीं सदी का रायपुर आज के रायपुर नगर की तुलना में सौ गुना छोटा था तथा बीसवी सदी की प्रथम जनगणना के समय यह लगभग 32000 की जनसंख्या वाला अपेक्षाकृत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नगर था (नेल्सन, 1909; भारत की जनगणना, 2001, भारत की जनगणना, 2011)। आज की तरह तब भी यह संपूर्ण अंचल का सबसे बड़ा नगर था तथा इसी कारण स्वाभाविक तौर पर ब्रिटिश गतिविधियों का हृदयस्थल था। रायपुर नगर की गतिविधियों के आलोक में स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक प्रवृत्तियों का अवलोकन किया जा सकता है। प्रख्यात नगरीय नियोजनकर्ता लुइस ममफोर्ड ने नगरों को जीवित व्यक्तियों की तरह माना है जिनके जीवन चक्र से समाज के विकासक्रम को समझा जा सकता है। इस रूप में अगर हम

*सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश
**शोधार्थी, भूगोल विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश
***सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,पं श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, रायपुर छत्तीसगढ़

स्वतंत्रता के लिए रायपुर नगर के अवदान को समझें तो हम तत्कालीन भारतीय समाज को तथा ब्रिटिश शासन से उस समाज के विभेद और संघर्ष को समझ सकते हैं (बिसेस, 2019)।

संपूर्ण राष्ट्र की ही तरह छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 से ही मानी जा सकती है यद्धपि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन एवं ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध छुटपुट संघर्षों के साक्ष्य 1857 के संघर्ष से पूर्व भी उपलब्ध हैं। स्वदेशी, स्थानीय एवं परम्पराजन्य राजव्यवस्था को हटाकर नितांत नूतन तथा अपेक्षाकृत केंद्रीकृत शासन प्रणाली ने बार बार छत्तीसगढ़ अंचल के लोगों में असंतोष को जन्म दिया लेकिन अधिकांशत: ये संघर्ष छोटे थे जिनका समुचित अध्ययन भी नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के साथ ही सोना खान का विद्रोह हुआ जिसे प्रथम बड़ा संघर्ष कहा जा सकता है। स्वाभाविक तौर पर रायपुर नगर इस विद्रोह का केंद्रबिंदु भी बन गया।

प्लासी की लड़ाई से 1857 तक मुख्यतया ब्रिटिश शासन अपने आपको स्थिर एवं सुदृढ़ करने में संलग्न था। 1857 के विद्रोह के पूर्व जो भी संघर्ष हुआ वह सामान्यतया स्थानीय तथा तत्कालीन परिस्थितियों से जनित था। विदेशी शासन के प्रति उसमे आक्रोश तो था किन्तु सामूहिक सामर्थ्य का उसमें अभाव था। 1857 का विद्रोह पहला बड़ा विद्रोह था जिसके बाद से अपेक्षाकृत सामूहिकता के भाव के साथ संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद से हर किसी ने भारत की आजादी के साथ स्वयं को सहयोगी पाया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना और 1915 में गाँधीजी के इसमें जुड़ने के साथ स्वतंत्रता आन्दोलन का मूल चरित्र जनोन्मुखी होता गया। जिसकी अंतिम परिणिति 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ हुई। प्रस्तुत अध्ययन का मूल उद्देश्य 1857 से 1947 की कालावधि के दौरान रायपुर नगर एवं उसके प्रभावक्षेत्र में संचालित स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन का अध्ययन करना है। यह अध्ययन एक ओर स्वाधीनता आन्दोलन की स्थानीय प्रवृत्तियों को समझने में सहायक होगा तो दूसरी ओर यह स्थापित करने का प्रयास है कि 1857 से तमाम स्थानीय संघर्ष मूलत: राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रवृत्तियों से प्रभावित हो रहे थे एवं उसको विस्तारित करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे।

**1857 का विद्रोह**

1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 मंगल पाण्डेय द्वारा ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमले से हुई जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। सैन्य विद्रोह के रूप में चिंगारी बैरकपुर से फूटी वह एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में भीषण आग बन चुकी थी। सैन्य विद्रोह और राजाओं के सत्ता संघर्ष से परे जनविद्रोह शुरू हो चुका था। जिसके मुद्दे तथा प्रकटीकरण स्थानीय स्तर पर नाटकीय रूप से भिन्न थे। छत्तीसगढ़ में यह विद्रोह सोना खान तथा हनुमंत सिंह के विद्रोह के रूप में जाना जाता है (https://iamchhattisgarh.in)।

**सोना खान का विद्रोह**

1857 के विद्रोह की नींव छत्तीसगढ़ में पहले ही रखी जा चुकी थी। 1854 में जमींदारी व्यवस्था में तथाकथित सुधारों ने स्थानीय जमींदारों में असंतोष के बीज बो दिए थे। अगस्त 1854 में सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह ने एक जमाखोर व्यापारी का गोदाम लूटकर अनाज को जरूरतमंद किसानो में बाँट दिया। व्यापारी की शिकायत पर अंग्रेज अधिकारियों ने नारायण सिंह को दोषी माना। तथा जमींदार के रूप में मिले उनके अधिकारों को 1854 के एक्ट के आधार पर सीमित करने की कोशिश की। इसके पश्चात

स्थानीय किसानों से कर वसूली और अंग्रेजों को कर की निर्धारित मात्रा देने के मुद्दे पर उनके स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों से मतभेद बढ़ते चले गए। प्रतिष्ठित परिवार से सम्बन्ध रखने वाले नारायण सिंह ने हर बार ब्रिटिश शोषण के विरूद्ध किसानों का साथ दिया। यह मतभेद इतने बढ़े कि 1854 में व्यापारी के गोदाम लूटने की घटना को आधार बनाकर उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को बंदी बनाकर रायपुर जेल में डाल दिया गया (छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकॉर्ड, 1857)। इसके कुछ महीने बाद संपूर्ण उत्तर भारत क्रांति की ज्वाला में जल रहा था जिसकी कथाएं पूरे छत्तीसगढ़ अंचल तथा रायपुर जेल में बंद नारायण सिंह के पास भी पहुँच रहीं थी। कैद किये जाने के दस महीने बाद 22 अगस्त 1957 को नारायण सिंह ने तीन अन्य कैदियों की सहायता से जेल से सुरंग खोदकर कैदखाने से आजाद हो गए (छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकॉर्ड, 1857)। एक तरह से जब उत्तर भारत में क्रांति की ज्वाला खत्म हो रही थी तब नारायण सिंह ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। उत्तर भारत के पूर्वानुभवों से सजग ब्रिटिश सरकार ने पूरी शक्ति नारायण सिंह के विद्रोह को दबाने में लगा दी। लेफ्टिनेंट सी बी एल स्मिथ तथा लेफ्टिनेंट नेपियर ने बड़ी सेना लेकर उनकी खोज शुरू की। नारायण सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक स्थानीय नागरिक और बेलदार उनके साथ जुड़ गये। महीनों का नारायण सिंह ने गुरिल्ला शैली से संघर्ष जारी रखा और ब्रिटिश सेना उनको पकड़ने में नाकाम रही। अंतत: नारायण सिंह के चाचा तथा देवरी के जमींदार महाराजा साय ने ब्रिटिश अधिकारियों की मदद की। दिसम्बर 1857 में ब्रिटिश सेना उनकी मदद से नारायण सिंह के गाँव में पहुँचने में कामयाब रही। उन्होंने उनके परिजनों तथा निरपराध ग्रामवासियों को बंदी बनाकर मारने की धमकी दी जिसके बाद नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें पड़कर रायपुर लाया गया जहाँ डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने उन्हें फाँसी की सजा सुना दी। उन्हें रायपुर नगर में बीच चौराहे पर फाँसी दी गई (छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकॉर्ड, 1857)। इस स्थल पर वीर नारायण सिंह की स्मृति में रायपुर नगर में आज भी जयस्तंभ स्थापित है। इस तरह छतीसगढ़ के इतिहास में ब्रिटिश भारत के पहले शहीद वीर नारायण सिंह और रायपुर नगर दोनों का नाम अमर हो गया। बाद में शहीद नारायण सिंह के पुत्र गोविन्द सिंह ने देवरी के गद्दार जमींदार महाराजा साय की हत्या करके अपने पिता की शहादत का बदला भी लिया और अंगेजों से बगावत की ध्वजा उठाये रखी। अपने परिजनों के साथ वह भूमिगत हो गये एवं जीवनपर्यंत ब्रिटिश शासन की पकड़ से दूर रहे (मिश्रा 1956)।

**रायपुर का सैन्य विद्रोह**

1857 का विद्रोह सर्वप्रथम सैन्य विद्रोह के रूप में ही शुरू हुआ था। वीर नारायण सिंह की शहादत का माहौल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 18 जनवरी 1858 को इस क्षेत्र में पुन: विप्लव हुआ जब हनुमंत सिंह नामक सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या कर दी तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप पूरी रायपुर छावनी में ब्रिटिश सरकार समर्थित सैनिकों तथा विद्रोही सैनिको के बीच युद्ध छिड़ गया। अंतत: 17 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार करके डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट की अदालत में पेश किया गया जहाँ 22 जनवरी को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई तथा उसी दिन उन्हें फाँसी दे दी गई। 22 जनवरी को जिन को फांसी दे दी गई, उनके नाम थे: शिवनारायण, पन्नालाल, मतादीन, ठाकुर सिंह, बली दुबे, लल्लासिंह, बुद्धू सिंह, परमानन्द, शोभाराम, गाजी खान, अब्दुल हयात, मल्लू, दुर्गा प्रसाद, नजर मोहम्मद, देवीदान, जय गोविन्द (chhattisgarhgyan.in )। इनमे सभी धर्म एवं जाति के लोग थे जो 1857 के संघर्ष के समावेशी चरित्र को इंगित करता है। क्रांति की

शुरुआत करने वाले हनुमंत सिंह कभी ब्रिटिश शासन की गिरफ्त में नहीं आये। सैन्य विद्रोह तथा उसके बाद की परिस्थितियों के कारण बहुधा हनुमंत सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कह दिया जाता है। लेकिन रायपुर छावनी का यह विद्रोह ना केवल बैरकपुर के विद्रोह से अधिक व्यापक था बल्कि हनुमंत सिंह ने मंगल पांडे से इतर अपने सैनिक साथियों का समर्थन जुटाकर संघर्ष की तीव्रता को भी बढ़ा दिया। और अंतत: जब सब पकड़े गये तो वे स्वयं को बचाने में भी कामयाब रहे (छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकॉर्ड, 1858)

**कांग्रेस युग में रायपुर नगर**

1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना के बाद शीघ्र ही रायपुर के स्थानीय नेताओं ने स्वयं को कांग्रेस से सम्बद्ध कर लिया तथा कालांतर में यह छत्तीसगढ़ अंचल में कांग्रेस की गतिविधियों का सर्वप्रमुख केंद्र बन गया। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन पुन: मुंबई में संपन्न हुआ। इसमें भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के पांच प्रतिनिधियों में से दो सी. एम. ठक्कर तथा रामदयाल तिवारी रायपुर से थे। 1891 के नागपुर सम्मलेन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी रही तथा उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों को भी स्थान मिला। छत्तीसगढ़ में आरोपित नहर कर की अधिक दर के कारण आलोचना की गई तथा निर्णय लिया गया की सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर के बिलासपुर आगमन पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करेगा। इस नहर कर के विरोध में 20 हजार किसानो ने प्रदर्शन भी किया। वास्तव में यह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढती शक्ति का प्रथम परिचय था। (शुक्ल 1939)

1892 में वुडवर्थ सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर बने तथा 1894 में उनका रायपुर दौरा हुआ। इस दौरान पिछले तीन वर्षों से छत्तीसगढ़ अंचल सहित पूरे मध्यप्रान्त में भीषण दुर्भिक्ष पड़ रहा था। जिसके प्रभावों को देखने के लिए चीफ कमिश्नर का दौरा हुआ तथा 20 जनवरी 1894 को उनका खुला दरबार आयोजित हुआ। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अकाल राहत के लिए कर माफ़ी की मांग रखी तथा इंडियन कौंसिल एक्ट-1892 में छत्तीसगढ़ के किसी प्रतिनिधि को स्थान ना देने का मुद्दा उठाया (शर्मा, 1994)।

1905 के बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय आन्दोलन के विस्तार की नींव रखी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की लोर्ड कर्जन की घोषणा के साथ की संपूर्ण देश के साथ छत्तीसगढ़ और रायपुर में भी उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गये। 1905 के बनारस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवक दादा साहेब खापर्डे ने स्वदेशी प्रस्ताव रखा। छत्तीसगढ़ के अनेक स्वयंसेवक पं. वामनराव लाखे, पं. रविशंकर शुक्ल, पं. रामगोपाल तिवारी, माधवलाल सप्रे तथा गजाधर साव आदि शामिल हुए। इसके पश्चात रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गतिविधियों तथा स्वदेशी आन्दोलन का केंद्र बन गया। अगले वर्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना के साथ रायपुर में स्वतंत्रता आन्दोलन को और गति मिली (https://www.chhattisgarhgyan.in)।

**छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना तथा गतिविधियाँ**

बैरिस्टर सी. एम. ठक्कर के प्रयासों से छत्तीसगढ़ अंचल में 1906 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका प्रथम सम्मलेन रायपुर में हुआ तथा पंडित सुन्दरलाल शर्मा प्रदेश कांग्रेस समिति की सदस्यता लेने वाले प्रथम सदस्य बने (https://iamchhattisgarh.in)। किन्तु अगले ही वर्ष 1907 के सूरत के राष्ट्रीय

अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल की दो विचारधारा में बंट गयी तथा उसके प्रभाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी विभाजन हो गया। रायपुर में वन्देमातरम से सम्मलेन शुरू करने को लेकर हुए नाटकीय घटनाक्रम में पं. सुन्दरलाल शर्मा, डॉ हरीसिंह गौर, डॉ. माधोलकर तथा डॉ. शिवराम मुंजे नरमदल के समर्थन में आगे आये जबकि पं. रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे तथा दादा साहेब खापर्डे ने गरमदल की विचारधारा का समर्थन किया। अगले दिन दोनों गुटों ने अपना अलग अलग सम्मलेन भी किया। 1908 में माधवराव सप्रे को हिन्द केसरी पत्रिका के प्रकाशन से जुडी गतिविधियों के कारण जेल की सजा सुनाई गई तथा छत्तीसगढ़ से जेल जाने वाले वह प्रथम कांग्रेसी नेता बन गये (शुक्ल, 2019)।

इसके बाद के कुछ वर्षो में रायपुर गरमदल की गतिविधियों के केंद्र में बना रहा। वास्तव में इस दौरान मुख्यतया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से पूरा स्वाधीनता आन्दोलन संचालित हो रहा था। 1915 में प्रांतीय कार्यकर्ताओं में 'सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन' नाम से अपना संगठन बनाया जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अनेक बड़े नाम शामिल हुए। इसके नाम से राजिम के किसान आन्दोलन को समर्थन प्रदान किया गया जिसमे पं. सुन्दरलाल शर्मा भी शामिल हुए।

1915 में ही लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट ने मिलकर होमरूल लीग की स्थापना की जिसे रायपुर में पं. रविशंकर शुक्ल लेकर आये। 1918 में होम रूल लीग का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में आयोजित हुआ जिसकी। इसमें माधवराव सप्रे एवं डॉ बी. एस. मुंजे का ओजस्वी भाषण हुआ तथा एक सुनिश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ने का आवाहन किया गया। दिसंबर 1918 में रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ जिसमे स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले उपस्थित थे। सम्मलेन में माधवराव सप्रे अध्यक्ष बने तथा सी. एम. ठक्कर एवं इ. राघवेंद्रन कार्यसमिति के सदस्य बने (यादव, 2018)।

स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की गतिविधियों के सञ्चालन हेतु छत्तीसगढ़ में पहली बार जिला स्तर कांग्रेस समिति का गठन भी 1920 में रायपुर में ही किया गया। रायपुर जिला कांग्रेस समिति के पहले अध्यक्ष बेरिस्टर सी. एम. ठक्कर बने जबकि पं. रविशंकर शुक्ल इसके पहले सचिव बने। जिला कांग्रेस समिति की एक सभा में खिलाफत आन्दोलन को समर्थन की बात की गई जिसके लिए असगर अली ने कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। जिला कांग्रेस समिति ने अकेले रायपुर नगर से तिलक स्वराज कोष के लिए 16,634 रूपये एकत्र किये। तथा कांग्रेस की गतिविधियों को रायपुर नगर से बाहर गाँव गाँव में पहुंचा दिया। कंडेल गाँव में नहर कर के विरोध में किसानो के सत्याग्रह को समर्थन देने 1920 में ही गाँधीजी भी रायपुर आये। जिससे पूरे शहर तथा छत्तीसगढ़ अंचल में कांग्रेस की गतिविधियों का विस्तार हुआ (शर्मा , 1994)। दिसंबर 1920 में पुन: कांग्रेस का सम्मलेन नागपुर में हुआ तथा इसमें सभी बड़े नेताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ से 600 किसान भी सम्मलेन में भाग लेने पहुँचे।

सन 1922 में रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका उद्देश्य आम लोगों में राजनैतिक चेतना का उदय करना था। मूलत: छिंदवाड़ा के निवासी बैरिस्टर उमाकांत बलवंत घाटे ने सम्मलेन की अध्यक्षता की। इसमें नियम बनाया गया की प्रत्येक व्यक्ति को गेटपास खरीदकर सभा ही प्रवेश करना होगा। डिप्टी कमिश्नर एवं जिला पुलिस कप्तान सहित अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के लिए पाँच नि:शुल्क पास की मांग की गई। जिसे आयोजको द्वारा ठुकरा दिया गया तथा पास खरीदकर ही प्रवेश देने की बात कही गयी। जिसकी प्रतिक्रिया में स्वागताध्यक्ष पं. रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया। किन्तु जनता में आक्रोश फ़ैल गया जिसके बाद अंतत: ब्रिटिश अधिकारियों को टिकट खरीदकर ही प्रवेश लेना पड़ा।

**असहयोग आन्दोलन के दौरान गतिविधियाँ**

पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित कंडेल नहर सत्याग्रह रायपुर जिले की धमतरी तहसील में हुआ था। कंडेल नहर सत्याग्रह को बहुधा छत्तीसगढ़ का चंपारण आन्दोलन भी कहा जाता है। जिला मुख्यालय होने के कारण रायपुर पूरे आन्दोलन का केंद्र बना रहा। रायपुर जिले की धमतरी तहसील (वर्तमान में अलग जिला) के कंडेल गाँव में नहर कर के विरोध में किसानो के सत्याग्रह को समर्थन देने 1920 में ही गाँधीजी भी रायपुर आये।

इसके अतिरिक्त भी असहयोग आन्दोलन का व्यापक प्रभाव हुआ। लोगो ने सरकारी उपाधियों का परित्याग किया तथा विदेशी शासन द्वारा संचालित अदालतों एवं विद्यालयों का बहिष्कार किया। इस आन्दोलन के दौरान की गाँधीजी के अलावा डॉ राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान का रायपुर आगमन हुआ। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह भी चला जिसको रायपुर के पं. सुन्दरलाल शर्मा ने नेतृत्व प्रदान किया। आन्दोलन के दौरान रायपुर से वकालत का परित्याग करने वालों में पं रविशंकर शुक्ल, पं. रामनारायण तिवारी एवं यादवराव देशमुख थे। रायपुर नगर से वामनराव लाखे, बैरिस्टर कल्याण सिंह, मोरारजी थेरकर, सेठ गोपी किशन तथा बैरिस्टर नरेन्द्रनाथ ने राय साहब की उपाधि का त्याग कर दिया। श्री वामनराव लाखे को बाद में आम लोगो ने लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की (https://chhattisgarh-ka-itihas.blogspot.com)।

7 फरवरी 1921 को पं. सुन्दरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की (https://www.chhattisgarhgyan.in)। जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने 'श्री कृष्ण जन्मस्थान' पत्रिका का संपादन किया। माधवराव सप्रे द्वारा प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी रायपुर में की गई। अनेक विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करके उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया।1 अप्रैल 1921 को वहाँ विदेशी वस्त्रों की विशाल होली भी जलाई गयी।

**सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान गतिविधियाँ**

रौलेट एक्ट के विरोध तथा विरोध प्रदर्शनों में लाला लाजपत राय की मृत्यु ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप देश भर में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया गया। रायपुर नगर में भी 1930 के अप्रैल महीने के बाद इससे संबंधित अनेक गतिविधियाँ संचालित की गई। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया जिसमें सेठ लक्ष्मीनारायण दास तथा ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। 8 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में कृत्रिम साधनों से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा 28 अप्रैल 1930 को उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया (https://www.rkcinfo.in )।

अप्रैल में ही कांग्रेस की राजनैतिक परिषद् की बैठक होनी थी जिसकी अध्यक्षता पं. जवाहरलाल नेहरु को करनी थी लेकिन सम्मलेन से पूर्व इबादतगंज स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अंत में सेठ गोविन्ददास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 22 अगस्त 1930 को महाराष्ट्र के अकोला से राजनैतिक बंदियों को रायपुर जेल में स्थानांतरित किया गया जिनका स्वागत करने बड़ी संख्या में सत्याग्रही रायपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे। वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगा रहे इन सत्याग्रहियों की पुलिस ने निर्ममतापूर्वक पिटाई की। शासन के तमाम दमनचक्र के बाद भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलता रहा (जौहरी, 2003)।

गाँधी-इरविन समझौते की पूर्वपीठिका में सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित रहा तथा 1931 में वार्ता विफल रहने के बाद इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। जेल से रिहा हुए पं. रविशंकर शुक्ल को द्वितीय चरण का प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किया गया। पेशावर दिवस के अवसर पर उनके भाषण को उत्तेजक करार देकर उन्हें 500 रुपये का अर्थदंड लगाकर दो वर्ष के लिए पुन: जेल भेज दिया गया। उनके जेल जाने के बाद एक एक करके सात अन्य लोगों को कार्यवाहक नियुक्त किया गया। इनमे से चौथे क्रम में श्रीमती राधाबाई भी कार्यवाहक चुनी गईं जिनके नेतृत्व में शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। एक और कार्यवाहक ब्रह्मदेव दुबे ने बंदी दिवस का आयोजन किया एवं स्वयं गिरफ़्तारी दी। एक अन्य कार्यवाहक माधव प्रसाद परगनिहा को खादी पहनने के कारण निर्दयतापूर्वक पीटा गया।सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय योगदान के कारण वामनराव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मो. अब्दुल रउफ एवं शिवदास डागा को बहुधा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पाँच पांडव की संज्ञा दी जाती है (जौहरी, 2003; बेकर, 1969)।

**स्वतंत्रतापूर्व रायपुर की चुनावी राजनीति**

रायपुर छत्तीसगढ़ अंचल की राजनीति के हमेशा केंद्र में रहा है तथा पूरे अंचल की गतिविधियाँ यहाँ से संचालित हो रहीं थी। प्रथम बार रायपुर में चुनावी गतिविधियाँ स्वराज दल के माध्यम से संचालित हुईं थी। कांग्रेस द्वारा कौंसिल चुनावों का बहिष्कार करने के निर्णय के बाद उनके बहुत से नेता देशबंधु चितरंजनदास द्वारा स्थापित स्वराज दल में शामिल हो गये तथा उन्होंने कौंसिल चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की (चंद्रा, 2000)। 1926 में देशबंधु चितरंजनदास की मृत्यु के बाद रायपुर में स्वराजदल की गतिविधियाँ शिथिल पड़ गयीं तथा बाद में उसके कांग्रेस में विलय के बाद ये नेता पुन: कांग्रेस में लौट आये। बाद में पं रविशंकर शुक्ल जिला कौंसिल के अध्यक्ष बने लेकिन रायपुर जिला कौंसिल को अंग्रेजो ने 11 नवम्बर 1930 को 3 वर्षो के लिए स्थगित कर दिया गया था शासन ने पुनः 8 मार्च 1934 को शासन का प्रबन्ध शुक्ल जी को सौप दिया (यादव, 2018)।

1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 11 प्रांतों में से 6 पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और केंद्रीय व्यवस्थापिका में वह सबसे बड़े दल के रूप में आई (bhaskar.com)। आठ प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रांत एवं बरार (1935 के अधिनियम में परिवर्तित नाम) में भी कांग्रेस बहुमत में आई जिसमें रायपुर से पं. रविशंकर शुक्ल निर्वाचित हुए एवं उनके द्वारा डॉ नारायण भास्कर खरे का नाम मुख्यमंत्री पद हेतु प्रस्तावित किया गया। डॉ. खरे 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए (https://en.wikipedia.org)। पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया जिनके द्वारा प्रसिद्ध शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत की जिसका मुख्य उद्देश्य प्रांत में अशिक्षा की समाप्ति तथा शिक्षा के स्वावलंबन का विकास करना था। कांग्रेस में आंतरिक मतभेद के कारण एक वर्ष बाद मुख्यमंत्री डॉ. खरे को त्यागपत्र देना पड़ा और 29 जुलाई 1938 को पंडित रवि शंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश शासन द्वारा विधानमंडल के बिना सहमति के भारत को युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल किये जाने के विरोधस्वरूप कांग्रेसशासित अन्य प्रान्तों की तरह 15 नवंबर 1939 को पं. शुक्ल रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में मध्यप्रांत मंत्रिमंडल ने भी त्यागपत्र दे दिया (कुल्के तथा रोडरमंड, 2004)।

1945-46 को पुनः प्रांतों में आम चुनाव हुए। मध्य प्रांत विधान मंडल में कांग्रेस के 112 में से 84 सीटें प्राप्त हुई 27 अप्रैल 1946 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यहां अंग्रेज गवर्नर के शासन का अंत हो गया। बाद में स्वतंत्रता के बाद भी प्रथम आम चुनावों तक यही व्यवस्था जारी रही।

संविधान निर्माण परिषद में छत्तीसगढ़ से पं. रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर छेदीलाल बैरिस्टर और घनश्याम गुप्त निर्वाचित हुए. भारतीय संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ के सामंतीय नरेशों की ओर से सरगुजा के दीवान रारूताब रघुराज सिंह नामजद हुए. छत्तीसगढ़ की रियासती जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, रायगढ़ और कांकेर के रामप्रसाद पोटाई निर्वाचित किए गए। बाद में श्री घनश्याम गुप्त जी ने संविधान के हिंदी रूपांतरण में समिति के अध्यक्ष के रूप में महती योगदान दिया एवं 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का हिंदी रूपांतरण संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपा (https://www.etvbharat.com)।

**1939 से 1947 का दौर**

1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने पर रायपुर में एक बार पुन: स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित गतिविधियाँ तीव्र हो गई। अक्टूबर 1940 में गाँधी जी के आवाहन पर देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई जिसमें पूरे मध्यप्रांत से लगभग 500 सत्याग्रही थे उसमे से 47 रायपुर से थे। पं. रविशंकर शुक्ल इसमें गिरफ़्तारी देने वाले प्रथम सत्याग्रही बने। बाद में गाँधीजी ने अधिक संख्या में सत्याग्रहियों को भाग लेने की अनुमति दे दी तो छत्तीसगढ़ अंचल से 2761 सत्याग्रहियों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया जिसमे से 473 रायपुर से थे। बाद में दिसंबर 1941 में सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया। रायपुर के सत्याग्रहियों राजाराम साहू और रामेश्वर साहू ने युद्ध विरोधी प्रदर्शन के लिए दिल्ली तक जाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें झाँसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया (https://www.chhattisgarhgyan.in)।

1941 में रायपुर में चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह और वीर सावरकर से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारी गतिविधियाँ संचालित करने का प्रयास हुआ जिन्हें बहुधा 'रायपुर षड्यंत्र कांड' के नाम से जाना जाता है। परसराम सोनी, गिरिलाल, ए. सी. ठाकुर, रणवीर शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद वासनिक, भरत बिहारी चौबे अदि क्रांतिकारी इस संगठन से जुड़े रहे। आर्थिक आभाव के बाद भी उन्होंने हथियार बनाने व चलाने का प्रशिक्षण लिया। किन्तु सुखनंदन नाम के इनके ही एक साथी की मुखबिरी के कारण परसराम सोनी पिस्तौल सहित सदर बाजार एवं एडवर्ड रोड के मध्य उस समय गिरफ्तार हो गये। अन्य क्रांतिकारियों के घर एवं गुप्त स्थानों से भी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई तथा सभी को गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया। अत: संपूर्ण तैयारी के बाद भी रायपुर षड्यंत्र कांड' ना केवल विफल रहा बल्कि कुछ उल्लेखनीय करने से पहले ही खत्म हो गया।बाद में इनमे से गिरिलाल को 8 वर्ष, परसराम सोनी को 7 वर्ष, क्रांति कुमार भारती को 2 वर्ष को सख्त सजा हुई। 1946 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश पर गिरिलाल एवं परसराम सोनी को नागपुर जेल से रिहा कर दिया गया (https://www.allgk.in)।

इसी तरह से कुछ क्रांतिकारियों ने रायपुर जेल की दीवारों को डायनामाइट से उड़ा देने की योजना बनाई, जो 'रायपुर डायनामाइट कांड' के नाम से जाना जाता है । इस कार्य में बिलक नारायण

अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागर दास बावरिया, नारायण दास राठौर एवं जय नारायण पांडे प्रमुख थे। बिलख नारायण अग्रवाल जबलपुर से रायपुर आए थे एवं उनके पास एक शक्तिशाली डायनामाइट था, जिसे श्री अग्रवाल ने जेल की पिछली दीवार पर लगाया और उसमें आग लगा दी यद्यपि जेल की दीवार को क्षति पहुंची तथा फिर भी राज बंदियों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इससे प्रशासन चौकन्ना हुआ एवं शंका के आधार पर षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को सामूहिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु इन पर आरोप सिद्ध ना हो सका सभी समाचार पत्रों ने इस कार्य को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जेल से छूटने के बाद में 1944 को ईश्वरी चरण शुक्ला एवं नारायणदास राठौर को टेलीफोन के कनेक्शन काटने एवं लेटर बॉक्स चलाने के आरोप में पुनः गिरफ्तार किया गया (नई दुनिया, 2020)।

क्रिप्स कमीशन की असफलता के बाद भारतीय स्वयं को छला महसूस करने लगे तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल इसकी असफलता के लिए भारतीयों के सहयोगात्मक रवैया को जवाबदेह ठहरा रहे थे। गाँधी जी ने परिवर्तित स्थिति में कांग्रेस के विशेष वर्धा अधिवेशन में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव रखा जिसे कार्यकारिणी द्वारा पारित किया गया तथा 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में न्यूनाधिक संशोधन के बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने इसे स्वीकार कर लिया। करो या मरो के गाँधीजी के आवाहन के साथ भारत छोडो आन्दोलन शुरू हुआ लेकिन सभी बड़े कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए (ग्रीनौघ, 1999)। छत्तीसगढ़ से भी प्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लेने मुंबई पहुंचे थे 8 अगस्त को प्रस्तावित पारित होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा रातों-रात सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए सभी प्रतिनिधि पूर्ण जोश के साथ आंदोलन संचालित करने हेतु मुंबई से रवाना हुए। 9 अगस्त सन 1942 को रायपुर के सभी स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। उसी दिन शाम को एक विशाल जुलूस में सम्मिलित लोगों को कंकाली पारा में पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सिटी कोतवाली के समीप भीड़ पर हवाई फायर किया गया। गांधी चौक पहुंचने पर जुलूस सभा में बदल गया इस सभा का नेतृत्व श्री त्रेता नाथ तिवारी ने किया। 10 अगस्त सन 1942, को श्री रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में छात्रों का जुलूस निकला। शास्त्री जी गांधी चौक के पास गिरफ्तार कर लिए गए। श्री रामकृष्ण ठाकुर तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य लोगों के साथ-साथ विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिए गए। रायपुर शहर में होने वाले आंदोलन का नेतृत्व युवकों के हाथ में था। 26 सितंबर 1942 को श्री रणवीर सिंह शास्त्री को टेलीफोन के तार काटने और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में जेल भेज दिया गया (पत्रिका, 2019)।

1946 में लॉर्ड माउंटबेटन जून योजना में भारत के विभाजन का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने भी उसे 15 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया जबकि मुस्लिम लीग पहले ही विभाजन चाहती थी। तदनुसार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निर्मित हो ब्रिटिश संसद एवं राजा द्वारा क्रमशः 15 एवं 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित हुए (शेरवानी, 1984)। 14 अगस्त की मध्यरात्रि लोगों को देश के अन्य लोगो की तरह रायपुर में भी विभाजन की पीड़ा तो थी किंतु स्वतंत्रता के अरुणोदय का हर्ष भी था।15 अगस्त को प्रातः मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर राजधानी के ऐतिहासिक सीताबाड़ी के किले पर तिरंगा फहराया (https://m.bharatdiscovery.org/india)। रायपुर में खाद्य मंत्री आरके पाटिल ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। उनके द्वारा एक समारोह में राष्ट्रपिता गांधी जी तथा देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरु जी का राष्ट्र के नाम संदेश इस अवसर पर जनता को पढ़कर सुनाया गया और इस देश स्वतंत्र हो गया।

**निष्कर्ष**

रायपुर नगर के स्वतंत्रता आन्दोलन का अध्ययन स्वाधीनता आंदोलन की समझ को विस्तार देता है। स्वाधीनता आन्दोलन की हर एक प्रवृत्ति इस शहर में भी परिलक्षित और प्रस्फुटित होती है। यह मात्र संयोग नहीं है कि अविभाजित मध्यप्रदेश के कुछ अत्यंत प्रभावशाली राजनेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रायपुर नगर से निकले और पूरे प्रदेश को नेतृत्व प्रदान किया। यह वास्तव में उस स्वाधीनता आन्दोलन की विरासत की शक्ति है जिसके केंद्र में रायपुर नगर रहा है। केंद्र से दूर अवस्थित होकर भी स्वतंत्रता आन्दोलन में केन्द्रीय भूमिका का निर्वाहन ही इस नगर का सबसे बड़ा अवदान है। रायपुर नगर के स्वतंत्रता आन्दोलन की समझ दो कारणों से उल्लेखनीय है। संपूर्ण आन्दोलन के दौरान यह नगर एक ओर लगातार राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अपने में समाहित करते हुए चलता है तो दूसरी ओर स्थानीय, आंचलिक और क्षेत्रीय आंदोलनों का नेतृत्व भी करता है। इसलिए नगर की ऐतिहासिक विरासत की समझ पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की समझ से जुड़ी है।

## संदर्भ सूची


नेल्सन, ए. ई. (1909), सेंट्रल प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, वॉल्यूम-ए (https://indianculture.gov.in/gazettes/central-provinces-district-gazetteers-raipur-district-descriptive-vol रिट्राइव दिनांक 27/12/2021)।

भारत की जनगणना, (2001), टाउन डायरेक्टरी, भारत की जनगणना, कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल, भारत सरकार (https://censusindia.gov.in/digitallibrary/MFTableSeries .aspx रिट्राइव दिनांक 20/10/2021)।

भारत की जनगणना, (2011), जिला जनगणना पत्रिका, सीरीज-23 पार्ट-XII-A, भारत की जनगणना, कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल, भारत सरकार (https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/22/2211_PART_A_DCHB_RAIPUR.pdf रिट्राइव दिनांक 20/10/2021)।

बिसेस, प. (2019, अगस्त 13), छत्तीसगढ़ी साहित्य:अजादी के लड़ई म छत्तीसगढ़ के योगदान, पत्रिका समाचार (https://www.patrika.com/raipur-news/chattisgarhi-sahitya-4966930/ रिट्राइव दिनांक 01/03/2022)।

छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति, (https://iamchhattisgarh.in/chhattisgarh-me-1857-ki-kranti.html रिट्राइव दिनांक 01/03/2022)।

छत्तीसगढ़ डिविज़नल रिकार्ड्स, (1857), पृ. क्र. 5।

छत्तीसगढ़ डिविज़नल रिकार्ड्स, (1857), पृ. क्र. 234।

छत्तीसगढ़ डिविज़नल रिकार्ड्स, (1857), पृ. क्र. 260।

मिश्र, द्वारिका प्रसाद, (1956), द हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन मध्यप्रदेश. मध्यप्रदेश गवर्नमेंट प्रेस, नागपुर।

हनुमान सिंह (रायपुर, सैन्य विद्रोह), (https://www.chhattisgarhgyan.in/2016/03/hanuman-singh.html रिट्राइव दिनांक 01/03/2022)।

छत्तीसगढ़ डिविज़नल रिकॉर्ड, (1858), भाग 21 पृ. 387 पत्र क्रमांक 633525/3/ 1858।

शुक्ल प्रयाग दत्त, (1939) क्रांति के चरण, माधवराव सप्रे संग्रहालय,भोपाल , पृ. 44-45।

शर्मा, रामगोपाल, (1994), छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन. सैन प्रकाशन, धमतरी पृ. 27।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गठन 1906, (https://www.chhattisgarhgyan.in/2018/05/1906.html रिट्राइव दिनांक 01/03/2022)।

छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, (https://iamchhattisgarh.in/chhattisgarh-ka-adhunik-itihas.html रिट्राइव दिनांक 31/01/2022)

शुक्ल, पंकज (2019), माधवराव सप्रे जयंती: राजद्रोह का मुकदमा झेलने वाले हिंदी के पहले पत्रकार (19 जून 2021). (https://hindi.news18.com/blogs/pankaj-shukla_1/pandit-madhavrao-sapre-writer-journalist-freedom-fighter-movement-literature-journalism-chhattisgarh-nodakm-3625631.html रिट्राइव दिनांक 31/01/2022)

यादव, राकेश (2018), छत्तीसगढ़ का इतिहास, आधारक्लासेस, अमर काम्प्लेक्स, गाँधी चौक बिलासपुर छ.ग.(संकलन)

शर्मा, रामगोपाल, (1994), छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन. सैन प्रकाशन, धमतरी पृ. 35।

छत्तीसगढ़ में असहयोग आन्दोलन, (https://chhattisgarh-ka-itihas.blogspot.com/2021/04/blog-post_54.html रिट्राइव दिनांक 31/01/2022)

छत्तीसगढ़ में असहयोग आन्दोलन 1920, (https://www.chhattisgarhgyan.in/2018/06/1920-chhattisgarh-me-asahyog-andolan.html रिट्राइव दिनांक 31/01/2022)

सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रथम चरण – छत्तीसगढ़, (https://www.rkcinfo.in/2021/08/savinay-avagya-aandolan-chhattisgarh.html रिट्राइव दिनांक 31/01/2022)

जौहरी, शुभा (2003), क्रॉस सेक्शनल पार्टीसिपेशन इन सिविल डिसओबिडीएंस मूवमेंट इन सेन्ट्रल प्रोविंस एंड बरार, प्रोसीडिंग ऑफ़ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, वॉल्यूम-64 (2003) (https://www.jstor.org/stable/44145524?readnow=1&refreqid=excelsior%3A6e7a2a3cd07d6b1b029824001e5f5552&seq=1#page_scan_tab_contents रिट्राइव दिनांक 01/03/2022)

बेकर, डी. ई. यू. (1969), पॉलिटिक्स ओन ए बाइलिंगुअल प्रोविंस: द सेन्ट्रल प्रोविंस एंड बरार, इंडिया, 1919-1939, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑस्ट्रेलिया।

चंद्रा, बिपिन (2000). इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडीपेनडेंस, पेंगुइन बुक्स लिमिटेड पृ. 249-51।

दैनिक भास्कर (4 मार्च 2016). डू यू नो: 1937 में हुआ था देश में पहला चुनाव,

(https://www.bhaskar.com/news/SPL-BIHEL-FLASH-first-election-organise-in-1937-in-india-5107412-NOR.html रिट्राइव दिनांक 01/01/2022)

1937 प्रोविंसियल असेंबली इलेक्शन, (https://en.wikipedia.org/wiki/1937_Indian_provincial_elections रिट्राइव दिनांक 01/01/2022)

कुल्के, हरमन तथा रोडरमंड, डीट्मन, (2004), ए हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया (चौथा संस्करण), रौटलेज प्रकाशन, न्यूयार्क. पृ. 381. (http://www.ahandfulofleaves.org/documents/A%20History%20of%20India_Kulke.pdf रिट्राइव दिनांक 31/01/2022)

जानें छत्तीसगढ़ के उन दिग्गजों को जिन्होंने हिंदी में की संविधान की रचना (26 नवंबर, 2020), (https://www.etvbharat.com/hindi/delhi/bharat/contribution-of-chhattisgarh-personalities-in-constitution-making/na20201126180358041 1 (रिट्राइव दिनांक 31/01/2022)

छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन, (https://www.chhattisgarhgyan.in/2017/10/1942-chhattisgarh-me-bharat-chhodo.html रिट्राइव दिनांक 21/02/2022)

रायपुर षड्यंत्र केस, 1942, (https://www.allgk.in/raipur-shadyantra-case/ रिट्राइव दिनांक 21/02/2022)

नई दुनिया, (8 अगस्त 2020), रायपुर राष्ट्रीय विद्यालय में गूंजा था करो या मरो, (https://www.naidunia.com/chhattisgarh/raipur-during-the-procession-in-the-national-school-do-or-die-was-echoed-6043848 रिट्राइव दिनांक 01/01/2022)

ग्रीनौघ, (1999), पोलिटिकल मोबलिजेशन एंड द अंडरग्राउंड लिटरेचर ऑफ़ द क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942-44, सोशल साइंटिस्ट, वॉल्यूम 27 क्रमांक 7/8, पृ. 11-47 (https://www.jstor.org/stable/351801 रिट्राइव दिनांक 01/01/2022)।

पत्रिका समाचार, (2019, July 3), क्या है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? यहां जान लीजिए कैसे हुआ भारत-पाकिस्तान में बंटवारा, (https://www.patrika.com/hot-on-web/what-is-the-indian-independence-act-1947-4788658/ रिट्राइव दिनांक 01/12/2021)

शेरवानी, एल. ए. (1984), द पार्टीशन ऑफ़ इंडिया एंड माउंटबेटन. अटलांटिक पब्लिशर एंड दृष्टि.

रविशंकर शुक्ल, https://m.bharatdiscovery.org/india रिट्राइव दिनांक 11/01/2022)

# मेकल मीमांसा

(ISSN-0974-0118)

## मेकल मीमांसा: एक परिचय

सन 2009 में आरंभ मेकल मीमांसा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यूड शोध पत्रिका है। राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित अर्धवार्षिक शोधपत्रिका हेतु ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों से मौलिक शोध प्रकाशन हेतु आमंत्रित किया जाता है। शोध पत्रिका का उद्देश्य शोधार्थियों, नीति नियामकों, एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के ज्ञानवर्धन तथा संवर्धन हेतु उपयोगी नवोन्मेषी, मौलिक और नूतन शोध को सामने लाना है। प्रकाशन में उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु पत्रिका के लिए एक निर्धारित, वस्तुनिष्ठ ब्लाइंड पीअर रीव्यू पद्धति से शोध पत्रों का चयन किया जाता है।

## पत्रिका का उद्देश्य एवं क्षेत्र-

मेकल मीमांसा शोध पत्रिका का मूल उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तायुक्त मौलिक शोध को सामने लाना है। पत्रिका सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त एवं नीति निर्धारण आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले अनुसन्धान को प्रकाशित करने का कार्य करती है। पत्रिका का विशेष आग्रह आदिवासी विकास, संस्कृति एवं जीवन पद्धति आदि से जुड़े स्तरीय, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन के प्रति है।

## पत्रिका की सदस्यता हेतु सहयोग राशि

| क्रम संख्या | श्रेणी | अवधि | सहयोग राशि रुपयों में |
|---|---|---|---|
| 1 | संस्थागत सदस्यता हेतु | अर्धवार्षिक | 300.00 |
| | | वार्षिक | 550.00 |
| | | आजीवन | 5000.00 |
| 2 | व्यक्तिगत सदस्यता हेतु | अर्धवार्षिक | 250.00 |
| | | वार्षिक | 475.00 |
| | | आजीवन | 4500.00 |
| 3 | आन्तरिक व्यक्तिगत सदस्यता एवं शोधार्थियों हेतु | अर्धवार्षिक | 200.00 |
| | | वार्षिक | 350.00 |
| | | आजीवन | 3250.00 |

सहयोग राशि का भुगतान ऑनलाइन/बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। बैंक डिटेल हेतु सम्पादकीय टीम से संपर्क किया जा सकता है।

मेकल मीमांसा के आगामी अंको हेतु शोध पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शोध पत्र मौलिक, वस्तुनिष्ठ एवं ज्ञान के क्षेत्र और समाज तथा संस्कृति के संवर्धन में योगदान करने में सक्षम हों। मौलिकता प्रमाणपत्र एवं अन्यत्र प्रकाशन हेतु नहीं भेजे जाने सम्बंधी घोषणा के साथ शोध पत्र mekalmimansa@igntu.ac.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं। विस्तृत निर्देश हेतु हमारी वेबसाइट देखें।

http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

विद्यया विन्दतेऽखिलम्

आज़ादी का अमृत महोत्सव

# इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
# अमरकंटक (म.प्र.)

# मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx